UPSC

KGS Publications

करेंट अफेयर्स

नवंबर 2026
वर्ष 03 | अंक 11





- दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य पालन समझौता
- स्वच्छ भारत मिशन के 12 वर्ष पूर्ण
- हरित ऊर्जा गलियारा चरण-III योजना
- भारत स्टेज-VII उत्सर्जन मानक
- वैश्विक नवाचार सूचकांक 2026
- नोबेल पुरस्कार 2026

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 1 02-11-2026 17:53:32

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

UPSC CSE

GS Foundation 2027

Prelims | Mains | Interview

- वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन
- मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन की स्पष्ट तकनीक
- प्रीलिम्स-केन्द्रित टेस्ट अभ्यास
- गहन अध्ययन हेतु विशेष मॉड्यूल
- मल्टी-रिवीजन आधारित तैयारी
- रिसर्च आधारित स्टडी नोट्स

OFFLINE BATCHES

English Medium | Hindi Medium

ONLINE BATCHES

English Medium | Hindi Medium

Admissions Open

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन 1-9

1.1. सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी/पुनः गिरफ्तारी के लिए सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ किया 1
1.2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संबंधी कानून पर सर्वोच्च न्यायालय का विभाजित निर्णय 2
1.3. अंतरराज्यीय परिषद (संशोधन) आदेश, 2026 3
1.4. आपराधिक दोषसिद्धि और विधायी अयोग्यता 4
1.5. ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच महानदी जल विवाद 6
1.6. धर्म परिवर्तन से पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ स्वतः प्राप्त नहीं होता : सर्वोच्च न्यायालय 7
1.7. समुद्री राज्य विकास परिषद की 21वीं बैठक 8
1.8. अंतर-संसदीय संघ (IPU) का 153वाँ सम्मेलन 9

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध 10-17

2.1. संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध अभिसमय 10
2.1. दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते 11
2.3. स्विस परिसंघ के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा 12
2.4. बिम्सटेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक और दिल्ली घोषणा-पत्र 14
2.5. बहुपक्षवाद के लिए साझेदार (P4M) शिखर सम्मेलन 15
2.6. पहली V4+भारत विदेश मंत्रियों की बैठक 16

3. सामाजिक मुद्दे और सामाजिक न्याय 18-32

3.1. प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना 18
3.2. आयुष्मान भारत के 8 वर्ष 19
3.3. स्वच्छ भारत मिशन मिशन के 12 वर्ष 21
3.4. प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना 22
3.5. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बाल्यावस्था और किशोरावस्था में मोटापे पर पहले वैश्विक दिशा-निर्देश जारी किए 24
3.6. वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2026 25
3.7. जेंडर स्नैपशॉट 2026 27
3.8. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट: 5 करोड़ भारतीय बच्चे स्कूलों में स्वच्छता सुविधा से वंचित 29
3.9. वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2026 30

4. अर्थव्यवस्था और कृषि 33-53

4.1. भारत-न्यूज़ीलैण्ड मुक्त व्यापार समझौते 33
4.2. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III योजना 35
4.3. एकीकृत परिवहन एवं रसद प्राधिकरण 36
4.4. लघु एवं मध्यम उद्यम विकास निधि 37
4.5. मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में वृद्धि की 39
4.6. विपणन सत्र 2027–28 के लिए रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 40
4.7. गन्ना किसानों और चीनी क्षेत्र से संबंधित मुद्दों की जाँच के लिए समिति 41
4.8. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना 42
4.9. दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन 44
4.10. पीएम-सेतु 45
4.11. मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूर्ण 47
4.12. भारत भर में अवैध शाकनाशी-सहिष्णु बीटी कपास की व्यापक खेती पर अध्ययन 49
4.13. आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2026 51
4.14. व्यापार और विकास रिपोर्ट 2026 52

5. पर्यावरण एवं भूगोल तथा आपदा प्रबंधन 54-73

5.1. नए कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मानदंड 54
5.2. भारत स्टेज VII उत्सर्जन मानक 55
5.3. रिफाइनरियों और वस्त्र इकाइयों के लिए कार्बन लक्ष्यों में संशोधन 57
5.4. भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन योजना के तहत भारत के पहले 'प्रमाण' सर्टिफ़िकेट 58
5.5. दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य से 12% कम वर्षा के साथ समाप्त हुआ 59
5.6. राष्ट्रीय तटीय मिशन 2.0 के लिए दिशानिर्देश 61
5.7. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 62
5.8. प्रोजेक्ट चीता 64
5.9. भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 103 हुई 65
5.10. भारत का पहला बंदरगाह-आधारित ई-मेथनॉल संयंत्र 66
5.11. वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति 2025 रिपोर्ट 67
5.12. विश्व वन्यजीव कोष की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2026 69
5.13. विश्व के वनों की स्थिति 2026 रिपोर्ट 70

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 1 02-11-2026 17:53:33

5.13. किगाली संशोधन की 10वीं वर्षगाँठ 72
5.14. अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग की 70वीं बैठक 72

6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 74-86

6.1. RAPP-8 में प्रारंभिक ईंधन लोडिंग शुरू 74
6.2. फ्री-स्पेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन 76
6.3. सेमिकॉन इंडिया 2.0 और भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर IESA रिपोर्ट 78
6.4. वैश्विक नवाचार सूचकांक 2026 79
6.5. विश्व बैंक ने AI तत्परता में भारत को शीर्ष 10 देशों में स्थान दिया 81
6.6. तृष्णा उपग्रह 82
6.7. फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2026 83
6.8. भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2026 84
6.9. रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2026 85

7. रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा 87-93

7.1. सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में AFSPA का विस्तार किया 87
7.2. भारत–जापान UNICORN समझौता 88
7.3. आईएनएस समर्थक: भारत का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत 89
7.4. आईएनएस मंगरोल 90
7.5. स्लाइनेक्स-26 91
7.6. अभ्यास नोमैडिक एलीफेंट 2026 91
7.7. कज़िंद-2026 91
7.8. आसियान-भारत समुद्री अभ्यास 92
7.9. अभ्यास माउंटेन गार्जियन 2026 93
7.10. अभ्यास इंद्र-2026 93

8. इतिहास, कला एवं संस्कृति 94-99

8.1. भारत की यूनेस्को अस्थायी सूची में स्थलों की संख्या बढ़कर 78 हुई 94
8.2. कर्नाटक में तुलु को अतिरिक्त आधिकारिक भाषा का दर्जा 95
8.3. श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती 95
8.4. पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती 96
8.5. लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 124वीं जयंती 97
8.6. नानाजी देशमुख की जयंती 98
8.7. दादासाहेब फाल्के पुरस्कार 98
8.8. 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 99

9. विविध 100-107

9.1. नोबेल शांति पुरस्कार 2026 100
9.2. साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2026 100
9.3. लक्षद्वीप 100% साक्षर केंद्रशासित प्रदेश बना 101
9.4. पाँच शास्त्रीय भाषाओं के लिए उत्कृष्टता केंद्र 102
9.5. नाउरू ने अपना पारंपरिक नाम नाओएरो पुनः अपनाया 103
9.6. प्रोजेक्ट सनकैचर 103
9.7. 11वाँ आयुर्वेद दिवस 2026 104
9.8. विश्व गैंडा दिवस 105
9.9. एशियाई खेल 2026 106
9.10. टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2027 106

10. बहुविकल्पीय अभ्यास प्रश्न 108-117

उत्तरमाला 117

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 2 02-11-2026 17:53:33



1.1. सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी/पुनः गिरफ्तारी के लिए सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ किया (Supreme Court Strengthens Safeguards for Arrest/Re-Arrest)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *भारतीय संविधान-महत्त्वपूर्ण प्रावधान एवं मूल संरचना; कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन एवं कार्यप्रणाली।*

संदर्भ

जसकरण जीत सिंह देओल बनाम पंजाब राज्य (2026) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि असंवैधानिक गिरफ्तारी के बाद पुनः गिरफ्तारी के लिए न्यायिक निगरानी आवश्यक है, जिससे स्वतंत्रता के मनमाने हनन के विरुद्ध सुरक्षा उपायों को बढ़ावा मिलता है।

निर्णय के प्रमुख बिंदु

- **असंवैधानिक गिरफ्तारी से तत्काल रिहाई होगी:** अनुच्छेद 22(1) या 22(2) का उल्लंघन गिरफ्तारी को असंगत कर देता है; ऐसे मामले में रिहाई जमानत नहीं, बल्कि अवैध और असंवैधानिक हिरासत से रिहाई है। बाद में दाखिल आरोप-पत्र या संज्ञान लेने का आदेश इस दोष को ठीक नहीं कर सकता।
- **पुनः गिरफ्तारी के लिए न्यायिक अनुमोदन आवश्यक:** यदि हिरासत आवश्यक बनी रहती है, तो एजेंसी को पहले गिरफ्तारी के लिखित आधार प्रस्तुत करने होंगे और क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करना होगा, जिसमें पुनः गिरफ्तारी की आवश्यकता और पहले हुए उल्लंघन के कारणों को स्पष्ट किया जाए।
- **वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी:** आवेदन को जाँच अधिकारी के तत्काल वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जाँच किसी अन्य अधिकारी को हस्तांतरित की जाए और विभागीय जाँच शुरू की जाए।

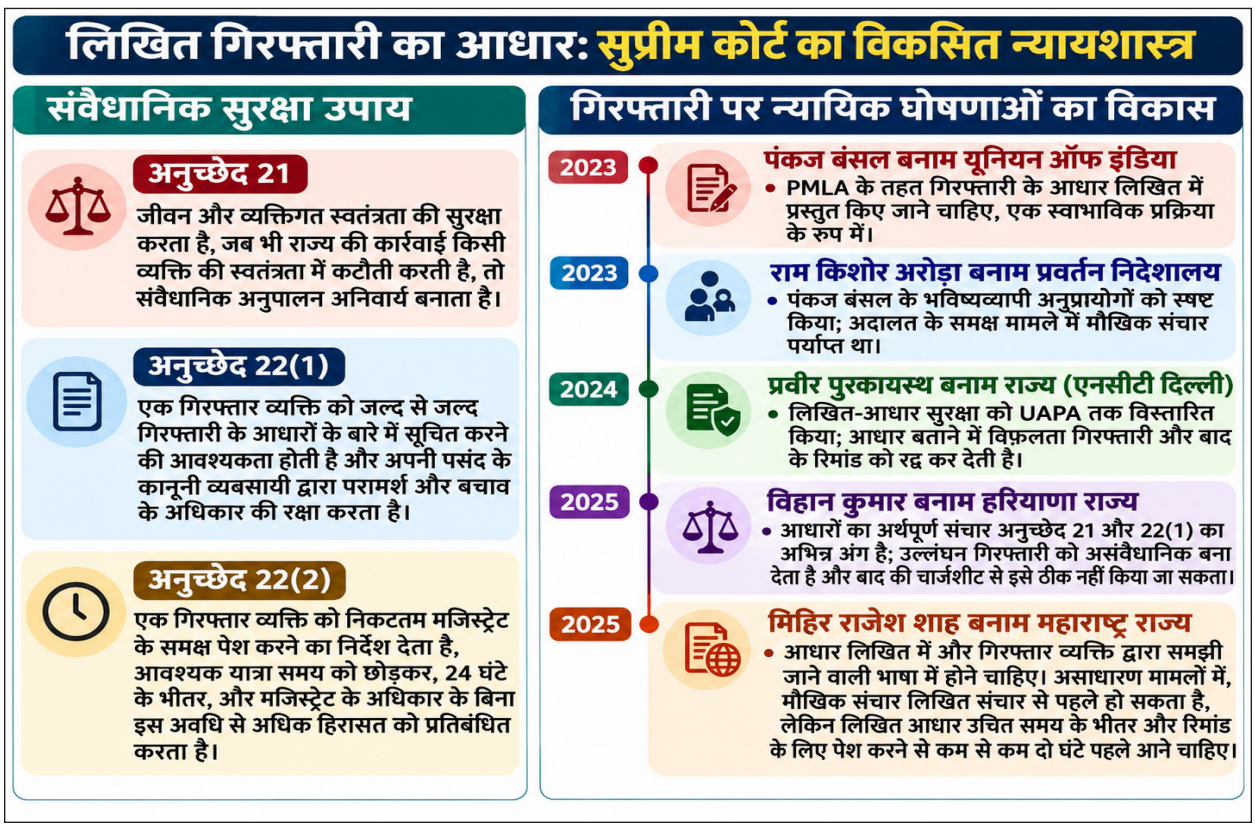

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 1 02-11-2026 17:53:33

- **मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच:** मजिस्ट्रेट को पहले हुए गैर-अनुपालन की सद्भावना तथा हिरासत की आवश्यकता की जाँच करनी होगी। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए आवेदन पर अधिमानतः एक सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए।
- **अनुच्छेद 22(2) और मुआवजा:** जहाँ 24 घंटे के भीतर पेश करने की आवश्यकता का उल्लंघन हुआ हो, वहाँ भी यही सुरक्षा उपाय लागू होंगे। उच्च न्यायालय लोक विधि संबंधी उपचार के रूप में उपयुक्त मुआवजा भी प्रदान कर सकता है, जो अन्य निजी विधि संबंधी उपचारों को प्रभावित नहीं करेगा।
- **अपराध की गंभीरता कोई अपवाद नहीं:** आरोपित अपराध की गंभीरता अनुच्छेद 22 के सुरक्षा उपायों को कमजोर नहीं कर सकती; स्वतंत्रता के मनमाने हनन के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण आरोप की गंभीरता से परे लागू होता है।

महत्त्व एवं व्यापक प्रभाव

- **व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुदृढ़ करता है:** यह निर्णय इस बात को पुष्ट करता है कि अनुच्छेद 22 के सुरक्षा उपाय, अनुच्छेद 21 से जुड़े मूलभूत संवैधानिक अधिकार हैं और केवल तकनीकी प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ नहीं हैं।
- **पुनः गिरफ्तारी पर न्यायिक नियंत्रण स्थापित करता है:** न्यायिक अनुमोदन यह सुनिश्चित करता है कि असंवैधानिक गिरफ्तारी के लिए उत्तरदायी वही प्राधिकरण व्यक्ति को एकतरफा रूप से पुनः हिरासत में लेने का निर्णय न कर सके।
- **संस्थागत जवाबदेही को बढ़ाता है:** वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जाँच, जाँच का स्थानांतरण, विभागीय जाँच और सेवा अभिलेख पर संभावित प्रभाव, जाँच अधिकारियों द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं।
- **स्वतंत्रता और वैध जाँच के बीच संतुलन स्थापित करता है:** यह निर्णय बाद की गिरफ्तारी पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता। इसके बजाय, यह अपेक्षा करता है कि स्वतंत्रता से पुनः वंचित करने की कोई भी कार्रवाई संवैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन करे, वास्तविक जाँच संबंधी आवश्यकता प्रदर्शित करे और न्यायिक जाँच के अधीन हो।

1.2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संबंधी कानून पर सर्वोच्च न्यायालय का विभाजित निर्णय (Supreme Court Split Verdict on CEC Appointment Law)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *भारतीय संविधान-विशेषताएँ, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान और मूल ढाँचा; विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति; विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य एवं उत्तरदायित्व।*

संदर्भ

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर विभाजित निर्णय दिया कि क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 को चुनौती देने वाले मामले पर बड़ी संविधान पीठ द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

विभाजित निर्णय के प्रमुख बिंदु

- **बड़ी पीठ को संदर्भित करना:** दो न्यायाधीशों वाली पीठ के न्यायाधीश इस मुद्दे पर अलग-अलग मत रखते थे कि क्या संबंधित कानून अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान पीठ के समक्ष विचार किए जाने योग्य विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है।
  - ✓ हालांकि, मामले को बड़ी पीठ को संदर्भित करने के मुद्दे पर अलग-अलग मत होने के बावजूद, दोनों न्यायाधीश इस बात पर सहमत थे कि मामले को उचित बड़ी पीठ के गठन पर विचार करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना चाहिए।
- **निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता:** निर्णय में इस बात की जाँच की गई कि क्या 2023 का अधिनियम निर्वाचन आयोग को कार्यपालिका के एकाधिकार वाले प्रभाव से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों से संबंधित पहलू है।
- **कार्यपालिका का प्रभुत्व:** 2023 के अधिनियम ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री को शामिल किया, जिससे प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और नामित मंत्री वाली तीन सदस्यीय चयन समिति में कार्यपालिका के दो सदस्य हो गए।
- **धारणा की कसौटी:** न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि निर्वाचन आयोग को न केवल स्वतंत्र होना चाहिए, बल्कि स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए दिखाई भी देना चाहिए; प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री, प्रधानमंत्री के विरुद्ध स्वतंत्र संतुलन प्रदान नहीं कर सकता है।
- **संवैधानिक प्रश्न:** इस चुनौती से संस्थागत स्वतंत्रता, तटस्थता, अनुच्छेद 14, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तथा अनुच्छेद 324(2) के तहत संसद की शक्ति की संवैधानिक सीमाओं से संबंधित प्रश्न उठते हैं।

मामले की पृष्ठभूमि

- **अनुच्छेद 324(2):** इसमें संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और निर्वाचन आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति का प्रावधान है; 2023 से पहले चयन तंत्र निर्धारित करने वाला ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं था।
- ***अनूप बरनवाल* निर्णय, 2023:** जब तक संसद द्वारा कोई कानून नहीं बनाया जाता, तब तक सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश (CJI) और लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) वाली चयन समिति निर्धारित की, जिसमें स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 2 02-11-2026 17:53:34

- **2023 का अधिनियम:** संसद ने CJI के स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री को शामिल किया, जिससे वर्तमान प्रधानमंत्री–LoP–मंत्री चयन तंत्र स्थापित हुआ।
- **वर्तमान चुनौती:** याचिकाओं में 2023 के अधिनियम की धारा 6, 7 और 8(2) सहित अन्य प्रावधानों को मुख्य रूप से निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और तटस्थता से संबंधित आधारों पर चुनौती दी गई है।

संवैधानिक और कानूनी ढाँचा

- **अनुच्छेद 324:** यह चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित करता है तथा नियुक्तियों के लिए संवैधानिक आधार प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 324(2):** यह संसद को कानून के माध्यम से मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित करने में सक्षम बनाता है।
- **अनुच्छेद 145(3):** संविधान की व्याख्या से संबंधित विधि के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्णय करने के लिए कम से कम पाँच न्यायाधीशों की पीठ का होना आवश्यक है।
- **मूल संरचना:** स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तथा उन्हें संचालित करने के लिए आवश्यक संस्थागत स्वतंत्रता को सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण सिद्धांतों के रूप में मान्यता दी है।

मामले का महत्त्व

- **निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता:** यह एक स्वतंत्र और तटस्थ निर्वाचन आयोग के लिए आवश्यक संवैधानिक सुरक्षा उपायों को स्पष्ट कर
- सकता है।
- **संसदीय शक्ति:** यह नियुक्ति तंत्र तैयार करने के दौरान अनुच्छेद 324(2) के तहत संसद के अधिकार की सीमाओं को परिभाषित कर सकता है।
- **निर्वाचन की शुचिता:** यह निर्वाचन आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के बीच संबंध को और स्पष्ट कर सकता है।
- **संविधान पीठ का न्यायशास्त्र:** यह स्पष्ट कर सकता है कि किसी मौजूदा संवैधानिक सिद्धांत को नियमित पीठ द्वारा कब लागू किया जा सकता है और कब किसी नए संवैधानिक प्रश्न के लिए बड़ी पीठ की आवश्यकता होती है।
- **न्यायिक प्रशासन:** इस मामले ने संवैधानिक संदर्भों के निपटारे में होने वाली देरी तथा प्रमुख संवैधानिक मामलों के लिए स्थायी पाँच-न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ के प्रस्ताव को भी उजागर किया है।

1.3. अंतरराज्यीय परिषद (संशोधन) आदेश, 2026 {Inter-State Council (Amendment) Order, 2026}

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *सांविधिक, विनियामक एवं विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय।*

संदर्भ

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतरराज्यीय परिषद आदेश, 1990 में संशोधन किया है, ताकि राष्ट्रपति शासन से संबंधित निर्दिष्ट संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान लागू होने पर परिषद की बैठकों में राज्यपालों और उपराज्यपालों की भागीदारी का प्रावधान किया जा सके।

अन्य संबंधित जानकारी

- अंतरराज्यीय परिषद (संशोधन) आदेश, 2026 को गृह मंत्रालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अधिसूचित किया गया। यह तत्काल प्रभाव से लागू हुआ और भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया।
- इस संशोधन द्वारा अंतरराज्यीय परिषद आदेश, 1990 के खंड 2 के मौजूदा परंतुक को चार भागों वाले एक प्रावधान से प्रतिस्थापित किया गया है, जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि किन परिस्थितियों में संबंधित राज्यपाल या उपराज्यपाल को परिषद की बैठकों में आमंत्रित किया जाएगा।

संशोधन की प्रमुख विशेषताएँ

- **अनुच्छेद 356 के तहत राज्य:** किसी राज्य में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा लागू होने पर उस राज्य के राज्यपाल को आमंत्रित किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली:** जब राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 239AB के तहत जारी आदेश लागू हो, तब दिल्ली के उपराज्यपाल को आमंत्रित किया जाएगा।
- **पुडुचेरी:** जब राष्ट्रपति द्वारा संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 51 के तहत जारी आदेश लागू हो, तब पुडुचेरी के उपराज्यपाल को आमंत्रित किया जाएगा।
- **जम्मू और कश्मीर:** जब राष्ट्रपति द्वारा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 73 के तहत जारी आदेश लागू हो, तब जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल को आमंत्रित किया जाएगा।
- इस प्रकार, संशोधन अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों से संबंधित प्रावधान को बनाए रखता है तथा दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर के लिए विशिष्ट प्रावधान जोड़ता है, जिससे 1990 के ढाँचे को उनकी वर्तमान संवैधानिक और वैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप अद्यतन किया गया है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 3 02-11-2026 17:53:34

संशोधन का महत्व

- **1990 के ढाँचे को अद्यतन करता है:** यह संशोधन केंद्र शासित प्रदेशों की वर्तमान संवैधानिक और प्रशासनिक संरचना को प्रतिबिंबित करने के लिए अंतर-राज्यीय परिषद आदेश को अद्यतन करता है।
- **2019 के बाद के जम्मू और कश्मीर को शामिल करता है:** यह जम्मू और कश्मीर की पूर्व संवैधानिक व्यवस्था के पुराने संदर्भ को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत लागू प्रावधान से प्रतिस्थापित करता है।
- **विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करता है:** यह विशेष रूप से दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपालों की भागीदारी का प्रावधान करता है, जब निर्दिष्ट संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान लागू हों।
- **भागीदारी की एक विशिष्ट व्यवस्था प्रदान करता है:** यह संशोधन उन अवधियों के दौरान राज्यपालों और संबंधित उपराज्यपालों की अंतर-राज्यीय परिषद की बैठकों में भागीदारी के लिए एक स्पष्ट व्यवस्था स्थापित करता है, जब केंद्र द्वारा प्रशासन से संबंधित सूचीबद्ध प्रावधान लागू हों।

अंतर-राज्यीय परिषद के बारे में

- अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना अनुच्छेद 263 के तहत 28 मई, 1990 के राष्ट्रपति आदेश द्वारा, केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की सिफारिश के बाद की गई थी।
- **अनुच्छेद 263 के तहत कार्य:** अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को एक ऐसी परिषद स्थापित करने में सक्षम बनाता है जो राज्यों के बीच विवादों की जाँच एवं उन पर सलाह देने, संघ और राज्यों के बीच अथवा राज्यों के बीच सामान्य हित के विषयों पर चर्चा करने तथा नीतियों और कार्यों के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें करने का कार्य करती है।
- **संरचना:** परिषद में प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधान सभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, विधान सभा के बिना केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट रैंक के छह केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं।
- मूल 1990 के आदेश में 19 जुलाई, 1990 को संशोधन किया गया, जिसके तहत राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल को परिषद की बैठकों में भाग लेने का प्रावधान किया गया। इसके बाद 24 दिसंबर, 1996 को संशोधन कर अध्यक्ष को अन्य केंद्रीय मंत्रियों में से स्थायी आमंत्रित सदस्यों को नामित करने का प्रावधान किया गया।

1.4. आपराधिक दोषसिद्धि और विधायी अयोग्यता (Criminal Conviction and Legislative Disqualification)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *संसद और राज्य विधानमंडल-संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार तथा इनसे संबंधित विषय; जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की प्रमुख विशेषताएँ।*

संदर्भ

हाल ही में बिहार के एक विधायक को दोषी ठहराए जाने से आपराधिक दोषसिद्धि के बाद अयोग्यता से जुड़े प्रश्न उठे हैं। यद्यपि दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी चार वर्ष की सजा को निलंबित कर दिया, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं, बिहार विधानसभा ने अभी तक उनकी सीट रिक्त घोषित नहीं की थी।

अयोग्यता के लिए संवैधानिक एवं कानूनी ढाँचा

- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - ✓ **अनुच्छेद 102 और 191:** क्रमशः संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता के आधार निर्धारित करते हैं। इनमें संसदीय कानून द्वारा निर्धारित आधार भी शामिल हैं।
  - ✓ **अनुच्छेद 101(3)(a) और 190(3)(a):** प्रावधान करते हैं कि जब कोई सदस्य अनुच्छेद 102 या 191 के अंतर्गत अयोग्य साबित हो जाता है, तो उसकी सीट रिक्त हो जाती है।
  - ✓ **अनुच्छेद 103 और 192:** भारत निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार, क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल को अयोग्यता से संबंधित निर्दिष्ट प्रश्नों पर निर्णय लेने का प्रावधान करते हैं।
- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951:** इसकी धारा 8 निर्दिष्ट अपराधों में दोषसिद्धि के बाद अयोग्यता का प्रावधान करती है।
  - ✓ **धारा 8(1) और 8(2): अपनी**-अपनी शर्तों के अधीन, निर्दिष्ट श्रेणियों के अपराधों के लिए अयोग्यता निर्धारित करती हैं।
  - ✓ **धारा 8(3):** ऐसे अपराध के लिए कम-से-कम दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाए जाने पर अयोग्यता का प्रावधान करती है, जो धारा 8(1) और 8(2) के अंतर्गत शामिल नहीं है। अयोग्यता दोषसिद्धि की तारीख से शुरू होती है और कारावास की अवधि के दौरान तथा रिहाई के बाद छह वर्ष तक जारी रहती है।
- **दलबदल के आधार पर अयोग्यता:** दसवीं अनुसूची दलबदल के आधार पर अयोग्यता के लिए एक अलग व्यवस्था प्रदान करती है। ऐसे मामलों में सामान्यतः सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा निर्णय लिया जाता है, जो न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 4 02-11-2026 17:53:34

दोषसिद्धि और अयोग्यता

- **दोषसिद्धि का तत्काल प्रभाव:** लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) को निरस्त कर दिया, जिसके तहत मौजूदा विधायकों को अयोग्यता प्रभावी होने से पहले अपील करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाता था।
  - ✓ परिणामस्वरूप, अयोग्यता के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाली दोषसिद्धि के कारण किसी मौजूदा विधायक को दोषसिद्धि की तारीख से ही अयोग्य ठहराया जा सकता है, भले ही बाद में अपील दायर की जाए।
- **सजा का निलंबन और दोषसिद्धि पर रोक:** ये अपील के दौरान उपलब्ध न्यायिक राहत के दो अलग-अलग रूप हैं।
  - ✓ **सजा का निलंबन:** इससे दंड के क्रियान्वयन पर रोक लग जाती है, लेकिन दोषसिद्धि प्रभावी बनी रहती है। इससे अपने आप दोषसिद्धि से संबंधित अयोग्यता समाप्त नहीं होती।
  - ✓ **दोषसिद्धि पर रोक:** इससे न्यायिक आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए दोषसिद्धि अप्रभावी हो जाती है। परिणामस्वरूप, जब तक यह रोक लागू रहती है, तब तक धारा 8 के अंतर्गत अयोग्यता प्रभावी नहीं होगी। न्यायालय मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए असाधारण स्थितियों में ही ऐसी राहत प्रदान करते हैं।
- **महत्त्वपूर्ण न्यायिक निर्णय:**
  - ✓ **रमा नारंग बनाम रमेश नारंग (1995):** यह माना गया कि उपयुक्त परिस्थितियों में अपीलीय न्यायालय सजा को निलंबित करने के अतिरिक्त दोषसिद्धि पर भी रोक लगा सकता है।
  - ✓ **रविकांत एस. पाटिल बनाम सर्वभौमा एस. बागली (2007):** यह स्पष्ट किया गया कि दोषसिद्धि पर रोक लगाए जाने से उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न अयोग्यता को प्रभावी होने से रोका जा सकता है।
  - ✓ **लोक प्रहरी बनाम भारत निर्वाचन आयोग (2018):** यह पुनः स्पष्ट किया गया कि दोषसिद्धि पर रोक लागू रहने के दौरान धारा 8 के अंतर्गत अयोग्यता प्रभावी नहीं होगी। न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि दोषसिद्धि पर रोक एक असाधारण न्यायिक राहत है, न कि अपील दायर करने का स्वतः प्राप्त होने वाला परिणाम।
- **उदाहरण-राहुल गांधी केस (2023):** आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषसिद्धि के बाद राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अगस्त 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी, जिसके बाद उनकी अयोग्यता प्रभावी नहीं रही और उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई। यह मामला दर्शाता है कि दोषसिद्धि के आधार पर उत्पन्न अयोग्यता को समाप्त करने के लिए केवल सजा का निलंबन पर्याप्त नहीं है।
- **रिक्त सीट को भरना:** जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151A के अंतर्गत सामान्यतः संसद या राज्य विधानमंडल में रिक्त हुई सीट को भरने के लिए छह महीने के भीतर उपचुनाव कराना आवश्यक है, हालाँकि इसमें कुछ निर्दिष्ट अपवाद भी हैं। यह आवश्यकता रिक्त सीट को भरने से संबंधित है और उस कानूनी प्रक्रिया से अलग है, जिसके माध्यम से अयोग्यता होती है।

राजनीति का अपराधीकरण: महत्त्व और चिंताएँ

- **विधायी संस्थाओं की गरिमा की रक्षा:** दोषसिद्धि के आधार पर अयोग्यता का उद्देश्य निर्दिष्ट अपराधों में दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को कानून के विपरीत विधायी पद पर बने रहने से रोककर निर्वाचित संस्थाओं में जनता के विश्वास को बनाए रखना है। इसकी प्रभावशीलता समयबद्ध और सुसंगत कार्यान्वयन पर निर्भर करती है।
- **दोषसिद्धि बनाम लंबित आपराधिक मामले:** किसी आपराधिक मामले का केवल लंबित होना सामान्यतः किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ (2018) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केवल आरोप तय होने के आधार पर अयोग्यता लागू करने की व्यवस्था शुरू करने से इनकार कर दिया था।
- **जवाबदेही और उचित कानूनी प्रक्रिया के बीच संतुलन:** इस व्यवस्था में निर्वाचन की निष्पक्षता बनाए रखते हुए गलत दोषसिद्धि के विरुद्ध उपलब्ध न्यायिक उपायों को भी सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इसलिए लंबित अपील, सजा का निलंबन और दोषसिद्धि पर वास्तविक रोक के बीच अंतर करना महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इन तीनों के अलग-अलग कानूनी प्रभाव हैं।

आगे की राह

- **समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करना:** मौजूदा विधायकों की दोषसिद्धि की सूचना विधायी प्राधिकारियों और निर्वाचन अधिकारियों तक पहुँचाने के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएँ स्थापित की जानी चाहिए, ताकि अयोग्यता दर्ज करने और सीट रिक्त होने की सूचना जारी करने में होने वाली देरी कम की जा सके।
- **आपराधिक मुकदमों का शीघ्र निपटारा:** निष्पक्ष सुनवाई के सुरक्षा उपायों और न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से जुड़े आपराधिक मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने वाली व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- **निर्वाचन संबंधी पारदर्शिता को सुदृढ़ करना:** उम्मीदवारों के आपराधिक पूर्ववृत्त के प्रकटीकरण और उनके व्यापक प्रचार-प्रसार से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि मतदाता सोच-समझकर निर्णय ले सकें।
- **संस्थागत सुधारों के माध्यम से राजनीति के अपराधीकरण की**

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 5 02-11-2026 17:53:34

समस्या का समाधान: राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों के चयन की पारदर्शी प्रक्रियाएँ अपनाने और अपने चयन के कारण स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही, आरोपों, लंबित न्यायिक कार्यवाहियों और दोषसिद्धि के आधार पर होने वाली अयोग्यता के बीच अंतर बनाए रखा जाना चाहिए।

1.5. ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच महानदी जल विवाद (Mahanadi Water Dispute Between Odisha and Chhattisgarh)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *संघ और राज्यों के कार्य एवं उत्तरदायित्व, संघीय ढाँचे से संबंधित मुद्दे एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण तथा इससे संबंधित चुनौतियाँ।*

सामान्य अध्ययन-2: *वैधानिक, विनियामक एवं विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय।*

संदर्भ

ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच महानदी जल विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। दोनों राज्य महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण (MWDT) के समक्ष चल रही कार्यवाही के साथ-साथ केंद्रीय जल आयोग की मध्यस्थता से समाधान की दिशा में प्रयास कर रहे हैं।

अन्य संबंधित जानकारी

- मई 2026 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण ने दोनों राज्यों को सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुँचने का अंतिम अवसर दिया और चेतावनी दी कि वार्ता विफल होने पर आगे न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
- ओडिशा की शिकायत और सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद 12 मार्च, 2018 को गठित इस न्यायाधिकरण की वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी हैं।
- वार्ता दोबारा शुरू होने के बावजूद दोनों राज्य जल बँटवारे के परस्पर स्वीकार्य सूत्र पर सहमत होने में विफल रहे हैं।
- न्यूनतम गैर-मानसूनी जल प्रवाह और कलमा बैराज सहित अनसुलझे मुद्दों की जाँच के लिए अगली सुनवाई 15 अक्टूबर, 2026 को निर्धारित है।
- केंद्र सरकार ने कार्यवाही पूरी करने के लिए न्यायाधिकरण का कार्यकाल 13 जनवरी, 2027 तक बढ़ा दिया है।

महानदी जल विवाद के बारे में

- यह विवाद लगभग 2016 में शुरू हुआ, जब ओडिशा ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ बिना परामर्श के नदी के ऊपरी प्रवाह क्षेत्र में कई बैराज और बाँधों का निर्माण कर रहा है।
- ओडिशा ने निचले तटवर्ती राज्य होने के नाते दावा किया कि इन निर्माणों से निचले क्षेत्रों में जल प्रवाह कम हो गया है, जिससे सिंचाई, पेयजल और विद्युत उत्पादन प्रभावित हो रहे हैं।
- दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ ने तर्क दिया कि उसे विकास संबंधी उद्देश्यों के लिए अपने क्षेत्र में जल का उपयोग करने का अधिकार है।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के जवाब में, केंद्र सरकार ने अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण (MWDT) का गठन किया।



विवाद के प्रमुख मुद्दे

- **ऊपरी प्रवाह–निचले प्रवाह का संघर्ष:** ओडिशा का कहना है कि नदी के ऊपरी प्रवाह क्षेत्र में बनाई गई परियोजनाओं से गैर-मानसूनी अवधि में जल प्रवाह कम हो जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ विकास संबंधी आवश्यकताओं के लिए अपने क्षेत्र में जल का उपयोग करने के अपने अधिकार पर जोर देता है।
- **जल की उपलब्धता और उपयोग संबंधी विवाद:** औसत वार्षिक जल प्रवाह (MAF), वर्तमान जल उपयोग और भविष्य की माँग के अनुमानों को लेकर मतभेद बने हुए हैं। जल का न्यायसंगत बँटवारा निर्धारित करने के लिए ये महत्त्वपूर्ण हैं।
- **आँकड़ों का आदान-प्रदान और विश्वास की कमी:** विश्वसनीय एवं दोनों राज्यों द्वारा स्वीकार्य जलवैज्ञानिक आँकड़ों की कमी के कारण वार्ता रुकी हुई है। यह दोनों राज्यों के बीच गहरे विश्वास के अभाव को दर्शाता है।
- **संघीय एवं शासन संबंधी चुनौतियाँ:** विवाद का लंबे समय तक बने रहना, न्यायनिर्णयन में देरी, समन्वय की विफलता और न्यायाधिकरण

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 6 02-11-2026 17:53:35

के निर्णयों के बाद भी उनके क्रियान्वयन को लेकर अनिश्चितता जैसी समस्याओं को उजागर करता है।

आगे की राह

- **वार्ता के माध्यम से समाधान:** जल की उपलब्धता के स्वतंत्र जलवैज्ञानिक आकलन के आधार पर केंद्रीय जल आयोग (CWC) की मध्यस्थता से ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच परस्पर स्वीकार्य समाधान को सुगम बनाया जाए।
- **संयुक्त निगरानी:** कलमा बैराज पर टेलीमेट्री प्रणालियाँ स्थापित की जाएँ, ताकि दोनों राज्य और केंद्रीय जल आयोग (CWC) जल प्रवाह की पारदर्शी निगरानी कर सकें।
- **स्थायी न्यायाधिकरण तंत्र:** अंतरराज्यीय नदी जल विवादों का समयबद्ध न्यायनिर्णयन सुनिश्चित करने के लिए 2019 के संशोधन विधेयक में प्रस्तावित स्थायी अंतरराज्यीय नदी जल विवाद न्यायाधिकरण को पुनः स्थापित किया जाए।
- **नदी बेसिन स्तर पर प्रबंधन:** न्यायसंगत जल बँटवारे को बढ़ावा देने और पूरे नदी बेसिन के जल प्रबंधन में समन्वय स्थापित करने के लिए वैधानिक महानदी बेसिन प्रबंधन बोर्ड की स्थापना की संभावनाओं पर विचार किया जाए।



1.6. धर्म परिवर्तन से पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ स्वतः प्राप्त नहीं होता : सर्वोच्च न्यायालय (Conversion to Another Religion Does Not Automatically Grant OBC Reservation Benefits: Supreme Court)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *भारतीय संविधान-महत्त्वपूर्ण प्रावधान एवं मूल संरचना; केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ।*

संदर्भ

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें तमिलनाडु सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया गया था, जो इस्लाम धर्म अपनाने वाले कुछ व्यक्तियों को पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण प्राप्त करने की अनुमति देता था।

मामले की पृष्ठभूमि

- **तमिलनाडु सरकार का 2024 का आदेश:** राज्य सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था शुरू की, जिसके तहत निर्दिष्ट पिछड़े समुदायों से इस्लाम धर्म

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 7 02-11-2026 17:53:35

अपनाने वाले व्यक्ति राज्य की अधिसूचित सात पिछड़ा वर्ग मुस्लिम समुदायों में से किसी एक के अंतर्गत सामुदायिक प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते थे।

- **न्यायिक हस्तक्षेप:** यह विवाद तब उत्पन्न हुआ, जब धर्म परिवर्तन करने वाले एक व्यक्ति ने मुस्लिम लब्बाई समुदाय का प्रमाण-पत्र माँगा। मद्रास उच्च न्यायालय ने 25 जून, 2026 को सरकारी आदेश को निरस्त कर दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी।
- **मुख्य मुद्दा:** क्या धर्म परिवर्तन से पहले की जाति या समुदाय की स्थिति के आधार पर, धर्म परिवर्तन के बाद किसी अन्य अधिसूचित पिछड़ा वर्ग समुदाय के अंतर्गत पात्रता स्वतः स्थापित हो जाती है?

संवैधानिक एवं कानूनी ढाँचा

- **अनुच्छेद 15(4) और 16(4):** अनुच्छेद 15(4) सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 16(4) राज्य की सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले पिछड़े वर्गों के लिए सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण का प्रावधान करता है।
- **पिछड़े वर्गों की पहचान:** इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार, पिछड़े वर्ग विभिन्न धार्मिक समुदायों में मौजूद हो सकते हैं। हालाँकि, केवल धर्म परिवर्तन से किसी विशेष अधिसूचित समुदाय की सदस्यता स्थापित नहीं होती और न ही आरक्षण की पात्रता स्वतः हस्तांतरित होती है।
- **संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 का पैराग्राफ 3:** इसमें प्रावधान है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता।
- **न्यायिक निर्णय:** चिंतादा आनंद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (मार्च 2026) मामले में एक अलग निर्णय के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने ईसाई धर्म अपनाने और अनुसूचित जाति की स्थिति से जुड़े मामले में संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के पैराग्राफ 3 को लागू किया।

प्रमुख कानूनी निहितार्थ

- **आरक्षण की पात्रता:** यह निर्णय स्पष्ट करता है कि केवल इस्लाम धर्म अपनाने से किसी विशिष्ट अधिसूचित पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) श्रेणी के अंतर्गत पात्रता स्थापित नहीं होती।
- **कार्यपालिका की कार्रवाई की सीमाएँ:** यह निर्णय रेखांकित करता है कि किसी अधिसूचित पिछड़ा वर्ग श्रेणी में प्रवेश का स्वतः मार्ग कार्यकारी आदेश के माध्यम से नहीं बनाया जा सकता, जब तक उस समुदाय के साथ आवश्यक सामाजिक एवं कानूनी संबंध स्थापित न हो।
- **जातिगत पहचान और सामाजिक वंचना:** यह निर्णय किसी व्यक्ति की पूर्ववर्ती जातिगत पहचान, निरंतर बनी रहने वाली सामाजिक वंचना तथा किसी विशिष्ट आरक्षण श्रेणी के लिए औपचारिक पात्रता के बीच के अंतर को रेखांकित करता है।

1.7. समुद्री राज्य विकास परिषद की 21वीं बैठक

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्द्ध-न्यायिक निकाय।*

संदर्भ

समुद्री राज्य विकास परिषद की 21वीं बैठक 13 अक्टूबर 2026 को मुंबई में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 के तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त करने के बाद यह परिषद की पहली बैठक थी।

बैठक के प्रमुख परिणाम

- **एक राष्ट्र, एक पत्तन प्रक्रिया:** मार्च 2027 तक सभी पत्तनों पर मानकीकृत दस्तावेज़ीकरण, पत्तन प्रक्रियाओं का पुनर्गठन और मंत्रालयों के बीच सुधार लागू किए जाने हैं।
- **डिजिटलीकरण और पारदर्शिता:** मार्च 2027 तक सभी पत्तनों को समुद्री एकल खिड़की (एमएसडब्ल्यू–सागर सेतु) से जोड़ना अनिवार्य होगा तथा पत्तन शुल्कों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित करना होगा।
- **पत्तन-आधारित औद्योगीकरण और संपर्क:** राज्य सुगम स्थापना और संचालन की सुविधाओं तथा त्वरित अनुमोदन वाली पत्तन-संबद्ध औद्योगिक संकुलों का विकास करेंगे। परिषद ने गैर-प्रमुख पत्तनों के लिए पत्तन मास्टर प्लान तैयार करने और बहु-माध्यम संपर्क में सुधार करने का भी आह्वान किया।
- **जहाज निर्माण को समर्थन:** जहाज निर्माण विकास योजना के तहत ऋण जोखिम बीमा के दो उत्पाद शुरू किए गए-निर्यात परियोजनाओं के लिए ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा विकसित एसबीपीसीपी तथा घरेलू परियोजनाओं के लिए द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL) द्वारा विकसित बीसीएसपीएस।
- **दीर्घकालिक समुद्री नियोजन:** परिषद ने समुद्री भारत दृष्टि 2030 और समुद्री अमृत काल दृष्टि 2047 के अंतर्गत लक्ष्य अपनाए। इनमें पत्तनों, जहाजरानी, अंतर्देशीय जलमार्गों, जहाज निर्माण और हरित जहाजरानी से संबंधित 500 से अधिक पहल शामिल हैं।

समुद्री राज्य विकास परिषद के बारे में

- **उत्पत्ति:** भारत के समुद्री क्षेत्र के समन्वित विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1997 में इसका गठन किया गया था।
- **वैधानिक दर्जा:** भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 के तहत इसे

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 8 02-11-2026 17:53:35

वैधानिक परामर्शदात्री निकाय के रूप में मान्यता दी गई। इस अधिनियम ने भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 का स्थान लिया।

- **अध्यक्ष:** केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री।
- **उद्देश्य:** पत्तन अवसंरचना, संपर्क, दक्षता और पारदर्शिता सहित समुद्री क्षेत्र के एकीकृत विकास तथा केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को सुगम बनाना।

1.8. अंतर-संसदीय संघ (IPU) का 153वाँ सम्मेलन

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएँ और मंच: उनकी संरचना, अधिदेश।*

संदर्भ

राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश 5–9 अक्टूबर 2026 तक तंजानिया के अरूशा में आयोजित अंतर-संसदीय संघ (IPU) के 153वें सम्मेलन में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।

अन्य संबंधित जानकारी

- **विषय:** *"समावेशिता, विश्वास और सभी के लिए अवसरों के माध्यम से सुशासन को बढ़ावा देना और समुदायों को सशक्त बनाना।"*
- **प्रमुख एजेंडा:** सम्मेलन में समावेशी सामाजिक विकास पर चर्चा की जाएगी, जिसमें दिव्यांगजनों के अधिकारों और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए संसदीय रणनीतियाँ भी शामिल हैं। गवर्निंग काउंसिल नए IPU अध्यक्ष का चुनाव करेगी और सदस्य एक प्रस्तावित आपातकालीन विषय पर भी विचार करेंगे।

अंतर-संसदीय संघ (IPU) के बारे में

- **1889 में स्थापना:** IPU की स्थापना यूनाइटेड किंगडम के सांसद विलियम रैंडल क्रेमर और फ्रांस के सांसद फ्रेडरिक पासी ने की थी। IPU संसदीय कूटनीति, संवाद और अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देता है।
- **संरचना और शासन**
  - ✓ **महासभा:** IPU का प्रमुख वैश्विक मंच, जहाँ सांसद अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एकत्रित होते हैं।
  - ✓ **शासी काउंसिल:** IPU का प्रमुख प्रशासनिक और नीति-निर्माण निकाय।
  - ✓ **कार्यकारी समिति:** प्रशासन की देखरेख करती है और गवर्निंग काउंसिल को सिफारिशें देती है।
  - ✓ **अध्यक्ष और महासचिव:** अध्यक्ष राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करते हैं, जबकि महासचिव संगठन के प्रशासन का प्रमुख होता है।
- **मुख्यालय और सदस्यता**
  - ✓ अंतर-संसदीय संघ का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसके 183 सदस्य संसद और 15 सहयोगी सदस्य हैं।
  - ✓ नाउरू (Naoero) के 153वें सम्मेलन के दौरान IPU का 184वाँ सदस्य संसद बनने की उम्मीद है।
- **भारत की सदस्यता**
  - ✓ भारत 1949 में IPU में शामिल हुआ और उसी वर्ष इसने स्टॉकहोम में आयोजित इसके सम्मेलन में भाग लिया।
- **भारतीय संसदीय समूह (IPG)**
  - ✓ भारतीय संसदीय समूह (IPG) एक स्वायत्त निकाय है, जिसका गठन 1949 में 1948 में संविधान सभा (विधानमंडल) द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के बाद किया गया था।
  - ✓ लोकसभा अध्यक्ष इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और एक कार्यकारी समिति इसके कार्यों का प्रबंधन करती है।
  - ✓ IPG, IPU में भारत के राष्ट्रीय समूह के रूप में कार्य करता है तथा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (CPA) की भारत में मुख्य शाखा है। यह भारतीय और विदेशी सांसदों के बीच विचारों एवं अनुभवों के आदान-प्रदान को सुगम बनाता है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 9 02-11-2026 17:53:35



2.1. संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध अभिसमय (UN Convention Against Cybercrime)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और करार।*

सामान्य अध्ययन-3: *साइबर सुरक्षा की मूल बातें; सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और कंप्यूटर के क्षेत्र में जागरूकता।*

संदर्भ

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 25 सितंबर 2026 को न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध अभिसमय पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही भारत विशेष रूप से साइबर अपराध से संबंधित पहली व्यापक वैश्विक संधि का हस्ताक्षरकर्ता बन गया।

संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध अभिसमय के बारे में

- **उद्देश्य:** यह अभिसमय साइबर अपराध की रोकथाम और उससे निपटने, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने तथा विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
- **अंगीकरण:** संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 दिसंबर 2024 को प्रस्ताव 79/243 के माध्यम से इस अभिसमय को अपनाया। इसके लिए 2019 में गठित तदर्थ समिति (Ad Hoc Committee) के माध्यम से वार्ताएँ आयोजित की गई थीं।
- **हस्ताक्षर:** यह अभिसमय 25–26 अक्टूबर 2025 को वियतनाम के हनोई में हस्ताक्षर के लिए खोला गया तथा इसके बाद 31 दिसंबर 2026 तक न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हस्ताक्षर के लिए उपलब्ध रहा।
- **वर्तमान स्थिति:** सितंबर 2026 तक 91 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और 3 देश इसके पक्षकार हैं। भारत वर्तमान में इसका हस्ताक्षरकर्ता (Signatory) है, अभी पक्षकार (State Party) नहीं है।
- **प्रवर्तन:** यह अभिसमय अभी प्रभावी नहीं हुआ है। यह तब प्रभावी होगा जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण के 40वें दस्तावेज के जमा होने के 90 दिन बाद यह लागू होगा।
- **इसकी आवश्यकता क्यों है:** साइबर अपराध स्वभावतः पार-राष्ट्रीय होते हैं। अपराधी, पीड़ित, डिजिटल अवसंरचना और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अक्सर अलग-अलग न्यायक्षेत्रों में स्थित होते हैं, जिससे जाँच और अभियोजन में चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
- **सार्वभौमिक ढाँचा:** बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबरक्राइम (2001) जैसे क्षेत्रीय/बहुपक्षीय साधनों के विपरीत, संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध अभिसमय एक वैश्विक कानूनी रूप से बाध्यकारी ढाँचा स्थापित करता है, जिसे समावेशी संयुक्त राष्ट्र प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया गया है।

अभिसमय के प्रमुख प्रावधान

- **अपराधीकरण:** ICT से संबंधित निर्धारित अपराधों को अपराध के रूप में परिभाषित करने के लिए एक साझा ढाँचा स्थापित करता है। इसमें अवैध पहुँच, गैरकानूनी अवरोधन, इलेक्ट्रॉनिक डेटा और प्रणालियों में हस्तक्षेप, उपकरणों का दुरुपयोग तथा कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रकार की धोखाधड़ी और दुरुपयोग शामिल हैं।
- **इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य:** इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के संरक्षण, संग्रह, पहुँच और साझा करने के लिए तंत्र प्रदान करता है। इसमें अभिसमय के अंतर्गत विशेष रूप से अपराधीकृत अपराधों के अतिरिक्त गंभीर अपराधों से संबंधित साक्ष्य भी शामिल हो सकते हैं।
- **24/7 सहयोग नेटवर्क:** पक्षकार देशों के लिए 24/7 संपर्क बिंदुओं का नेटवर्क स्थापित करना आवश्यक करता है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक डेटा के संरक्षण, साक्ष्य संग्रह और तकनीकी सहायता सहित शीघ्र सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** जाँच, अभियोजन और न्यायिक कार्यवाहियों में सहयोग को सुगम बनाता है। इसमें पारस्परिक कानूनी सहायता, प्रत्यर्पण और आपराधिक कार्यवाहियों के हस्तांतरण जैसे प्रावधान शामिल हैं, जो निर्धारित सुरक्षा उपायों के अधीन हैं।
- **वित्तीय आयाम:** अभिसमय के अंतर्गत आने वाले अपराधों से प्राप्त आय को फ्रीज करने, जब्त करने, अधिहरण करने और वापस करने में सहयोग का प्रावधान करता है।
- **क्षमता निर्माण और रोकथाम:** तकनीकी सहायता, विशेषज्ञता के आदान-प्रदान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रशिक्षण और निवारक रणनीतियों को बढ़ावा देता है। इसमें विकासशील देशों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- **पीड़ित एवं बाल संरक्षण:** पीड़ितों की सहायता और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल करता है। इनमें बाल यौन शोषण सामग्री तथा बिना सहमति अंतरंग तस्वीरों के प्रसार से संबंधित अपराध भी शामिल हैं।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 10 02-11-2026 17:53:35

भारत के लिए महत्त्व

- **सीमा-पार साइबर अपराध से निपटना:** एक साझा कानूनी ढाँचा उन देशों के साथ भारत के सहयोग को मजबूत कर सकता है, जहाँ साइबर अपराधी, डिजिटल अवसंरचना या साक्ष्य भारत के न्यायक्षेत्र से बाहर स्थित हैं।
- **इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तक पहुँच:** त्वरित संरक्षण और सहयोग तंत्र से डिजिटल साक्ष्य को सुरक्षित करने में मदद मिल सकती है, इससे पहले कि उसे नष्ट, परिवर्तित या विभिन्न न्यायक्षेत्रों के बीच स्थानांतरित किया जाए।
- **कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय:** यह अभिसमय साइबर अपराध की जाँच, अभियोजन और अपराध से प्राप्त धन की बरामदगी में भारतीय एजेंसियों तथा विदेशी समकक्ष एजेंसियों के बीच सहयोग को सुगम बना सकता है।
- **क्षमता निर्माण:** तकनीकी विशेषज्ञता, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग से उभरते साइबर खतरों से निपटने की भारत की क्षमता मजबूत हो सकती है।
- **भारत की वार्ता में भूमिका:** भारत ने अभिसमय की वार्ताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया और सीमा-पार डेटा तक पहुँच तथा 24/7 सहयोग नेटवर्क के लिए मजबूत तंत्र की वकालत की। यह विदेशों में स्थित डेटा प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों के प्रति भारत की चिंताओं को दर्शाता है।

चिंताएँ और चुनौतियाँ

- **संप्रभुता और न्यायक्षेत्र:** सीमा-पार जाँच से राष्ट्रीय कानूनों, न्यायक्षेत्रीय अधिकारों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों तक त्वरित पहुँच की आवश्यकता के बीच टकराव उत्पन्न हो सकता है।
- **गोपनीयता और मानवाधिकार:** इलेक्ट्रॉनिक डेटा तक पहुँच और उसके हस्तांतरण के विस्तारित तंत्र के लिए गोपनीयता, उचित प्रक्रिया और मौलिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा हेतु पर्याप्त उपाय आवश्यक हैं।
- **कार्यान्वयन में असमानताएँ:** साइबर कानूनों, तकनीकी क्षमताओं, संस्थागत क्षमता और न्यायिक प्रक्रियाओं में अंतर प्रभावी अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सीमित कर सकता है।
- **दायरे और दुरुपयोग संबंधी चिंताएँ:** नागरिक समाज और निजी क्षेत्र से जुड़े हितधारकों ने चिंता व्यक्त की है कि व्यापक जाँच एवं डेटा तक पहुँच की शक्तियाँ गोपनीयता, वैध ऑनलाइन गतिविधियों और डिजिटल अधिकारों को प्रभावित कर सकती हैं।

आगे की राह

- **घरेलू प्रक्रियाएँ पूरी करना:** भारत को अभिसमय के अनुसमर्थन और प्रभावी घरेलू कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कानूनी एवं संस्थागत मूल्यांकन करना चाहिए।
- **साइबर क्षमताओं को मजबूत करना:** केंद्र और राज्य स्तर पर साइबर फोरेंसिक, विशेषीकृत जाँच, अभियोजन तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से संबंधित क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए।
- **विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना:** 24/7 संपर्क तंत्र, पारस्परिक कानूनी सहायता और संयुक्त जाँच को मजबूत किया जाना चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सीमा-पार डेटा तक पहुँच कानूनसम्मत और जवाबदेह बनी रहे।
- **सुरक्षा और अधिकारों के बीच संतुलन:** साइबर अपराध के विरुद्ध मजबूत कानून प्रवर्तन के साथ गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उचित प्रक्रिया और राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए ठोस सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए। साथ ही, ढाँचे को उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुरूप अनुकूलनशील बनाए रखना चाहिए।

2.1. दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और करार।*

सामान्य अध्ययन-3: *संरक्षण, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं निम्नीकरण।*

संदर्भ

केंद्र सरकार ने उच्च सागर में मछली पकड़ने के अवसरों का विस्तार करने और क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन में भारत की भूमिका को मजबूत करने के लिए दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते (SIOFA) में भारत के प्रवेश को मंजूरी दे दी है।

अन्य संबंधित जानकारी

- भारत वर्ष 2022 से SIOFA का सहयोगी गैर-अनुबंधकारी पक्ष (Cooperating Non-Contracting Party-CNCP) रहा है, जिसके अंतर्गत इसकी निर्णय लेने वाली संस्थाओं में भारत की भागीदारी सीमित थी।
- यह मंजूरी दिसंबर 2025 में सरकार द्वारा जारी उच्च सागर में मत्स्यन के लिए दिशानिर्देशों के बाद दी गई है। ये दिशानिर्देश भारत की मत्स्यन गतिविधियों को अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए नीतिगत ढाँचा प्रदान करते हैं।

दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते (SIOFA) के बारे में

- **प्रकृति एवं उद्देश्य:** SIOFA एक क्षेत्रीय मत्स्य समझौता है, जिस पर 7 जुलाई, 2006 को रोम में हस्ताक्षर किए गए थे और जो जून 2012 से प्रभावी है। इसका उद्देश्य दक्षिणी हिंद महासागर के खुले समुद्री क्षेत्रों में मत्स्य

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 11 02-11-2026 17:53:35

संसाधनों का दीर्घकालिक संरक्षण और सतत उपयोग सुनिश्चित करना है।

- **दायरा:** इसके अधिकार क्षेत्र में मछलियाँ, मोलस्क, क्रस्टेशियन तथा कुछ निश्चित स्थिरजीवी प्रजातियाँ शामिल हैं।
  - ✓ इसमें समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) के अनुबंध-I में सूचीबद्ध अत्यधिक प्रवासी प्रजातियाँ तथा UNCLOS के अनुच्छेद 77(4) में निर्दिष्ट तटीय राज्यों के मत्स्यन क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली स्थिरजीवी प्रजातियाँ शामिल नहीं हैं।
- **क्षेत्रीय संरचना:** हिंद महासागर में मत्स्य प्रबंधन की दो प्रमुख क्षेत्रीय व्यवस्थाएँ हैं-SIOFA और हिंद महासागर ट्रूना आयोग (IOTC)। भारत वर्ष 1996 से IOTC का संविदाकारी पक्ष रहा है।
  - ✓ IOTC अत्यधिक प्रवासी ट्रूना और ट्रूना जैसी प्रजातियों का विनियमन करता है।

भारत को उच्च सागर में मत्स्यन क्षमता विकसित करने की आवश्यकता

- **मौजूदा क्षमता का अंतराल:** भारतीय मत्स्यन पोत मुख्यतः अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के भीतर 60–80 समुद्री मील तक के क्षेत्र में संचालित होते हैं। यह उपयुक्त खुले समुद्री क्षेत्रों में मत्स्यन गतिविधियों का विस्तार करने की आवश्यकता को दर्शाता है।
- **वैश्विक संदर्भ:** उच्च सागर में वैश्विक महासागर का लगभग 65% हिस्सा शामिल है और वर्तमान में पाँच देश/क्षेत्र इस पर प्रमुख रूप से हावी हैं-चीन (21%), ताइवान (13%), जापान (11%), दक्षिण कोरिया (11%) और स्पेन (8%)।
- **क्षमता संबंधी आवश्यकताएँ:** भारत को उच्च सागर में मत्स्यन का विस्तार करने के लिए आधुनिक पोतों, कुशल कार्मिकों, प्रौद्योगिकी और निगरानी प्रणालियों की आवश्यकता है। मत्स्यन के अवसरों में विविधता लाने और आर्थिक लाभ बढ़ाने के लिए अन्य देशों के अनन्य आर्थिक क्षेत्रों (EEZs) में पहुँच संबंधी समझौतों की संभावनाएँ भी तलाशी जा सकती हैं।

भारत के शामिल होने का महत्त्व

- **मत्स्यन के विस्तारित अवसर:** समझौते में शामिल होने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, भारतीय ध्वज वाले पोत और उद्यम SIOFA के क्षेत्र में स्क्विड, टूथफिश, अल्फॉन्सिनो तथा अन्य पात्र गैर-अत्यधिक प्रवासी मत्स्य भंडारों का अधिकृत मत्स्यन कर सकेंगे। यह लागू संरक्षण उपायों और मत्स्यन प्राधिकरणों के अधीन होगा।
- **आर्थिक एवं रणनीतिक हित:** इस समझौते में शामिल होने से भारत को अपनी मत्स्यन गतिविधियों का विस्तार करने के लिए एक क्षेत्रीय फ्रेमवर्क मिलेगा। इससे भारतीय मछुआरों और उद्यमों के लिए अवसर सृजित होंगे तथा उच्च सागर में मत्स्यन के क्षेत्र में भारत की मान्यता प्राप्त उपस्थिति सुदृढ़ होगी।
- **वैज्ञानिक सहयोग:** भारत वैज्ञानिक अनुसंधान, संसाधन आकलन और मत्स्य भंडार प्रबंधन प्रक्रियाओं में अधिक पूर्ण रूप से भाग ले सकेगा। इससे सतत मत्स्य दोहन और समुद्री संसाधनों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता को समर्थन मिलेगा।
- **क्षेत्रीय सहयोग एवं तटीय सुरक्षा:** SIOFA की उच्च सागर बोर्डिंग और निरीक्षण योजना (High Seas Boarding and Inspection-HSBI Scheme) में भागीदारी से उच्च सागर में निगरानी और निरीक्षण के क्षेत्र में सहयोग मजबूत होगा। भारत की भागीदारी अवैध, अनियमित और अनियंत्रित (IUU) मत्स्यन को रोकने के प्रयासों तथा जिम्मेदार मत्स्यन प्रथाओं को बढ़ावा देने में भी सहायक हो सकती है।

2.3. स्विस परिसंघ के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा (State Visit of President of the Swiss Confederation to India)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह तथा करार।*

संदर्भ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाइ पार्मेलिन ने 5–7 अक्टूबर 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा की। यह उनकी भारत की पहली राजकीय यात्रा और वर्ष 2026 में दूसरी यात्रा थी।

यात्रा के प्रमुख बिंदु

- **प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी (MMP) पर समझौता ज्ञापन:** इसके तहत 5 वर्ष की अवधि वाले बहु-प्रवेश वीजा, प्रत्येक यात्रा में अधिकतम 6 महीने तक ठहरने तथा नवीकरणीय 1 वर्ष के छात्र परमिट का प्रावधान है। साथ ही, अनियमित प्रवासन, शोषण और मानव तस्करी से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जाएगा।
- **युवा पेशेवरों के आदान-प्रदान पर समझौता (YPS):** इसके तहत दोनों देशों से प्रतिवर्ष 300 युवा पेशेवरों का आदान-प्रदान किया जा सकेगा, जिसे बढ़ाकर 500 तक किया जा सकता है। इसका उद्देश्य अस्थायी रोजगार तथा पेशेवर और भाषाई विकास के अवसर प्रदान करना है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 12 02-11-2026 17:53:36



- **चिह्नित क्षेत्रों में परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणालियों और अवसंरचना के संवर्धन एवं सहयोग पर समझौता ज्ञापन:** इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), रोपवे, सुरंग, चक्रीय अर्थव्यवस्था और सतत गतिशीलता अवसंरचना के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) और स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन (SNSF) के बीच आशय पत्र:** इसका उद्देश्य वैज्ञानिक सहयोग, अन्वेषणात्मक अनुसंधान और दीर्घकालिक संयुक्त अनुसंधान साझेदारियों को बढ़ावा देना है।
- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज के बीच** नवाचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उद्यमिता में सहयोग के लिए कार्यान्वयन व्यवस्था: इसके तहत प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप के लिए भारत-स्विस अकादमिक–उद्योग प्रशिक्षण (AIT India) कार्यक्रम के माध्यम से नवाचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उद्यमिता को समर्थन दिया जाएगा।
- **अनुसंधान फ्लैगशिप:** द्विपक्षीय अनुसंधान सहयोग को मजबूत करने के लिए पहले भारत-स्विस अनुसंधान फ्लैगशिप कार्यक्रम की घोषणा की गई।
- **व्यापार एवं निवेश:** दोनों पक्षों ने भारत–ईएफटीए व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) के आधार पर भारतीय बाजार तक पहुंच और स्विस निवेश का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की। इस समझौते के तहत 15 वर्षों में भारत में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश और 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।

भारत–स्विट्जरलैंड संबंध

ऐतिहासिक संबंध	• भारत और स्विट्जरलैंड के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत 14 अगस्त 1948 को हस्ताक्षरित मैत्री संधि के साथ हुई, जो स्वतंत्र भारत द्वारा की गई शुरुआती ऐसी संधियों में से एक थी। • यह संधि 5 मई 1949 को प्रभावी हुई। • औद्योगिक सहयोग भी प्रारंभिक दौर में ही शुरू हो गया था: 1949 में स्विस कार्स एंड एलिवेटर्स मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, ज्यूरिख के साथ हुए एक समझौते ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF), चेन्नई की स्थापना में योगदान दिया।
आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध	• वित्त वर्ष 2024–25 में स्विट्जरलैंड भारत का 15वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, दोनों देशों के बीच कुल व्यापार लगभग 23.27 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा। • भारत के प्रमुख निर्यातों में रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, आभूषण, वस्त्र, मशीनरी और कृषि उत्पाद शामिल हैं। • स्विट्जरलैंड के प्रमुख निर्यातों में सोने की छड़ें, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, परिशुद्धता उपकरण और घड़ियाँ शामिल हैं। • **भारत–ईएफटीए व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता (TEPA):** ✓ **मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ता:** 2008 में शुरू हुई और 16 वर्षों में 21 दौर की वार्ताओं के बाद पूरी हुई। ✓ **व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता (TEPA):** 10 मार्च 2024 को आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ हस्ताक्षर किए गए। ✓ **TEPA लागू हुआ:** 1 अक्टूबर 2025 को; निवेश को सुगम बनाने के लिए भारत ने ईएफटीए डेस्क भी स्थापित किया। • भारत और स्विट्जरलैंड एक नए द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर बातचीत कर रहे हैं; दोनों देशों के बीच दोहरा कराधान अपवंचन समझौता (DTAA) वर्ष 1995 में हस्ताक्षरित हुआ था।
विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार	• भारत–स्विट्जरलैंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते पर 2003 में हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद 2005 में भारत–स्विस संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया गया। • भारत–स्विट्जरलैंड विज्ञान एवं नवाचार गठबंधन को 2019 में और मजबूत किया गया। • नवाचार और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत–स्विस नवाचार मंच की शुरुआत 2023 में बेंगलुरु में की गई। • स्विट्जरलैंड ने घोषणा की है कि वह 2027 की पहली छमाही में जिनेवा में एक भावी एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
वित्तीय एवं कर सहयोग	• वित्तीय खातों से संबंधित **सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान (AEOI)** की व्यवस्था दोनों देशों के बीच **2018** में लागू हुई, जिससे कर चोरी और अवैध वित्तीय प्रवाह से निपटने में सहायता मिली।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 13 02-11-2026 17:53:36

2.4. बिम्सटेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक और दिल्ली घोषणा-पत्र (First BIMSTEC Home Ministers' Meeting and Delhi Declaration)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और करार।*

संदर्भ

क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार होने वाले अपराधों से निपटने के लिए दिल्ली घोषणा-पत्र को अपनाने के साथ नई दिल्ली में बिम्सटेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक संपन्न हुई।

अन्य संबंधित जानकारी

- गृह मंत्रियों की बैठक की व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय 2018 में काठमांडू में आयोजित चौथे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में लिया गया था।
- अप्रैल 2025 में बैंकॉक में आयोजित छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए इस व्यवस्था का स्वागत किया गया।
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित उद्घाटन बैठक में दिल्ली घोषणा-पत्र को अपनाया गया और पाँच क्षेत्रीय सुरक्षा पहलों को मंजूरी दी गई। इनमें मानव तस्करी, मादक पदार्थों पर नियंत्रण, धन शोधन एवं आतंकवाद के वित्तपोषण, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा आपदा प्रबंधन से संबंधित पहलें शामिल हैं।

दिल्ली घोषणा-पत्र के बारे में

- यह घोषणा-पत्र क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति बिम्सटेक सदस्य देशों की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करता है। इसमें बंगाल की खाड़ी क्षेत्र को एक साझा सुरक्षा क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार उत्पन्न होने वाले साझा खतरों का सामना कर रहा है।
- **प्रमुख प्रावधान**
  - ✓ **आतंकवाद का मुकाबला:** आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद और सीमा पार आतंकवाद की निंदा करता है तथा कट्टरपंथ, आतंकवादी भर्ती और आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध सहयोग का आह्वान करता है।
  - ✓ **अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार होने वाले अपराध:** मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध, साइबर अपराध और मानव तस्करी के विरुद्ध सहयोग को मजबूत करता है। इसमें ऑनलाइन धोखाधड़ी संबंधी गतिविधियों में शोषित पीड़ितों की सुरक्षा भी शामिल है।
  - ✓ **कानूनी सहयोग:** पारस्परिक कानूनी सहायता, प्रत्यर्पण और संबंधित कानूनी ढाँचों में सहयोग के साथ-साथ मौजूदा बिम्सटेक सुरक्षा सम्मेलनों और कार्ययोजनाओं के कार्यान्वयन पर जोर देता है।
  - ✓ **सूचना साझा करना और क्षमता निर्माण:** अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार होने वाले अपराधों से निपटने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने, विशेष प्रशिक्षण और संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देता है।
  - ✓ **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC), इंटरपोल और वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करता है। साथ ही, सदस्य देशों द्वारा गृह मंत्रियों की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है।

बिम्सटेक (BIMSTEC) के बारे में

- **पूरा नाम:** बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल।
- **स्थापना:** 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा-पत्र के माध्यम से।
- **प्रारंभिक नाम:** BIST-EC (बांग्लादेश–भारत–श्रीलंका–थाईलैंड आर्थिक सहयोग)।
- **विस्तार:** म्यांमार 22 दिसंबर 1997 को इसमें शामिल हुआ।
  - ✓ नेपाल और भूटान 2004 में इसमें शामिल हुए।
  - ✓ इस समूह ने 31 जुलाई 2004 को बैंकॉक में आयोजित पहले बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में अपना वर्तमान नाम अपनाया।
- **सदस्य देश:** बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड।
- **सचिवालय:** तीसरे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय के बाद 2014 में ढाका, बांग्लादेश में स्थापित किया गया।
- **उद्देश्य:** दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच क्षेत्रीय एकीकरण एवं बहुआयामी सहयोग को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी से लगे देशों के बीच।
- **क्षेत्रीय विकास:** 1997 में प्रारंभ में इसमें छह क्षेत्र शामिल थे-व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मत्स्य पालन। 2008 में सहयोग का विस्तार किया गया और 2021 में इसे पुनर्गठित करके सात क्षेत्रों में बाँटा गया।
- **पहला शिखर सम्मेलन:** पहला बिम्सटेक शिखर सम्मेलन 31 जुलाई 2004 को बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया था।
- **आयोजित शिखर सम्मेलन:** अब तक बिम्सटेक के छह शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। छठा शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक में आयोजित किया गया था।
- **बढ़ता रणनीतिक महत्त्व:** भारत की विदेश नीति में बिम्सटेक का महत्त्व बढ़ा है। यह पड़ोसी प्रथम और पूर्व की ओर देखो नीतियों को मजबूत करने तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ संबंधों को गहरा करने का एक मंच है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 14 02-11-2026 17:53:36

- ✓ भारत, विशेष रूप से भारत-पाकिस्तान तनाव के कारण सार्क के भीतर मौजूद सीमाओं के बीच, क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए बिम्सटेक का तेजी से उपयोग कर रहा है। हालाँकि, बिम्सटेक SAARC का पूरक है, उसका विकल्प नहीं।

- **संस्थागत संरचना**: बिम्सटेक की पाँच स्तरीय संस्थागत संरचना है:
  - ✓ राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन।
  - ✓ विदेश मंत्रियों की मंत्रिस्तरीय बैठक।
  - ✓ क्षेत्रीय मंत्रिस्तरीय बैठकें।
  - ✓ वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक।
  - ✓ बिम्सटेक स्थायी कार्य समिति (BPWC)।

2.5. बहुपक्षवाद के लिए साझेदार (P4M) शिखर सम्मेलन (Partners for Multilateralism Summit)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *भारत को शामिल करने वाले और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और करार।*

संदर्भ

बहुपक्षवाद, अंतर्राष्ट्रीय कानून, शांति और समृद्धि के लिए साझेदार (P4M) का पहला शिखर सम्मेलन 21 सितंबर 2026 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च-स्तरीय सप्ताह के दौरान आयोजित किया गया। भारत इसके प्रारंभिक सह-प्रायोजकों में शामिल था।

अन्य संबंधित जानकारी

- **प्रारंभिक सह-प्रायोजक:** ऑस्ट्रेलिया, बारबाडोस, ब्राज़ील, कनाडा, यूरोपीय संघ, भारत और केन्या ने मिलकर इस पहल की शुरुआत की और P4M घोषणा-पत्र को अपनाया। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने उद्घाटन शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- **P4M क्यों?** यह पहल बढ़ते भू-राजनीतिक ध्रुवीकरण, संघर्षों, अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन, संरक्षणवाद, दबावपूर्ण उपायों तथा व्यापार, आपूर्ति श्रृंखलाओं और विकास वित्त में व्यवधानों के बीच शुरू की गई है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसी वैश्विक चुनौतियाँ भी मौजूद हैं।
- **भारत का जोर:** भारत ने साझा उद्देश्यों वाले देशों से '4F' संकट- ईंधन (Fuel), खाद्य (Food), उर्वरक (Fertiliser) और वित्त (Finance)-तथा आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। इसमें जोखिम कम करने और विविधीकरण जैसे उपाय भी शामिल हैं।

P4M के बारे में

- **प्रकृति और उद्देश्य:** P4M एक खुला, लचीला और व्यावहारिक ढाँचा है, न कि कोई अन्य विशिष्ट गुट या अंतर्राष्ट्रीय नौकरशाही। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों और राजनीतिक परंपराओं वाले देशों को गठबंधन बनाने, मतभेदों को पाटने और बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की दिशा में काम करने में सक्षम बनाना है।
- **बहुपक्षवाद में सुधार, न कि उसका प्रतिस्थापन:** इस पहल का उद्देश्य मौजूदा बहुपक्षीय प्रणाली, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र, को मजबूत करना है, ताकि इसे अधिक प्रभावी, प्रतिनिधित्वपूर्ण, समावेशी और उद्देश्य के अनुरूप बनाया जा सके।
  - ✓ यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को मजबूत और सुधारने के उद्देश्य से UN80 जैसी पहलों का समर्थन करता है।
- **मूलभूत सिद्धांत:** P4M संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान तथा बल प्रयोग या बल प्रयोग की धमकी के निषेध के सिद्धांतों की पुनः पुष्टि करता है। इसके साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति भी प्रतिबद्धता व्यक्त करता है।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

- **संयुक्त राष्ट्र और संस्थागत सुधार:** बहुपक्षीय संस्थाओं को मजबूत करना, विशेष रूप से UN80 जैसी पहलों के माध्यम से, ताकि संघर्षों को रोकने, संकटों से निपटने और सतत विकास को आगे बढ़ाने की उनकी क्षमता में सुधार हो।
- **शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून:** विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के सम्मान को बढ़ावा देना तथा संघर्षों और संकटों के प्रति अधिक सशक्त सामूहिक प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करना।
- **आर्थिक लचीलापन:** विविधीकृत और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओंओं को बढ़ावा देना, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में सुधार करना तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना को बेहतर बनाना।
- **उभरती वैश्विक चुनौतियाँ:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्वास्थ्य के मुद्दों पर समन्वय करना तथा पेरिस समझौते और सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन का समर्थन करना।

भारत के लिए महत्व

- **बहुपक्षीय सुधार को आगे बढ़ाना:** P4M भारत को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और प्रभावी, संयुक्त राष्ट्र-केंद्रित बहुपक्षीय व्यवस्था की वकालत करने के लिए एक अतिरिक्त मंच प्रदान करता है। यह वैश्विक संस्थाओं में सुधार के संबंध में भारत के लंबे समय से चले आ रहे दृष्टिकोण के अनुरूप है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 15 02-11-2026 17:53:36

- **विविध हितों के बीच सेतु:** विभिन्न क्षेत्रों और राजनीतिक परंपराओं से जुड़े प्रतिभागियों के साथ यह मंच भारत को ग्लोबल साउथ की विकास संबंधी चिंताओं को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत सुधार से जोड़ने का अवसर प्रदान करता है।
- **आर्थिक और रणनीतिक लचीलापन:** आपूर्ति श्रृंखला में विविधीकरण, अंतर्राष्ट्रीय वित्त, डिजिटल परिवर्तन और उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग आर्थिक परस्पर निर्भरता और रणनीतिक व्यवधानों से उत्पन्न कमजोरियों को कम करने में भारत के हितों के अनुरूप है।
- **मुद्दा-आधारित गठबंधन निर्माण:** P4M भारत को विशिष्ट वैश्विक चुनौतियों के आधार पर लचीली साझेदारियाँ बनाने का अवसर देता है, जबकि वह संयुक्त राष्ट्र, G20 और BRICS जैसे स्थापित मंचों के माध्यम से भी अपना जुड़ाव जारी रखता है।
- **उभरते मंच को आकार देना:** एक प्रारंभिक सह-प्रायोजक के रूप में भारत के पास P4M को केवल घोषणा-आधारित पहल से आगे बढ़ाकर नियमित संवाद, समन्वय और व्यावहारिक सहयोग के मंच के रूप में विकसित करने में योगदान देने का अवसर है।

2.6. पहली V4+भारत विदेश मंत्रियों की बैठक (First V4+India Foreign Ministers' Meeting)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *विकसित और विकासशील देशों की नीतियों एवं राजनीति का भारत के हितों तथा भारतीय प्रवासियों पर प्रभाव।*

संदर्भ

V4 की स्लोवाक अध्यक्षता के तहत न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान पहली V4+भारत विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई।

बैठक की प्रमुख विशेषताएँ

- भारत और विसेग्राद समूह के बीच समूह के रूप में विदेश मंत्री स्तर की यह पहली बैठक थी।
- मंत्रियों ने वार्षिक विदेश मंत्रियों की बैठकों सहित घनिष्ठ राजनीतिक सहयोग स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की।
- उन्होंने आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें व्यवसायों के बीच अधिक संवाद स्थापित करने के लिए वार्षिक व्यापार मंच आयोजित करना शामिल है।
- निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत किया जाएगा:
  - ✓ व्यापार और निवेश
  - ✓ प्रौद्योगिकी और नवाचार
  - ✓ अनुसंधान और शिक्षा
  - ✓ लचीली आपूर्ति शृंखलाएँ
  - ✓ रक्षा और सुरक्षा
  - ✓ कनेक्टिविटी
  - ✓ अंतरिक्ष
  - ✓ गतिशीलता और लोगों के बीच आदान-प्रदान
  - ✓ सांस्कृतिक सहयोग
- मंत्रियों ने भारत और V4 सदस्य देशों के व्यवसायों, शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों तथा अन्य हितधारकों के बीच अधिक संवाद और सहभागिता की संभावनाओं पर चर्चा की।
- उन्होंने वैश्विक एवं क्षेत्रीय घटनाक्रमों, शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया, जिसमें यूक्रेन संघर्ष और खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम शामिल थे।
- देशों ने सुधरे हुए बहुपक्षवाद की आवश्यकता तथा ग्लोबल साउथ को प्रभावित करने वाली चुनौतियों सहित समकालीन वैश्विक चुनौतियों से निपटने पर चर्चा की।
- चारों V4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। स्लोवाकिया के विदेश मंत्री जुराज ब्लानार ने भी कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।

विसेग्राद समूह (V4) के बारे में

- विसेग्राद समूह (V4) चार मध्य यूरोपीय देशों-पोलैंड + हंगरी + स्लोवाकिया + चेक गणराज्य-का एक सांस्कृतिक और राजनीतिक गठबंधन है।
- इसका उद्देश्य सैन्य, आर्थिक, सांस्कृतिक और ऊर्जा संबंधी मामलों में सहयोग को बढ़ावा देना है।
- V4+भारत समूह एक राजनयिक संवाद प्रारूप है, जो भारत और विसेग्राद समूह को एक साथ लाता है।
- भारत के चारों V4 देशों के साथ लंबे समय से सुदृढ़ और व्यापक द्विपक्षीय संबंध हैं।
- V4+भारत प्रारूप संवाद और सहयोग के लिए एक अतिरिक्त मंच प्रदान करता है, जो पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य के साथ भारत के मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाता है।

V4 और बैठक का महत्व

- **मध्य यूरोप के साथ संबंधों को मजबूत करना:** यह प्रारूप भारत को चार मध्य यूरोपीय देशों के साथ सामूहिक रूप से जुड़ने के लिए एक अतिरिक्त मंच प्रदान करता है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 16 02-11-2026 17:53:36

- **राजनीतिक सहयोग:** वार्षिक विदेश मंत्रियों की बैठकें भारत और V4 के बीच नियमित राजनीतिक संवाद को बढ़ावा दे सकती हैं।
- **आर्थिक सहयोग:** प्रस्तावित वार्षिक व्यापार मंच भारतीय और V4 देशों के व्यवसायों के बीच अधिक संवाद को बढ़ावा देने तथा व्यापार और निवेश सहयोग को मजबूत करने में सहायक हो सकता है।
- **प्रौद्योगिकी और नवाचार:** देशों ने प्रौद्योगिकी, नवाचार, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है।
- **रक्षा सहयोग:** भारत के सभी V4 देशों के साथ रक्षा सहयोग का मजबूत इतिहास रहा है और यह बैठक रक्षा सहयोग को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है।
- **कनेक्टिविटी और लोगों के बीच संबंध:** कनेक्टिविटी, गतिशीलता, सांस्कृतिक सहयोग और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में सहयोग भारत और मध्य यूरोप के बीच संबंधों को और मजबूत कर सकता है।
- **रणनीतिक सहयोग:** शांति और सुरक्षा, वैश्विक एवं क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा रणनीतिक जुड़ाव के लिए एक अतिरिक्त मार्ग प्रदान करती है।
- **बहुपक्षवाद:** सुधारित बहुपक्षवाद और ग्लोबल साउथ को प्रभावित करने वाले मुद्दों सहित समकालीन वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय को मजबूत करता है।
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए समर्थन:** चारों V4 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए व्यक्त किया गया समर्थन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के भारत के प्रयासों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
- **भारत–यूरोपीय संघ संबंधों का पूरक:** V4+भारत प्रारूप चारों V4 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ यूरोपीय संघ के साथ भारत के बढ़ते संबंधों को भी पूरक बना सकता है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 17 02-11-2026 17:53:36



सामाजिक मुद्दे और सामाजिक न्याय

3.1. प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना (Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-1: *जनसंख्या और उससे संबंधित मुद्दे।*

सामान्य अध्ययन-2: *सरकारी नीतियाँ एवं विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन से संबंधित विषय।*

सामान्य अध्ययन-2: *स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय।*

संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को, जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है, वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक पाँच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए कुल ₹53,428 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

अन्य संबंधित जानकारी

- इस मंजूरी में कार्यक्रम और इसकी उप-योजनाओं का नाम बदलना, दिव्यांगजनों के लिए पात्रता मानदंडों एवं सहायता दरों में संशोधन करना तथा वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और पारिवारिक लाभ योजना को उनके मौजूदा स्वरूप में जारी रखना शामिल है।
- इस मंजूरी से सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 3.20 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिलने की अपेक्षा है। दिव्यांगता पेंशन के संशोधित दिशानिर्देश तीन महीने के भीतर जारी करके लागू किए जाएँगे।

प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना के बारे में

- **शुभारंभ:** राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का शुभारंभ 15 अगस्त, 1995 को किया गया था।
- **नोडल मंत्रालय:** ग्रामीण विकास मंत्रालय।
- **उद्देश्य:** गरीब परिवारों, विशेष रूप से कमजोर वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों तथा परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु का सामना करने वाले परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करना।
- **संवैधानिक आधार:** राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के अंतर्गत संविधान का अनुच्छेद 41, राज्य की आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, दिव्यांगता तथा अभाव की अन्य अनुचित परिस्थितियों में सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है।
- **वित्तपोषण:** देशभर में एकसमान सहायता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार NSAP के अंतर्गत 100% केंद्रीय सहायता प्रदान करती है।
- **दिव्यांगता पेंशन में प्रमुख बदलाव:**
  - ✓ **मासिक सहायता:** 0–79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों के लिए ₹375 तथा 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए ₹625।
  - ✓ **मानदंड दिव्यांगता:** इसे 80% से घटाकर 40% कर दिया गया है।
  - ✓ **न्यूनतम आयु:** पात्रता का विस्तार जन्म से ही कर दिया गया है।
  - ✓ **अन्य घटक:** वृद्धावस्था पेंशन एवं विधवा पेंशन योजनाएँ तथा पारिवारिक लाभ योजना अपने मौजूदा स्वरूप में जारी रहेंगी।

एनएसएपी के अंतर्गत नाम परिवर्तन योजनाएं

मौजूदा योजना		स्वीकृत नाम
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	→	प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	→	प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	→	प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना	→	प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	→	प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना

योजना की आवश्यकता एवं महत्त्व

- **सामाजिक सुरक्षा:** सीमित आय और औपचारिक सामाजिक सुरक्षा तक अपर्याप्त पहुँच वाले कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **समावेशी कल्याण:** वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों तथा परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य को खोने वाले गरीब परिवारों को सहायता प्रदान करती है।
- **वृद्ध होती जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करना:** भारत की वृद्ध जनसंख्या लगभग 15 करोड़ से बढ़कर 34 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। वर्ष 2050 तक भारत के लगभग प्रत्येक पाँच में से एक व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होने की अपेक्षा है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 18 02-11-2026 17:53:36

- **दिव्यांगजनों का समावेशन:** मानदंड दिव्यांगता की सीमा को घटाकर 40% करके दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप बनाती है।
- **संवैधानिक प्रतिबद्धता:** कमजोर वर्गों के लिए सार्वजनिक सहायता को मजबूत करके संविधान के अनुच्छेद 41 के उद्देश्य को आगे बढ़ाती है।

योजना में कमियाँ/खामियाँ

- **अपर्याप्त पेंशन राशि:** केंद्र का वृद्धावस्था पेंशन योगदान वर्ष 2007 से 60–79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों के लिए ₹200 प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए ₹500 प्रति माह बना हुआ है, जिससे मुद्रास्फीति के कारण क्रय शक्ति में कमी आई है।
- **लाभार्थियों का सीमित दायरा:** एनएसएपी की तीन पेंशन योजनाओं के अंतर्गत केंद्र स्तर पर लगभग 3.09 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं, जबकि पात्र जनसंख्या इससे कहीं अधिक है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित पुराने आँकड़े और लाभार्थियों की निर्धारित सीमाएँ पहुँच को बाधित करती हैं।
- **मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजन का अभाव:** पेंशन सहायता में मुद्रास्फीति के अनुसार स्वतः संशोधन नहीं किया जाता, जिससे आवश्यक जीवन-यापन और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी खर्चों को पूरा करने की इसकी क्षमता कमजोर होती है।
- **राज्यों की सहायता में असमानता:** राज्यों का योगदान काफी भिन्न होता है, जिससे विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लाभार्थियों को मिलने वाली कुल पेंशन राशि में अंतर उत्पन्न होता है।

आगे की राह

- **मुद्रास्फीति से जुड़ी पेंशन:** क्रय शक्ति बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायता बढ़ती जीवन-यापन तथा स्वास्थ्य देखभाल संबंधी लागतों के अनुरूप बनी रहे, पेंशन सहायता में समय-समय पर संशोधन किया जाना चाहिए।
- **लाभार्थियों का दायरा बढ़ाना:** विश्वसनीय और नवीन सामाजिक-आर्थिक आँकड़ों का उपयोग करके लाभार्थियों की पहचान को अद्यतन किया जाना चाहिए तथा वर्तमान में वंचित पात्र व्यक्तियों को शामिल करने के लिए पुरानी निर्धारित सीमाओं में संशोधन किया जाना चाहिए।
- **केंद्र–राज्य समन्वय को सुदृढ़ करना:** देशभर में पेंशन सहायता में असमानताओं को कम करने के लिए राज्यों के अधिक समान और पर्याप्त योगदान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **साक्ष्य-आधारित कार्यान्वयन:** पर्याप्तता का आकलन करने, सहायता वितरण में सुधार करने तथा पेंशन दरों और लाभार्थियों के दायरे की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के मूल्यांकनों और लाभार्थी सर्वेक्षणों के निष्कर्षों का उपयोग किया जाना चाहिए।

3.2. आयुष्मान भारत के 8 वर्ष (Ayushman Bharat Completes Eight Years)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय; गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय; केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ तथा इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन।*

संदर्भ

23 सितंबर 2026 को आयुष्मान भारत के आठ वर्ष पूरे हो गए, जो भारत द्वारा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में आगे बढ़ते हुए वित्तीय सुरक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना के विस्तार को दर्शाता है।

अन्य संबंधित जानकारी

- 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया, आयुष्मान भारत को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार करना और कमजोर परिवारों को उच्च चिकित्सा व्यय से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना था।
- नवीनतम सरकारी आकलन के अनुसार, 60 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रतिवर्ष ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज उपलब्ध है, जबकि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 540 करोड़ से अधिक बार लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है, जिससे जमीनी स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूती मिली है।
- 31 अगस्त 2026 तक, एबी-पीएमजेएवाई ने 13.25 करोड़ के आसपास अस्पताल में भर्ती मामलों, जिनकी कुल राशि ₹2.03 लाख करोड़ है, को सुविधा प्रदान की है। यह सुविधा 38,000 से अधिक सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों के माध्यम से प्रदान की गई है।

आयुष्मान भारत के बारे में

- आयुष्मान भारत केवल एक स्वास्थ्य-बीमा योजना न होकर एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा संरचना है।
- इसे प्रारंभ में दो परस्पर संबंधित घटकों के साथ शुरू किया गया था-हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिन्हें अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAMs) कहा जाता है, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)।
- इसके बाद इसका विस्तार चार घटकों वाली रूपरेखा के रूप में किया गया, जिसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAMs), AB-PMJAY, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) शामिल हैं।
  - ✓ **AB-PMJAY:** माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती होने के लिए लगभग 12 करोड़ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, जो

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 19 02-11-2026 17:53:36

व्यापक रूप से आबादी के निचले 40% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, को प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। 2024 में इसका विस्तार करके 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, इसमें शामिल किया गया।

- ✓ **आयुष्मान आरोग्य मंदिर:** व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं। यह मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल से आगे बढ़कर गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग एवं प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य, मौखिक स्वास्थ्य, नेत्र एवं ईएनटी देखभाल, प्रथम-स्तरीय आपातकालीन देखभाल तथा आवश्यक दवाओं और नैदानिक सेवाओं की निःशुल्क सुविधा प्रदान करते हैं।
- ✓ **PM-ABHIM:** इसे 2021 में 2021–22 से 2025–26 की अवधि के लिए ₹64,180 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किया गया। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य अवसंरचना, रोग निगरानी, प्रयोगशालाओं, गंभीर देखभाल क्षमता और महामारी से निपटने की तैयारी को मजबूत करना है।

- **ABDM:** इसे 2021 में राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया। यह आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) और सहमति-आधारित स्वास्थ्य रिकॉर्ड साझा करने की व्यवस्था के केंद्र में एक इंटरऑपरेबल डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और आयुष्मान भारत

- डब्ल्यूएचओ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) को इस रूप में परिभाषित करता है कि सभी लोगों को जब और जहाँ आवश्यकता हो, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी श्रृंखला तक बिना किसी वित्तीय कठिनाई के पहुँच प्राप्त हो। इसमें जीवन के सभी चरणों में स्वास्थ्य संवर्धन, रोकथाम, उपचार, पुनर्वास और प्रशामक देखभाल शामिल हैं।
- यूएचसी समानता, गैर-भेदभाव और स्वास्थ्य के अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित है। सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के लक्ष्य 3.8 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना है।
- 1978 में अपनाई गई अल्मा-अता घोषणा ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य की प्राप्ति की कुंजी के रूप में पहचान दी।
- भारत में यूएचसी की अवधारणा भोरे समिति की रिपोर्ट से जुड़ी है। वर्ष 1946 में समिति ने भारत के लिए ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली की सिफारिश की, जो निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल को एकीकृत करे तथा भुगतान करने की क्षमता पर ध्यान दिए बिना सभी को चिकित्सा देखभाल तक पहुँच प्रदान करे।
- आयुष्मान भारत यूएचसी के विभिन्न आयामों को संबोधित करता है: AB-PMJAY अस्पताल में भर्ती होने के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है; AAMs व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का विस्तार करते हैं; ABDM स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता और पोर्टेबिलिटी को समर्थन देता है; तथा PM-ABHIM स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता और आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी को मजबूत करता है।

अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने **12 दिसंबर 2012** को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर एक प्रस्ताव अपनाया।
  - ✓ इसके बाद, 2017 में 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस घोषित किया गया।
- इस दिवस का उद्देश्य मजबूत और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों तथा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

आठ वर्षों का विस्तार और प्रभाव

- **वित्तीय सुरक्षा:** 31 अगस्त 2026 तक, एबी-पीएमजेएवाई ने ₹2.03 लाख करोड़ की राशि के 13.25 करोड़ अस्पताल में भर्ती मामलों में सहायता प्रदान की थी। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तथा आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं जैसे निर्दिष्ट समूहों को शामिल किए जाने से योजना का लाभार्थी आधार व्यापक हुआ है।
- **प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल:** एएएम में 540 करोड़ से अधिक संचयी बार लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया, जबकि सितंबर 2026 तक व्यापक टेलीमेडिसिन नेटवर्क के माध्यम से 50 करोड़ से अधिक टेली-परामर्श किए जा चुके थे। इन केंद्रों में विस्तारित सेवा पैकेज के माध्यम से निवारक, स्वास्थ्य संवर्धक, उपचारात्मक, पुनर्वासात्मक और प्रशामक देखभाल समुदायों के और करीब पहुँच रही है।
- **डिजिटल स्वास्थ्य:** 17 सितंबर 2026 तक, 97.61 करोड़ से अधिक एबीएचए आईडी सक्रिय थीं और 119.95 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड उनसे जोड़े जा चुके थे। यह सहमति-आधारित डिजिटल स्वास्थ्य सूचना के आदान-प्रदान के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पोर्टेबिलिटी और निरंतरता को समर्थन देता है।
- **वित्तीय बोझ में कमी:** कुल स्वास्थ्य व्यय में जेब से किए जाने वाले व्यय (ओओपीई) की हिस्सेदारी 2014–15 में 62.6% से घटकर 2022–23 में 43.4% हो गई। सरकार इस व्यापक गिरावट का श्रेय सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि और एबी-पीएमजेएवाई सहित सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के विस्तार को देती है।

अंतराल और चुनौतियाँ

- **सार्वजनिक वित्तपोषण नीति लक्ष्य से कम:** सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2022–23 में बढ़कर जीडीपी का 1.43% हो गया, लेकिन यह अभी भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के तहत निर्धारित जीडीपी के 2.5% के लक्ष्य से कम है। इससे अवसंरचना, स्वास्थ्य कार्यबल और सेवा वितरण में निरंतर निवेश सीमित होता है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 20 02-11-2026 17:53:37

- **परिवारों पर वित्तीय बोझ बना हुआ है:** यद्यपि कुल स्वास्थ्य व्यय में जेब से किए जाने वाले व्यय (OOPI) की हिस्सेदारी 2013–14 में 64.2% से घटकर 2022–23 में 43.4% हो गई, फिर भी परिवार सीधे स्वास्थ्य देखभाल पर एक महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च करते हैं।
- **सेवा कवरेज अभी भी अधूरा:** डब्ल्यूएचओ के भारत के लिए नवीनतम उपलब्ध यूएचसी सेवा कवरेज सूचकांक का स्कोर 2021 में 0–100 के पैमाने पर 63 था, जबकि गैर-संचारी रोग (NSD) उप-सूचकांक 54 था। यह आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी कवरेज में लगातार बने हुए अंतराल को दर्शाता है।
- **मानव संसाधन और भौगोलिक अंतराल:** डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात 1:811 होने के बावजूद, स्वास्थ्य कार्यबल की उपलब्धता असमान बनी हुई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) में 40,583 डॉक्टर/चिकित्सा अधिकारी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में 26,280 विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी हैं।

आगे की राह

- **प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करना:** निवारक, स्वास्थ्य संवर्धक और दीर्घकालिक देखभाल सेवाओं के लिए एएएम को प्रथम संपर्क केंद्र के रूप में सुदृढ़ किया जाए, जिससे द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ने वाले अनावश्यक दबाव को कम किया जा सके।
- **वित्तीय सुरक्षा को और मजबूत करना:** अस्पताल में भर्ती होने के कवरेज के साथ-साथ **दवाओं, नैदानिक सेवाओं और बाह्य रोगी देखभाल** की सार्वजनिक व्यवस्था को मजबूत किया जाए, क्योंकि ये परिवारों के स्वास्थ्य व्यय के महत्वपूर्ण घटक बने हुए हैं।
- **सार्वजनिक निवेश में वृद्धि और निरंतरता: जीडीपी के 2.5% के सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय के लक्ष्य** की दिशा में आगे बढ़ते हुए संसाधनों की दक्षता और समान वितरण में सुधार किया जाए।
- **स्वास्थ्य कार्यबल और क्षेत्रीय असमानताओं का समाधान:** प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों, विशेष रूप से कम सेवा वाले ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में विशेषज्ञों की उपलब्धता में सुधार किया जाए। इसके साथ बेहतर रेफरल और टेलीमेडिसिन नेटवर्क विकसित किए जाएँ।

3.3. स्वच्छ भारत मिशन मिशन के 12 वर्ष (12 Years of Swachh Bharat Mission)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय।*

सामान्य अध्ययन-2: *सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन एवं कार्यान्वयन से संबंधित विषय।*

संदर्भ

2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन (SBM) भारत के स्वच्छता परिवर्तन के 12 वर्ष पूरे होने को दर्शाता है। यह यात्रा खुले में शौच से मुक्त (ODF) दर्जा प्राप्त करने से लेकर सतत स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और व्यवहार परिवर्तन तक की रही है।

स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के बारे में

- SBM को 2 अक्टूबर 2014 को सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करने और 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त (ODF) बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- यह दो घटकों के माध्यम से संचालित होता है: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए SBM-ग्रामीण (SBM-G) और शहरी क्षेत्रों के लिए SBM-शहरी (SBM-U)।
- SBM-ग्रामीण चरण I (2014–2019) का मुख्य फोकस शौचालयों की उपलब्धता और उनके उपयोग का विस्तार करना था।
  - ✓ ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 2014 में 39% से बढ़कर 2019 में 100% हो गई तथा 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया।
  - ✓ ग्रामीण भारत को 2 अक्टूबर 2019 को खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित किया गया।
- SBM-ग्रामीण चरण II (2020–21 से 2026–27) में मुख्य जोर ODF स्थिति प्राप्त करने से आगे बढ़कर ODF व्यवहार को बनाए रखने और ODF प्लस प्राप्त करने पर दिया गया। इसके तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM), दृश्य स्वच्छता और सामुदायिक सहभागिता पर जोर दिया गया।
  - ✓ ODF प्लस गाँवों की प्रगति का आकलन आकांक्षी (Aspiring), उभरते (Rising) और मॉडल (Model) श्रेणियों के माध्यम से किया जाता है।
- SBM-शहरी 2.0 (SBM-U 2.0) को 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य स्रोत पर कचरे का पृथक्करण, घर-घर कचरा संग्रहण, कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण, सुरक्षित निपटान और पुराने कचरा डंपसाइटों का उपचार करके शहरों को कचरा-मुक्त बनाना है। इसके साथ सुरक्षित स्वच्छता के प्रयासों को भी जारी रखा गया है।
- यह सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार (SBCC) को केंद्र में रखता है तथा स्वच्छाग्रहियों, सामुदायिक लामबंदी, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नागरिक प्रतिक्रिया के माध्यम से स्वच्छता को दैनिक व्यवहार बनाने पर जोर देता है।
- परिणाम-आधारित मानकों के माध्यम से भी उपलब्धियों का आकलन और उन्हें बनाए रखा जाता है, जिनमें ODF, ODF+, ODF++, Water+ तथा कचरा-मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल शामिल हैं।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 21 02-11-2026 17:53:37

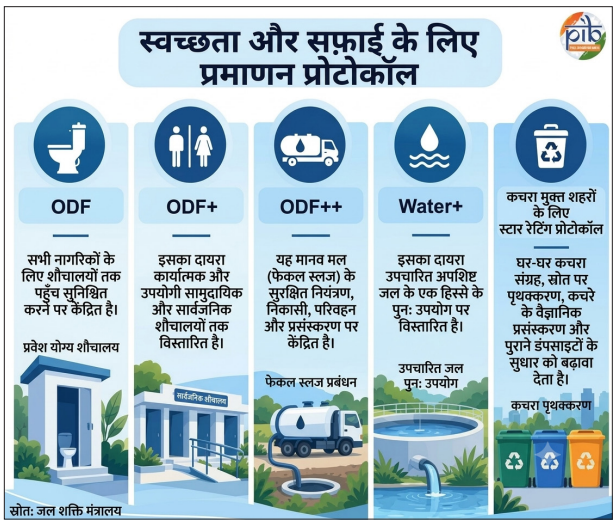

प्रमुख उपलब्धियाँ

- **ग्रामीण ODF प्लस:** सितंबर 2026 तक 5.69 लाख से अधिक गाँवों ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त किया, जिनमें 5.25 लाख से अधिक ODF प्लस मॉडल गाँव शामिल हैं। इनमें 5.38 लाख से अधिक गाँवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और 5.65 लाख से अधिक गाँवों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है।
- **स्वच्छता अवसंरचना:** 12.22 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालय और 98,273 बायोगैस संयंत्र बनाए गए, जिनमें 585 जिलों में 1,314 गोबरधन (GOBARdhan) संयंत्र शामिल हैं।
- **शहरी स्वच्छता:** SBM-शहरी के तहत 63.83 लाख घरेलू शौचालय और 6.36 लाख सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय सीटें बनाई गईं, जो मिशन के लक्ष्यों से अधिक हैं।
- **शहरी अपशिष्ट प्रबंधन:** अपशिष्ट प्रसंस्करण की दर 2014 में 16% से बढ़कर 2026 में 81–82% हो गई, जबकि घर-घर कचरा संग्रहण की पहुँच 97–98% तक पहुँच गई।
- **स्वास्थ्य और गरिमा:** विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुमान के अनुसार, 2019 में 2014 की तुलना में डायरिया से होने वाली लगभग 3 लाख कम मौतें हुईं। वहीं, 93% महिलाओं ने स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस किया, 91% महिलाओं ने प्रतिदिन एक घंटे तक का समय बचने की बात कही और 93% महिलाओं ने भोजन या पानी के सेवन को सीमित करना बंद कर दिया।

SBM की आवश्यकता और महत्त्व

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य:** सुरक्षित स्वच्छता से डायरिया संबंधी रोगों, भूजल प्रदूषण और असुरक्षित अपशिष्ट के संपर्क में आने का जोखिम कम होता है।
- **महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा:** शौचालयों तक पहुँच महिलाओं के सामने आने वाले जोखिम, असुविधा और प्रतिबंधों को कम करके सुरक्षा, सुविधा और स्वाभिमान को बढ़ावा देती है।
- **व्यवहार परिवर्तन:** सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार (SBCC), स्वच्छाग्रही, निगरानी समितियाँ, ग्राम सभाएँ तथा स्वच्छता ही सेवा जैसे अभियानों ने स्वच्छता को व्यक्तिगत चिंता से आगे बढ़ाकर सामूहिक जिम्मेदारी बनाने में मदद की है।
- **समावेशी और गरिमापूर्ण स्वच्छता:** आधुनिक सार्वजनिक सुविधाओं में महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को तेजी से शामिल किया जा रहा है। वहीं, सफाईमित्रों पर ध्यान देने से स्वच्छता को व्यावसायिक सुरक्षा और गरिमा से जोड़ा गया है।

SBM में कमियाँ या चुनौतियाँ

- **ODF परिणामों को बनाए रखना:** ODF दर्जे को बनाए रखने के लिए शौचालयों का निरंतर उपयोग, रखरखाव, सामुदायिक सहभागिता और निगरानी आवश्यक है, ताकि ODF स्थिति में पुनः गिरावट को रोका जा सके।
- **कचरे के पृथक्करण और संग्रहण में कमी:** सर्वेक्षण किए गए केवल 39.9% परिवारों ने कचरे का पृथक्करण किया, जबकि केवल 45% गाँवों में कचरा संग्रहण वाहन उपलब्ध थे और 29.4% गाँवों में भंडारण एवं पृथक्करण शेड मौजूद थे।
- **अवसंरचना की कार्यशीलता में असमानता:** 2023–24 में सर्वेक्षण की गई प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों में केवल 61.4% और गोबरधन/बायोगैस संयंत्रों में 58.5% कार्यशील पाए गए।
- **चिरकालिक अपशिष्ट प्रबंधन:** जनवरी 2026 तक 2,488 डंपसाइटों में लगभग 25 करोड़ टन चिरकालिक अपशिष्ट जमा था। यद्यपि इसमें से 62% का उपचार/निस्तारण किया जा चुका था, फिर भी शेष अपशिष्ट का पूर्ण उपचार तथा नए डंपसाइटों के निर्माण को रोकना चुनौती बना हुआ है।
- **अपशिष्ट जल और मल-कीचड़ प्रबंधन:** स्वच्छता व्यवस्था में सीवेज, ग्रे-वॉटर और मल-कीचड़ का सुरक्षित संग्रहण, परिवहन, उपचार तथा निपटान/पुनः उपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है, विशेष रूप से छोटे शहरी क्षेत्रों में।

3.4. प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (Pradhan Mantri Anusuchit Jaati Abhyuday Yojana)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियाँ एवं हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन से उत्पन्न विषय।*

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 22 02-11-2026 17:53:37

संदर्भ

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) के माध्यम से अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण को आगे बढ़ा रहा है।

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) के बारे में

- प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।
- इस योजना को **2021–22** में पूर्ववर्ती तीन केंद्र प्रायोजित योजनाओं का विलय करके शुरू किया गया था:
  - ✓ प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY)
  - ✓ अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (SCA से SCSP)
  - ✓ बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY)

प्रमुख विशेषताएँ

- **तीन घटकों के माध्यम से एकीकृत विकास:**
  - ✓ **आदर्श ग्राम:** इसका उद्देश्य पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा और पोषण सहित अवसंरचना एवं आवश्यक सेवाओं की कमियों को दूर करके अनुसूचित जाति-बहुल गाँवों को आदर्श गाँवों में परिवर्तित करना है।
  - ✓ **अनुदान सहायता:** अनुसूचित जातियों के लिए आजीविका संवर्धन, कौशल विकास, आय-सृजन गतिविधियों और सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  - ✓ **छात्रावास:** अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास सुविधाओं के निर्माण और विस्तार में सहायता प्रदान करता है, ताकि शैक्षिक अवसरों तक पहुँच में सुधार हो और उच्च शिक्षा में आने वाली बाधाएँ कम हों।
- **वित्तपोषण और कार्यान्वयन:** इस योजना का **100% वित्तपोषण** केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। हालांकि, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं।
  - ✓ राज्य और केंद्रशासित प्रदेश परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए PM-AJAY पोर्टल के माध्यम से **वार्षिक कार्य योजनाएँ** प्रस्तुत करते हैं।
  - ✓ अवसंरचना विकास के लिए **50% या उससे अधिक अनुसूचित जाति आबादी** वाले गाँव सहायता के पात्र हैं।
  - ✓ कुल आवंटित निधि का अधिकतम **2% छात्रावास निर्माण और मरम्मत** के लिए उपयोग किया जा सकता है, जबकि अधिकतम 5% प्रशासनिक व्यय, निगरानी और मूल्यांकन के लिए आवंटित किया जा सकता है।

योजना का महत्व और उपलब्धियाँ

- **समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा:** आदर्श ग्राम घटक आवश्यक सेवाओं में सुधार और गरिमापूर्ण जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित करके अनुसूचित जाति-बहुल गाँवों में विद्यमान असमानताओं को कम करने का प्रयास करता है।
- **आजीविका के अवसरों का विस्तार:** अनुदान सहायता घटक कौशल विकास, आय-सृजन गतिविधियों और आजीविका परियोजनाओं को बढ़ावा देता है, जिससे आर्थिक सशक्तीकरण और गरीबी में कमी को समर्थन मिलता है।
- **शिक्षा तक पहुँच में सुधार:** छात्रावास सुविधाएँ अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को आवास संबंधी बाधाओं को दूर करने और विशेष रूप से उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करती हैं।
- **वित्तीय और विकासात्मक उपलब्धियाँ:** वर्ष 2014-15 से नवीनतम रिपोर्ट की गई अवधि तक आदर्श ग्राम घटक के अंतर्गत 48,811 गाँवों के लिए ₹3,545.103 करोड़ जारी किए गए। इनमें से 16,022 गाँवों ने निर्धारित संकेतक प्राप्त किए और उन्हें आदर्श ग्राम घोषित किया गया।
  - ✓ अनुदान सहायता घटक के अंतर्गत ₹7,142.692 करोड़ जारी किए गए, जिससे 34.61 लाख लोगों को लाभ हुआ।
  - ✓ इसके अतिरिक्त, 244 छात्रावासों के लिए ₹498.215 करोड़ जारी किए गए, जिससे 24,131 लाभार्थियों को लाभ मिला।

चुनौतियाँ

- **अवसंरचनात्मक कमियाँ:** अनुसूचित जाति-बहुल गाँवों में पर्याप्त अवसंरचना और आवश्यक सेवाएँ सुनिश्चित करना एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है।
- **प्रभावी कार्यान्वयन:** योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वार्षिक कार्य योजनाओं का समय पर प्रस्तुतिकरण और अनुमोदन तथा निधियों का कुशल उपयोग आवश्यक है।
- **सतत आजीविका:** कौशल विकास और वित्तीय सहायता का परिणाम स्थिर रोजगार, सतत उद्यमों और दीर्घकालिक आय वृद्धि के रूप में सामने आना चाहिए।
- **शैक्षिक समावेशन:** छात्रावास सुविधाओं का विस्तार करना और यह सुनिश्चित करना कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच प्राप्त हो, महत्वपूर्ण प्राथमिकताएँ बनी हुई हैं।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 23 02-11-2026 17:53:37

3.5. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बाल्यावस्था और किशोरावस्था में मोटापे पर पहले वैश्विक दिशा-निर्देश जारी किए (WHO Issues First Global Guidelines on Child and Adolescent Obesity)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय।*

संदर्भ

विश्व स्वास्थ्य संगठन (विश्व स्वास्थ्य संगठन) ने बच्चों और किशोरों में मोटापे के समेकित प्रबंधन पर पहली वैश्विक दिशा-निर्देशावली जारी की है। इसमें समय पर, व्यक्ति-केंद्रित और आयु के अनुरूप देखभाल के लिए साक्ष्य-आधारित सिफारिशें दी गई हैं।

अन्य संबंधित जानकारी

- ये दिशा-निर्देश 29 दिन से कम 10 वर्ष की आयु के बच्चों तथा 10–19 वर्ष के किशोरों को शामिल करते हैं।
- इन दिशा-निर्देशों में आहार संबंधी हस्तक्षेप, शारीरिक गतिविधि, व्यवहार परिवर्तन, डिजिटल स्वास्थ्य, दवाओं, बेरियाट्रिक सर्जरी और वजन-प्रबंधन उपकरणों के संबंध में सिफारिशें दी गई हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और व्यक्ति-केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर देता है, जिसमें बच्चों, किशोरों और उनकी देखभाल करने वालों की भागीदारी शामिल है।
- ये दिशा-निर्देश मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक कल्याण के महत्त्व को भी स्वीकार करते हैं। इसमें कलंक, भेदभाव और डराने-धमकाने (बुलिंग) के प्रभाव शामिल हैं।

दिशा-निर्देशों की आवश्यकता

- **बढ़ता स्वास्थ्य बोझ:** बाल्यावस्था में मोटापा टाइप-2 मधुमेह, हृदय-संबंधी रोगों और अन्य गैर-संचारी रोगों का जोखिम बढ़ाता है तथा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।
- **आयु-विशिष्ट देखभाल की आवश्यकता:** बच्चों और किशोरों की वृद्धि एवं विकास संबंधी आवश्यकताएँ अलग-अलग होती हैं, इसलिए मोटापे के प्रबंधन में आयु के अनुरूप दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।
- **साक्ष्य-आधारित उपचार की आवश्यकता:** दवाओं, डिजिटल हस्तक्षेपों और शल्य चिकित्सा के बढ़ते उपयोग को देखते हुए इनके उचित उपयोग के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश आवश्यक हैं।
- **समेकित दृष्टिकोण:** मोटापे के प्रबंधन में केवल वजन घटाने पर ध्यान देने के बजाय आहार, शारीरिक गतिविधि, व्यवहार, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- **नैदानिक देखभाल से परे:** मोटापे से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और खाद्य प्रणालियों के बीच समन्वित कार्रवाई के माध्यम से स्वस्थ खाद्य विकल्पों और शारीरिक गतिविधि के अनुकूल वातावरण विकसित करना भी आवश्यक है।

बाल्यावस्था और किशोरावस्था में मोटापा

- **बाल्यावस्था में मोटापा:** 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में, यदि लंबाई के अनुपात में वजन विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के बाल-विकास मानकों की माध्यिका से 3 मानक विचलन से अधिक होता है, तो इसे मोटापा माना जाता है।
- **किशोरावस्था में मोटापा:** 5–19 वर्ष की आयु के बच्चों और किशोरों में, यदि आयु के अनुपात में बॉडी मास इंडेक्स (BMI) WHO के विकास संदर्भ की माध्यिका से 2 मानक विचलन से अधिक होता है, तो इसे मोटापा माना जाता है।
- **WHO का वर्गीकरण:** 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में, यदि लंबाई के अनुपात में वजन माध्यिका से 2 मानक विचलन से अधिक होता है, तो इसे अधिक वजन माना जाता है। 5–19 वर्ष की आयु के बच्चों और किशोरों में, यदि आयु के अनुपात में BMI माध्यिका से 1 मानक विचलन से अधिक होता है, तो इसे अधिक वजन माना जाता है।

बाल्यावस्था में मोटापा: वैश्विक और भारतीय परिदृश्य

- **वैश्विक परिदृश्य:** वर्ष 2024 में 5–19 वर्ष की आयु के लगभग 17 करोड़ बच्चे और किशोर मोटापे से ग्रस्त थे।
  - ✓ इसमें 5–9 वर्ष की आयु के 7 करोड़ बच्चे और 10–19 वर्ष की आयु के 10 करोड़ किशोर शामिल थे।
- **भारत का परिदृश्य:** विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार, उच्च बॉडी मास इंडेक्स (BMI) वाले बच्चों की संख्या के मामले में भारत, चीन के बाद विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है।
  - ✓ वर्ष 2025 में भारत के 5–19 वर्ष की आयु के लगभग 4.1 करोड़ बच्चे उच्च BMI के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिनमें लगभग 1.4 करोड़ बच्चे मोटापे से ग्रस्त थे।
  - ✓ इसमें 5–9 वर्ष की आयु के 1.49 करोड़ बच्चे और 10–19 वर्ष की आयु के 2.64 करोड़ किशोर अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त थे।
  - ✓ 11–17 वर्ष की आयु के लगभग 74% किशोर शारीरिक गतिविधि के अनुशंसित स्तर को पूरा नहीं करते हैं। यह निष्क्रिय जीवनशैली को एक महत्त्वपूर्ण चिंता के रूप में रेखांकित करता है।
- **भारत की पहल**
  - ✓ **ऑयल बोर्ड:** केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अत्यधिक तेल और उच्च वसा वाले खाद्य पदार्थों के सेवन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विद्यालयों के सार्वजनिक स्थानों पर "ऑयल बोर्ड" लगाने का निर्देश दिया।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 24 02-11-2026 17:53:38

- ✓ **शुगर बोर्ड:** CBSE ने अत्यधिक चीनी के सेवन के प्रति जागरूकता पैदा करने और स्वस्थ खान-पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों में "शुगर बोर्ड" स्थापित करने का निर्देश दिया।
- ✓ **ईट राइट स्कूल कार्यक्रम:** भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) जागरूकता तथा अनुभवात्मक शिक्षण गतिविधियों के माध्यम से स्कूली बच्चों में सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ खान-पान की आदतों को बढ़ावा देता है।
- ✓ **जंक फूड का विनियमन**: FSSAI विद्यालयों में तथा विद्यालयों के प्रवेश द्वारों से 50 मीटर के दायरे में वसा, नमक और चीनी की अधिक मात्रा वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री और विपणन पर प्रतिबंध लगाता है।
- ✓ **लेट्स फिक्स आवर फूड कंसोर्टियम**: भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद–राष्ट्रीय पोषण संस्थान (ICMR-NIN) के नेतृत्व वाले इस संघ ने वर्ष 2026 का रोडमैप जारी किया, जिसमें पैकेट के सामने पोषण संबंधी लेबलिंग, विद्यालयों में अधिक स्वस्थ भोजन, विपणन पर प्रतिबंध, राजकोषीय उपाय और पोषण साक्षरता शामिल हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों की प्रमुख सिफारिशें

- **जीवनशैली संबंधी हस्तक्षेप**: विश्व स्वास्थ्य संगठन मोटापे के प्रबंधन की आधारशिला के रूप में संरचित जीवनशैली संबंधी हस्तक्षेपों को महत्त्व देता है।
  - ✓ इनमें स्वस्थ आहार संबंधी हस्तक्षेप, शारीरिक गतिविधि और व्यवहार परिवर्तन संबंधी हस्तक्षेप शामिल हैं।
  - ✓ दिशा-निर्देश बहुआयामी हस्तक्षेपों का समर्थन करते हैं, जिनमें किसी एक हस्तक्षेप पर निर्भर रहने के बजाय विभिन्न दृष्टिकोणों को एक साथ अपनाया जाता है।
  - ✓ इसका उद्देश्य केवल वजन घटाने के बजाय स्वास्थ्य, कार्यक्षमता और कल्याण में सुधार करना है।
- **डिजिटल स्वास्थ्य**: शारीरिक गतिविधि और व्यवहार परिवर्तन में सहायता के लिए डिजिटल स्वास्थ्य संबंधी हस्तक्षेपों की सशर्त अनुशंसा की गई है। इनके उपयोग के दौरान माता-पिता या देखभालकर्ता का उचित पर्यवेक्षण आवश्यक है।
- **दवाएँ**: विश्व स्वास्थ्य संगठन 0–9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए औषधीय उपचार की अनुशंसा नहीं करता।
  - ✓ 10–19 वर्ष के किशोरों के लिए, यदि पर्यवेक्षण में संचालित बहुआयामी जीवनशैली कार्यक्रम से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, तो स्वीकृत दवाओं पर विचार किया जा सकता है।
  - ✓ विश्व स्वास्थ्य संगठन यह भी रेखांकित करता है कि बच्चों और किशोरों में मोटापे की कुछ नई दवाओं की दीर्घकालिक सुरक्षा और प्रभावशीलता के संबंध में साक्ष्य अभी सीमित हैं।
- **बेरियाट्रिक सर्जरी**: 0–9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बेरियाट्रिक सर्जरी की अनुशंसा नहीं की गई है। गंभीर मोटापे से ग्रस्त किशोरों के लिए कड़ी शर्तों के अधीन इस पर विचार किया जा सकता है।
- **वजन-प्रबंधन उपकरण**: विश्व स्वास्थ्य संगठन 0–9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए वजन-प्रबंधन उपकरणों की अनुशंसा नहीं करता। छोटे बच्चों में मोटापे के प्रबंधन के लिए जीवनशैली-आधारित हस्तक्षेपों को ही केंद्र में रखा गया है।

3.6. वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2026 (Global Hunger Index 2026)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-1: *महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन।*
सामान्य अध्ययन-2: *केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का निष्पादन।]*

संदर्भ

वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2026 में भारत 145 अर्थव्यवस्थाओं में 131वें स्थान पर बना रहा, जहाँ उसने अपने लैंगिक अंतराल का 64.5% समाप्त किया। 2025 की तुलना में भारत के स्कोर में मामूली सुधार हुआ, लेकिन उसकी वैश्विक रैंक अपरिवर्तित रही।

वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के बारे में

- **सूचकांक के बारे में: विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा 2006 में** शुरू किया गया यह सूचकांक चार आयामों में लैंगिक समानता का आकलन करता है:
  - ✓ **आर्थिक भागीदारी और अवसर**
  - ✓ **शैक्षिक उपलब्धि**
  - ✓ **स्वास्थ्य और उत्तरजीविता**
  - ✓ **राजनीतिक सशक्तीकरण**
- **20वाँ संस्करण:** 2026 संस्करण में **145 अर्थव्यवस्थाएँ** शामिल हैं। इसमें **97 अर्थव्यवस्थाओं** का एक स्थिर नमूना भी शामिल है, जिनका 2006 से प्रत्येक संस्करण में आकलन किया गया है। इससे दो दशकों की प्रगति का आकलन संभव होता है।
- **मापन:** प्रत्येक संकेतक को **0–1 समानता पैमाने** पर व्यक्त किया जाता है, जहाँ 1 पूर्ण समानता को दर्शाता है। स्कोर को **समाप्त किए गए लैंगिक अंतराल के प्रतिशत** के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। यह सूचकांक विकास या कल्याण के निरपेक्ष स्तरों के बजाय महिलाओं और पुरुषों के बीच सापेक्ष समानता को मापता है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 25 02-11-2026 17:53:38

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

वैश्विक प्रदर्शन

- **समग्र प्रगति:** 2026 में वैश्विक लैंगिक अंतराल का **69.2% समाप्त** हो चुका है। **2025 और 2026 दोनों में शामिल 143 अर्थव्यवस्थाओं** में यह अंतर **0.4 प्रतिशत अंक** कम हुआ। 97 अर्थव्यवस्थाओं का स्थिर नमूना **69.4%** तक पहुँच गया, जो **2006 के 64.2% से 5.2 प्रतिशत अंक अधिक** है।
- **समानता प्राप्त करने में लगने वाला समय:** किसी भी अर्थव्यवस्था ने पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त नहीं की है। प्रगति की वर्तमान वैश्विक दर के अनुसार पूर्ण समानता अभी भी लगभग **120 वर्ष दूर** होने का अनुमान है।
- **आयामवार अंतराल: शैक्षिक उपलब्धि (96.9%)** और **स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता (96.2%)** समानता के सबसे निकट हैं, जबकि **आर्थिक भागीदारी और अवसर (61.7%)** तथा **राजनीतिक सशक्तीकरण (22.1%)** में बड़े अंतराल बने हुए हैं। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर शिक्षा में सबसे अधिक सुधार दर्ज किया गया, जबकि राजनीतिक सशक्तीकरण में गिरावट आई।
- **शीर्ष प्रदर्शनकर्ता: आइसलैंड (93%)** ने लगातार **17वें वर्ष** शीर्ष स्थान बनाए रखा। इसके बाद **फिनलैंड (87.2%)** और **नॉर्वे (85.7%)** रहे। **नामीबिया (84.5%)** उप-सहारा अफ्रीका की सर्वोच्च रैंक वाली अर्थव्यवस्था है, जबकि **ऑस्ट्रेलिया (81.9%)** पहली बार शीर्ष 10 में शामिल हुआ।
- **नेतृत्व और उभरती अर्थव्यवस्था:** WEF द्वारा उद्धृत LinkedIn के आँकड़ों के अनुसार, 2026 में महिलाओं का कार्यबल में प्रतिनिधित्व बढ़कर **41.8%** हो गया, जबकि वरिष्ठ नेतृत्व में यह **29.6%** है। प्रवेश स्तर पर उनका प्रतिनिधित्व **46% से घटकर C-suite स्तर पर 23%** रह जाता है। वहीं, AI मूल्य शृंखला में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी कम है।

भारत का प्रदर्शन

- **समग्र:** भारत ने **64.5%** स्कोर किया और **131वाँ** स्थान प्राप्त किया। यह **2006 से 4.3 प्रतिशत अंक का सुधार** दर्शाता है, जो मुख्य रूप से शैक्षिक उपलब्धि के कारण हुआ। भारत **दक्षिण एशिया की सात अर्थव्यवस्थाओं में छठे स्थान** पर है और वैश्विक स्तर पर केवल 14 अर्थव्यवस्थाएँ उससे नीचे हैं।
- **आर्थिक भागीदारी और अवसर – 41.2%:** भारत के स्कोर में 2025 की तुलना में **0.5 प्रतिशत अंक** का सुधार हुआ, लेकिन यह अभी भी **2013 के 44.6% के सर्वोच्च स्तर से 3.5 अंक नीचे** है। इस उप-सूचकांक में 20 वर्षों के दौरान भारत का समग्र सुधार केवल **1.5 अंक** रहा है। पेशेवर और तकनीकी कर्मियों में समानता **2006 के 26.6% से बढ़कर 2026 में 49.9%** हो गई, जबकि श्रम बल भागीदारी में समानता **44.1%** और विधायकों, वरिष्ठ अधिकारियों तथा प्रबंधकों में समानता **13.1%** है।
- **शैक्षिक उपलब्धि – 96.6%:** भारत ने **माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा में नामांकन में पूर्ण समानता** तथा प्राथमिक नामांकन में लगभग समानता बनाए रखी है। हालांकि, वयस्क साक्षरता में समानता **82.5%** है और समग्र शिक्षा स्कोर पिछले संस्करण की तुलना में **0.5 प्रतिशत अंक** घटा है।
- **स्वास्थ्य और उत्तरजीविता – 95.6%:** भारत ने पिछले संस्करण की तुलना में अपने स्कोर में सुधार किया। हालांकि, **जन्म के समय लिंगानुपात अभी भी 2006 के समानता स्तर से लगभग एक प्रतिशत अंक नीचे** है।
- **राजनीतिक सशक्तीकरण – 24.5%:** भारत का यह सर्वोच्च रैंक वाला उप-सूचकांक है, जिसमें वह **वैश्विक स्तर पर 67वें स्थान** पर है। हालांकि, 2006 से इसका समग्र सुधार केवल **1.8 प्रतिशत अंक** है। संसदीय समानता **16.1%** है, जबकि मंत्रिस्तरीय समानता **5.9%** है। राष्ट्राध्यक्ष संबंधी संकेतक **2021 के 72.3% से घटकर 2026 में 40.7%** हो गया है।

भारत में लैंगिक अंतराल को कम करने के लिए की गई पहलें

- **लैंगिक उत्तरदायी बजटिंग: लैंगिक बजट विवरण**, जिसे 2005–06 में शुरू किया गया था, सार्वजनिक व्यय में लैंगिक पहलुओं को समाहित करता है। वित्त वर्ष 2026–27 में इसके अंतर्गत **₹5.01 लाख करोड़**, अर्थात **केंद्रीय बजट का 9.37%**, दर्ज किया गया।
- **शिक्षा: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ** और **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय** बालिकाओं की शिक्षा, विद्यालय में निरंतरता और सशक्तीकरण को समर्थन देते हैं।
- **आर्थिक सशक्तीकरण: DAY-NRLM के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह, MUDRA और कौशल-विकास संबंधी हस्तक्षेप** महिलाओं की आजीविका, वित्तीय पहुँच, उद्यमिता और रोजगार को समर्थन देते हैं।
- **सुरक्षा और सशक्तीकरण: मिशन शक्ति संबल और सामर्थ्य** के माध्यम से वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, PMMVY, पालना क्रेच और शक्ति सदन जैसी पहलों को एक साथ लाता है।
- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व: नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023** में **लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों के आरक्षण** का प्रावधान है, जिसमें SC/ST के लिए आरक्षित सीटों का भी एक-तिहाई हिस्सा शामिल है। इसका कार्यान्वयन जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 26 02-11-2026 17:53:38

बनी हुई चुनौतियाँ/सीमाएँ

- **शिक्षा–रोजगार के बीच अंतर:** शैक्षिक उपलब्धि में लगभग समानता आर्थिक भागीदारी के समान स्तर में परिवर्तित नहीं हुई है। भारत का आर्थिक भागीदारी और अवसर स्कोर अभी भी केवल **41.2%** है।
- **नेतृत्व अंतराल:** पेशेवर और तकनीकी प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, लेकिन **विधायकों, वरिष्ठ अधिकारियों और प्रबंधकों में समानता 13.1%** पर बनी हुई है, जो वरिष्ठ पदों तक सीमित प्रगति को दर्शाती है।
- **देखभाल और कार्यस्थल संबंधी बाधाएँ:** अवैतनिक देखभाल संबंधी जिम्मेदारियाँ, अपर्याप्त बाल देखभाल सुविधाएँ, आवागमन संबंधी बाधाएँ और कार्यस्थल सुरक्षा से जुड़ी चिंताएँ महिलाओं के वेतनभोगी रोजगार में प्रवेश, निरंतरता और प्रगति को सीमित कर सकती हैं।
- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व:** राजनीतिक सशक्तीकरण **24.5%** के निम्न स्तर पर बना हुआ है, जबकि संसदीय और मंत्रिस्तरीय समानता क्रमशः केवल **16.1% और 5.9%** है।
- **उभरती प्रौद्योगिकी संबंधी अंतराल:** वैश्विक स्तर पर नेतृत्व की विभिन्न सीढ़ियों पर आगे बढ़ने के साथ महिलाओं का प्रतिनिधित्व तेजी से घटता है, जबकि AI-संबंधित भूमिकाओं में उनका प्रतिनिधित्व कम बना हुआ है। इससे यह जोखिम पैदा होता है कि उभरते क्षेत्रों में मौजूदा लैंगिक असमानताएँ बनी रहेंगी।
- **सूचकांक की सीमाएँ:** यह सूचकांक **सापेक्ष लैंगिक समानता** को मापता है, न कि निरपेक्ष कल्याण या विकास को। आँकड़ों की उपलब्धता, पद्धतिगत कवरेज और समय-अंतराल के कारण रैंकिंग की व्याख्या राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संदर्भों में की जानी चाहिए।

आगे की राह

- **शिक्षा और रोजगार के बीच अंतर को कम करना:** बालिकाओं की शिक्षा में हुई प्रगति को महिलाओं की अधिक कार्यबल भागीदारी, उद्यमिता और करियर प्रगति में परिवर्तित करना।
- **देखभाल और आवागमन संबंधी बाधाओं को कम करना:** निरंतर रोजगार को समर्थन देने के लिए किफायती बाल देखभाल, सुरक्षित परिवहन, कार्यस्थल अवसंरचना और लचीली कार्य व्यवस्थाओं का विस्तार करना।
- **नेतृत्व की पाइपलाइन को सुदृढ़ करना:** नेतृत्व के अवसरों और संस्थागत समर्थन के माध्यम से राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक संस्थानों में वरिष्ठ पदों तक महिलाओं की प्रगति में सुधार करना।
- **भविष्य की नौकरियों के लिए तैयारी: STEM, डिजिटल प्रौद्योगिकियों और AI** में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, ताकि उभरते क्षेत्र मौजूदा व्यावसायिक असमानताओं को पुनः उत्पन्न न करें।
- **परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना:** केवल नामांकन या व्यय पर निर्भर रहने के बजाय **रोजगार, आय, सुरक्षा और निर्णय-निर्माण** से संबंधित लैंगिक-विभाजित आँकड़ों, लैंगिक बजटिंग और परिणाम-आधारित निगरानी को सुदृढ़ करना।

3.7. जेंडर स्नैपशॉट 2026 (The Gender Snapshot 2026)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-1: *महिलाओं और महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या एवं उससे संबंधित मुद्दे, गरीबी एवं विकास संबंधी मुद्दे, शहरीकरण, उससे संबंधित समस्याएँ एवं उनके समाधान।*

संदर्भ

यूएन वीमेन और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (UN DESA) द्वारा जारी **जेंडर स्नैपशॉट 2026,** 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में लैंगिक समानता की स्थिति का आकलन करता है। रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक लैंगिक समानता हासिल करने की दिशा में प्रगति अभी भी बहुत धीमी है।

अन्य संबंधित जानकारी

- **वार्षिक आकलन:** जेंडर स्नैपशॉट 2026, यूएन वीमेन और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (UN DESA) द्वारा तैयार की जाने वाली वार्षिक श्रृंखला का नवीनतम संस्करण है।
- **दायरा:** रिपोर्ट में सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों को शामिल किया गया है। इसमें 2030 एजेंडा के तहत लैंगिक समानता से संबंधित प्रगति और कमियों का आकलन करने के लिए उपलब्ध नवीनतम आँकड़ों का उपयोग किया गया है।
- **SDG 5 ट्रैकर:** इसमें सतत विकास लक्ष्य 5 के अंतर्गत 9 लक्ष्यों और 18 संकेतकों/उप-संकेतकों का अलग से आकलन किया गया है। इसमें उपलब्धि के वर्तमान स्तर के साथ-साथ प्रगति की गति को भी शामिल किया गया है।
- **प्रमुख निष्कर्ष:** वर्तमान गति से लैंगिक समानता से संबंधित SDG 5 को हासिल करने में 171 वर्ष लगेंगे, जबकि वर्तमान में SDG 5 का एक भी लक्ष्य निर्धारित समयसीमा के अनुरूप प्रगति के पथ पर नहीं है।
  - ✓ रिपोर्ट महिलाओं के नेतृत्व और निर्णय-निर्माण को SDG 5 तथा अन्य लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को तेज करने वाला **केंद्रीय कारक** मानती है।

जेंडर स्नैपशॉट 2026 के प्रमुख निष्कर्ष

- **कानूनी समानता:** वैश्विक स्तर पर महिलाओं को पुरुषों को प्राप्त कानूनी अधिकारों का केवल **64%** ही प्राप्त है, जबकि 131 में से **51% देशों** में

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 27 02-11-2026 17:53:38

अभी भी महत्वपूर्ण कानूनी अंतर मौजूद हैं। हालांकि, 2019–2024 के दौरान 47 देशों में **99 कानूनी सुधार** दर्ज किए गए।

- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व:** 2026 में महिलाओं के पास **राष्ट्रीय संसदों की 27.4% सीटें** थीं, जबकि 2025 में स्थानीय सरकारों में महिलाओं की हिस्सेदारी **35.6%** थी। मंत्रिमंडल में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल **22.4%** थी, जबकि संसद के अध्यक्ष पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी **19.9%** थी।
- **हिंसा और हानिकारक प्रथाएँ:** 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की लगभग **हर 3 में से 1 महिला** ने अपने जीवनकाल में साथी या यौन हिंसा का अनुभव किया है; लगभग **हर 5 में से 1 लड़की** का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हो जाता है, और अनुमानतः **23 करोड़ महिलाएँ एवं लड़कियाँ** महिला जननांग विकृति (FGM) से प्रभावित हैं।
- **देखभाल और प्रजनन अधिकार:** महिलाएँ और लड़कियाँ पुरुषों की तुलना में अवैतनिक घरेलू एवं देखभाल संबंधी कार्यों में **2.5 गुना अधिक घंटे** बिताती हैं, जबकि 15–49 वर्ष की विवाहित/साथी के साथ रहने वाली महिलाओं में केवल **56.3%** को अपने यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों के संबंध में पूर्ण निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है।
- **आर्थिक असमानता:** 2024 में **9.9% महिलाएँ** अत्यधिक गरीबी में जीवन जी रही थीं, जबकि पुरुषों में यह अनुपात **9.5%** था। आर्थिक मंत्रालयों/विभागों से संबंधित मंत्री पदों में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल **19%** थी, जबकि महिला श्रम-बल भागीदारी दर **63.9%** थी, जो पुरुषों की **92%** की तुलना में कम है।
- **नेतृत्व और प्रौद्योगिकी:** 62 देशों/क्षेत्रों के लगभग 9,600 निदेशक मंडलों में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल **5.8% CEO पदों और 25.1% बोर्ड सीटों** पर थी। वैश्विक स्तर पर शोधकर्ताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी **31.4%** थी और AI पेशेवरों में लगभग **22%**, जबकि वरिष्ठ AI नेतृत्व पदों पर उनकी हिस्सेदारी **14% से भी कम** थी।
- **जलवायु, संघर्ष और समावेशन:** लगभग **2.9 अरब महिलाएँ और लड़कियाँ** ऐसे देशों में रहती थीं, जो जलवायु परिवर्तन या भू-भौतिकीय खतरों के प्रति उच्च या अत्यधिक उच्च स्तर पर संवेदनशील थे। 2025 में लगभग **10 में से 8 शांति प्रक्रियाओं** में महिला वार्ताकार या मध्यस्थ शामिल नहीं थीं। दिव्यांग महिलाओं की रोजगार दर केवल **23%** थी, जबकि गैर-दिव्यांग महिलाओं के लिए यह **46%** थी।
- **वित्तपोषण:** लैंगिक समानता के उद्देश्यों से संबंधित **द्विपक्षीय आवंटन योग्य सहायता** में 2023 और 2024 के बीच **13% की कमी** आई, जबकि महिला अधिकार संगठनों के लिए वित्तपोषण में **28% की गिरावट** दर्ज की गई।

लैंगिक समानता की प्रगति क्यों ठहर गई है?

- **संरचनात्मक बाधाएँ:** भेदभावपूर्ण कानून और सामाजिक मानदंड, अवैतनिक देखभाल कार्य का बोझ तथा भूमि, प्रौद्योगिकी और आर्थिक अवसरों तक असमान पहुँच महिलाओं की भागीदारी को लगातार सीमित कर रहे हैं।
- **कमजोर होती संस्थाएँ:** सर्वेक्षण में शामिल लैंगिक समानता से संबंधित तंत्रों में से एक-तिहाई ने संस्थागत शक्ति में कमी की सूचना दी; **23%** ने संचालन बजट में कमी और **9%** ने स्वायत्त बजट समाप्त होने की सूचना दी।
- **राजनीतिक भागीदारी में बाधाएँ:** महिलाओं को वित्तीय बाधाओं, संस्थागत पक्षपात और सार्वजनिक जीवन में हिंसा का सामना करना पड़ता है। 13 देशों में **10 में से 8 महिला संसदीय उम्मीदवारों** ने चुनाव अभियानों के दौरान मनोवैज्ञानिक, यौन, आर्थिक और/या शारीरिक हिंसा का अनुभव किया।
- **सिकुड़ता नागरिक क्षेत्र और नए जोखिम:** वित्तपोषण में कटौती, संघर्ष, जलवायु संकट और प्रौद्योगिकी-सक्षम हिंसा महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए उपलब्ध नागरिक क्षेत्र और संसाधनों को सीमित कर रहे हैं।

SDGs के लिए निहितार्थ

- **व्यापक प्रभाव:** लैंगिक असमानता गरीबी, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिमापूर्ण कार्य और जलवायु-लचीलेपन की दिशा में प्रगति को बाधित करती है।
- **शासन:** निर्णय-निर्माण में महिलाओं की सीमित उपस्थिति समावेशी भागीदारी और जवाबदेही को कमजोर करती है; रिपोर्ट में महिलाओं के अधिक संसदीय प्रतिनिधित्व और बेहतर शिक्षा परिणामों के बीच संबंध बताया गया है।
- **शांति और लचीलापन:** शांति प्रक्रियाओं से महिलाओं का बहिष्कार समावेशी संघर्ष की रोकथाम, शांति-निर्माण और पुनर्प्राप्ति की संभावनाओं को सीमित करता है।
- **साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण:** कमजोर लैंगिक आँकड़े और घटता वित्तपोषण असमानताओं की पहचान करने, प्रगति पर नज़र रखने और सबसे पीछे रह गए लोगों के लिए संसाधनों को लक्षित करने को कठिन बनाते हैं।

आगे की राह

- **संस्थाओं और कानूनों को मजबूत करना:** लैंगिक समानता से संबंधित तंत्रों को स्पष्ट अधिकार-क्षेत्र, पर्याप्त मानव संसाधन और सुनिश्चित संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ तथा प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से कानूनी कमियों को दूर किया जाए।
- **सार्थक प्रतिनिधित्व का विस्तार:** उचित रूप से तैयार किए गए विशेष उपायों और आरक्षण/कोटा का उपयोग किया जाए तथा राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के सामने आने वाली वित्तीय बाधाओं और हिंसा को कम किया जाए।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 28 02-11-2026 17:53:38

- **लैंगिक-संवेदनशील वित्तपोषण जुटाना:** लैंगिक-संवेदनशील बजट निर्माण का विस्तार किया जाए और अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण में हो रही गिरावट को उलटा जाए, जिसमें महिला संगठनों के लिए लचीला और बहुवर्षीय वित्तीय समर्थन शामिल हो।
- **संरचनात्मक एवं डेटा संबंधी कमियों को दूर करना:** भेदभावपूर्ण सामाजिक मानदंडों में बदलाव लाया जाए, अवैतनिक देखभाल कार्य से जुड़ी असमानताओं को कम किया जाए, हाशिए पर स्थित समूहों का समावेशन बढ़ाया जाए तथा **लिंग-विभाजित और अंतर्संबंधी डेटा प्रणालियों** में निवेश किया जाए।

3.8. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट: 5 करोड़ भारतीय बच्चे स्कूलों में स्वच्छता सुविधा से वंचित (UN Report: 5 Crore Indian Children Lack School Sanitation)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन 2: *स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय।*

संदर्भ

हाल ही में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन–यूनिसेफ संयुक्त निगरानी कार्यक्रम (JMP) की रिपोर्ट, स्कूलों में पेयजल, स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी सेवाओं में प्रगति, 2015–2025, स्कूलों में पेयजल की उपलब्धता के कवरेज के संदर्भ में भारत की प्रगति को रेखांकित करती है, साथ ही स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी सेवाओं में मौजूद महत्वपूर्ण कमियों की ओर भी संकेत करती है।

अन्य संबंधित जानकारी

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन–यूनिसेफ संयुक्त निगरानी कार्यक्रम:** यह वैश्विक स्तर पर पेयजल, स्वच्छता और स्वच्छता (WASH) से संबंधित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय अनुमान उपलब्ध कराता है तथा संबंधित SDG लक्ष्यों की निगरानी करता है।
- JMP **का अद्यतन चक्र: विश्व स्वास्थ्य संगठन–यूनिसेफ संयुक्त निगरानी कार्यक्रम** विषम वर्षों में घरों में WASH तथा सम वर्षों में स्कूलों और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में WASH से संबंधित अनुमानों को अद्यतन करता है।
- यह रिपोर्ट **2025 तक स्कूलों में WASH** से संबंधित देश, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर के अद्यतन अनुमान प्रस्तुत करती है।
- इसमें **अतिरिक्त संकेतकों से संबंधित राष्ट्रीय आँकड़ों** के उदाहरण भी शामिल हैं, जो **2030 के बाद स्कूलों में WASH की उन्नत निगरानी** में सहायता कर सकते हैं।

प्रमुख निष्कर्ष: भारत में स्कूलों में WASH की स्थिति

- **स्वच्छता अभी भी एक प्रमुख चुनौती:** 2025 में लगभग 5 करोड़ भारतीय बच्चों को अपने स्कूलों में स्वच्छता सुविधा उपलब्ध नहीं थी। वैश्विक स्तर पर ऐसे बच्चों की कुल संख्या 24.4 करोड़ थी। स्कूलों में स्वच्छता सेवाओं से वंचित बच्चों की संख्या के मामले में भारत सबसे आगे था, इसके बाद नाइजीरिया (3.4 करोड़), इथियोपिया (2.6 करोड़), कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (1.1 करोड़) और इंडोनेशिया (80 लाख) का स्थान था।
  - ✓ 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन के साथ भारत में बिना स्वच्छता सुविधा वाले स्कूलों की संख्या में 14% की कमी दर्ज की गई। इस मिशन ने स्वच्छता को भारत के विकास एजेंडे के केंद्र में रखा।
- **स्वच्छता संबंधी सेवाओं पर अभी भी ध्यान देने की आवश्यकता:** 2025 में वैश्विक स्तर पर 36.2 करोड़ बच्चे स्कूलों में स्वच्छता संबंधी सेवाओं से वंचित थे। इनमें से लगभग 2 करोड़ बच्चे भारत में थे।
  - ✓ रिपोर्ट में स्वच्छता कवरेज का आकलन करने के लिए हाल के आँकड़ों की उपलब्धता में सीमाओं को भी रेखांकित किया गया है।
  - ✓ भारत तथा मध्य और दक्षिणी एशिया क्षेत्र के लिए हाल के आँकड़ों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण 2024 के बाद के अनुमानों का निर्धारण नहीं किया जा सका।

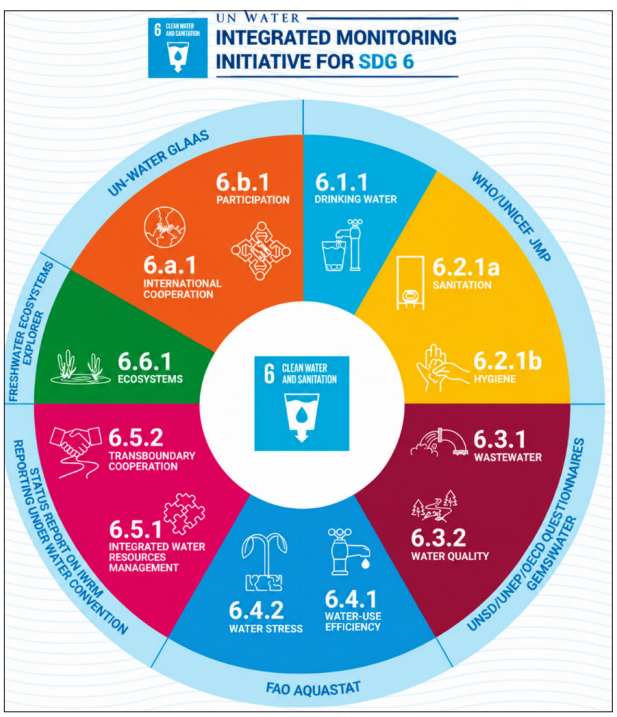

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 29 02-11-2026 17:53:38

- **स्कूलों में पेयजल कवरेज में प्रगति:** भारत ने बुनियादी पेयजल संकेतक के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है। 2025 में वैश्विक स्तर पर 25.8 करोड़ बच्चे स्कूलों में पेयजल सेवाओं से वंचित थे।
  - ✓ इनमें से 1.2 करोड़ बच्चे भारत में थे, जो वैश्विक स्तर पर लगभग हर 20 में से 1 बच्चे के बराबर है।
  - ✓ भारत उन 62 देशों में से 28 देशों में शामिल है, जो 2030 तक स्कूलों में बुनियादी पेयजल की सार्वभौमिक उपलब्धता हासिल करने की दिशा में निर्धारित मार्ग पर हैं।
  - ✓ आकलन की गई अवधि के दौरान भारत में बुनियादी पेयजल कवरेज में प्रति वर्ष 4% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई।
  - ✓ पनामा, सीरियाई अरब गणराज्य, टोगो और तुवालु में भी प्रति वर्ष 4% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई।

स्कूलों में WASH पर वैश्विक प्रगति

- **स्कूलों में पेयजल:** 142 देशों और सभी SDG क्षेत्रों के लिए बुनियादी पेयजल सेवाओं के अनुमान उपलब्ध थे। वैश्विक स्तर पर 78% स्कूलों में बुनियादी पेयजल सेवाएँ, 9% में सीमित सेवाएँ और 13% में कोई सेवा उपलब्ध नहीं थी।
  - ✓ 42.9 करोड़ स्कूली आयु के बच्चे बुनियादी पेयजल सेवा से वंचित थे, जिनमें 25.8 करोड़ बच्चे ऐसे थे जिनके स्कूलों में बिल्कुल भी पेयजल सेवा उपलब्ध नहीं थी।
  - ✓ 2030 तक सार्वभौमिक पहुँच (>99%) हासिल करने के लिए वर्तमान प्रगति दर में चार गुना वृद्धि आवश्यक है।
- **स्कूलों में स्वच्छता:** 146 देशों और सभी SDG क्षेत्रों के लिए बुनियादी स्वच्छता सेवाओं के अनुमान उपलब्ध थे। वैश्विक स्तर पर 77% स्कूलों में बुनियादी स्वच्छता सेवाएँ, 11% में सीमित सेवाएँ और 12% में कोई सेवा उपलब्ध नहीं थी।
  - ✓ 2030 तक सार्वभौमिक पहुँच हासिल करने के लिए वर्तमान प्रगति दर में पाँच गुना वृद्धि आवश्यक है।
- **स्कूलों में स्वच्छता एवं व्यक्तिगत स्वच्छता:** 136 देशों और सभी SDG क्षेत्रों के लिए बुनियादी स्वच्छता एवं व्यक्तिगत स्वच्छता सेवाओं के अनुमान उपलब्ध थे। वैश्विक स्तर पर 72% स्कूलों में बुनियादी स्वच्छता एवं व्यक्तिगत स्वच्छता सेवाएँ, 9% में सीमित सेवाएँ और 18% में कोई सेवा उपलब्ध नहीं थी।
  - ✓ 54.5 करोड़ स्कूली आयु के बच्चे बुनियादी स्वच्छता एवं व्यक्तिगत स्वच्छता सेवा से वंचित थे, जिनमें 36.2 करोड़ बच्चे ऐसे थे जिनके स्कूलों में बिल्कुल भी स्वच्छता एवं व्यक्तिगत स्वच्छता सेवा उपलब्ध नहीं थी।
  - ✓ 2030 तक सार्वभौमिक पहुँच हासिल करने के लिए वर्तमान प्रगति दर में पाँच गुना वृद्धि आवश्यक है।

JMP की कार्यप्रणाली

वर्ष	महत्वपूर्ण विकास
1990	जल आपूर्ति, स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता (WASH) के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) का संयुक्त निगरानी कार्यक्रम (JMP) शुरू किया गया। यह घरों में पेयजल, स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता (WASH) की वैश्विक निगरानी के लिए मानदंड और मानक विकसित करने में महत्वपूर्ण रहा है।
2015	सतत विकास लक्ष्य (SDG) के लक्ष्यों पर सहमति बनने के बाद, JMP की वैश्विक निगरानी के दायरे का विस्तार करके इसमें स्कूलों में WASH तथा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में WASH को शामिल किया गया।
2016	JMP ने स्कूलों में WASH की निगरानी के लिए मुख्य प्रश्न और संकेतक विकसित करने हेतु एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय अनुमानों को तैयार करने के लिए एक पद्धति स्थापित की। इसका उद्देश्य SDG लक्ष्यों 6.1, 6.2 और 4.a की वैश्विक निगरानी में सहायता करना था।
2018–2024	2018: JMP ने एक वैश्विक आधाररेखा रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें समरूपीकृत राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक अनुमान शामिल थे। इसके बाद 2020, 2022 और 2024 में प्रगति संबंधी अद्यतन जारी किए गए। यह पद्धति घरों में WASH की निगरानी के लिए स्थापित विधियों पर आधारित है और समय के साथ इसे लगातार परिष्कृत किया जाता रहेगा।

3.9. वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2026 (Global Hunger Index 2026)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *गरीबी एवं भुखमरी से संबंधित मुद्दे; स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय।*

संदर्भ

'खाद्य सुरक्षा के बिना कोई सुरक्षा नहीं' विषय के अंतर्गत जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) 2026 में 122 देशों में भारत 100वें स्थान पर है। भारत का 24.1 का स्कोर देश में भुखमरी की गंभीर स्थिति को दर्शाता है।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) के बारे में

- **उद्देश्य एवं प्रकाशक:** GHI एक वार्षिक, समकक्ष-समीक्षित (Peer-reviewed) प्रकाशन है, जो वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भुखमरी का मापन एवं निगरानी करता है। इसे संयुक्त रूप से वेल्टहंगरहिल्फे (WHH), इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट (IFHV) तथा हेल्वेटास (Helvetas) द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 30 02-11-2026 17:53:38

- **चार संकेतक:** यह सूचकांक अल्पपोषण, बाल अवरुद्ध विकास, बाल दुबलापन और पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को सम्मिलित करता है।
- **स्कोरिंग:** GHI में 0–100 के पैमाने का उपयोग किया जाता है, जहाँ 0 का अर्थ भुखमरी का न होना और 100 का अर्थ भुखमरी की सबसे गंभीर संभावित स्थिति है। इसकी पाँच गंभीरता श्रेणियाँ हैं—निम्न, मध्यम, गंभीर, चिंताजनक और अत्यंत चिंताजनक।

FIGURE A.1 Composition of GHI scores and severity designations

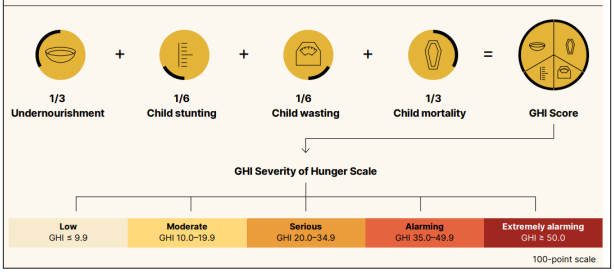

वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) 2026 के प्रमुख निष्कर्ष

वैश्विक एवं क्षेत्रीय निष्कर्ष

- **वैश्विक भुखमरी में वृद्धि:** वैश्विक GHI स्कोर वर्ष 2018 के 17.6 से बढ़कर वर्ष 2026 में 18.1 हो गया है, जिससे वर्ष 2000 के बाद दर्ज की गई गिरावट का रुझान बाधित हुआ है। रिपोर्ट में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पर परस्पर प्रभाव डालने वाले संघर्षों, जलवायु की चरम घटनाओं और आर्थिक झटकों के प्रभावों का विश्लेषण किया गया है।
- **उप-सहारा अफ्रीका में भुखमरी का स्तर सबसे अधिक:** आकलन किए गए क्षेत्रों में उप-सहारा अफ्रीका का GHI स्कोर 27.5 सर्वाधिक है। इसके बाद दक्षिण एशिया 23.5 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। दोनों क्षेत्र गंभीर श्रेणी में आते हैं।
- **सबसे गंभीर भुखमरी का सामना करने वाले देश:** वर्ष 2026 की रिपोर्ट में सोमालिया का GHI स्कोर सर्वाधिक है। इसके बाद कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, चाड और मेडागास्कर का स्थान है। आठ देशों में भुखमरी का स्तर चिंताजनक है, जबकि 36 देशों को गंभीर श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
- **प्रगति में असमानता:** वर्ष 2018 की तुलना में उप-सहारा अफ्रीका तथा पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में GHI स्कोर बढ़ा, यूरोप और मध्य एशिया में अपरिवर्तित रहा, जबकि लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन तथा पूर्वी एवं दक्षिण-पूर्वी एशिया में इसमें एक अंक से कम की गिरावट दर्ज की गई।
- **खाद्य सुरक्षा एवं व्यापक स्थिरता:** रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि संघर्ष, खाद्य एवं उर्वरक बाजारों में व्यवधान, जलवायु संबंधी झटके और आर्थिक दबाव खाद्य सुरक्षा को कमजोर कर सकते हैं। इसमें सुदृढ़ खाद्य प्रणालियों, सुरक्षित आजीविका, सामाजिक सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन तथा जल जैसे आवश्यक संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया है।

भारत का प्रदर्शन

- **समग्र प्रदर्शन:** भारत ने 24.1 स्कोर प्राप्त किया और 122 देशों में 100वाँ स्थान हासिल किया। इस प्रकार, भारत गंभीर भुखमरी की श्रेणी में आता है। इथियोपिया की रैंक और स्कोर भी समान हैं।
- **घटक संकेतक:** भारत में अल्पपोषण की दर 9.8%, बाल अवरुद्ध विकास की दर 29.3%, बाल दुबलेपन की दर 19.0% तथा पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 2.7% है।
- **बाल पोषण में प्रगति:** बाल अवरुद्ध विकास की दर वर्ष 2000 के 50.0% से घटकर वर्ष 2026 में 29.3% हो गई, अर्थात् इसमें 20.7 प्रतिशत अंकों की कमी आई। भारत का GHI स्कोर भी वर्ष 2018 के 25.8 से सुधरकर वर्ष 2026 में 24.1 हो गया।
- **मिश्रित प्रगति:** अल्पपोषण और बाल अवरुद्ध विकास में सुधार के बावजूद, बाल दुबलेपन की दर 19.0% पर उच्च बनी हुई है, जो दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है। बाल अवरुद्ध विकास की स्थिति अत्यधिक उच्च श्रेणी से घटकर उच्च श्रेणी में आ गई है।
- **क्षेत्रीय तुलना:** भारत का प्रदर्शन श्रीलंका (53वाँ स्थान; 10.2 स्कोर), नेपाल (72वाँ स्थान; 14.5 स्कोर) और बांग्लादेश (84वाँ स्थान; 19.2 स्कोर) की तुलना में खराब है, लेकिन पाकिस्तान (106वाँ स्थान; 25.5 स्कोर) और अफगानिस्तान (108वाँ स्थान; 28.6 स्कोर) से बेहतर है।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक के संकेतक

- **अल्पपोषण (Undernourishment):** जनसंख्या का वह अनुपात, जिसकी कैलोरी की आवश्यकता पर्याप्त रूप से पूरी नहीं होती है।
- **बाल अवरुद्ध विकास/बाल बौनापन (Child Stunting):** पाँच वर्ष से कम आयु के उन बच्चों का अनुपात, जिनकी आयु के अनुसार लंबाई कम होती है। यह दीर्घकालिक अल्पपोषण को दर्शाता है।
- **बाल दुबलापन (Child Wasting):** पाँच वर्ष से कम आयु के उन बच्चों का अनुपात, जिनकी लंबाई के अनुसार वजन कम होता है। यह तीव्र अल्पपोषण को दर्शाता है।
- **बाल मृत्यु दर (Child Mortality):** पाँच वर्ष की आयु पूरी करने से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात। यह आंशिक रूप से अपर्याप्त पोषण और अस्वास्थ्यकर वातावरण के घातक प्रभावों को दर्शाता है।

भारत के लिए प्रमुख चिंताएँ

- **बाल अल्पपोषण की निरंतर समस्या:** समग्र GHI स्कोर में सुधार के बावजूद, बच्चों में दुबलेपन और अवरुद्ध विकास की उच्च दर एक प्रमुख चिंता बनी हुई है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 31 02-11-2026 17:53:39

- **असमान प्रगति:** अल्पपोषण में कमी और बाल दुबलेपन में वृद्धि के बीच का अंतर दर्शाता है कि खाद्य पदार्थों तक पहुँच में सुधार होने से पोषण संबंधी परिणामों में स्वतः सुधार नहीं होता है।
- **बहुआयामी निर्धारक:** भुखमरी विभिन्न एवं किफायती आहार की उपलब्धता, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और सुरक्षित आजीविका जैसे कारकों से प्रभावित होती है।
- **बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशीलता:** रिपोर्ट में जलवायु की चरम घटनाओं, खाद्य कीमतों पर दबाव और खाद्य प्रणालियों में व्यवधान से उत्पन्न जोखिमों को रेखांकित किया गया है। इनमें वर्ष 2026 में भारत के मानसून के मुख्य क्षेत्र (Monsoon Core Zone) में सामान्य से कम वर्षा की संभावना भी शामिल है।

भुखमरी एवं कुपोषण से निपटने के लिए सरकारी पहल

- **मिशन सक्षम आँगनवाड़ी एवं पोषण 2.0:** बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पूरक पोषण एवं एकीकृत आँगनवाड़ी सेवाएँ प्रदान करता है। इसके साथ ही पोषण शिक्षा और व्यवहार परिवर्तन संबंधी हस्तक्षेप भी किए जाते हैं।
- **पीएम पोषण (PM POSHAN):** पोषण स्तर में सुधार करने तथा विद्यालयों में उपस्थिति और बच्चों को विद्यालय में बनाए रखने को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पात्र बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराता है।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013:** खाद्य सुरक्षा के लिए अधिकार-आधारित ढाँचा स्थापित करता है। इसके अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पात्र परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न तथा निर्धारित योजनाओं के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान की जाती है।
- **एनीमिया मुक्त भारत:** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आयरन एवं फोलिक एसिड की पूरक खुराक, सामुदायिक पहुँच और निगरानी के माध्यम से एनीमिया की समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है।

आगे की राह

- **मातृ एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था के पोषण को प्राथमिकता:** मातृ पोषण, स्तनपान, अनुपूरक आहार, वृद्धि की निगरानी तथा अल्पपोषण की शीघ्र पहचान करना।
- **योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अभिसरण में सुधार:** पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और खाद्य सुरक्षा संबंधी हस्तक्षेपों के बीच समन्वय स्थापित करना। इसके साथ ही समयबद्ध निगरानी और संवेदनशील समूहों के लिए लक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- **अंतर्निहित निर्धारकों का समाधान:** विविध एवं किफायती आहार, स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुँच में सुधार करना।
- **सुदृढ़ खाद्य प्रणालियों का निर्माण:** आर्थिक एवं पर्यावरणीय झटकों से संवेदनशील परिवारों की रक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित आजीविका और जलवायु अनुकूलन उपायों को बढ़ावा देना।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 32 02-11-2026 17:53:39



4.1. भारत- न्यूज़ीलैण्ड मुक्त व्यापार समझौते (India-New Zealand FTA)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *भारत से संबंधित और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा करार।*

सामान्य अध्ययन-3: *अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर उनके प्रभाव।*

संदर्भ

भारत और न्यूज़ीलैंड ने अप्रैल 2026 में हस्ताक्षरित अपने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का अनुमोदन कर दिया है, जो 20 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा।

अन्य संबंधित जानकारी

- न्यूज़ीलैंड की संसद ने 16 सितंबर 2026 को कार्यान्वयन संबंधी कानून पारित किया, जिससे दोनों देशों द्वारा समझौते के प्रभावी होने की तारीख की घोषणा से पहले आवश्यक प्रमुख घरेलू प्रक्रिया पूरी हो गई।
- भारत–न्यूज़ीलैंड FTA, पिछले साढ़े तीन वर्षों में भारत द्वारा संपन्न सातवाँ FTA है। इससे पहले दिसंबर 2025 में ओमान के साथ FTA संपन्न किया गया था।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2026 में न्यूज़ीलैंड यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी और 2030 के लिए रोडमैप की घोषणा की। इसमें वस्तुओं और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दोगुना करके 7 अरब न्यूज़ीलैंड डॉलर (लगभग ₹35,000 करोड़) करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य शामिल है।

भारत द्वारा हाल में किए गए मुक्त व्यापार समझौते (FTA)

1. भारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA), 2025
2. भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA), 2025
3. भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (TEPA) - स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन के साथ, 2024
4. भारत-संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA), 2022
5. भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA), 2022
6. भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी (CECPA), 2021

भारत–न्यूज़ीलैंड व्यापार संबंध

- **द्विपक्षीय व्यापार:** मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में, वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार 2.24 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें भारत का निर्यात 1.03 अरब अमेरिकी डॉलर और आयात 1.21 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
- **वस्तु व्यापार:** 2025–26 में वस्तु व्यापार लगभग 1.16 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
  - ✓ वस्तु व्यापार 2015–16 में 855 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024–25 में 1.298 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसमें एक दशक के दौरान भारत के निर्यात में आयात की तुलना में काफी तेज वृद्धि हुई।
- **सेवाएँ:** 2024 में न्यूज़ीलैंड को भारत का सेवा निर्यात 634 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें 13% की वृद्धि हुई। प्रमुख घटकों में यात्रा, आईटी और व्यावसायिक सेवाएँ शामिल थीं।
- **जन-से-जन संबंध:** न्यूज़ीलैंड में भारतीय मूल के लगभग 3,00,000 लोग/अनिवासी भारतीय (NRIs) रहते हैं, जो दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक सेतु प्रदान करते हैं।

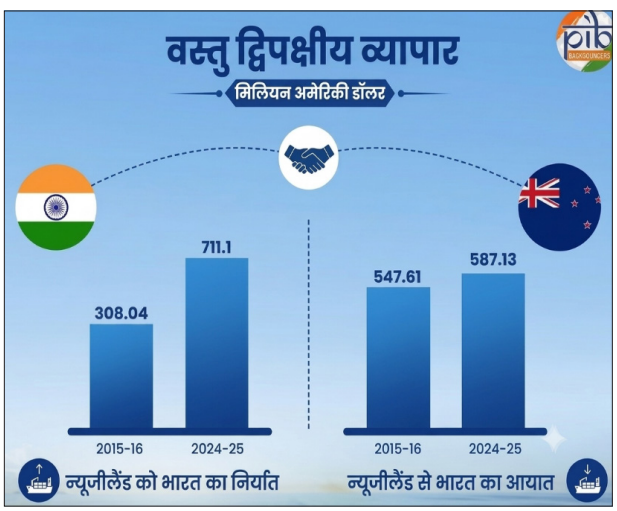

मुक्त व्यापार समझौते के प्रमुख प्रावधान

वस्तुओं का व्यापार

- **100% शुल्क-मुक्त पहुँच:** न्यूज़ीलैंड, समझौते के प्रभावी होने के साथ ही भारतीय निर्यात को कवर करने वाली 100% टैरिफ लाइनों पर

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 33 02-11-2026 17:53:39

शुल्क समाप्त कर देगा। इससे कपड़ा, परिधान, चमड़ा, जूते-चप्पल, इंजीनियरिंग वस्तुओं, फार्मास्यूटिकल्स और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को लाभ होगा।

- **भारत द्वारा संतुलित बाजार पहुँच:** भारत ने 70.03% टैरिफ लाइनों पर रियायतें दी हैं, जो लगभग 95% द्विपक्षीय व्यापार को कवर करती हैं, जबकि डेयरी, कॉफी, प्याज, चीनी, मसाले, रबर और कई अन्य कृषि उत्पादों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को बाहर रखा गया है।
- कुछ चयनित उत्पादों, जैसे सेब, कीवी फल और मैनुका शहद, को टैरिफ-दर कोटा, न्यूनतम आयात मूल्य और अन्य सुरक्षा उपायों के माध्यम से संतुलित बाजार पहुँच प्रदान की गई है।

सेवाएँ और आवाजाही

- न्यूज़ीलैंड ने 118 सेवा क्षेत्रों में प्रतिबद्धताएँ दी हैं, जिसमें लगभग 139 उप-क्षेत्रों में MFN (सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र) का व्यवहार शामिल है।
- समझौते में कुशल भारतीयों के लिए 5,000 वीज़ा वाला TEE मार्ग, प्रतिवर्ष 1,000 वर्किंग हॉलिडे वीज़ा तथा अध्ययन के बाद रोजगार के अवसरों के साथ छात्र आवाजाही में विस्तार का प्रावधान है।

निवेश और विनियामक सहयोग

- न्यूज़ीलैंड 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश को सुगम बनाएगा। इसके प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण, बुनियादी ढाँचा, कृषि और उभरती प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं।
- अमेरिका के FDA जैसे अन्य उन्नत देशों के तुलनीय नियामकों द्वारा जारी निरीक्षण अनुमोदनों को स्वीकार करने से भारतीय फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों के लिए बाजार पहुँच को सुगम बनाने की उम्मीद है।

कृषि और आर्थिक सहयोग

- एक कृषि उत्पादकता साझेदारी, जिसे कार्ययोजनाओं और सेब, कीवी फल तथा शहद के लिए उत्कृष्टता केंद्रों का समर्थन प्राप्त है, बाजार पहुँच को उत्पादकता और प्रौद्योगिकी सहयोग से जोड़ती है।
- FTA में MSMEs, आयुष/पारंपरिक चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, व्यापार सुगमता तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग का भी प्रावधान है।
- **उत्पत्ति के नियम:** FTA में मजबूत मूल के नियमों का ढाँचा स्थापित किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ केवल वास्तविक निर्यातकों को ही प्राप्त हों।

भारत के लिए महत्व

- **निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार:** शून्य-शुल्क पहुँच से भारतीय उत्पादों को होने वाली टैरिफ संबंधी हानि समाप्त होती है और कपड़ा, जूते-चप्पल तथा चमड़ा जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए अधिक अवसर पैदा होते हैं।
- **सेवाओं और कुशल प्रतिभा की आवाजाही का विस्तार:** सेवा संबंधी प्रतिबद्धताएँ, पेशेवर वीज़ा और छात्रों के लिए अवसर भारत के सेवा निर्यात तथा न्यूज़ीलैंड के साथ कुशल मानव पूंजी के संबंधों को मजबूत कर सकते हैं।
- **व्यापार को निवेश से जोड़ना: 20 अरब अमेरिकी डॉलर** की निवेश सुगमता संबंधी प्रतिबद्धता भारत में विनिर्माण, बुनियादी ढाँचे, कृषि और उभरती प्रौद्योगिकियों को समर्थन दे सकती है।
- **हिंद-प्रशांत आर्थिक जुड़ाव को गहरा करना:** यह समझौता बाजार पहुँच को कृषि, प्रौद्योगिकी, पारंपरिक चिकित्सा और सेवाओं में सहयोग के साथ जोड़ता है तथा एक विकसित प्रशांत अर्थव्यवस्था के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करता है।

कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ

- **FTA का प्रभावी उपयोग:** भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से MSMEs, को मूल के नियमों, मानकों और प्रमाणन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए व्यापार वरीयताओं का प्रभावी उपयोग करना होगा।
- **गैर-टैरिफ बाधाएँ:** टैरिफ बाधाएँ हटाए जाने के बाद भी विनियामक और अनुपालन संबंधी आवश्यकताएँ बाजार पहुँच को प्रभावित कर सकती हैं।
- **घरेलू समायोजन:** अधिक आयात पहुँच के लिए संवेदनशील कृषि क्षेत्रों की निरंतर निगरानी और सुरक्षा उपायों के प्रभावी उपयोग की आवश्यकता होगी।
- **निवेश का क्रियान्वयन:** निवेश संबंधी प्रतिबद्धता का प्रभाव वास्तविक परियोजनाओं के वास्तविक रूप से शुरू होने और क्रियान्वित होने पर निर्भर करेगा।

आगे की राह

- समझौते के अधिकतम उपयोग के लिए MSME निर्यात तैयारी, प्रमाणन और मानकों के अनुपालन को मजबूत करना।
- कपड़ा, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, प्रसंस्कृत खाद्य और सेवाओं में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियाँ विकसित करना।
- पूर्वानुमेय व्यापार परिस्थितियों को बनाए रखते हुए संवेदनशील आयात और सुरक्षा उपायों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना।
- दीर्घकालिक आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए मुक्त व्यापार समझौते को निवेश, कृषि, प्रौद्योगिकी, कौशल और नवाचार में व्यापक सहयोग के साथ एकीकृत करना।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 34 02-11-2026 17:53:39

4.2. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III योजना (Green Energy Corridor Phase-III Scheme)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *बुनियादी ढाँचा: ऊर्जा; संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन।*

संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III (GEC-III) को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा पारेषण अवसंरचना को सुदृढ़ करना, ग्रिड के लचीलेपन में सुधार करना तथा भारत की विद्युत प्रणाली में बड़े पैमाने पर स्वच्छ बिजली के एकीकरण को सुगम बनाना है।

अन्य संबंधित जानकारी

- **GEC-III:** इस योजना का कुल परिव्यय ₹1,86,405 करोड़ है। इसका उद्देश्य अंतर-राज्यीय पारेषण को सुदृढ़ करना, 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा के निकासी/पारेषण को सुगम बनाना तथा वित्त वर्ष 2032–33 तक 50 गीगावाट-घंटे (GWh) बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) का परिनियोजन करना है।
- **GEC चरण-I:** इसे आठ राज्यों में लागू किया जा रहा है और इसके तहत 9,461 सर्किट किलोमीटर (ckm) पारेषण लाइनों का लक्ष्य रखा गया है। 30 जून 2026 तक 9,130 ckm का निर्माण किया जा चुका था। इसके मार्च 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है।
- **GEC चरण-II:** इसे सात राज्यों में लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7,863 ckm पारेषण लाइनों और 24,388 MVA सबस्टेशन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। 30 जून 2026 तक 1,124 ckm लाइनों को चार्ज किया जा चुका था और 6,860 MVA सबस्टेशन क्षमता चालू की जा चुकी थी। परियोजनाओं के 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है।

ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और बैटरी भंडारण के बारे में

- **ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC):** यह ऐसी पारेषण अवसंरचना है, जो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केंद्रों से बिजली को व्यापक विद्युत ग्रिड और उपभोग केंद्रों तक पहुँचाती है।
- **अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (InSTS):** किसी राज्य के भीतर स्थित पारेषण नेटवर्क, जो विद्युत उत्पादन स्रोतों को व्यापक ग्रिड और मांग केंद्रों से जोड़ते हैं।
- **बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ (BESS):** ये अतिरिक्त बिजली को संग्रहित करती हैं और उत्पादन कम होने या मांग बढ़ने पर उसे उपलब्ध कराती हैं। इससे सौर एवं पवन ऊर्जा की परिवर्तनशीलता का प्रबंधन करने और ग्रिड के लचीलेपन में सुधार करने में सहायता मिलती है।
- **गीगावाट और गीगावाट-घंटा:** गीगावाट विद्युत क्षमता को मापता है, जबकि GWh समय के साथ संग्रहित या आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा को मापता है। GEC-III के तहत 135 GW तक नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी और 50 GWh बैटरी भंडारण के परिनियोजन का लक्ष्य रखा गया है।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

- **पारेषण अवसंरचना:** ₹1,36,378 करोड़ अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (InSTS) के विकास के लिए आवंटित किए गए हैं, जिससे 135 GW तक नवीकरणीय ऊर्जा निकासी संभव होगी।
- **बैटरी भंडारण:** 50 GWh BESS के परिनियोजन के लिए ₹50,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसे नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर/उत्पादक स्थलों या ग्रिड के लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण अन्य स्थानों पर स्थापित किया जाएगा।
- **केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFS):** ₹54,082 करोड़ की सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क के भार को कम करने और अंतिम उपभोक्ताओं के लिए बिजली की लागत को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
- **कार्यान्वयन तंत्र:** राज्य पारेषण उपयोगिताएँ समग्र कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में कार्य करेंगी। ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (TBCB) अपनाई जाएगी, जबकि ब्राउनफील्ड उन्नयन एवं नेटवर्क सुदृढ़ीकरण के लिए कॉस्ट प्लस आधार (CPB) अपनाया जाएगा। TBCB के माध्यम से चयनित पारेषण सेवा प्रदाता निर्माण-स्वामित्व-संचालन-रखरखाव (BOOM) मॉडल का पालन करेंगे।
- **अपेक्षित परिणाम:** ग्रिड में भीड़भाड़ और अधिकतम मांग वाले घंटों में नवीकरणीय ऊर्जा की कटौती में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा का बेहतर एकीकरण तथा गैर-सौर घंटों के दौरान बिजली की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी। यह योजना वर्ष 2035 तक 900 GW स्थापित गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता के भारत के लक्ष्य में भी योगदान देगी।

आवश्यकता एवं महत्व

- **पारेषण संबंधी बाधाओं का समाधान:** लगभग 21 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता अस्थायी ग्रिड कनेक्शन पर निर्भर है, जबकि लगभग 12 GW क्षमता को अधिकतम सौर उत्पादन के दौरान निकासी संबंधी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। इससे डेवलपर्स के राजस्व और परियोजनाओं की व्यवहार्यता प्रभावित होती है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा की कटौती में कमी:** वित्त वर्ष 2025–26 में लगभग

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 35 02-11-2026 17:53:39

6,900 GWh स्वच्छ बिजली पर प्रतिबंध लगाया गया। अलग से, पारेषण संबंधी बाधाओं और ग्रिड-सुरक्षा आवश्यकताओं के कारण अप्रैल–जून के दौरान 8,133 GWh सौर बिजली की कटौती की गई।

- **ग्रिड के लचीलेपन में सुधार:** पारेषण का विस्तार बिजली की निकासी को सुगम बनाता है, जबकि BESS अतिरिक्त बिजली को संग्रहित करता है और उत्पादन कम होने या मांग बढ़ने की अवधि में उसका उपयोग संभव बनाता है।
- **ऊर्जा सुरक्षा एवं रोजगार:** नवीकरणीय ऊर्जा का बेहतर उपयोग कार्बन उत्सर्जन में कमी को बढ़ावा देता है और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करता है। वहीं, पारेषण एवं ऊर्जा भंडारण में निवेश से विनिर्माण, निर्माण और ग्रिड प्रबंधन के क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन होता है।

कार्यान्वयन की चुनौतियाँ

- **भूमि अधिग्रहण और मार्गाधिकार (Right-of-Way):** भूमि की व्यवस्था करना, मुआवजे से संबंधित विवादों का समाधान करना और वैधानिक मंजूरियाँ प्राप्त करना पारेषण परियोजनाओं में देरी का कारण बन सकता है।
- **कार्यान्वयन में देरी:** GEC के पिछले चरणों में भी क्रियान्वयन संबंधी देरी देखी गई है। **GEC-I के मार्च 2027 तक और GEC-II के 2028 तक** पूरा होने की उम्मीद है, जो GEC-III के तहत समयबद्ध क्रियान्वयन और प्रभावी निगरानी के महत्व को रेखांकित करता है।
- **भंडारण की अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला:** बड़े पैमाने पर BESS के परिनियोजन के लिए व्यवहार्य वाणिज्यिक व्यवस्थाओं तथा बैटरियों, घटकों और महत्वपूर्ण खनिजों की विश्वसनीय उपलब्धता आवश्यक है।
- **समन्वय और उपयोग:** पारेषण नियोजन का नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, राज्य स्तरीय नेटवर्क और मांग केंद्रों के साथ समन्वय आवश्यक है। परियोजनाओं को समय पर लागू न किया जाना या ग्रिड संचालन में ऊर्जा भंडारण का अपर्याप्त एकीकरण योजना के लाभों को सीमित कर सकता है।

आगे की राह

- **एकीकृत नियोजन:** नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, अंतर-राज्यीय एवं अंतर-राज्यीय पारेषण, ऊर्जा भंडारण के परिनियोजन और मांग के अनुमानों के बीच समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।
- **त्वरित क्रियान्वयन:** केंद्र–राज्य समन्वय में सुधार किया जाए तथा भूमि अधिग्रहण, मार्गाधिकार संबंधी प्रक्रियाओं और परियोजना अनुमोदनों को सुव्यवस्थित किया जाए।
- **ऊर्जा भंडारण इकोसिस्टम को सुदृढ़ करना:** BESS के लिए व्यवहार्य खरीद एवं राजस्व तंत्र विकसित किए जाएँ तथा घरेलू बैटरी विनिर्माण, अनुसंधान और पुनर्चक्रण को बढ़ावा दिया जाए।
- **परिणाम-आधारित निगरानी:** परियोजनाओं के चालू होने, निकाली गई नवीकरणीय बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा की कटौती की प्रवृत्तियों और वास्तविक ऊर्जा भंडारण उपयोग की निगरानी की जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निवेश से **ग्रिड के प्रदर्शन में मापनीय सुधार** हो।

4.3. एकीकृत परिवहन एवं रसद प्राधिकरण (Integrated Transport & Logistics Authority)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों के संग्रहण, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे; बुनियादी ढाँचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, विमानपत्तन, रेलवे आदि।*

संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में एकीकृत योजना, अनुसंधान, परियोजना मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम के रूप में एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी है।

एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण (ITLA) के बारे में

- **राष्ट्रीय शीर्ष संस्था:** यह एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स योजना, अनुसंधान, परियोजना मूल्यांकन, निगरानी, प्रभाव आकलन, नीतिगत सहयोग और डेटा विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करेगा।
- **राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान:** यह 10 वर्ष या उससे अधिक की योजना अवधि वाला एक व्यापक राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान तैयार करेगा, जिसमें सड़क, रेलवे, बंदरगाह एवं नौवहन, नागरिक उड्डयन, अंतर्देशीय जलमार्ग, तटीय नौवहन, शहरी गतिशीलता और लॉजिस्टिक्स को शामिल किया जाएगा।
- **परिवहन योजनाओं का संरेखण:** यह सुनिश्चित करने के लिए परिवहन मंत्रालयों की लगभग पाँच वर्ष की अल्पकालिक क्षेत्रीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं का मूल्यांकन करेगा कि वे राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान के अनुरूप हों तथा बहुविध परिवहन अवसंरचना के विकास को बढ़ावा मिले।
- **परियोजना मूल्यांकन और निगरानी:** यह ₹500 करोड़ या उससे अधिक लागत वाली भारत सरकार की अवसंरचना परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन करेगा। वित्तीय मूल्यांकन मौजूदा तंत्र के माध्यम से ही जारी रहेगा। यह ₹500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 36 02-11-2026 17:53:39

निगरानी भी करेगा, कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए एक समन्वित तंत्र उपलब्ध कराएगा तथा परियोजना कार्यान्वयन के बाद प्रभाव आकलन करेगा।

- **राष्ट्रीय परिवहन डेटा भंडार:** यह राष्ट्रीय परिवहन डेटा भंडार का निर्माण करेगा, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क के ई-वे बिल, फास्टैग, वाहन पंजीकरण प्रणाली, वैश्विक स्थान-निर्धारण प्रणाली आधारित प्रणालियों और शहरी यातायात-प्रबंधन प्रणालियों जैसे स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों को एकीकृत किया जाएगा। यह योजना, निगरानी और प्रभाव आकलन के लिए माल ढुलाई प्रवाह तथा उद्गम-गंतव्य विश्लेषण जैसे डेटा विश्लेषण करेगा।
- **नीति, अनुसंधान और क्षमता निर्माण:** यह राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022) की समीक्षा और अद्यतन करने में परामर्श एवं सहायता प्रदान करेगा तथा परिवहन और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और कौशल विकास को बढ़ावा देगा।

भारत की एकीकृत परिवहन एवं रसद फ्रेमवर्क के बारे में

- **एकीकृत परिवहन योजना:** परिवहन अवसंरचना अलग-अलग साधनों के रूप में नहीं, बल्कि एक परस्पर जुड़ी हुई व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। लोगों और वस्तुओं की कुशल आवाजाही के लिए सड़क, रेलवे, बंदरगाह, जलमार्ग, विमानन और शहरी परिवहन के बीच समन्वय आवश्यक हो सकता है, विशेष रूप से मल्टीमॉडल परिवहन के स्थानांतरण बिंदुओं तथा प्रथम और अंतिम छोर की संपर्क व्यवस्था में।
- **पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान:** वर्ष 2021 में शुरू किया गया पीएम गतिशक्ति एक भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित, संपूर्ण सरकारी व्यवस्था के लिए एकीकृत ढाँचा प्रदान करता है, जो समन्वित अवसंरचना विकास के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों तथा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक साथ लाता है। इसका उद्देश्य अवसंरचना परियोजनाओं के बीच समन्वय स्थापित करना तथा बहुविध परिवहन और अंतिम छोर तक संपर्क व्यवस्था में सुधार करना है।
- **राष्ट्रीय रसद नीति:** वर्ष 2022 में शुरू की गई राष्ट्रीय रसद नीति, गतिशक्ति की पूरक है और पारिस्थितिकी तंत्र के रसद सेवाओं से संबंधित पक्ष पर ध्यान केंद्रित करती है। इसमें प्रक्रियागत सुधार, नियामकीय एवं डिजिटल व्यवस्थाएँ, मानकीकरण, मानव संसाधन विकास तथा कौशल विकास शामिल हैं। एकीकृत रसद संपर्क मंच जैसे मंच रसद क्षेत्र में डिजिटल एकीकरण को बढ़ावा देते हैं।
- **एकीकृत परिवहन एवं रसद प्राधिकरण की भूमिका:** एकीकृत परिवहन एवं रसद प्राधिकरण का उद्देश्य दीर्घकालिक परिवहन योजना, तकनीकी मूल्यांकन, परियोजना निगरानी, प्रभाव आकलन तथा एकीकृत परिवहन आँकड़ा विश्लेषण के लिए एक शीर्ष संस्थागत स्तर उपलब्ध कराना है। इस प्रकार, इसे मौजूदा गतिशक्ति–राष्ट्रीय रसद नीति व्यवस्था को सुदृढ़ और पूरक करने के लिए तैयार किया गया है, न कि इनमें से किसी पहल के स्थान पर स्थापित करने के लिए।

ILTA की आवश्यकता एवं महत्त्व

- **संस्थागत खाँचों को दूर करना:** यह विभिन्न परिवहन मंत्रालयों, एजेंसियों और परिवहन साधनों के बीच योजना-निर्माण के समन्वय के लिए एक साझा संस्थागत तंत्र प्रदान करता है, जिससे अवसंरचना विकास में व्याप्त विखंडन को दूर किया जा सके।
- **बहुविध परिवहन संपर्क को सुदृढ़ करना:** एकीकृत दीर्घकालिक परिवहन योजना के माध्यम से सड़क, रेलवे, बंदरगाह, जलमार्ग, विमानन और शहरी परिवहन में किए जाने वाले निवेश में समन्वय स्थापित किया जा सकता है, जिससे संपर्क व्यवस्था और अवसंरचना के उपयोग में सुधार होगा।
- **आँकड़ा-आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाना:** राष्ट्रीय परिवहन आँकड़ा भंडार पहले से अलग-अलग उपलब्ध परिवहन आँकड़ों को एकीकृत कर सकता है तथा माल ढुलाई प्रवाह और उद्गम-गंतव्य विश्लेषण में सहायता कर सकता है। इससे परियोजना योजना, निगरानी और प्रभाव आकलन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
- **परियोजनाओं के परिणामों में सुधार:** तकनीकी मूल्यांकन, समन्वित कार्यान्वयन निगरानी और परियोजना पूर्ण होने के बाद आकलन से बाधाओं की पहचान करने, विभिन्न संस्थाओं के बीच उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने तथा प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने में सहायता मिल सकती है।
- **रसद क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना:** बेहतर बहुविध परिवहन एकीकरण और अवसंरचना की दक्षता से रसद लागत को कम करने तथा वैश्विक रसद क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में सहायता मिल सकती है, जिससे देश के विजन 2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान होगा।

4.4. लघु एवं मध्यम उद्यम विकास निधि (Small and Medium Enterprises Growth Fund)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *भारतीय अर्थव्यवस्था तथा नियोजन, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय।*

संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) को विकासोन्मुख इक्विटी पूंजी प्रदान करने के लिए एसएमई विकास निधि (SGF) की स्थापना हेतु भारत सरकार की 10,000 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी है। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2026–27 के तहत की गई थी।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 37 02-11-2026 17:53:40

अन्य संबंधित जानकारी

- एसजीएफ बजट 2026–27 के तहत किए गए उन उपायों का हिस्सा है, जिनका उद्देश्य इक्विटी, तरलता और पेशेवर सहायता के माध्यम से एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करना है।
- इसका उद्देश्य एसएमई के लिए दीर्घकालिक विकास पूंजी की संरचनात्मक कमी को दूर करना है, क्योंकि मौजूदा इक्विटी-सहायता फंड मुख्य रूप से प्रारंभिक चरण के उद्यमों और सूक्ष्म उद्यमों पर केंद्रित हैं।
- इस फंड का उद्देश्य विनिर्माण, सेवाओं, प्रौद्योगिकी, नवाचार-आधारित क्षेत्रों और रणनीतिक मूल्य श्रृंखलाओं में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय उद्यमों की एक मजबूत श्रृंखला तैयार करना है, जो विकसित भारत@2047 के विज़न को समर्थन प्रदान करेगी।

एसएमई विकास निधि (SGF) के बारे में

- **सरकारी प्रतिबद्धता:** भारत सरकार एसजीएफ के तहत स्थापित वैकल्पिक निवेश निधि (AIF) के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता प्रदान करेगी।
- **सहायता का स्वरूप:** एसजीएफ उच्च क्षमता वाले एसएमई को धैर्यपूर्ण, दीर्घकालिक विकास इक्विटी पूंजी प्रदान करेगा, जिनकी व्यावसायिक व्यवहार्यता और विस्तार क्षमता प्रदर्शित हो चुकी है।
- **निवेश दृष्टिकोण:** इसे प्रत्यक्ष इक्विटी निवेश निधि के रूप में तैयार किया गया है, जो पारंपरिक ऋण के बजाय विकास चरण की जोखिम पूंजी प्रदान करेगा।
- **क्षेत्रीय कवरेज:** यह निधि विनिर्माण, सेवाओं, प्रौद्योगिकी, नवाचार-आधारित क्षेत्रों और रणनीतिक मूल्य श्रृंखलाओं में उद्यमों को सहायता प्रदान करेगा।
- **विनिर्माण को प्राथमिकता:** आवंटन का अधिकांश हिस्सा लघु एवं मध्यम विनिर्माण-केंद्रित उद्यमों के लिए निर्देशित किया जाएगा।
- **क्षेत्रीय फोकस:** यह निधि टियर-2 और टियर-3 शहरों के औद्योगिक क्लस्टरों में संचालित एसएमई पर भी विचार करेगा।
- **सहायता के क्षेत्र:** दीर्घकालिक पूंजी एसएमई को निम्नलिखित में सक्षम बना सकती है:
  - ✓ परिचालन और विनिर्माण क्षमता का विस्तार करना;
  - ✓ उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाना और नवाचार को बढ़ावा देना;
  - ✓ उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना;
  - ✓ अधिग्रहण और रणनीतिक निवेश करना;
  - ✓ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विस्तार करना; और
  - ✓ वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत होना।

इस निधि की आवश्यकता और महत्त्व

- **विकास पूंजी की कमी को दूर करना:** मौजूदा इक्विटी-सहायता फंड मुख्य रूप से प्रारंभिक चरण के उद्यमों और सूक्ष्म उद्यमों पर केंद्रित हैं, जिससे एसएमई के लिए विकास इक्विटी पूंजी की संरचनात्मक कमी उत्पन्न हो रही है। एसजीएफ दीर्घकालिक जोखिम पूंजी के माध्यम से इस कमी को दूर करता है।
- **महत्त्वपूर्ण विकास चरणों में सहायता:** धैर्यपूर्ण इक्विटी एसएमई को विकास के महत्त्वपूर्ण चरणों में क्षमता का विस्तार करने, प्रौद्योगिकी में निवेश करने, नवाचार करने और रणनीतिक निवेश करने में सहायता करेगी।
- **वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी उद्यमों का निर्माण:** इस फंड का उद्देश्य ऐसी भारतीय कंपनियों की एक मजबूत श्रृंखला तैयार करना है, जिनके पास क्षेत्रीय अग्रणी बनने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक पैमाना, नवाचार क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता हो।
- **विनिर्माण और निर्यात को मजबूत करना:** विनिर्माण-केंद्रित आवंटन उत्पादन क्षमता बढ़ाने, उत्पादकता में सुधार करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण के माध्यम से निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में सहायता करेगा।
- **संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास:** टियर-2 और टियर-3 शहरों के औद्योगिक क्लस्टरों को सहायता प्रदान करने से स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाएँ मजबूत होंगी, संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और गुणवत्तापूर्ण रोजगार का सृजन होगा।
- **विकसित भारत@2047 को समर्थन:** उद्यमिता को मजबूत करने, घरेलू पूंजी बाजार को गहरा करने और नवाचार-आधारित औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के माध्यम से एसएमई विकास निधि **विकसित भारत@2047** में योगदान देगा।



लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) के बारे में

- **अप्रैल 2025 से प्रभावी नवीनतम एमएसएमई वर्गीकरण मानदंडों के तहत:**
  - ✓ **लघु उद्यम:** 25 करोड़ रुपये तक का निवेश और 100 करोड़ रुपये तक का वार्षिक कारोबार।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 38 02-11-2026 17:53:40

- ✓ **मध्यम उद्यम:** 125 करोड़ रुपये तक का निवेश और 500 करोड़ रुपये तक का वार्षिक कारोबार।

- **आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26** के अनुसार, एमएसएमई भारत के **सकल घरेलू उत्पाद में 31.1%, विनिर्माण उत्पादन में 35.4% और निर्यात में 48.58%** का योगदान करते हैं।
- **महिलाओं की भागीदारी:** महिला-स्वामित्व वाले उद्यम कुल एमएसएमई पंजीकरण का 37.6% हैं।
- **औपचारिक एमएसएमई आधार का विस्तार:** उद्यम और उद्यम सहायता मंच (यूएपी) के तहत कुल एमएसएमई पंजीकरण लगभग 9.78 करोड़ तक पहुँच गए हैं, जिनमें लगभग 43.28 करोड़ रोजगार अवसरों की सूचना दी गई है।

4.5. मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में वृद्धि की (Monetary Policy Committee Raises Repo Rate)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन–3: *भारतीय अर्थव्यवस्था तथा नियोजन, संसाधनों को जुटाने, आर्थिक संवृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित विषय।*

संदर्भ

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने बढ़ते मुद्रास्फीति जोखिमों और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि करके इसे 5.50% कर दिया तथा अपनी मौद्रिक नीति के रुख को 'तटस्थ' से बदलकर 'सुनियोजित मौद्रिक सख्ती' कर दिया।

बैठक की प्रमुख विशेषताएँ

- **रेपो दर:** रेपो दर में 5.25% से 25 आधार अंकों की वृद्धि करके 5.50% कर दिया गया।
- **फरवरी 2023 के बाद पहली बार दर में वृद्धि:** यह वृद्धि मौद्रिक सहजता के उस चक्र के उलटाव को दर्शाती है, जिसके दौरान MPC ने रेपो दर को 6.50% से घटाकर 5.25% कर दिया था, अर्थात् इसमें कुल 125 आधार अंकों की कटौती की गई थी।
- **MPC का निर्णय:** रेपो दर बढ़ाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया, जबकि 'क्रमिक सख्ती' के रुख को बहुमत का समर्थन प्राप्त हुआ।
- **अन्य नीतिगत दरें:** स्थायी जमा सुविधा (SDF) की दर 5.25% है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) की दर और बैंक दर 5.75% हैं।
- **मुद्रास्फीति का परिदृश्य:** वित्त वर्ष 2026–27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति का अनुमान पहले के 5.0% से बढ़ाकर 5.2% कर दिया गया।
- **आर्थिक विकास का परिदृश्य:** घरेलू आर्थिक गतिविधियों में लचीलेपन को देखते हुए वित्त वर्ष 2026–27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया गया।
- **मौद्रिक नीति का भावी रुख:** रुख में बदलाव से संकेत मिलता है कि निकट भविष्य में रेपो दर में कटौती की संभावना नहीं है। भविष्य में दर बढ़ाने या मौजूदा दर को यथावत रखने का निर्णय लिया जा सकता है।



निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक

- **भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतें:** पश्चिम एशिया में नए सिरे से बढ़े तनाव और कच्चे तेल की कीमतों के लगभग 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक पहुँचने से भारत में मुद्रास्फीति का जोखिम बढ़ गया है। भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 90% आयात करता है।
- **मुद्रास्फीति के बढ़ते जोखिम:** अगस्त में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति 4.82% रही। खाद्य पदार्थों की कीमतों का दबाव, अपर्याप्त मानसूनी परिस्थितियाँ और मौसम संबंधी व्यवधान मुद्रास्फीति को और बढ़ा सकते हैं। इसी कारण RBI ने वित्त वर्ष 2026–27 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान बढ़ाकर 5.2% कर दिया।
- **वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों में सख्ती:** वैश्विक ब्याज दरों का ऊँचा स्तर, अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड पर उच्च प्रतिफल और रुपये के मूल्य में गिरावट का दबाव वित्तीय परिस्थितियों को अधिक सख्त कर रहे हैं तथा आयातित मुद्रास्फीति के जोखिम को बढ़ा रहे हैं।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 39 02-11-2026 17:53:40

- **घरेलू अर्थव्यवस्था में लचीलापन:** मजबूत घरेलू माँग, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र की स्थिति और वित्त वर्ष 2026–27 की पहली तिमाही में 7.8% की GDP वृद्धि दर्शाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सख्त मौद्रिक परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है।
- **चलनिधि की स्थिति**: RBI ने विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा के अंतर्गत FCNR(B) जमाओं के माध्यम से 132.98 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाए जाने के बाद बैंकिंग प्रणाली में बढ़ी हुई चलनिधि पर भी विचार किया। इसके कारण चलनिधि को संतुलित तरीके से अवशोषित करना आवश्यक हो गया।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) के बारे में

- इसकी स्थापना सितंबर 2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (RBI अधिनियम) की धारा 45ZB (1) के अंतर्गत की गई थी।
- उर्जित पटेल समिति ने मौद्रिक नीति समिति के गठन की सिफारिश की थी।
- MPC की प्रमुख भूमिका मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत दर निर्धारित करना है।
- RBI अधिनियम की धारा 42B (2) के अनुसार, MPC में निम्नलिखित सदस्य होते हैं:
  - ✓ RBI का गवर्नर, जो पदेन अध्यक्ष होता है।
  - ✓ RBI का उप-गवर्नर, जो मौद्रिक नीति के लिए उत्तरदायी होता है और पदेन सदस्य होता है।
  - ✓ RBI का एक अधिकारी, जिसे केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा नामित किया जाता है और जो पदेन सदस्य होता है।
  - ✓ केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन व्यक्ति, जो सदस्य होते हैं।
- केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य चार वर्ष के कार्यकाल के लिए पद धारण करते हैं या अगले आदेश तक पद पर रहते हैं-इनमें से जो भी पहले हो।
- RBI अधिनियम की धारा 45ZA के अनुसार, मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% निर्धारित किया गया है, जिसकी ऊपरी सहनशीलता सीमा 6% और निचली सहिष्णु सीमा 2% है।

4.6. विपणन सत्र 2027–28 के लिए रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Prices for Rabi Crops for Marketing Season 2027-28)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय; सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य, कार्यप्रणाली, सीमाएँ; प्रमुख फसलें-देश के विभिन्न भागों में फसल पैटर्न।*

संदर्भ

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 2027–28 विपणन सत्र के लिए सभी छह अधिदेशित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दी है। सरकार के अनुमान के अनुसार, इन फसलों की लगभग 324 लाख टन मात्रा की MSP पर खरीद के लिए ₹90,962 करोड़ का भुगतान किया जाएगा।

अन्य संबंधित जानकारी

- **संशोधित MSP:**
  - ✓ **गेहूँ:** ₹2,610/क्विंटल - ₹25 की वृद्धि
  - ✓ **जौ:** ₹2,286/क्विंटल - ₹136 की वृद्धि
  - ✓ **चना:** ₹5,958/क्विंटल - ₹83 की वृद्धि
  - ✓ **मसूर:** ₹7,390/क्विंटल - ₹390 की वृद्धि
  - ✓ **रेपसीड एवं सरसों:** ₹6,613/क्विंटल - ₹413 की वृद्धि
  - ✓ **कुसुम:** ₹7,215/क्विंटल - ₹675 की वृद्धि, जो पूर्ण राशि के आधार पर सर्वाधिक वृद्धि है।
- **लागत पर प्रतिफल:** अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर अपेक्षित लाभांश गेहूँ के लिए 106%, रेपसीड एवं सरसों के लिए 96%, मसूर के लिए 92%, चने के लिए 59%, जौ के लिए 58% और कुसुम के लिए 50% है।
- **नीतिगत फोकस:** दलहन और तिलहन में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि का उद्देश्य अनाज से आगे फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना तथा इन फसलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के बारे में

- **न्यूनतम समर्थन मूल्य एक सरकार द्वारा घोषित मूल्य समर्थन तंत्र है,** जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादकों को बाजार मूल्यों में तेज गिरावट से बचाना तथा उन्हें लाभकारी प्रतिफल सुनिश्चित करना है।
- **न्यूनतम समर्थन मूल्य एक सरकार द्वारा घोषित मूल्य समर्थन तंत्र है,** जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादकों को बाजार मूल्यों में तेज गिरावट से बचाना तथा उन्हें लाभकारी प्रतिफल सुनिश्चित करना है।
- **की घोषणा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति** (CCEA) द्वारा **कृषि लागत एवं मूल्य आयोग** (CACP) की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।
- भारत में वर्तमान में **22 अधिदेशित फसलों** के लिए MSP की घोषणा की जाती है, जबकि **गन्ने** को एक अलग **उचित एवं लाभकारी मूल्य** (FRP) व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है।
- CACP **न्यूनतम समर्थन मूल्य** की सिफारिश करते समय **उत्पादन लागत (A2+FL पद्धति), मांग और आपूर्ति, अंतर-फसल मूल्य समता, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव तथा घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय कीमतों** जैसे कारकों को ध्यान में रखता है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 40 02-11-2026 17:53:40

- **लागत ढाँचे में शामिल हैं:**
  - ✓ **A2:** बीज, उर्वरक, श्रम, ईंधन और सिंचाई जैसी **वास्तविक रूप से भुगतान की गई लागतें।**
  - ✓ **A2+FL: A2 तथा अवैतनिक पारिवारिक श्रम के आरोपित मूल्य** को शामिल करने वाली लागत।
  - ✓ **C2: A2+FL के साथ स्वयं की भूमि के आरोपित किराए और स्थिर पूंजी पर ब्याज** को शामिल करने वाली लागत।



- **वित्त वर्ष 2018–19 के केंद्रीय बजट** के बाद से सरकार ने MSP **को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम-से-कम 1.5 गुना** के स्तर पर निर्धारित करने की नीति अपनाई है। इसका अर्थ संबंधित लागत पर **न्यूनतम 50% लाभांश** सुनिश्चित करना है।
- **MSP की घोषणा का अर्थ पूरी फसल की स्वतः खरीद नहीं है।** सरकारी एजेंसियाँ लागू खरीद व्यवस्थाओं के तहत फसलों की खरीद करती हैं और किसान अपनी उपज **खुले बाजार में भी बेच सकते हैं।**
- अतः मूल्य समर्थन तंत्र के रूप में MSP की प्रभावशीलता बड़े पैमाने पर **वास्तविक खरीद की उपलब्धता और उसकी मात्रा** पर निर्भर करती है।

MSP में वृद्धि का महत्व

- **किसानों के लिए मूल्य आश्वासन:** उच्च MSP निर्धारित मूल्य-समर्थन व्यवस्था को सुदृढ़ करता है और किसानों को लाभकारी प्रतिफल देने का प्रयास करता है।
- **फसल विविधीकरण:** तिलहन और दलहन, विशेष रूप से कुसुम, रेपसीड-सरसों और मसूर में अधिक वृद्धि, अनाज-प्रधान फसल पैटर्न से आगे फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहन को बढ़ावा देती है।
- **दलहन और खाद्य तेल सुरक्षा:** दलहन और तिलहन के लिए अधिक समर्थन घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।
- **सरकारी हस्तक्षेप का पैमाना:** 2027–28 के लिए सरकार ने छह रबी फसलों की लगभग **324 लाख टन खरीद** का अनुमान लगाया है, जिसके लिए किसानों को लगभग **₹90,962 करोड़** का भुगतान किया जाएगा।

4.7. गन्ना किसानों और चीनी क्षेत्र से संबंधित मुद्दों की जाँच के लिए समिति (Committee to Examine Issues Relating to Sugarcane Farmers and the Sugar Sector)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय; सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य, कार्यप्रणाली, सीमाएँ; प्रमुख फसलें-देश के विभिन्न भागों में फसल पैटर्न।*

संदर्भ

सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जाँच करने और उनकी चिंताओं के समाधान के लिए उपाय सुझाने हेतु नीति आयोग के पूर्व सदस्य प्रो. रमेश चंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

समिति के बारे में

- **विचारार्थ विषय:**
  - ✓ खेती की लागत और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए गन्ना किसानों को अधिक लाभकारी मूल्य दिलाने की माँगों की जाँच करना।
  - ✓ उत्पादन लागत, बाजार से प्राप्त आय और चीनी मिलों की वित्तीय व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए मिल-स्तर पर चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य की समीक्षा करना।
  - ✓ पारदर्शी सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए चीनी की रिकवरी की जाँच और रिपोर्टिंग की प्रक्रियाओं की समीक्षा करना।
  - ✓ चीनी मिलों में गन्ने के वजन करने की प्रथाओं की समीक्षा करना, जिसमें अंशांकन, निरीक्षण और सत्यापन की व्यवस्थाएँ शामिल हैं।
  - ✓ मशीनों से काटे गए गन्ने पर की जाने वाली कटौतियों, वास्तविक हानि (यदि कोई हो) तथा किसानों को देय मूल्य पर उनके वित्तीय प्रभाव का आकलन करना।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 41 02-11-2026 17:53:40

भारत में गन्ने के मूल्य निर्धारण की व्यवस्था

- **कानूनी ढाँचा**: गन्ने का मूल्य निर्धारण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 द्वारा विनियमित होता है।
  - ✓ केंद्र सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर तथा राज्य सरकारों और अन्य संबंधित पक्षों से परामर्श करने के बाद उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) निर्धारित करती है।
- **उचित एवं लाभकारी मूल्य** (FRP): यह वह न्यूनतम मूल्य है, जिसका भुगतान चीनी मिलों के लिए गन्ना किसानों को कानूनी रूप से करना अनिवार्य है। यह चीनी की मूल रिकवरी दर से जुड़ा होता है। अधिक रिकवरी पर अतिरिक्त मूल्य दिया जाता है तथा कम रिकवरी पर, लागू सुरक्षा प्रावधानों के अधीन, मूल्य में तदनुसार कमी की जाती है।
  - ✓ एफआरपी निर्धारित करने में गन्ने की उत्पादन लागत, चीनी की रिकवरी दर, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता तथा वैकल्पिक फसलों से प्राप्त होने वाले लाभ जैसे कारकों पर विचार किया जाता है।
- **राज्य परामर्शित मूल्य** (SAP): उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा सहित कुछ राज्य अपना राज्य परामर्शित मूल्य घोषित करते हैं, जो सामान्यतः केंद्र द्वारा निर्धारित एफआरपी से अधिक होता है।
- **मिल-स्तर पर चीनी का न्यूनतम विक्रय मूल्य** (MSP): यह वह न्यूनतम मूल्य है, जिस पर चीनी मिलें चीनी बेच सकती हैं। यह एफआरपी से अलग है, क्योंकि एफआरपी गन्ना किसानों को किए जाने वाले भुगतान को निर्धारित करता है। चीनी का न्यूनतम विक्रय मूल्य चीनी (नियंत्रण) आदेश, 2025 के अंतर्गत विनियमित होता है।
- **वर्तमान एफआरपी:** वर्ष 2026–27 के चीनी सत्र (अक्टूबर–सितंबर) के लिए केंद्र सरकार ने 10.25% की मूल चीनी रिकवरी दर पर एफआरपी ₹365 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

4.8. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (Pradhan Mantri Dhan-Dhaanya Krishi Yojana)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे; सार्वजनिक वितरण प्रणाली-उद्देश्य, कार्यप्रणाली, सीमाएँ, पुनर्गठन; बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा से संबंधित मुद्दे; प्रौद्योगिकी मिशन; पशुपालन का अर्थशास्त्र।*

संदर्भ

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना ने 11 अक्टूबर 2026 को अपना पहला वर्ष पूरा किया। इस योजना के अंतर्गत 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि उत्पादकता, सिंचाई, ऋण की उपलब्धता तथा कटाई के बाद की अवसंरचना में सुधार के लिए जिला-स्तरीय प्रयास किए गए।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की प्रमुख विशेषताएँ

- **जिलों की पहचान**: 100 जिलों का चयन तीन संकेतकों के आधार पर किया गया: कम कृषि उत्पादकता, कम फसल सघनता तथा कृषि ऋण का कम वितरण।
  - ✓ चयन में प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में शुद्ध फसल क्षेत्र तथा परिचालन जोतों के हिस्से को भी ध्यान में रखा गया। प्रत्येक राज्य से कम-से-कम एक जिले का चयन किया।
- **छह प्रमुख उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य है:**
  - ✓ कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना।
  - ✓ फसल विविधीकरण तथा सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना।
  - ✓ कटाई के बाद भंडारण क्षमता में वृद्धि करना।
  - ✓ सिंचाई अवसंरचना में सुधार करना।
  - ✓ अल्पकालिक और दीर्घकालिक कृषि ऋण तक पहुँच सुगम बनाना।
  - ✓ शासन व्यवस्था और सेवा वितरण में सुधार करना।
- **योजनाओं का अभिसरण**: जिला-विशिष्ट कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 मौजूदा केंद्रीय योजनाओं को राज्य की योजनाओं तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ एकीकृत किया गया है।

प्रमुख योजनाओं में शामिल हैं:

- **पीएम-किसान** (PM-KISAN): किसानों को आय सहायता।
- **पीएमएफबीवाई** (PMFBY): फसल बीमा।
- **पीएमकेएसवाई** (PMKSY): सिंचाई का विकास।
- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** (RKVY): कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का समग्र विकास।
- **तीन-स्तरीय कार्यान्वयन संरचना:**
  - ✓ **जिला स्तर**: जिला धन-धान्य कृषि योजना समिति, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट करते हैं, जिला कार्ययोजना तैयार करती है और उसे लागू करती है।
  - ✓ **राज्य स्तर**: राज्य धन-धान्य कृषि योजना समिति, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करते हैं, जिला योजनाओं की समीक्षा और निगरानी करती है।
  - ✓ **राष्ट्रीय स्तर**: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की अध्यक्षता

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 42 02-11-2026 17:53:40

वाली राष्ट्रीय कार्यकारी समिति तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय निगरानी समिति कार्यान्वयन की देखरेख करती हैं।

- **जिला कार्ययोजनाएँ और निगरानी:** जिला कार्ययोजनाएँ स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान करती हैं, लक्ष्य और वार्षिक उपलब्धि-चरण निर्धारित करती हैं तथा संबंधित योजनाओं का अभिसरण सुनिश्चित करती हैं।
  - ✓ पीएम-डीडीकेवाई (PM-DDKY) डैशबोर्ड पर 121 संकेतकों के माध्यम से प्रगति पर नज़र रखी जाती है, जिनमें 74 आउटपुट संकेतक और 47 परिणाम संकेतक शामिल हैं।
  - ✓ आउटपुट संकेतकों के आधार पर जिला प्रदर्शन का आकलन करने के लिए मासिक रैंकिंग की जाती है।

पीएम-डीडीकेवाई की उपलब्धियाँ

- **संस्थागत ढाँचे की स्थापना:** सभी 100 जिलों ने जिला कार्ययोजनाएँ (DAPs) तैयार कीं। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया गया।
- **जिलों के प्रदर्शन में सुधार:** छह उद्देश्यों के अंतर्गत जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 के 18.85 से बढ़कर अगस्त 2026 में 46.89 हो गया, यानी 28.04 अंकों की वृद्धि हुई।
- **निगरानी को सशक्त बनाना:** नवंबर 2025 में मासिक जिला रैंकिंग शुरू हुई। सभी 100 जिलों ने अगस्त 2026 तक के आउटपुट आँकड़े तथा वित्त वर्ष 2025–26 के परिणाम संबंधी आँकड़े प्रस्तुत किए।
- **किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का विकास और बाज़ार संपर्क:** दिसंबर 2025 में आयोजित पीएम-डीडीकेवाई एफपीओ संगम में 15 राज्यों और 33 जिलों के 72 से अधिक किसान उत्पादक संगठन शामिल हुए। सफल उदाहरणों में शामिल हैं:
  - ✓ **गढ़चिरोली (महाराष्ट्र):** 3 टन प्रति घंटे की क्षमता वाली चावल प्रसंस्करण इकाई, 900 मीट्रिक टन का गोदाम तथा ₹1.24 करोड़ का कारोबार।
  - ✓ **तुमकुरु (कर्नाटक):** टिपटूर एफपीओ ने ₹1.60 करोड़ का कारोबार दर्ज किया।
  - ✓ **जैसलमेर (राजस्थान):** 2,000 एकड़ में एकीकृत कीट प्रबंधन आधारित जीरा की खेती तथा 500 एकड़ में सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई।
- **सार्वजनिक-निजी क्षेत्र की भागीदारी:** सार्वजनिक उद्यम विभाग ने वित्त वर्ष 2026–27 और 2027–28 के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) गतिविधियों के अंतर्गत पीएम-डीडीकेवाई जिलों को अपनाने को शामिल किया।

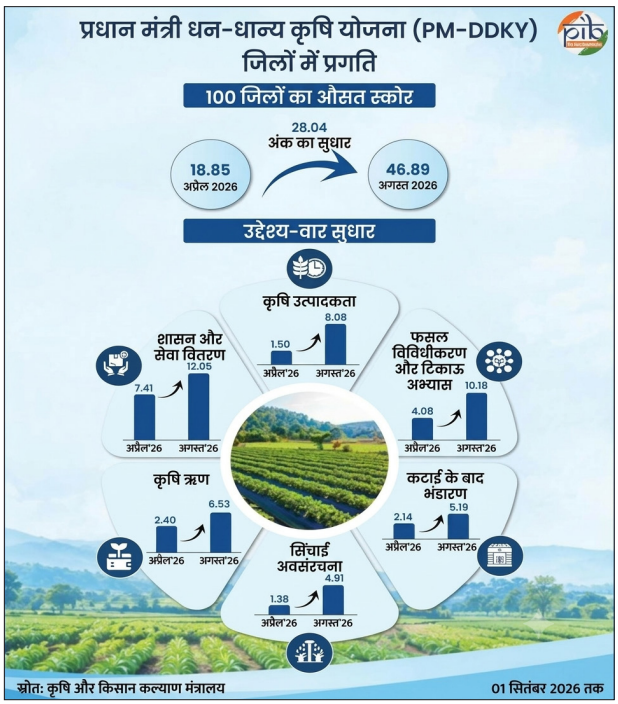

चुनौतियाँ और सुधार के क्षेत्र

- **असमान प्रगति:** सुधार के बावजूद जिलों का औसत स्कोर 46.89 है। सिंचाई (4.91) और कटाई के बाद भंडारण (5.19) पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **समन्वय संबंधी चुनौतियाँ:** 11 मंत्रालयों/विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं तथा राज्य की योजनाओं के अभिसरण के कारण अनुमोदन, धनराशि जारी करने और कार्यान्वयन में देरी हो सकती है।
- **कार्यान्वयन और अवसंरचना संबंधी कमियाँ:** जिला स्तर पर क्षमता, तकनीकी विशेषज्ञता, सिंचाई, भंडारण तथा ऋण तक पहुँच में अंतर कार्यान्वयन को प्रभावित कर सकता है।
- **दीर्घकालिक साक्ष्यों का अभाव:** डैशबोर्ड के स्कोर में सुधार आवश्यक नहीं कि अधिक कृषि उत्पादकता या किसानों की आय में वृद्धि को भी दर्शाए। उपलब्ध सफलता की कहानियाँ सीमित हैं तथा दीर्घकालिक परिणामों का आकलन किया जाना अभी बाकी है।

आगे की राह

- **जिला-विशिष्ट नियोजन को सुदृढ़ बनाना:** स्थानीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों, मृदा स्वास्थ्य, जल की उपलब्धता और किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप हस्तक्षेप सुनिश्चित करना तथा पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना।
- **समन्वय और वित्तपोषण में सुधार:** जिला कार्ययोजनाओं को राज्य की

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 43 02-11-2026 17:53:40

योजनाओं में समय पर शामिल करना, धनराशि शीघ्र जारी करना तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना।

- **अवसंरचना और बाज़ार तक पहुँच का विस्तार:** सूक्ष्म सिंचाई, वैज्ञानिक भंडारण, किसान उत्पादक संगठनों के नेतृत्व में प्रसंस्करण, संस्थागत ऋण और प्रत्यक्ष बाज़ार संपर्क को प्राथमिकता देना तथा सफल जिला मॉडलों को अन्य जिलों में अपनाना।
- **मापनीय परिणामों पर ध्यान देना:** नियमित निगरानी और स्वतंत्र मूल्यांकन के माध्यम से कृषि उत्पादकता, किसानों की आय, फसल सघनता, सिंचाई कवरेज तथा कटाई के बाद होने वाली हानि का आकलन करना।

4.9. दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन (Mission for Aatmanirbharta)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से संबंधित मुद्दे; सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)-उद्देश्य, कार्यप्रणाली, सीमाएँ एवं सुधार; बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा से संबंधित मुद्दे; प्रौद्योगिकी मिशन; पशुपालन का अर्थशास्त्र।*

संदर्भ

दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन ने 11 अक्टूबर 2026 को अपना एक वर्ष पूरा किया। यह घरेलू दलहन उत्पादन को मजबूत करने, आयात पर निर्भरता कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों का एक वर्ष है।

दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन की प्रमुख विशेषताएँ

- **उत्पादन एवं उत्पादकता के लक्ष्य (2030–31 तक):** दलहन उत्पादन को 242 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन, खेती का क्षेत्रफल 275 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर तथा औसत उत्पादकता 881 किग्रा/हेक्टेयर से बढ़ाकर 1,130 किग्रा/हेक्टेयर करना।
- **बीज विकास एवं वितरण:** छह वर्षों में 87.5 लाख निःशुल्क बीज किट और 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित करना।
  - ✓ जलवायु-अनुकूल बीजों को बढ़ावा देना, बीज की गुणवत्ता, उत्पादकता और प्रोटीन की मात्रा में सुधार करना तथा बीजों के प्रमाणीकरण और पता लगाने की क्षमता के लिए साथी (SATHI) पोर्टल का उपयोग करना।
- **खेती का विस्तार:** दलहन की खेती का विस्तार 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में करना, जिसके लिए धान की कटाई के बाद खाली रहने वाले खेतों तथा अन्य उपयुक्त भूमि को लक्षित करना।
  - ✓ 489 जिलों को शामिल करने वाले क्लस्टरों के माध्यम से अंतरवर्ती खेती, फसल विविधीकरण और उन्नत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना।
- **सुनिश्चित खरीद एवं मूल्य समर्थन:** वर्ष 2025–26 से 2028–29 तक चार वर्षों के लिए, इच्छुक एवं पंजीकृत किसानों द्वारा बिक्री हेतु प्रस्तुत तूर, उड़द और मसूर की 100% उपज की खरीद सुनिश्चित करना। यह खरीद भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (NCCF) के माध्यम से की जाएगी।
  - ✓ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) की मूल्य समर्थन योजना (PSS) के अंतर्गत मूल्य समर्थन प्रदान करना।
- **फसल कटाई के बाद का बुनियादी ढाँचा:** 1,000 दलहन प्रसंस्करण इकाइयाँ (दाल मिलें) स्थापित करना। प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग संबंधी बुनियादी ढाँचे के लिए प्रत्येक पात्र इकाई को ₹25 लाख तक की सहायता प्रदान करना।
  - ✓ भंडारण में सुधार करना, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना।
- **डिजिटल निगरानी एवं कार्यान्वयन:** राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय संचालन समिति तंत्र का उपयोग करना। प्रदर्शनों के भू-टैगिंग, जियो-फेंसिंग और निगरानी के लिए कृषि मैपर (Krishi Mapper) का उपयोग करना।
  - ✓ किसानों की पहचान और फसलों की निगरानी के लिए एग्रीस्टैक (AgriStack) तथा डिजिटल फसल सर्वेक्षण का उपयोग करना। खरीद संबंधी सेवाओं और कृषि संबंधी जानकारी के लिए ई-समृद्धि (e-Samriddhi) तथा विस्तार (Vistaar) का उपयोग करना।



KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 44 02-11-2026 17:53:41

मिशन की उपलब्धियाँ

- **घरेलू उत्पादन में वृद्धि:** दलहन का उत्पादन 2024–25 में 256.83 लाख टन से बढ़कर 2025–26 में 274.09 लाख टन हो गया।
  - ✓ तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, खेती का क्षेत्रफल 277.20 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 286.46 लाख हेक्टेयर हो गया तथा औसत उत्पादकता 926 किग्रा से बढ़कर 957 किग्रा प्रति हेक्टेयर हो गई।
- **आयात व्यय में कमी:** दलहन के आयात का मूल्य 2024–25 में ₹46,427.60 करोड़ से 31.52% घटकर 2025–26 में ₹31,793.59 करोड़ हो गया। वहीं, दलहन का निर्यात 13.40% बढ़कर 855 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 969.53 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- **खरीद में प्रगति:** 17 जून 2026 की राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (NCCF) डैशबोर्ड की स्थिति के अनुसार, नौ राज्यों में 10.55 लाख टन दलहन की खरीद हुई। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के भुगतान के रूप में सीधे ₹7,047 करोड़ जारी किए गए तथा पंजीकृत 7.74 लाख किसानों में से 4.69 लाख किसानों को लाभ मिला।
- **प्रसंस्करण बुनियादी ढाँचे का विस्तार:** प्रस्तावित 1,000 प्रसंस्करण इकाइयों में से पहले चरण में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 528 इकाइयाँ आवंटित की गईं। वहीं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के संबंधित घटक के अंतर्गत स्वीकृत 23 दलहन प्रसंस्करण इकाइयों में से 18 पूरी हो चुकी हैं।
- **बीज वितरण का विस्तार:** रबी 2025–26 के दौरान दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए कुल 9.25 लाख निःशुल्क बीज किट वितरित की गईं। इसमें धान की कटाई के बाद खाली रहने वाले खेतों में दलहन की खेती को बढ़ावा देना भी शामिल है।
- **मूल्य समर्थन में सुधार:** वर्ष 2026–27 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाकर उड़द के लिए ₹8,200 प्रति क्विंटल, तूर के लिए ₹8,450 प्रति क्विंटल और मसूर के लिए ₹7,000 प्रति क्विंटल कर दिया गया। ये दरें संबंधित फसलों की 2024–25 की दरों की तुलना में अधिक हैं।

चुनौतियाँ एवं सुधार के क्षेत्र

- **मांग और आपूर्ति के बीच लगातार अंतर:** दलहन का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद, भारत घरेलू मांग को पूरा करने के लिए दलहन का आयात करता है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उत्पादन में निरंतर वृद्धि आवश्यक है।
- **कृषि उत्पादकता का निम्न स्तर:** उत्पादकता अभी भी मिशन के 1,130 किग्रा प्रति हेक्टेयर के लक्ष्य से कम है। उपज में अंतर, उन्नत किस्मों को सीमित रूप से अपनाना और क्षेत्रीय भिन्नताएँ उत्पादन को सीमित करती हैं।
- **जलवायु एवं बाजार संबंधी अनिश्चितताएँ:** जलवायु में परिवर्तनशीलता, कीटों के हमले और कीमतों में उतार-चढ़ाव किसानों के उत्पादन, लाभप्रदता तथा दलहन की खेती का विस्तार करने की इच्छा को प्रभावित कर सकते हैं।
- **बीज एवं मूल्य श्रृंखला संबंधी बाधाएँ:** गुणवत्तापूर्ण बीजों की समय पर उपलब्धता, पर्याप्त भंडारण एवं प्रसंस्करण सुविधाएँ और बीज प्रणालियों में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी निरंतर विकास के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

आगे की राह

- **अनुसंधान एवं बीज प्रणालियों को मजबूत करना:** अधिक उपज देने वाली, कम अवधि में पकने वाली और जलवायु-अनुकूल किस्मों का विकास करना तथा बीजों की उपलब्धता, प्रमाणीकरण, पता लगाने की क्षमता और क्षेत्र-विशिष्ट योजना में सुधार करना।
- **सतत खेती का विस्तार:** धान की कटाई के बाद खाली रहने वाले खेतों तथा वर्षा-आधारित क्षेत्रों में दलहन की खेती को बढ़ावा देना, अंतरवर्ती खेती एवं फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य के कृषि विभागों के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित करना।
- **बाजार एवं मूल्य की सुनिश्चितता में सुधार:** समय पर खरीद और भुगतान सुनिश्चित करना, स्थानीय खरीद केंद्रों को बेहतर बनाना तथा किसानों की अनिश्चितता कम करने के लिए कीमतों की निगरानी में सुधार करना।
- **एकीकृत मूल्य श्रृंखला का निर्माण:** प्रसंस्करण, भंडारण और पैकेजिंग सुविधाओं का विस्तार करना, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को मजबूत करना तथा मांग और पोषण सुरक्षा बढ़ाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली और स्कूली भोजन में दलहन को शामिल करने की संभावनाओं का पता लगाना।

4.10. पीएम-सेतु (PM-SETU)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय।*

सामान्य अध्ययन-2: *विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप तथा उनके निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित विषय।*

संदर्भ

4 अक्टूबर 2026 को उन्नत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल एवं रोजगार क्षमता परिवर्तन योजना (PM-SETU) का एक वर्ष पूरा हुआ। यह भारत में आधुनिक, उद्योग-अनुरूप और मांग-आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण की दिशा में बदलाव को दर्शाता है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 45 02-11-2026 17:53:41

पीएम-सेतु के बारे में

- 4 अक्टूबर 2025 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पीएम-सेतु योजना का उद्देश्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) को आधुनिक और उद्योग-अनुरूप कौशल विकास संस्थानों में परिवर्तित करना है।
- इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय पाँच वर्षों में ₹60,000 करोड़ है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा ₹30,000 करोड़, राज्य सरकारों द्वारा ₹20,000 करोड़ और उद्योग जगत द्वारा ₹10,000 करोड़ का योगदान शामिल है।

दो घटक

- **1,000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन:** इसके अंतर्गत 200 केंद्र आईटीआई और 800 संबद्ध आईटीआई को केंद्र-संबद्ध मॉडल के तहत उन्नत किया जाएगा।
  - ✓ प्रत्येक केंद्र आईटीआई से औसतन चार संबद्ध आईटीआई जुड़े होंगे, जिससे उन्नत अवसंरचना, आधुनिक व्यवसायों, डिजिटल शिक्षण प्रणालियों और उद्भवन सुविधाओं तक साझा पहुँच संभव होगी।
- **5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता में वृद्धि:** भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों को क्षेत्र-विशिष्ट राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों तथा प्रशिक्षकों के उन्नत प्रशिक्षण के माध्यम से सुदृढ़ किया जाएगा।



प्रमुख विशेषताएँ

- **उद्योग-नेतृत्व वाला शासन:** रणनीतिक निवेश योजनाएँ, विशेष प्रयोजन माध्यम और प्रमुख उद्योग भागीदार कौशल विकास समूहों के विकास एवं संचालन का मार्गदर्शन करेंगे।
- **उद्योग का स्वामित्व:** प्रस्तावित विशेष प्रयोजन माध्यम की संरचना में 51% स्वामित्व प्रमुख उद्योग भागीदार के पास होगा, जबकि केंद्र और राज्य सरकारों के पास 24.5%-24.5% हिस्सेदारी होगी।
- **आधुनिक प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र:** केंद्र आईटीआई में नवाचार केंद्र, प्रशिक्षक प्रशिक्षण की अवसंरचना, उत्पादन इकाइयाँ और रोजगार उपलब्ध कराने की सेवाएँ उपलब्ध होंगी, जबकि संबद्ध आईटीआई साझा संसाधनों तक पहुँच का विस्तार करेंगे।
- **मांग-आधारित प्रशिक्षण:** यह योजना मॉड्यूलर शिक्षण, मिश्रित शिक्षण, प्रशिक्षुता, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण और उद्योग से प्रत्यक्ष परिचय को बढ़ावा देती है।
- **नवीन युग के कौशल:** कौशल विकास महानिदेशालय ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, विद्युत वाहन, अर्धचालक प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, हरित हाइड्रोजन, ड्रोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सौर ऊर्जा, 5जी और सॉफ्टवेयर परीक्षण जैसे क्षेत्रों को शामिल करते हुए 32 नवीन युग के पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।
- **वैश्विक साझेदारियाँ:** सिंगापुर (राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई), फ्रांस (राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर) और ऑस्ट्रेलिया (राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, भुवनेश्वर) ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि जर्मनी (राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद) ने संयुक्त आशय घोषणा का आदान-प्रदान किया है। ये साझेदारियाँ उन्नत कौशल विकास और वैश्विक मानकों को बढ़ावा देने में सहायक हैं।

पीएम-सेतु की उपलब्धियाँ

- **850 आईटीआई की पहचान:** इनमें 172 केंद्र आईटीआई और 678 संबद्ध आईटीआई शामिल हैं, जो 1,000 आईटीआई के लक्ष्य की दिशा में प्रगति को दर्शाता है।
- **देशव्यापी विस्तार को मंजूरी:** राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रायोगिक चरण से आगे बढ़कर सभी 200 चिन्हित आईटीआई समूहों में देशव्यापी विस्तार को मंजूरी दी।
- **14 समूहों को मंजूरी:** आठ राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के 14 आईटीआई समूहों की रणनीतिक निवेश योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें ₹3,446 करोड़ का निवेश शामिल है।
- **राज्य स्तर पर कार्यान्वयन:** 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने समूहों की पहचान कर अलग बजट मदें बनाई हैं; 35 ने राज्य संचालन समितियों का गठन किया है; और 26 ने उद्योगों की भागीदारी शुरू की है।
- **आईटीआई नेटवर्क का विस्तार:** कुल आईटीआई की संख्या 2014 में 9,776 से बढ़कर 2026 में 13,888 हो गई है, जबकि नामांकन 2014–15 में 9.51 लाख से बढ़कर 2025–26 में 14.70 लाख हो गया।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 46 02-11-2026 17:53:41

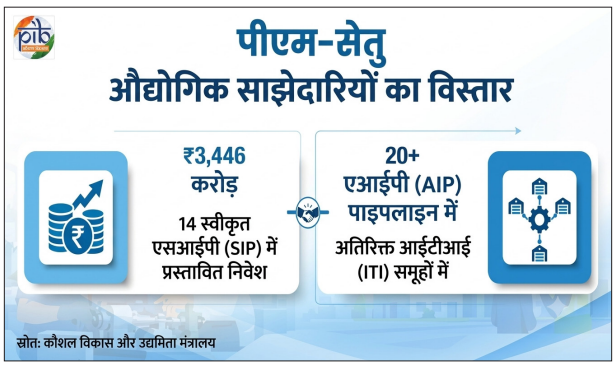

पीएम-सेतु की आवश्यकता एवं महत्त्व

- **कौशल अंतराल को कम करना:** प्रशिक्षण को उद्योग की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप बनाकर प्रशिक्षित युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार करना।
- **भविष्य के लिए तैयार कार्यबल:** युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक, विद्युत गतिशीलता, रोबोटिक्स और हरित प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते क्षेत्रों के लिए तैयार करना।
- **आधुनिक व्यावसायिक प्रशिक्षण:** आधुनिक अवसंरचना, उपकरणों और डिजिटल शिक्षण के माध्यम से आईटीआई प्रशिक्षण की गुणवत्ता और प्रासंगिकता में सुधार करना।
- **प्रशिक्षण से रोजगार तक संबंध:** उद्योग से प्रत्यक्ष परिचय, प्रशिक्षुता और रोजगार सहायता के माध्यम से प्रशिक्षण से रोजगार तक संक्रमण को सुदृढ़ करना तथा विकसित भारत 2047 के लिए आवश्यक कुशल कार्यबल तैयार करने में सहायता करना।

पीएम-सेतु की कमियां या चुनौतियाँ

- **अपूर्ण कवरेज:** पहले वर्ष में लक्षित 1,000 आईटीआई में से केवल 850 आईटीआई की पहचान की गई है; सभी आईटीआई का पूर्ण रूपांतरण अभी जारी है।
- **सीमित उद्योग भागीदारी:** केवल 26 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने उद्योगों की भागीदारी आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की है।
- **कार्यान्वयन क्षमता में असमानता:** राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में औद्योगिक आधार, संस्थागत क्षमता और तैयारी के स्तर में अंतर के कारण कार्यान्वयन और परिणामों में असमानता हो सकती है।
- **परिणामों का मापन:** दीर्घकालिक सफलता केवल अवसंरचना के निर्माण पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता, उद्योगों की भागीदारी, रोजगार के परिणाम और निरंतर रोजगार क्षमता पर भी निर्भर करेगी।

4.11. मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूर्ण (Make in India Completes 12 Years)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *भारतीय अर्थव्यवस्था तथा नियोजन, संसाधनों के जुटाव, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित विषय।*

संदर्भ

25 सितंबर 2026 को **मेक इन इंडिया** के 12 वर्ष पूरे होने के साथ, भारत का विनिर्माण परिदृश्य प्रमुख उद्योगों, घटकों, मशीनरी, रणनीतिक सामग्रियों और उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में विस्तारित हुआ है।

मेक इन इंडिया के बारे में

- **मेक इन इंडिया** को **25 सितंबर 2014** को भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसके तहत निवेश को सुगम बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचे के विकास पर जोर दिया गया।
- **"न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन"** के सिद्धांत से निर्देशित यह पहल प्रक्रियाओं और नीतियों के आधुनिकीकरण पर भी ध्यान केंद्रित करती है।
- **मेक इन इंडिया 2.0** के तहत अब यह पहल **27 क्षेत्रों** को कवर करती है, जिनमें **15 विनिर्माण क्षेत्र और 12 सेवा क्षेत्र** शामिल हैं। औद्योगिक क्षमता, आयात-प्रतिस्थापन की संभावनाओं, निर्यात की संभावनाओं और रोजगार के अवसरों के आधार पर **24 उप-क्षेत्रों** की पहचान की गई है।



KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 47 02-11-2026 17:53:41

मेक इन इंडिया की उपलब्धियाँ

- **विनिर्माण और प्रमुख उद्योगों में वृद्धि:** विनिर्माण क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन (GVA) में 2022-23 और 2025-26 के बीच 10.88% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्ज की गई, जबकि अप्रैल-जुलाई 2026 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) 7% बढ़ा।
  - ✓ इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में लगभग सात गुना वृद्धि हुई, मोबाइल फोन का उत्पादन बढ़कर लगभग ₹6.3 लाख करोड़ हो गया तथा 2024-25 में वाहन उत्पादन 3.103 करोड़ इकाइयों तक पहुँच गया।



- **फार्मास्यूटिकल्स, इस्पात, रेलवे और रक्षा क्षेत्र का विस्तार:** भारत फार्मास्यूटिकल्स के उत्पादन मात्रा के आधार पर वैश्विक स्तर पर तीसरे और मूल्य के आधार पर 11वें स्थान पर है, जबकि कच्चे इस्पात का उत्पादन 2014-15 के 81.7 मिलियन टन से बढ़कर 2025-26 में 170 मिलियन टन हो गया।
  - ✓ इसी अवधि के दौरान स्वदेशी रक्षा उत्पादन ₹46,429 करोड़ से बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ हो गया।
- **स्वदेशी प्रौद्योगिकी और रणनीतिक क्षमताओं का विस्तार:** भारत ने विनिर्माण का विस्तार अंतिम उत्पादों से आगे बढ़ाकर अंतरिक्ष माइक्रोप्रोसेसर, दुर्लभ-मृदा स्थायी चुंबक, सौर सेल और मॉड्यूल, इलेक्ट्रिक वाहन ड्राइव सिस्टम, विमान, रेलवे के घटक तथा परमाणु घटकों तक किया है।
- **निवेश और बुनियादी ढाँचा सहायता:** 2014-15 से 2025-26 के दौरान संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 843 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जबकि राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से 327 से अधिक केंद्रीय और 3,452 राज्य स्तरीय अनुमोदनों तक पहुँच उपलब्ध है।
  - ✓ इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक ने 4,220 औद्योगिक पार्कों का मानचित्रण किया है, जबकि पीएम गतिशक्ति के तहत लगभग ₹18.66 लाख करोड़ मूल्य की 396 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है।
- **PLI और नई रणनीतिक विनिर्माण पहल:** 14 क्षेत्रों को कवर करने वाली PLI योजनाओं के तहत लगभग ₹2.6 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित हुआ, ₹23.8 लाख करोड़ का उत्पादन एवं बिक्री हुई, ₹15.5 लाख करोड़ से अधिक के निर्यात को समर्थन मिला और लगभग 14.6 लाख रोजगार सृजित हुए।
  - ✓ सेमिकॉन 2.0, भव्या (BHAVYA), मोबाइल फोन विनिर्माण योजना और दुर्लभ-मृदा स्थायी चुंबक योजना जैसी नई पहलों का उद्देश्य रणनीतिक विनिर्माण को और मजबूत करना है।

आवश्यकता और महत्त्व

- **घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना:** उच्च आर्थिक वृद्धि, घरेलू मूल्य संवर्धन और एक सुदृढ़ औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक मजबूत विनिर्माण आधार आवश्यक है।
- **रोजगार सृजन:** विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार भारत के विशाल श्रमबल के लिए रोजगार सृजित कर सकता है और औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अवसर पैदा कर सकता है।
- **आयात पर निर्भरता कम करना:** घटकों, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रणनीतिक सामग्रियों में घरेलू क्षमताओं का विकास आयात पर निर्भरता कम करने तथा आपूर्ति शृंखला की प्रत्यास्थता को मजबूत करने में मदद कर सकता है।
- **निर्यात को बढ़ावा देना:** अधिक उत्पादन और घरेलू मूल्य संवर्धन भारत को विनिर्माण निर्यात बढ़ाने तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अधिक गहराई से एकीकृत होने में मदद कर सकता है।
- **रणनीतिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता:** सेमीकंडक्टर, रक्षा, अंतरिक्ष, दुर्लभ-मृदा चुंबक और उन्नत फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में घरेलू क्षमताएँ तकनीकी और रणनीतिक आत्मनिर्भरता को मजबूत कर सकती हैं।

अंतराल / चुनौतियाँ

- **विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी में सीमित वृद्धि:** उत्पादन में वृद्धि के बावजूद, नई श्रृंखला के तहत कुल सकल मूल्य वर्धन (GVA) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 2022-23 में 14.6% से बढ़कर 2025-26 में केवल 15.6% हुई।
- **रोजगार पर सीमित प्रभाव:** विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार **2016-17 में**

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 48 02-11-2026 17:53:41

लगभग 5.1 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 5.3 करोड़ हुआ, जबकि कुल रोजगार में इसकी हिस्सेदारी लगभग समान बनी रही।

- **PLI लाभों का संकेंद्रण:** PLI के लाभ अभी भी कुछ क्षेत्रों तक सीमित हैं। **शीर्ष पाँच क्षेत्रों की हिस्सेदारी कुल PLI निवेश में लगभग 83%** है, जो व्यापक विनिर्माण आधार में इसके सीमित प्रसार को दर्शाता है।
- **कमजोर निजी निवेश:** निजी क्षेत्र का स्थिर निवेश अभी भी कमजोर बना हुआ है, जबकि विनिर्माण क्षेत्र की क्षमता उपयोगिता) सामान्यतः 80% के उस स्तर से नीचे बनी हुई है, जिसे नई उत्पादन क्षमता के सृजन के लिए मजबूत प्रोत्साहन से जुड़ा माना जाता है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और संरचनात्मक बाधाएँ:** भारत को अभी भी आयात पर निर्भरता, बुनियादी ढाँचे और लॉजिस्टिक्स की लागत, कौशल की कमी, नियामकीय मुद्दों, उत्पादन लागत तथा चीन, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।



4.12. भारत भर में अवैध शाकनाशी-सहिष्णु बीटी कपास की व्यापक खेती पर अध्ययन (Study Finds Widespread Cultivation of Illegal Herbicide-Tolerant Bt Cotton Across India)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन–2: *संसद और राज्य विधानमंडल-संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार तथा इनसे संबंधित विषय; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की प्रमुख विशेषताएँ।*

संदर्भ

खेतों पर आधारित एक अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2025–26 में भारत के कपास क्षेत्र के 24–30% हिस्से में अनधिकृत आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) कपास संकर किस्मों की खेती की गई। यह जीएम फसलों के विनियमन और वास्तविक कृषि पद्धतियों के बीच मौजूद कमियों को उजागर करता है।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

- **खेती का विस्तार:** कपास की कुल 114.8 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में से अनुमानतः 26.2–29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अनधिकृत जीएम लक्षणों वाली संकर किस्में उगाई गईं।
- **जीएम लक्षणों का पता लगना:** 72.69% नमूनों में शाकनाशी-सहिष्णुता जीन cp4-epsps, जबकि 53.74% नमूनों में कीट-प्रतिरोधी जीन Vip3A पाया गया। ये प्रतिशत अध्ययन के लिए चुने गए नमूनों पर लागू होते हैं, न कि देश के सभी कपास खेतों पर।
- **अनौपचारिक बीज बाजार:** अध्ययन के अनुसार, अनधिकृत एचटीबीटी (HTBt) बीजों की बिक्री वर्ष 2017–18 में लगभग 35 लाख पैकेट से बढ़कर वर्ष 2025–26 में अनुमानतः 82–88 लाख पैकेट हो गई। इनका अनुमानित बाजार मूल्य ₹820–880 करोड़ था। इसके विपरीत, स्वीकृत बीटी कपास के बीज पैकेटों की बिक्री वर्ष 2022–23 के 596 लाख से घटकर वर्ष 2025–26 में 463 लाख रह गई।

जीएम फसलों, बीटी कपास और एचटीबीटी कपास के बारे में

- **आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलें:** इन फसलों को आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीकों का उपयोग करके विकसित किया जाता है, ताकि कीट-प्रतिरोध, शाकनाशी-सहिष्णुता या रोग-प्रतिरोध जैसे लक्षणों को शामिल किया जा सके या उनमें बदलाव किया जा सके। कुछ तकनीकों में किसी अन्य जीव से आनुवंशिक सामग्री शामिल की जाती है।
- **बीटी कपास और एचटीबीटी कपास**
  - ✓ **बीटी कपास:** भारत में वर्ष 2002 में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत इस कपास में मृदा जीवाणु बैसिलस थुरिंजिएन्सिस (Bt) से प्राप्त जीनों का उपयोग किया जाता है। स्वीकृत cry1Ac और cry2Ab जीन ऐसे प्रोटीन उत्पन्न करते हैं, जो कपास को कुछ विशिष्ट बॉलवर्म कीटों से सुरक्षा प्रदान करते हैं।
  - ✓ **एचटीबीटी कपास:** इसमें बीटी आधारित कीट-प्रतिरोध और शाकनाशी-सहिष्णुता दोनों लक्षण होते हैं। cp4-epsps जीन कपास के पौधों को ग्लाइफोसेट के प्रति सहिष्णु बनाता है, जिससे इस लक्षण वाले कपास के पौधों को नुकसान पहुँचाए बिना खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। भारत में इस अतिरिक्त लक्षण को व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृति नहीं दी गई है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 49 02-11-2026 17:53:41

✓ **Vip3A लक्षण:** यह एक अतिरिक्त कीट-प्रतिरोधी लक्षण है, जो cry1Ac और cry2Ab से भिन्न तरीके से कार्य करता है। अध्ययन के नमूनों में इसकी उपस्थिति एक अन्य अस्वीकृत जीएम लक्षण की मौजूदगी को दर्शाती है। अध्ययन में इसके उपयोग को गुलाबी सुंडी सहित अन्य कीटों के बेहतर नियंत्रण की माँग से जोड़ा गया है।

जीएम फसलें बनाम जीनोम-संपादित फसलें

आधार	आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलें	जीन-संपादन (जीन एडिटिंग) वाली फसलें
तकनीक	आनुवंशिक अभियांत्रिकी के माध्यम से बाहरी आनुवंशिक पदार्थ प्रविष्ट कराया जा सकता है।	सीआरआईएसपीआर-कैस जैसे लक्षित उपकरण डीएनए में विशिष्ट परिवर्तन करते हैं।
विदेशी डीएनए	इसमें प्रविष्ट कराया गया आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है।	पौधों का विकास बाहरी डीएनए प्रविष्ट कराए बिना किया जा सकता है।
भारत में विनियामक प्रक्रिया	1989 के नियमों के अंतर्गत आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) जीवों के जैव-सुरक्षा ढाँचे द्वारा विनियमित।	देशी डीएनए प्रविष्ट कराए बिना विकसित एसडीएन-1 (डीएनए टेम्पलेट के बिना मरम्मत) और एसडीएन-2 (डीएनए टेम्पलेट का उपयोग करके मरम्मत) श्रेणी के पौधों को 1989 के नियमों के कुछ निर्दिष्ट प्रावधानों से छूट प्राप्त है।
उदाहरण	व्यावसायिक खेती के लिए अनुमोदित बीटी कपास।	वर्ष 2025 में घोषित डीआरआर राइस 100 (कमला) और पूसा डीएसटी राइस 1।

भारत में जीएम फसलों का विनियामक ढाँचा एवं स्थिति

- **कानूनी ढाँचा**: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा वर्ष 1989 के नियम आनुवंशिक रूप से अभियांत्रित जीवों के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण को विनियमित करते हैं।
- **प्रमुख संस्थाएँ**: संस्थागत जैव-सुरक्षा समिति (आईबीएससी) संस्थागत अनुसंधान की निगरानी करती है; आनुवंशिक हेरफेर संबंधी समीक्षा समिति (आरसीजीएम) संबंधित अनुसंधान एवं विकास की निगरानी करती है; तथा आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति (जीईएसी) पर्यावरण में विमोचन से संबंधित प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है। निर्णय लागू वैधानिक अनुमोदन प्रक्रिया के अनुसार लिए जाते हैं।
- **जीएम फसलों की स्थिति**: बीटी कपास भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र जीएम फसल बनी हुई है। बीटी बैंगन की व्यावसायिक खेती पर स्थगन लागू है। जीएम सरसों को जीईएसी से पर्यावरणीय विमोचन की स्वीकृति मिली है, लेकिन इसे बिना किसी प्रतिबंध के व्यावसायिक खेती की अनुमति के समान नहीं माना जाना चाहिए।
- **जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल**: जैव विविधता अभिसमय के अंतर्गत अपनाया गया यह प्रोटोकॉल उन जीवित रूपांतरित जीवों के सुरक्षित प्रबंधन, परिवहन और उपयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय रूपरेखा प्रदान करता है, जो जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इसमें मानव स्वास्थ्य से जुड़े जोखिमों को भी ध्यान में रखा जाता है। भारत ने वर्ष 2003 में इस प्रोटोकॉल की पुष्टि की थी। भारत में जीएम फसलों की स्वीकृति की प्रक्रिया घरेलू कानूनों के अंतर्गत ही संचालित होती है।

किसान अनधिकृत जीएम कपास क्यों अपना रहे हैं?

- **श्रमिकों की कमी और उच्च लागत:** हाथों से खरपतवार निकालने में अधिक श्रम लगता है और किसानों को किफायती दरों पर श्रमिक उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है।
- **खरपतवार प्रबंधन की कम लागत:** अध्ययन के अनुसार, ग्लाइफोसेट का दो से तीन बार छिड़काव करने पर प्रति एकड़ ₹750–850 का खर्च आता है, जबकि हाथों से खरपतवार निकालने पर ₹12,000–15,000 का खर्च आता है। ये अनुमान स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं।
- **अतिरिक्त कीट-प्रतिरोध की माँग:** नमूनों में Vip3A की उपस्थिति अतिरिक्त कीट-प्रतिरोधी लक्षणों में किसानों की रुचि का संकेत देती है। इसका संबंध गुलाबी सुंडी जैसे कीटों के विरुद्ध मौजूदा तकनीकों की प्रभावशीलता को लेकर चिंताओं से हो सकता है। हालाँकि, केवल इस लक्षण को अपनाने से इसकी दीर्घकालिक प्रभावशीलता सिद्ध नहीं होती।

चिंताएँ एवं निहितार्थ

- **विनियामक एवं जैव-सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** अनधिकृत खेती निर्धारित मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रियाओं को दरकिनार करती है, जिससे निगरानी, पता लगाने की क्षमता और जवाबदेही सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है।
- **पर्यावरणीय जोखिम:** ग्लाइफोसेट के बार-बार उपयोग से शाकनाशी-प्रतिरोधी खरपतवारों का चयन हो सकता है, जबकि व्यापक प्रभाव वाले शाकनाशियों का छिड़काव गैर-लक्षित वनस्पतियों और जीवों को प्रभावित कर सकता है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 50 02-11-2026 17:53:42

- **प्रतिरोधकता एवं बीज गुणवत्ता:** कुछ विशेष कीट-प्रतिरोधी लक्षणों पर अत्यधिक निर्भरता से उनकी दीर्घकालिक प्रभावशीलता कम हो सकती है। अनौपचारिक बीज वितरण नेटवर्क गुणवत्ता आश्वासन को भी कमजोर करते हैं और बीजों के अपेक्षित परिणाम न देने पर किसानों के पास शिकायत निवारण के सीमित विकल्प रह जाते हैं।
- **नीतिगत चुनौती:** अनधिकृत संकर किस्मों का प्रसार इस आवश्यकता को उजागर करता है कि वैज्ञानिक मूल्यांकन और विनियामक अनुपालन बनाए रखते हुए किसानों की उत्पादन संबंधी बाधाओं का समाधान किया जाए।

आगे की राह

- **प्रवर्तन को सुदृढ़ करना:** अनधिकृत बीज उत्पादन, वितरण और खेती की निगरानी में सुधार करना, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ ऐसी गतिविधियों की पहचान की गई है।
- **किफायती विकल्पों को बढ़ावा देना:** महँगे मानवीय श्रम और शाकनाशियों के बार-बार उपयोग पर निर्भरता कम करने के लिए यंत्रीकृत निराई तथा खरपतवारों के एकीकृत प्रबंधन का विस्तार करना।
- **वैज्ञानिक मूल्यांकन में सुधार करना:** प्रस्तावित जीएम लक्षणों का पारदर्शी एवं साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन सुनिश्चित करना तथा विनियामक निर्णयों को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करना।
- **किसानों की आवश्यकताओं का समाधान करना:** श्रमिकों की कमी, खरपतवार प्रबंधन की लागत और कीट प्रतिरोधकता जैसी समस्याओं का समाधान करते हुए यह सुनिश्चित करना कि नए जीएम लक्षण निर्धारित अनुमोदन प्रक्रिया का पालन करें।

4.13. आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2026 (Nobel Prize in Economic Sciences 2026)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन I प्रारंभिक परीक्षा: *राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की समसामयिक घटनाएँ।*

संदर्भ

अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान के लिए वर्ष 2026 का स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के रॉबर्ट ई. हॉल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के माइकल वुडफोर्ड को "समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण के व्यष्टि आर्थिक आधारों" में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया।

नोबेल पुरस्कार विजेताओं का प्रमुख योगदान, 2026

- **पृष्ठभूमि: एक नए आर्थिक ढाँचे की आवश्यकता**
  - ✓ **पूर्ववर्ती मॉडलों की सीमाएँ:** पारंपरिक कीन्सवादी मॉडल यह अनुमान लगाने के लिए व्यापक रूप से समष्टि आर्थिक चरों के बीच ऐतिहासिक संबंधों पर निर्भर थे कि नीतिगत परिवर्तनों के प्रति अर्थव्यवस्था कैसी प्रतिक्रिया देगी।
  - ✓ **1970 के दशक के तेल संकट:** तेल की बढ़ती कीमतों के साथ उच्च मुद्रास्फीति, उच्च बेरोजगारी और निम्न आर्थिक विकास देखने को मिला, जिसने पारंपरिक आर्थिक मॉडल को चुनौती दी।
  - ✓ **व्यष्टि आर्थिक आधार:** अर्थशास्त्रियों ने व्यक्तिगत परिवारों और व्यवसायों के निर्णय लेने तथा अपेक्षाएँ बनाने के तरीकों पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने यह स्वीकार किया कि इन निर्णयों का सामूहिक प्रभाव व्यापक अर्थव्यवस्था को आकार देता है।



- **रॉबर्ट ई. हॉल: घरेलू उपभोग को समझना**
  - ✓ **उपभोग संबंधी निर्णय:** वर्ष 1978 में प्रकाशित अपने महत्त्वपूर्ण शोधपत्र में हॉल ने दर्शाया कि उपभोग एक ऐसे पैटर्न का अनुसरण करता है, जिसमें परिवर्तन काफी हद तक भविष्य की आय से संबंधित नई जानकारी पर निर्भर करते हैं, न कि केवल मौजूदा जानकारी के आधार पर पूरी तरह अनुमानित होते हैं।
  - ✓ **स्थायी आय संबंधी अपेक्षाएँ:** परिवारों का व्यय केवल वर्तमान आय पर ही नहीं, बल्कि भविष्य की कमाई, बचत और उधार लेने की उपलब्धता से जुड़ी अपेक्षाओं पर भी निर्भर करता है।
  - ✓ **समर्थन में साक्ष्य:** हॉल और फ्रेडरिक मिश्किन के बाद के शोध में पाया गया कि अध्ययन किए गए लगभग 80% परिवारों ने मोटे तौर पर उपभोग के इस पैटर्न का अनुसरण किया।
  - ✓ **नीतिगत महत्त्व:** उनके शोध ने यह समझने में सहायता की कि परिवार आर्थिक परिवर्तनों और सरकारी नीतियों के प्रति अलग-अलग प्रतिक्रिया क्यों देते हैं, विशेषकर तब, जब उनकी वित्तीय परिस्थितियाँ और उधार लेने संबंधी सीमाएँ भिन्न होती हैं।
- **माइकल वुडफोर्ड: व्यष्टि आर्थिक निर्णयों को समष्टि आर्थिक स्थिरता से जोड़ना**
  - ✓ **एकीकृत समष्टि आर्थिक मॉडल:** वर्ष 2003 में प्रकाशित अपनी पुस्तक ब्याज और कीमतें: मौद्रिक नीति के सिद्धांत की आधारशिला में वुडफोर्ड ने एक ऐसा ढाँचा विकसित किया, जो घरेलू उपभोग,

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 51 02-11-2026 17:53:42

व्यावसायिक मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णयों और केंद्रीय बैंक की ब्याज दर संबंधी नीतियों को आपस में जोड़ता है।

- ✓ **नव-कीन्सवादी मॉडल:** उनके कार्य ने परिवारों और व्यवसायों के निर्णयों तथा अपेक्षाओं पर आधारित समष्टि आर्थिक मॉडलों को सुदृढ़ किया। इससे मुद्रास्फीति, उत्पादन, रोजगार और मौद्रिक नीति का विश्लेषण करने के लिए एक व्यवस्थित ढाँचा प्राप्त हुआ।
- ✓ **कीमतों की जड़ता:** माँग या उत्पादन लागत में परिवर्तन के प्रति कीमतें धीरे-धीरे समायोजित हो सकती हैं। परिणामस्वरूप, कीमतों के पूरी तरह समायोजित होने से पहले ही माँग में परिवर्तन उत्पादन और रोजगार को प्रभावित कर सकते हैं।
- ✓ **भविष्य की नीति संबंधी मार्गदर्शन:** केंद्रीय बैंक अपनी अपेक्षित भावी मौद्रिक नीति के बारे में जानकारी देकर वर्तमान आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। यह विशेष रूप से तब महत्त्वपूर्ण होता है, जब तत्काल ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश सीमित हो।
- ✓ **उत्पादन अंतराल:** वास्तविक उत्पादन और संभावित उत्पादन के बीच का अंतर अर्थव्यवस्था में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता या माँग के दबाव को दर्शाता है तथा नीति-निर्माताओं को स्थिरीकरण के लिए उचित कदम निर्धारित करने में सहायता करता है।

आर्थिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के बारे में

- **आधिकारिक नाम:** अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान के लिए स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार।
- **स्थापना:** वर्ष 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक, स्वेरिजेस रिक्सबैंक द्वारा नोबेल फाउंडेशन को दिए गए दान के माध्यम से।
- **पहली बार प्रदान किया गया:** वर्ष 1969 में रैग्नर फ्रिश और जान टिनबर्गेन को।
- **पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था:** रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज़।
- **पुरस्कार राशि:** वर्ष 2026 के पुरस्कार के लिए 1.2 करोड़ स्वीडिश क्रोना, जो लगभग 12 लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर है।
- **पुरस्कार समारोह:** 10 दिसंबर, 2026 को स्टॉकहोम, स्वीडन में।
- **विशिष्टता:** यह अल्फ्रेड नोबेल की वर्ष 1895 की वसीयत के अंतर्गत स्थापित मूल पाँच नोबेल पुरस्कारों में शामिल नहीं था।
  - ✓ इसकी स्थापना स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा अलग से की गई थी और इसे मूल नोबेल पुरस्कारों के समान सिद्धांतों के अनुसार प्रदान किया जाता है।

4.14. व्यापार और विकास रिपोर्ट 2026 (Trade and Development Report 2026)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *भारतीय अर्थव्यवस्था तथा नियोजन, संसाधनों के संग्रहण, संवृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित विषय।*

संदर्भ

यूएनसीटीएडी ने हाल ही में व्यापार एवं विकास रिपोर्ट 2026: विकास का भू-अर्थशास्त्र प्रकाशित की।

व्यापार एवं विकास रिपोर्ट के बारे में

- **प्रकाशित करने वाली संस्था:** व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD)।
- यह रिपोर्ट पहली बार 1981 में प्रकाशित हुई थी। इसमें वैश्विक आर्थिक रुझानों तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार और विकास नीतियों का विश्लेषण किया जाता है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **वैश्विक आर्थिक परिदृश्य**
  - ✓ **विकास दर में मंदी:** वर्ष 2026 में वैश्विक विकास दर 2.6% और 2027 में 2.7% रहने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2025 में यह 2.9% थी। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर 2025 के 4.7% से घटकर 2026 में 4% रहने की उम्मीद है।
  - ✓ **व्यापार में लचीलापन:** वर्ष 2025 में वैश्विक व्यापार में वास्तविक रूप से 4.4% की वृद्धि हुई और 2026 में इसके लगभग 4% बढ़ने की उम्मीद है। हालाँकि, ऊँची कीमतों के कारण व्यापार का मूल्य आंशिक रूप से बढ़ा हुआ दिखाई देता है।
  - ✓ **असमान आर्थिक सुधार:** वर्ष 2026 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि में एशिया का योगदान 59% रहने का अनुमान है, जबकि कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को ऊर्जा संबंधी झटकों, उधार लेने की ऊँची लागत और सीमित राजकोषीय गुंजाइश जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- **वैश्विक व्यापार का चयनात्मक विखंडन**
  - ✓ **भू-आर्थिक प्रतिस्पर्धा:** देश रणनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए टैरिफ, सब्सिडी, निर्यात नियंत्रण, निवेश की जाँच और प्रौद्योगिकी संबंधी प्रतिबंधों का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। वैश्वीकरण जारी है, लेकिन व्यापार और उत्पादन के नेटवर्क भू-राजनीतिक आधार पर पुनर्गठित हो रहे हैं।
  - ✓ **बदलते व्यापार प्रतिरूप:** चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार में 2024 से 2025 के बीच 20% से अधिक की गिरावट आई, जो वैश्विक आर्थिक संबंधों के पुनर्गठन को दर्शाती है।
- **रणनीतिक निवेश और विकास वित्तपोषण**
  - ✓ **निवेश का संकेंद्रण:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अवसंरचना, अर्धचालक और ऊर्जा संक्रमण प्रौद्योगिकियों सहित रणनीतिक क्षेत्रों का वर्ष 2025 में वैश्विक ग्रीनफील्ड निवेश में 44% हिस्सा था, जो वर्ष 2020 में 16% था। महत्त्वपूर्ण खनिजों को छोड़कर, इन क्षेत्रों में लगभग 70% निवेश विकसित अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त होता है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 52 02-11-2026 17:53:42

✓ **विकास सहायता में गिरावट:** आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) की विकास सहायता समिति के सदस्यों से मिलने वाली आधिकारिक विकास सहायता (ODA) में वर्ष 2026 में 6.9% की गिरावट आने और इसके 152 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। यह लगातार तीसरा वर्ष होगा, जब इसमें गिरावट दर्ज की जाएगी।

भारत-विशिष्ट निष्कर्ष

- **विकास का परिदृश्य:** मजबूत घरेलू माँग, विनिर्माण क्षमता के विस्तार और सार्वजनिक अवसंरचना कार्यक्रमों के समर्थन से भारत की विकास दर वर्ष 2026 में 7.3% और वर्ष 2027 में 6.8% रहने का अनुमान है। तेल आयात पर अत्यधिक निर्भरता अब भी एक कमज़ोर पक्ष बनी हुई है।
- **रणनीतिक निवेश गंतव्य:** वर्ष 2020–2025 के दौरान वैश्विक रणनीतिक ग्रीनफील्ड निवेश में भारत की हिस्सेदारी 5.7% रही, जिससे वह ऐसे निवेश के लिए एशिया के प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाले गंतव्यों में शामिल हो गया।
- **औद्योगिक नीति:** भारत ने वर्ष 2022–2025 के दौरान 707 औद्योगिक नीति उपाय लागू किए। रिपोर्ट की तुलना में भारत विश्व स्तर पर पाँचवें स्थान पर रहा। उससे आगे संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील थे।
- **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना:** रिपोर्ट में भारत द्वारा 23 देशों के साथ अपनी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना साझा करने के समझौते का उल्लेख किया गया है, जो दक्षिण-दक्षिण सहयोग में भारत की भूमिका को दर्शाता है।

प्रमुख नीतिगत सिफारिशें

- **औद्योगिक क्षमताओं को मजबूत करना:** ऐसी दीर्घकालिक औद्योगिक नीतियाँ अपनाना, जो प्रौद्योगिकी के उन्नयन, विविधीकरण और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के उच्च मूल्य-वर्धित क्षेत्रों में प्रवेश को बढ़ावा दें।
- **वित्त को विकास के अनुरूप बनाना:** किफायती घरेलू और बहुपक्षीय वित्त जुटाना, अस्थिर पूँजी प्रवाह का प्रबंधन करना तथा ऐसे विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, जो स्थानीय संबंधों को मजबूत करे और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा दे।
- **नियम-आधारित व्यापार को बनाए रखना:** पारदर्शिता, पूर्वानुमेयता और गैर-भेदभाव सुनिश्चित करने में विश्व व्यापार संगठन (WTO) की भूमिका को मजबूत करना। साथ ही, विकासशील देशों की सार्थक भागीदारी तथा उनके लिए उचित विशेष और विभेदक व्यवहार की व्यवस्था को सुरक्षित रखना।
- **क्षेत्रीय सहयोग को गहरा करना:** दक्षिण-दक्षिण व्यापार, प्रौद्योगिकी साझाकरण, भुगतान प्रणालियों और व्यापार सुविधा का विस्तार करना। ऊर्जा सुरक्षा में सुधार तथा बाहरी झटकों के प्रभाव को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करना।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 53 02-11-2026 17:53:42



पर्यावरण एवं भूगोल तथा आपदा प्रबंधन

5.1. नए कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मानदंड (New Corporate Average Fuel Economy Norms)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन; अवसंरचना: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे आदि।*

संदर्भ

विद्युत मंत्रालय ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी (CAFE) मानदंड अधिसूचित किए हैं, जो CAFE-II का स्थान लेंगे। ये मानदंड 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होंगे और 31 मार्च 2032 तक लागू रहेंगे।

CAFE मानदंड को समझना

- CAFE मानदंड वाहन-समूह स्तर के ईंधन-दक्षता मानक हैं, जो प्रत्येक वाहन पर समान दक्षता सीमा लागू करने के बजाय किसी निर्माता के यात्री-वाहनों के पूरे समूह की औसत ईंधन खपत को नियंत्रित करते हैं।
- भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत CAFE मानदंड लागू किए हैं, जिनके क्रियान्वयन में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) की महत्वपूर्ण भूमिका है।
- यह व्यवस्था भारत में बिक्री के लिए निर्मित या आयातित M1-श्रेणी के यात्री वाहनों पर लागू होती है। इसलिए CAFE निर्माताओं को अपने पूरे वाहन-समूह में अपेक्षाकृत कम ईंधन-दक्षता वाले वाहनों की भरपाई अधिक ईंधन-दक्षता वाले वाहनों के माध्यम से करने की अनुमति देता है।
- **CAFE मानदंडों का विकास:**
  - ✓ **CAFE-I:** 2017–18 में प्रभावी हुआ, जिसमें लगभग 5.5 लीटर/100 किमी की औसत ईंधन-खपत का मानक और 130 ग्राम/किमी से कम औसत CO_2 उत्सर्जन निर्धारित किया गया था।
  - ✓ **CAFE-II:** 2022–23 में प्रभावी हुआ, जिसमें मानक को और सख्त करते हुए 4.78 लीटर/100 किमी तथा 113 ग्राम/किमी से कम औसत CO_2 उत्सर्जन निर्धारित किया गया।
  - ✓ **CAFE-III:** 2027–28 से 2031–32 के दौरान प्रत्येक वर्ष वाहन-समूह की औसत ईंधन-दक्षता के मानक को और अधिक कड़ा करेगा।

CAFE-III की प्रमुख विशेषताएँ

- **क्रमशः अधिक कठोर लक्ष्य:** वाहन-समूह की औसत ईंधन-खपत का लक्ष्य प्रत्येक वर्ष अधिक कठोर होता जाएगा। यह 2027–28 में 3.9960 लीटर/100 किमी से घटकर 2031–32 में 3.3273 लीटर/100 किमी हो जाएगा। यह लक्ष्य निर्माता के वाहन-समूह के भारित औसत वाहन-द्रव्यमान से जुड़ा होगा।
- **स्वच्छ वाहनों के लिए प्रोत्साहन:** BEV और REEV को 3 गुना सुपर क्रेडिट मिलेगा, जबकि प्लग-इन/स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तथा फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को अलग-अलग क्रेडिट दिए जाएंगे। इससे निर्माताओं को स्वच्छ पावरट्रेन अपनाने पर अनुपालन में अधिक लाभ मिलेगा।
- **कार्बन-तटस्थता कारक:** CAFE-III में वैकल्पिक ईंधन वाले वाहनों के लिए CO_2 उत्सर्जन में निर्धारित कटौती का प्रावधान है-E20 या उससे अधिक मिश्रित पेट्रोल वाले वाहनों के लिए 8%, फ्लेक्स-फ्यूल इथेनॉल वाहनों के लिए 22.3% तथा CNG वाहनों के लिए 5% या अधिसूचित CBG मिश्रण प्रतिशत, इनमें से जो अधिक हो। डीजल वाहनों के लिए कारक वास्तविक रूप से अधिसूचित जैव-ईंधन मिश्रण से जुड़ा होगा।
- **ईंधन-बचत प्रौद्योगिकियाँ:** निर्माता प्रत्येक पात्र दक्षता प्रौद्योगिकी के लिए 1 gCO_2/km का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 9 gCO_2/km होगी।
  - ✓ इनमें स्टार्ट-स्टॉप प्रणाली, टायर-दाब निगरानी प्रणाली, पुनर्योजी ब्रेकिंग, दक्ष अल्टरनेटर, LED प्रकाश व्यवस्था, उन्नत ग्लेज़िंग तथा दक्ष एयर-कंडीशनिंग शामिल हैं।
- **लचीला अनुपालन:** जो निर्माता अपने वार्षिक लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उन्हें क्रेडिट मिलेगा, जबकि लक्ष्य पूरा न करने वाले निर्माताओं पर डेबिट लागू होगा।
  - ✓ क्रेडिट का निर्माताओं के बीच व्यापार किया जा सकता है या उन्हें BEE से खरीदा जा सकता है। 2027–28 से 2031–32 के दौरान खरीद मूल्य ₹2,500 से बढ़कर ₹4,500 प्रति gCO_2/km हो जाएगा। अनुपालन का आकलन प्रत्येक वर्ष दो अनुपालन ब्लॉकों के अंतर्गत किया जाएगा।
- **छोटी कारों के लिए अलग रियायत नहीं:** पहले के मसौदे के विपरीत, अंतिम मानदंडों में छोटी पेट्रोल कारों के लिए अलग से कोई रियायत नहीं दी गई है।
  - ✓ हालांकि, रिपोर्टिंग अवधि में 1,000 से कम पात्र वाहनों का निर्माण/आयात करने वाले निर्माताओं को विशिष्ट वाहन-समूह

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 54 02-11-2026 17:53:42

लक्ष्य से छूट दी गई है, लेकिन उन्हें अपनी ईंधन-खपत की रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा।

- **अधिक सुदृढ़ रिपोर्टिंग:** अप्रैल 2027 से निर्माताओं को MIDC और WLTP, दोनों के तहत मॉडल-स्तर के CO_2 प्रदर्शन के साथ-साथ वार्षिक राज्यवार बिक्री संबंधी आँकड़े भी प्रस्तुत करने होंगे।

CAFE-III का महत्व

- **ऊर्जा सुरक्षा:** वाहनों की ईंधन-दक्षता में सुधार से ईंधन की खपत और भारत की आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम हो सकती है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी।
- **कम कार्बन उत्सर्जन:** अधिक कठोर वाहन-समूह औसत दक्षता मानकों से यात्री वाहन क्षेत्र में ईंधन की खपत और उससे संबंधित CO_2 उत्सर्जन को कम किया जा सकता है।
- **प्रौद्योगिकीगत संक्रमण:** सुपर क्रेडिट, कार्बन-तटस्थता कारक (CNFs) और प्रौद्योगिकी-आधारित अनुपालन लाभ निर्माताओं को इलेक्ट्रिक वाहन, हाइब्रिड, इथेनॉल, CNG/CBG तथा ईंधन-बचत प्रौद्योगिकियों जैसे कई विकल्प प्रदान करते हैं, बजाय इसके कि किसी एक तकनीक को अनिवार्य किया जाए।
- **ऑटोमोबाइल क्षेत्र में परिवर्तन:** व्यक्तिगत मॉडलों के बजाय निर्माता के पूरे वाहन-समूह की समग्र दक्षता पर ध्यान केंद्रित करने से CAFE-III के तहत वाहन-समूह की संरचना, पावरट्रेन के विकल्प, दक्षता प्रौद्योगिकियाँ और अनुपालन प्रबंधन ऑटोमोबाइल निर्माताओं के लिए तेजी से महत्वपूर्ण होते जाएंगे।

5.2. भारत स्टेज VII उत्सर्जन मानक (Bharat Stage VII Emission Standards)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *संरक्षण, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी- विकास तथा अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर उनके प्रभाव।*

संदर्भ

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने नए यात्री वाहनों के लिए 1 अप्रैल, 2029 से भारत स्टेज VII (BS-VII) उत्सर्जन मानकों को लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत हल्के वाणिज्यिक वाहनों को अप्रैल 2030 तथा बसों और भारी-भरकम वाहनों को अप्रैल 2031 से इन मानकों के दायरे में लाने की योजना है।

अन्य संबंधित जानकारी

- अक्टूबर 2026 में प्रकाशित तीन मसौदा अधिसूचनाओं में अप्रैल 2035 तक चरणबद्ध कार्यान्वयन का प्रस्ताव दिया गया है तथा 30 दिनों के भीतर जनता से टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं।
- प्रस्तावित मानक यूरोप के यूरो 7 (Euro 7) मानदंडों के अनुरूप हैं। इनमें प्रदूषण नियंत्रण को निकास उत्सर्जन से आगे बढ़ाकर ब्रेक से उत्पन्न कणों, टायरों के घिसाव, वास्तविक परिस्थितियों में वाहन चलाने के परीक्षणों, ऑनबोर्ड निगरानी और बैटरी की टिकाऊपन क्षमता तक विस्तारित किया गया है।
- ये प्रस्ताव अभी मसौदा चरण में हैं और अंतिम रूप दिए जाने से पहले कार्यान्वयन की तिथियों तथा तकनीकी आवश्यकताओं में बदलाव हो सकता है।

भारत स्टेज उत्सर्जन मानकों के बारे में

- भारत स्टेज (BS) उत्सर्जन मानक सरकार द्वारा अनिवार्य किए गए ऐसे नियम हैं, जो मोटर वाहनों से उत्सर्जित होने वाले प्रदूषकों की मात्रा को सीमित करते हैं। इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), हाइड्रोकार्बन (HC) और कणिकीय पदार्थ (PM) शामिल हैं।
- भारत के मानक यूरोपीय उत्सर्जन मानदंडों पर आधारित हैं।
- भारत में पहले उत्सर्जन मानक, जिन्हें इंडिया 2000 के नाम से जाना जाता है, वर्ष 2000 में लागू किए गए थे।
- इसके बाद भारत ने BS-II, BS-III और BS-IV लागू किए। BS-V को छोड़कर सीधे BS-VI पर चला गया।
- BS-VI मानक देशभर में 1 अप्रैल, 2020 से लागू हुए। इनके तहत उत्सर्जन सीमाओं को सख्त किया गया और कम सल्फर वाले ईंधन का उपयोग अनिवार्य किया गया, जिसमें सल्फर की मात्रा 10 भाग प्रति मिलियन (ppm) तक सीमित है।

प्रस्तावित BS-VII मानकों के प्रमुख प्रावधान

- प्रस्तावित मानकों में यात्री कारें (M1 श्रेणी), 3.5 टन तक के हल्के वाणिज्यिक वाहन (N1 श्रेणी) तथा बसों और ट्रकों सहित भारी वाणिज्यिक वाहन शामिल हैं।
- यात्री कारों के लिए निकास पाइप से होने वाले उत्सर्जन की प्रमुख सीमाएँ BS-VI के समान ही बनी हुई हैं। मुख्य बदलाव परीक्षण, निगरानी, गैर-निकास प्रदूषण और वाहनों की टिकाऊपन क्षमता से संबंधित हैं।
- मौजूदा BS-VI वाहनों के लिए देशव्यापी प्रतिस्थापन या रेट्रोफिट कार्यक्रम का कोई प्रस्ताव नहीं है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 55 02-11-2026 17:53:42

प्रमुख परिवर्तन: BS-VI बनाम BS-VII

मापदंड	BS-VI	प्रस्तावित BS-VII
कार्यान्वयन	अप्रैल 2020 से देशभर में लागू।	अप्रैल 2029 से अप्रैल 2035 तक चरणबद्ध कार्यान्वयन।
वाहन श्रेणियाँ	संबंधित वाहन श्रेणियों के लिए मौजूदा उत्सर्जन आवश्यकताएँ।	यात्री कारें अप्रैल 2029 से; हल्के वाणिज्यिक वाहन अप्रैल 2030 से; बसें और भारी-भरकम वाहन अप्रैल 2031 से।
निकास पाइप से उत्सर्जन	प्रमुख प्रदूषकों के लिए निर्धारित सीमाएँ।	यात्री कारों के लिए प्रमुख सीमाएँ यथावत रखी गई हैं, जबकि परीक्षण और निगरानी को अधिक सख्त बनाया गया है।
कणों का मापन	कणों का न्यूनतम आकार 23 नैनोमीटर।	सीमा घटाकर 10 नैनोमीटर कर दी गई है।
वास्तविक परिस्थितियों में परीक्षण	संबंधित वाहनों के लिए वास्तविक ड्राइविंग परिस्थितियों में उत्सर्जन परीक्षण।	पोर्टेबल मापन प्रणालियों का उपयोग करके सड़क पर परीक्षण; अप्रैल 2030 से नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और कणों की संख्या के लिए 1.0 का अनुरूपता गुणांक प्रस्तावित।
ब्रेक से उत्पन्न कण	यात्री कारों के लिए कोई तुलनीय बीएस-VI सीमा नहीं।	अप्रैल 2031 से पूर्णतः इलेक्ट्रिक कारों के लिए 3 मिलीग्राम/किमी और अन्य निर्दिष्ट पावरट्रेन के लिए 7 मिलीग्राम/किमी; अप्रैल 2035 से सभी पावरट्रेन के लिए 3 मिलीग्राम/किमी।
टायरों का घिसाव	कोई समकक्ष आवश्यकता नहीं।	यात्री कारों के लिए अप्रैल 2031 से आवश्यकताएँ प्रस्तावित; संख्यात्मक सीमाएँ अलग से अधिसूचित की जाएँगी।
ऑनबोर्ड निगरानी	ऑनबोर्ड नैदानिक प्रणाली की खराबियों की पहचान करते हैं।	वास्तविक उत्सर्जन और ईंधन या विद्युत ऊर्जा की खपत की अतिरिक्त निगरानी।
बैटरी की टिकाऊ क्षमता	बीएस-VI के अंतर्गत कोई समकक्ष मानदंड नहीं।	संबंधित इलेक्ट्रिक वाहनों और प्लग-इन हाइब्रिड वाहनों के लिए पाँच वर्ष या 1,00,000 किमी के बाद कम-से-कम 75% ऊर्जा क्षमता बनाए रखना तथा आठ वर्ष या 1,60,000 किमी के बाद 67% क्षमता बनाए रखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक चरण में जो भी सीमा पहले पूरी होगी, वही लागू होगी।
वाहन संबंधी जानकारी	मौजूदा वाहन संबंधी जानकारी और नैदानिक प्रणालियाँ।	पर्यावरणीय वाहन पासपोर्ट, जिसमें उत्सर्जन, ईंधन की खपत और बैटरी की स्थिति दर्शाई जाएगी।

BS-VII का महत्त्व

- **वायु प्रदूषण में कमी:** छोटे कणों और हानिकारक उत्सर्जनों का बेहतर मापन और नियंत्रण किया जा सकेगा।
- **गैर-निकास प्रदूषण पर नियंत्रण:** ब्रेक से उत्पन्न कणों और टायरों के घिसाव से होने वाले प्रदूषण की सीमाएँ तय करने से इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) सहित सभी प्रकार के पावरट्रेन से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकेगा।
- **वास्तविक परिस्थितियों में अनुपालन:** सड़कों पर परीक्षण और ऑनबोर्ड निगरानी से वाहनों के वास्तविक उपयोग के दौरान उत्सर्जन मानकों के अनुपालन में सुधार होगा।
- **बैटरी की टिकाऊपन क्षमता:** बैटरी की क्षमता बनाए रखने संबंधी मानदंड और पर्यावरणीय वाहन पासपोर्ट बैटरी की स्थिति तथा वाहन उत्सर्जन से संबंधित जानकारी को बेहतर बनाएँगे।

BS-VII से संबंधित चुनौतियाँ या मुद्दे

- **अनुपालन की अधिक लागत:** उन्नत प्रौद्योगिकियों और परीक्षणों से वाहनों की कीमतें बढ़ सकती हैं, विशेषकर किफायती कारों की।
- **तैयारी के लिए कम समय:** अप्रैल 2029 की समय-सीमा से वाहनों के नए मॉडलों की पेशकश में बाधा आ सकती है और निर्माताओं को तैयारी के लिए सीमित समय मिल सकता है।
- **इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर प्रभाव:** मौजूदा वाहनों को उन्नत बनाने से इंजीनियरिंग संसाधन इलेक्ट्रिक वाहनों के अनुसंधान एवं विकास से हटकर अन्य कार्यों में लग सकते हैं।
- **तकनीकी और अवसंरचनात्मक चुनौतियाँ:** तकनीकी सीमाओं और परीक्षण आवश्यकताओं को अंतिम रूप न दिया जाना तथा विशेष सुविधाओं की अपर्याप्तता कार्यान्वयन को जटिल बना सकती है।

आगे की राह

- **स्पष्ट मानकों को अंतिम रूप देना:** सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) को जनता की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद उत्सर्जन सीमाओं और परीक्षण प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देना चाहिए।
- **पर्याप्त संक्रमण समय सुनिश्चित करना:** कार्यान्वयन की समय-सीमा तकनीकी तैयारी और वाहन निर्माताओं की निवेश संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्धारित की जानी चाहिए।
- **परीक्षण अवसंरचना को सुदृढ़ करना:** परीक्षण सुविधाओं, पोर्टेबल मापन प्रणालियों और प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।
- **किफायती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना:** पारदर्शी निगरानी और प्रभावी प्रवर्तन के साथ-साथ स्वच्छतर प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को समर्थन दिया जाना चाहिए।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 56 02-11-2026 17:53:43

5.3. रिफाइनरियों और वस्त्र इकाइयों के लिए कार्बन लक्ष्यों में संशोधन (Amends in Carbon Targets for Refineries and Textile Units)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण; औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर उनके प्रभाव।*

संदर्भ

केंद्र सरकार ने हाल ही में पेट्रोलियम रिफाइनरियों और कपड़ा इकाइयों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन-तीव्रता लक्ष्यों में संशोधन किया है। भारत के कार्बन-बाजार ढाँचे के तहत उनके आधार-वर्षों और अनुपालन समय-सारिणी में संशोधन किया गया है।

उत्सर्जन-तीव्रता लक्ष्यों में प्रमुख बदलाव

- **संशोधित समय-सारिणी:** ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य (संशोधन) नियम, 2026 के तहत पेट्रोलियम रिफाइनरी और कपड़ा क्षेत्रों के लिए दूसरी अनुसूची में दिए गए मौजूदा प्रविष्टियों को बदला गया है।
- **रिफाइनरियों के आधार-वर्ष:** कई रिफाइनरियों के आधारभूत उत्सर्जन-तीव्रता मूल्यों में संशोधन किया गया है। इनमें डिगबोई, गुजरात, गुवाहाटी, हल्दिया, मथुरा, पानीपत और पारादीप स्थित इंडियन ऑयल की रिफाइनरियाँ शामिल हैं। इनके संबंधित लक्ष्यों में भी बदलाव किए गए हैं।
- **अनुपालन समय-सारिणी:** संशोधित समय-सारिणी में 2026–27 के लिए संख्यात्मक लक्ष्य बनाए रखे गए हैं, जबकि 2025–26 के लक्ष्य कॉलम में कोई संख्यात्मक लक्ष्य नहीं दिया गया है।
- **दायरा:** संशोधित समय-सारिणी में 21 पेट्रोलियम रिफाइनरियों और 173 कपड़ा इकाइयों को शामिल किया गया है, जो निर्दिष्ट कपड़ा उप-क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं।

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन-तीव्रता (GEI) लक्ष्यों के बारे में

- **GEI क्या है?** ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) से आशय औद्योगिक उत्पादन की प्रति इकाई होने वाले ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन की मात्रा से है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- **तीव्रता बनाम पूर्ण उत्सर्जन:** पूर्ण उत्सर्जन लक्ष्य का उद्देश्य कुल उत्सर्जन को कम करना होता है, जबकि उत्सर्जन-तीव्रता लक्ष्य का उद्देश्य उत्पादन की प्रति इकाई उत्सर्जन को कम करना होता है। इस प्रकार, उत्सर्जन-तीव्रता में कमी के साथ उत्पादन में वृद्धि जारी रह सकती है।
- **ढाँचे का विकास:** सरकार ने पहली बार अक्टूबर 2025 में एल्युमिनियम, सीमेंट, क्लोर-एल्कली और लुगदी एवं कागज क्षेत्रों के लिए जीईआई लक्ष्य अधिसूचित किए थे, जिनमें 282 बाध्यकारी संस्थाओं को शामिल किया गया था। जनवरी 2026 में इस ढाँचे का विस्तार द्वितीयक एल्युमिनियम, पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल और कपड़ा क्षेत्रों तक किया गया, जिससे 208 अतिरिक्त संस्थाएँ जुड़ीं और कुल कवरेज 490 बाध्यकारी संस्थाओं तक पहुँच गई।
- **वर्तमान संशोधन:** सितंबर 2026 के संशोधन में अब पेट्रोलियम रिफाइनरी और कपड़ा क्षेत्रों के लिए पहले अधिसूचित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया गया है तथा उनकी आधारभूत उत्सर्जन-तीव्रता और संबंधित लक्ष्यों में संशोधन किया गया है।
- **आधारभूत मान और लक्ष्य:** प्रत्येक बाध्यकारी संस्था का आकलन एक निर्दिष्ट आधारभूत उत्सर्जन-तीव्रता और संबंधित अनुपालन वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के आधार पर किया जाता है। वर्तमान ढाँचे में जनवरी 2026 में अधिसूचित अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए 2023–24 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग किया गया है।
- **तीव्रता-आधारित लक्ष्यों की आवश्यकता क्यों?** ये लक्ष्य उद्योगों को ऊर्जा दक्षता, उत्पादन प्रक्रियाओं में सुधार और कम-कार्बन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जबकि आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति देते हैं।

भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना

- **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS):** 2023 में अधिसूचित सीसीटीएस भारत के भारतीय कार्बन बाजार (आईसीएम) के लिए व्यापक ढाँचा प्रदान करती है। इसका उद्देश्य कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों (CCC) के व्यापार के माध्यम से उत्सर्जन का मूल्य निर्धारण करके ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, हटाना या रोकना है।
- **अनुपालन तंत्र:** निर्दिष्ट ऊर्जा-गहन उद्योगों को बाध्यकारी संस्थाओं के रूप में नामित किया जाता है और उन्हें संस्था-विशिष्ट जीईआई लक्ष्य दिए जाते हैं। जो संस्थाएँ अपने निर्धारित लक्ष्यों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं, वे सीसीसी प्राप्त करने के लिए पात्र होती हैं। इन सीसीसी का व्यापार उन बाध्यकारी संस्थाओं के साथ किया जा सकता है, जो अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ रहती हैं।
- **दो तंत्र:** भारतीय कार्बन बाजार में बाध्यकारी उद्योगों के लिए अनुपालन तंत्र तथा ऑफसेट तंत्र शामिल हैं। ऑफसेट तंत्र के तहत पात्र उत्सर्जन-कमी, उत्सर्जन-हटाने या उत्सर्जन-परिहार परियोजनाएँ स्वीकृत कार्यप्रणालियों के अनुसार कार्बन क्रेडिट उत्पन्न कर सकती हैं।
- **निगरानी और सत्यापन:** इस ढाँचे में निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन (MRV) प्रक्रियाएँ तथा कार्बन सत्यापन एजेंसियों का प्रत्यायन शामिल है, ताकि उत्सर्जन में कमी और कार्बन क्रेडिट की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 57 02-11-2026 17:53:43

- **संस्थागत संरचना:** भारतीय कार्बन बाजार के समग्र प्रशासन के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) प्रशासक के रूप में तथा ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया रजिस्ट्री के रूप में कार्य करता है।
- **गैर-अनुपालन:** निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहने वाली बाध्यकारी संस्थाओं पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जा सकती है। वर्तमान जीईआई ढाँचे में इस क्षतिपूर्ति को कार्बन क्रेडिट बाजार की कीमतों से जोड़ा गया है।

भारत का कार्बन बाजार: महत्त्व और चिंताएँ

- **औद्योगिक कार्बन-मुक्ति:** जीईआई लक्ष्य ऊर्जा-गहन उद्योगों को स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने, दक्षता में सुधार करने और उत्सर्जन-तीव्रता को कम करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।
- **कार्बन मूल्य निर्धारण:** उत्सर्जन में कमी को व्यापार योग्य मूल्य प्रदान करके, भारतीय कार्बन बाजार का उद्देश्य औद्योगिक निर्णय-निर्माण में कार्बन उत्सर्जन की लागत को शामिल करना है।
- **जलवायु लक्ष्य:** कार्बन बाजार भारत की कम-कार्बन विकास और 2070 तक दीर्घकालिक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। सरकार ने अपने 2035 के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) लक्ष्यों को भी मजबूत किया है, जिसमें 2005 के स्तर की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन-तीव्रता में 47% की कमी का लक्ष्य शामिल है।
- **बाजार की अखंडता:** प्रभावी निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन (MRV), सत्यापन तथा विश्वसनीय कार्यप्रणालियाँ यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि व्यापार किए जाने वाले क्रेडिट वास्तविक उत्सर्जन-कमी के अनुरूप हों और दोहरी गणना जैसे जोखिमों को न्यूनतम किया जा सके।
- **पूर्वानुमेयता:** लक्ष्यों की समय पर अधिसूचना और स्थिर अनुपालन आवश्यकताएँ उद्योगों के लिए दीर्घकालिक कार्बन-मुक्ति निवेश की योजना बनाने तथा कार्बन बाजार में विश्वसनीय मूल्य संकेत विकसित करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

5.4. भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन योजना के तहत भारत के पहले 'प्रमाण' सर्टिफ़िकेट (India's First PRAMAAN Certificates under the Indian Forest and Wood Certification Scheme)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *संरक्षण, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन।*

संदर्भ

भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन योजना (IFWCS) के तहत नई दिल्ली में पहली बार PRAMAAN प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। यह भारत में वन प्रमाणन व्यवस्था के नीति-निर्माण से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के चरण में प्रवेश का संकेत है।

अन्य संबंधित जानकारी

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने PRAMAAN प्रमाण-पत्र प्रदान किए। यह कार्यक्रम भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (IIFM), भोपाल द्वारा आयोजित किया गया था, जो IFWCS की संचालन एजेंसी है।
- प्रमाण-पत्र आंध्र प्रदेश वन विकास निगम (APFDC) को 33,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले वृक्षारोपणों के लिए तथा ओडिशा बाँस विकास एजेंसी (OBDA) से जुड़े बाँस किसान गोविंद महापात्र को प्रदान किए गए।
- प्रमाणन से पहले प्रमाणित वृक्षारोपणों और कृषि गतिविधियों का क्षेत्रीय एवं प्रबंधन ऑडिट किया गया। यह दिसंबर 2023 में शुरू किए गए प्रमाणन ढाँचे के व्यावहारिक कार्यान्वयन को दर्शाता है।

भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन योजना (IFWCS) के बारे में

- भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन योजना (IFWCS) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा दिसंबर 2023 में शुरू किया गया। यह एक स्वैच्छिक, तृतीय-पक्ष प्रमाणन योजना है, जिसका उद्देश्य वनों, कृषि वानिकी तथा काष्ठ-आधारित क्षेत्र में जिम्मेदार प्रथाओं को बढ़ावा देना है।
- यह योजना जिम्मेदार वन एवं कृषि वानिकी प्रथाओं को अपनाने वाली संस्थाओं को बाजार-आधारित प्रोत्साहन प्रदान करती है। इनमें राज्य वन विभाग, वन विकास निगम, किसान, किसान उत्पादक संगठन (FPO) तथा काष्ठ-आधारित उद्योग शामिल हैं।
- इस योजना के अंतर्गत प्रमाणन के तीन प्रमुख घटक हैं:
  - ✓ **वन प्रबंधन प्रमाणन** – दर्ज वन क्षेत्रों और वन वृक्षारोपणों के लिए।
  - ✓ **वनों के बाहर स्थित वृक्ष (TOF) प्रबंधन प्रमाणन** – कृषि वानिकी प्रणालियों और निजी वृक्षारोपणों के लिए।
  - ✓ **अभिरक्षा श्रृंखला प्रमाणन (CoC Certification)** – आपूर्ति श्रृंखला के दौरान इमारती लकड़ी और गैर-काष्ठ वन उत्पादों की उत्पत्ति एवं आवागमन को ट्रेस करने योग्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए।
- भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन परिषद इस योजना के लिए बहु-हितधारक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करती है।
- भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (IIFM), भोपाल इस योजना की संचालन एजेंसी है, जबकि स्वतंत्र ऑडिट करने वाले प्रमाणन निकायों को

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 58 02-11-2026 17:53:43

भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) के अंतर्गत प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NABCB) द्वारा प्रत्यायन प्रदान किया जाता है।

PRAMAAN प्रमाण-पत्र के बारे में

- PRAMAAN का पूर्ण रूप प्रोग्राम फॉर रिकग्निशन एंड एक्रेडिटेशन ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज फॉर एग्रोफॉरेस्ट्री एंड नेचुरल फॉरेस्ट्री रिसोर्सेज है।
- यह IFWCS के अंतर्गत प्रमाणन ढाँचा है, जो वनों, काष्ठ और गैर-काष्ठ वन उत्पादों के लिए लागू होता है तथा इसका उद्देश्य इन्हें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से बेहतर रूप से जोड़ना है।
- प्रमाणन केवल स्व-घोषणा पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके लिए स्वतंत्र तृतीय-पक्ष ऑडिट आवश्यक है।
- भारतीय वन प्रबंधन मानक में 8 मानदंड, 69 संकेतक और 254 सत्यापनकर्ता शामिल हैं।
- प्रमाणन 5 वर्षों के लिए वैध होता है। निर्धारित मानकों के निरंतर अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक निगरानी ऑडिट किए जाते हैं।
- PRAMAAN की प्रत्यायन व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन ढाँचों के अनुरूप विकसित किया गया है, जिससे घरेलू एवं वैश्विक खरीदारों तथा नियामकों के बीच इसकी मान्यता को समर्थन मिलता है।
- IFWCS दिशानिर्देश पात्र पर्यावरणीय गतिविधियों को ग्रीन क्रेडिट ढाँचे से जोड़ने का प्रावधान करते हैं। हालांकि, PRAMAAN प्रमाणन प्राप्त करना अपने-आप ग्रीन क्रेडिट प्राप्त करने का आधार नहीं है।

PRAMAAN प्रमाणन का महत्व

- **वैश्विक बाजार तक पहुँच:** अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उभरती उचित परिश्रम (Due Diligence) और वनोन्मूलन-मुक्त काष्ठ संबंधी आवश्यकताओं के बीच भारतीय उत्पादकों एवं निर्यातकों को सतत और पता लगाने योग्य स्रोत से प्राप्त उत्पादों को प्रमाणित करने में सहायता करता है।
- **विश्वसनीय सततता सत्यापन:** स्वतंत्र ऑडिट स्वैच्छिक स्व-घोषणा की तुलना में अधिक विश्वसनीयता प्रदान करते हैं।
- **किसानों और आजीविका के अवसर:** प्रमाणन लघु एवं सीमांत किसानों, ग्रामीण एवं जनजातीय समुदायों, वन-निर्भर समुदायों, महिला स्वयं सहायता समूहों तथा सीमांत भूमि धारकों को संगठित और संभावित रूप से प्रीमियम बाजारों से जोड़ सकता है।
- **पता लगाने योग्य आपूर्ति श्रृंखला:** अभिरक्षा श्रृंखला (CoC) प्रमाणन स्रोत से ग्राहक तक काष्ठ और गैर-काष्ठ वन उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला में ट्रेस करने की क्षमता को बढ़ाता है।
- **सतत वन-आधारित अर्थव्यवस्था:** PRAMAAN पारिस्थितिक संरक्षण, जिम्मेदार उत्पादन और बाजार के अवसरों को आपस में जोड़ता है, जिससे भारत के वनों, कृषि वानिकी प्रणालियों और काष्ठ-आधारित उद्योगों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा मिलता है।

5.5. दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य से 12% कम वर्षा के साथ समाप्त हुआ (Southwest Monsoon Ends with 12% Deficit)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-1: *भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखीय गतिविधि, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भू-भौतिकीय घटनाएँ; भौगोलिक विशेषताएँ और उनका स्थान; महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं (जिनमें जल निकाय और हिमच्छद शामिल हैं) तथा वनस्पतियों और जीव-जंतुओं में होने वाले परिवर्तन और ऐसे परिवर्तनों के प्रभाव।*

संदर्भ

भारत का 2026 का दक्षिण-पश्चिम मानसून 759.4 मिमी वर्षा के साथ समाप्त हुआ, जो सामान्य 868.6 मिमी से 12.6% कम है। इसके साथ ही, यह 2015 के बाद भारत का सबसे शुष्क मानसून रहा, जबकि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 1901 के बाद से सबसे शुष्क मानसून दर्ज किया गया।

मानसून के बारे में

- **मानसून** शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द *मौसिम (Mausim)* से हुई है, जिसका अर्थ **"ऋतु"** है। यह **हवाओं के मौसमी उलटफेर** को संदर्भित करता है, जो मुख्य रूप से स्थल और समुद्र के असमान ताप से उत्पन्न होता है तथा वायुमंडलीय दाब में संबंधित परिवर्तनों से जुड़ा होता है।
- भारत में मानसून की दो प्रमुख प्रणालियाँ हैं:
  - ✓ **दक्षिण-पश्चिम मानसून:** जून–सितंबर; भारत में वर्षा का मुख्य मौसम।
  - ✓ **उत्तर-पूर्व मानसून:** अक्टूबर–दिसंबर; विशेष रूप से भारत के **दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी भागों** के लिए महत्वपूर्ण।

मानसून के प्रकार

- **दक्षिण-पश्चिम मानसून:** नमी से युक्त दक्षिण-पश्चिमी हवाएँ दो प्रमुख शाखाओं-अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा-के माध्यम से भारत में प्रवेश करती हैं।
  - ✓ अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट के沿 भारी वर्षा कराती है, जबकि बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्वी, पूर्वोत्तर और उत्तरी भारत की ओर आगे बढ़ती है।
  - ✓ दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जून के आसपास केरल पहुँचता है और चरणबद्ध तरीके से उत्तर की ओर आगे बढ़ता है तथा

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 59 02-11-2026 17:53:43

आमतौर पर जुलाई के आरंभ तक पूरे देश को कवर कर लेता है।

- **उत्तर-पूर्व मानसून:** अक्टूबर–दिसंबर के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी होती है और हवाओं की दिशा उलट जाती है।
  - ✓ उत्तर-पूर्वी हवाएँ बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती हैं और तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश तथा दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा लाती हैं।



भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक

- **अंतर-उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र** (ITCZ): ITCZ निम्न दाब और ऊपर उठती वायु की एक पट्टी है, जहाँ व्यापारिक पवनें अभिसरित होती हैं।
  - ✓ गर्मियों के दौरान इसका उत्तर की ओर खिसकना मानसूनी परिसंचरण की स्थापना में सहायता करता है, जबकि इसका दक्षिण की ओर खिसकना मानसून की वापसी में योगदान देता है।
- **अल नीनो–दक्षिणी दोलन** (ENSO): अल नीनो में उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी भाग में असामान्य गर्मी देखी जाती है। यह सामान्यतः कमजोर भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून से जुड़ा होता है, जबकि ला नीना प्रायः अधिक वर्षा में सहायक होता है।
  - ✓ ENSO वर्ष-दर-वर्ष मानसून की परिवर्तनशीलता को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है।
- **हिंद महासागर द्विध्रुव** (Indian Ocean Dipole-IOD): IOD से तात्पर्य हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी भागों के समुद्री सतह के तापमान में अंतर से है।
  - ✓ ENSO के साथ मिलकर यह दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा में अंतर-वार्षिक परिवर्तनशीलता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है।
- **मैडेन–जूलियन दोलन** (Madden–Julian Oscillation-MJO): MJO उष्णकटिबंधीय वायुमंडल–महासागर की एक घटना है, जिसका सामान्य चक्र 30–60 दिनों का होता है।
  - ✓ इसका पूर्व की ओर संवहन भारतीय मानसून के सक्रिय और विराम चरणों को प्रभावित करता है तथा विस्तारित अवधि के पूर्वानुमान के लिए महत्वपूर्ण है।
- **सोमाली जेट:** सोमाली जेट एक शक्तिशाली भूमध्यरेखीय-पार निम्न-स्तरीय वायुप्रवाह है, जो अरब सागर में प्रवेश करता है और गर्मियों के दौरान भारत तक पहुँचता है।
  - ✓ इसका मजबूत होना विशेष रूप से प्रायद्वीपीय भारत में अधिक मजबूत मानसूनी परिस्थितियों में सहायक है।
- **मस्करीन हाई:** मस्करीन हाई दक्षिणी हिंद महासागर के ऊपर स्थित एक उच्च दाब प्रणाली है।
  - ✓ यह भारत की ओर भूमध्यरेखीय-पार वायुप्रवाह को सुगम बनाती है, जबकि इसकी तीव्रता में परिवर्तन मानसून की हवाओं और वर्षा की तीव्रता में अचानक वृद्धि कर सकता है और पश्चिमी तट पर भारी वर्षा को प्रभावित कर सकता है।
- **उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट** (Tropical Easterly Jet-TEJ): उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान ऊपरी क्षोभमंडल में विकसित होता है।
  - ✓ इसकी स्थिति और गति भारत में मानसूनी वर्षा के स्वरूप को प्रभावित करती है।
- **मानसून द्रोणी** (Monsoon Trough): यह एक लंबा निम्न दाब क्षेत्र है, जो पाकिस्तान के ऊपर स्थित ऊष्ण निम्न दाब क्षेत्र से बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत होता है।
  - ✓ दक्षिण की ओर इसका खिसकना सामान्यतः सक्रिय मानसूनी परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है, जबकि हिमालय की तलहटी की ओर इसका उत्तर की ओर खिसकना देश के बड़े हिस्से में मानसून विराम चरण की स्थिति उत्पन्न कर सकता है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 60 02-11-2026 17:53:43

भारत के लिए मानसून का महत्व

- **कृषि पर निर्भरता:** लगभग 64% भारतीय कृषि पर निर्भर हैं, जबकि भारत के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र का केवल लगभग 55% सिंचित है। इसलिए कृषि का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण-पश्चिम मानसून पर निर्भर रहता है।
- **आर्थिक वृद्धि:** अच्छा मानसून कृषि उत्पादन, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि, ग्रामीण आय और उपभोग को बढ़ाता है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूत होती है।
- **फसल विविधता:** मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नताएँ और सामान्यतः अनुकूल तापमान भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती को संभव बनाते हैं।
- **बाढ़, सूखा और मृदा क्षरण:** असमान, विलंबित या अत्यधिक वर्षा बाढ़, सूखा और मृदा अपरदन का कारण बन सकती है, जिससे फसल उत्पादन, ग्रामीण आय और भूमि की उर्वरता प्रभावित होती है।
- **क्षेत्रीय जीवन एवं रबी फसलें:** पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली शीतकालीन वर्षा उत्तर भारत में गेहूँ और अन्य रबी फसलों के लिए सहायक होती है, जबकि मानसून से प्रभावित जलवायु परिस्थितियाँ विभिन्न क्षेत्रों में खान-पान, वस्त्र और आवास के पैटर्न को प्रभावित करती हैं।

5.6. राष्ट्रीय तटीय मिशन 2.0 के लिए दिशानिर्देश (Guidelines for National Coastal Mission 2.0)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-1: *भौगोलिक विशेषताएँ और उनका स्थान-महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं (जल निकायों और हिमच्छदों सहित) में परिवर्तन।*

सामान्य अध्ययन-3: *संरक्षण, पर्यावरणीय प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन।*

संदर्भ

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने राष्ट्रीय तटीय मिशन (NCM) 2.0 के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो तटीय लचीलेपन को बढ़ाने, पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण करने तथा सतत ब्लू इकॉनमी के विकास के लिए एक सुव्यवस्थित फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय तटीय मिशन 2.0 के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख दिशानिर्देश

- **संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण:** दिशानिर्देशों में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तटीय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, कार्यान्वयन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के बीच समन्वित कार्यान्वयन की व्यवस्था की गई है। इसमें स्पष्ट संस्थागत उत्तरदायित्व तथा मौजूदा सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण सुनिश्चित किया गया है।
- **संस्थागत ढाँचा:** परियोजना संचालन समिति (PSC), जिसकी अध्यक्षता MoEFCC के सचिव द्वारा की जाती है, निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है।
  - ✓ परियोजना प्रबंधन प्रकोष्ठ (PMC) योजना निर्माण, मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग में सहायता करता है, जबकि सतत तटीय प्रबंधन प्रभाग (SCMD) मिशन का कार्यान्वयन करता है।
  - ✓ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) निधि प्रवाह और वित्तीय निगरानी के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- **राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की भागीदारी:** तटीय राज्य और केंद्रशासित प्रदेश महत्वपूर्ण कार्यान्वयन भागीदार हैं।
  - ✓ प्रत्येक भाग लेने वाला राज्य/केंद्रशासित प्रदेश एक राज्य नोडल समन्वय अधिकारी (SNCO) नामित करेगा और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ एकल समझौता ज्ञापन करेगा।
  - ✓ राज्य/केंद्रशासित प्रदेश परियोजना तैयार करने, वैधानिक स्वीकृतियाँ प्राप्त करने, सामुदायिक भागीदारी, डेटा साझा करने तथा दीर्घकालिक संचालन और रखरखाव में सहयोग करेंगे।
- **वैज्ञानिक परियोजना नियोजन:** परियोजनाएँ एक निर्धारित जीवन-चक्र का पालन करेंगी, जिसमें अवधारणा नोट, पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, स्वतंत्र तकनीकी मूल्यांकन, अनुमोदन और कार्यान्वयन शामिल हैं।
  - ✓ परियोजनाओं में मापनीय आउटपुट, परिणाम और प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPIs), पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय तथा जोखिम-प्रबंधन प्रावधान होना आवश्यक है।
- **निगरानी और जवाबदेही:** दिशानिर्देशों में प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS), नियमित भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी, शिकायत निवारण, तृतीय-पक्ष मूल्यांकन, वैधानिक लेखापरीक्षा तथा मूल्यांकन के निष्कर्षों के आधार पर मध्यावधि सुधारात्मक उपायों का प्रावधान किया गया है।
- **प्रमुख हस्तक्षेप क्षेत्र:** कार्यान्वयन में जलवायु-लचीला तटीय पर्यटन, प्रदूषण में कमी और निगरानी, प्रवाल भित्ति संरक्षण एवं पुनर्स्थापन, तटीय और समुद्री डॉल्फिन संरक्षण तथा अपरदित तटरेखाओं के लिए हरित तटीय अवसंरचना शामिल हैं।
  - ✓ इसमें एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाएँ (ICZMPs), तटीय एवं समुद्री स्थानिक योजनाएँ (CMSPs) तथा क्षमता निर्माण और पर्यावरणीय जागरूकता भी शामिल हैं।

राष्ट्रीय तटीय मिशन 2.0 के बारे में

- राष्ट्रीय तटीय मिशन (राष्ट्रीय तटीय मिशन) को 2021–22 से 2025–26 के दौरान मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों के संरक्षण, तटीय एवं समुद्री

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 61 02-11-2026 17:53:43

अनुसंधान, सतत समुद्र तटों तथा क्षमता निर्माण के लिए कार्यान्वित किया गया।

- पूर्ववर्ती राष्ट्रीय तटीय मिशन को 16 मई 2025 से राष्ट्रीय तटीय मिशन 2.0 में समाहित कर दिया गया।
- राष्ट्रीय तटीय मिशन 2.0 एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- राष्ट्रीय तटीय मिशन 2.0 के लिए 2025–26 से 2030–31 तक ₹767 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी गई है।
- **विज़न:** तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण एवं सुरक्षा करते हुए सतत एवं समावेशी विकास, जलवायु लचीलापन और ब्लू इकॉनमी की संभावनाओं को बढ़ावा देना।
- **कवरेज:** इसमें नौ तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तथा चार केंद्रशासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पुडुचेरी और लक्षद्वीप-शामिल हैं।
- प्रमुख अपेक्षित परिणामों में लगभग 1,000 किमी प्राथमिकता वाले तटरेखा क्षेत्र के लिए ICZMPs और CMSPs, तटीय जल की गुणवत्ता में सुधार, तटीय अपरदन, लवणता के अंतःप्रवेश और बाढ़ के प्रति संवेदनशीलता में कमी, प्रवाल भित्तियों और मैंग्रोव का पुनर्स्थापन, पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन अवसंरचना तथा तटीय समुदायों के लिए आजीविका के बेहतर अवसर शामिल हैं।



5.7. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian Bustard)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन।*

संदर्भ

एक महत्वपूर्ण संरक्षण पहल के तहत, राजस्थान के जैसलमेर स्थित डेजर्ट नेशनल पार्क के सम क्षेत्र में बंदी-प्रजनन से तैयार दो नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया। इसके साथ ही इस संकटग्रस्त प्रजाति के पुनर्वनीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई।

अन्य संबंधित जानकारी

- दो **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड** को जंगल में छोड़ा जाना भारत की संरक्षण रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है-बंदी-प्रजनन के माध्यम से एक व्यवहार्य आबादी तैयार करने से लेकर पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनः स्थापित करने तक।
- कुल 11 बंदी-प्रजनित **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड** को जंगल में छोड़ने के लिए निर्धारित किया गया है। पहले चरण में 2 को छोड़ा गया है, जबकि शेष 9 को बाद के चरणों में पक्षियों के अनुकूलन, व्यवहार और जीवित रहने की क्षमता के आधार पर छोड़ा जाएगा।
- पहला चरण एक पायलट अभ्यास के रूप में कार्य करेगा। वैज्ञानिक टेलीमेट्री और अन्य विधियों के माध्यम से पक्षियों की निगरानी करेंगे, ताकि उनकी आवाजाही, आवास के उपयोग और अनुकूलन को समझा जा सके।
- इन निष्कर्षों से भविष्य में पक्षियों को जंगल में छोड़ने के लिए प्रोटोकॉल को और बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी।

डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में

- **स्थान:** राजस्थान के **जैसलमेर और बाड़मेर जिलों** में, थार मरुस्थल के अंतर्गत।
- **स्थापना:** 1980 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित।
- **वनस्पति: खेजड़ी, बबूल, प्रोसोपिस,** मरुस्थलीय घास और शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल झाड़ियाँ।
- **जीव-जंतु:** ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, चिंकारा, मरु लोमड़ी, भारतीय भेड़िया, डेजर्ट कैट, कांटेदार-पूँछ वाली छिपकली और डेजर्ट मॉनिटर।
- **यूनेस्को:** वर्ष 2009 में प्राकृतिक मानदंड (vii), (viii) और (x) के अंतर्गत भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर अस्थायी सूची में शामिल किया गया।

प्रमुख खतरे

- घासभूमि आवास का ह्रास और विखंडन।
- प्राकृतिक घासभूमियों को अन्य भूमि उपयोगों में परिवर्तित करना।
- प्रजनन काल के दौरान व्यवधान।
- ऐतिहासिक रूप से शिकार और अवैध शिकार।
- अवसंरचना तथा मानव-जनित अन्य व्यवधान।
- अत्यंत धीमी प्रजनन दर तथा जीवन-इतिहास से जुड़ी अन्य विशेषताएँ, जो आबादी की पुनर्बहाली को कठिन बनाती हैं।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 62 02-11-2026 17:53:44

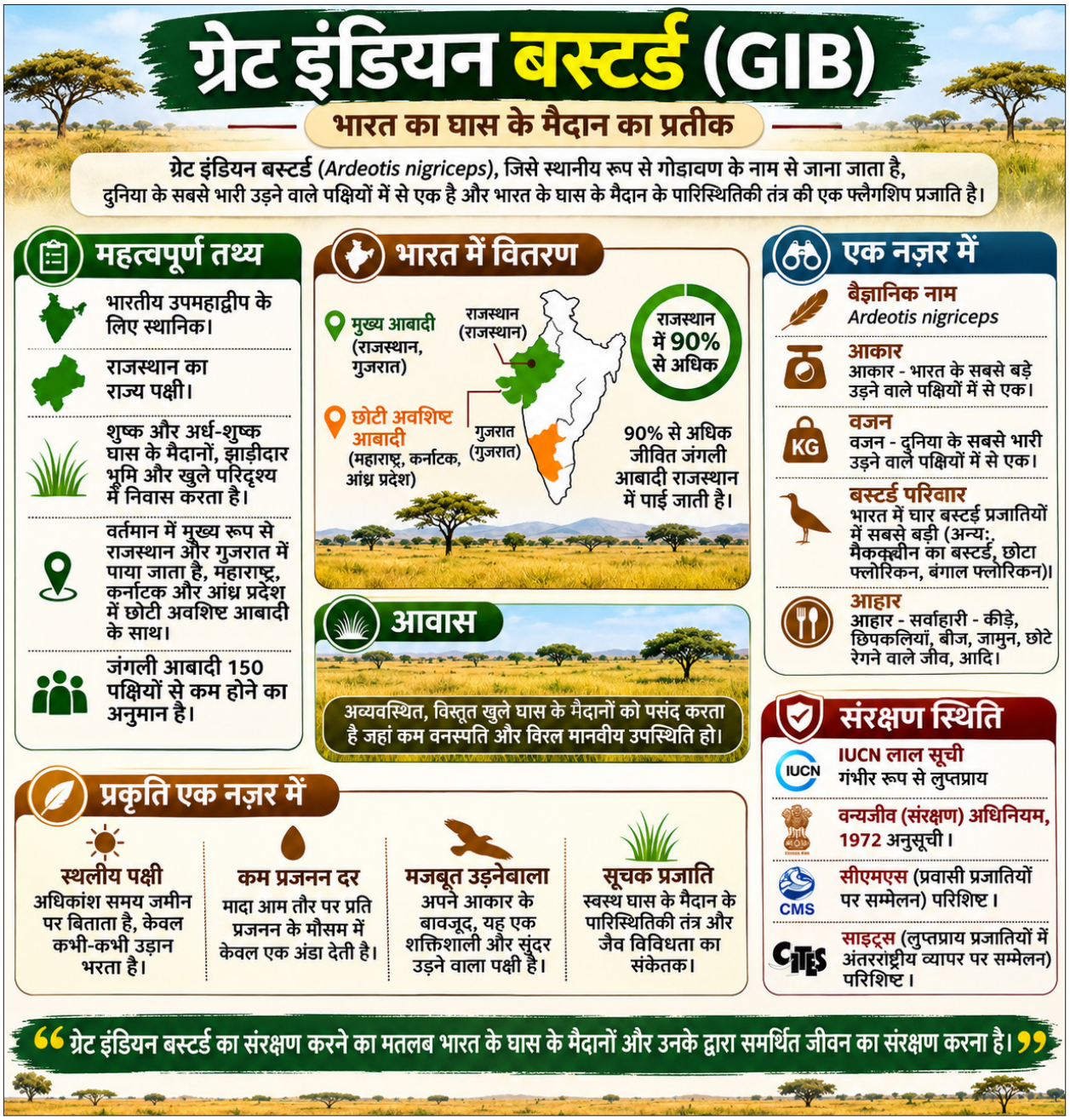

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) के संरक्षण के प्रयास

- **प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड:** इसकी परिकल्पना 2011 में की गई और इसे औपचारिक रूप से 2016 में शुरू किया गया। प्रोजेक्ट GIB एक दीर्घकालिक पुनर्बहाली कार्यक्रम है, जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), राजस्थान वन विभाग और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
  - ✓ इसे राष्ट्रीय CAMPA और इंटरनेशनल फंड फॉर हौबारा कंजर्वेशन का समर्थन प्राप्त है। इसका ध्यान बंदी प्रजनन, आवास प्रबंधन, खतरों को कम करने और पुनःस्थापन पर है।
- **संरक्षण प्रजनन एवं पुनर्वनीकरण:** जैसलमेर के सम और रामदेवरा स्थित संरक्षण-प्रजनन केंद्रों में वर्तमान में 97 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं,

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 63 02-11-2026 17:53:44

जिनमें से 11 को जंगल में छोड़ने के लिए निर्धारित किया गया है। इनमें से 2 को पहले ही जंगल में छोड़ा जा चुका है, जो बंदी आबादी के निर्माण से पुनर्वनीकरण की दिशा में संक्रमण को दर्शाता है।

- **'जंपस्टार्ट' दृष्टिकोण: 'जंपस्टार्ट' तकनीक** के तहत बंदी अवस्था में दिए गए अंडों को प्राकृतिक ऊष्मायन के लिए जंगली GIB के घोंसलों में रखा जाता है।
  - ✓ इस विधि से राजस्थान में 6 और गुजरात में 2 चूजे प्राप्त हुए हैं तथा इसे 2026 में अंतर-राज्यीय पहल के माध्यम से विस्तारित किया गया।
- **आवास पुनर्बहाली एवं वैज्ञानिक प्रबंधन:** डेजर्ट नेशनल पार्क में लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बाड़ से घिरे घासभूमि क्षेत्र स्थापित किए गए हैं।
  - ✓ भारतीय वन्यजीव संस्थान के दीर्घकालिक टेलीमेट्री अध्ययनों से प्रजनन आवासों की पहचान करने तथा आवास प्रबंधन और भविष्य के पुनःस्थापन के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने में सहायता मिलती है।
- **सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप:** सर्वोच्च न्यायालय के 2024 के निर्णय में GIB को बिजली की लाइनों से टकराने से बचाने के लिए विज्ञान-आधारित दृष्टिकोण अपनाने की बात कही गई।
  - ✓ न्यायालय ने आवास हानि, विखंडन और कम प्रजनन दर जैसे व्यापक खतरों को भी मान्यता दी तथा संरक्षण उपायों के मार्गदर्शन के लिए एक विशेषज्ञ समिति का प्रावधान किया।

5.8. प्रोजेक्ट चीता (Project Cheetah)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *संरक्षण, पर्यावरणीय प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन।*

संदर्भ

मध्य प्रदेश ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व (VDTR) में दो चीतों को छोड़कर प्रोजेक्ट चीता का विस्तार तीसरे आवास क्षेत्र तक किया है। यह रिजर्व सागर जिले में स्थित है।

अन्य संबंधित जानकारी

- मुख्यमंत्री ने वन्यजीव संरक्षण सप्ताह के समापन दिवस पर दो चीतों- व्योम और नीरा-को वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में छोड़ा। इन चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान से लाया गया था।
- कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के बाद, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा आवास क्षेत्र बन गया है।
- यह स्थानांतरण मध्य प्रदेश के अन्य उपयुक्त वन क्षेत्रों तक चीता संरक्षण परियोजना के विस्तार को दर्शाता है।
- अगले महीने दो और चीतों को वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में लाए जाने की संभावना है।

चीता आबादी की वर्तमान स्थिति

- भारत में चीतों की आबादी बढ़कर 60 हो गई है, जिसमें भारत में जन्मे 41 चीते शामिल हैं।
- वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में चीतों को छोड़े जाने के बाद, 54 चीते कूनो राष्ट्रीय उद्यान, 4 गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य और 2 वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में हैं।
- आबादी में वृद्धि को सफल प्रजनन और भारत में जन्मे शावकों के जीवित रहने से समर्थन मिला है।
- भारत में जन्मी मादा चीता KJP21 के पाँच शावकों को जन्म देने के साथ ही भारत में बोत्सवाना वंशावली की भी शुरुआत हुई।



प्रोजेक्ट चीता के बारे में

- भारत में चीते को 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था। इसके प्रमुख कारणों में आवास का नुकसान, शिकार प्रजातियों में कमी और शिकार शामिल थे।
- वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रायोगिक आधार पर सीमित संख्या में अफ्रीकी चीतों को भारत में लाने की अनुमति दी।
- प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत 17 सितंबर 2022 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में की गई।
- नामीबिया से आठ चीतों का पहला जत्था सितंबर 2022 में भारत पहुँचा। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते फरवरी 2023 में और बोत्सवाना से 9 चीते फरवरी 2026 में लाए गए।
- यह विश्व में किसी बड़े जंगली मांसाहारी जीव का पहला अंतरमहाद्वीपीय स्थानांतरण है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य मेटापॉपुलेशन के रूप में प्रबंधित एक

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 64 02-11-2026 17:53:44

व्यवहार्य और आत्मनिर्भर चीता आबादी स्थापित करना तथा उपयुक्त खुले पारिस्थितिक तंत्रों में इस प्रजाति की पारिस्थितिक भूमिका को पुनर्स्थापित करना है।

- यह कार्यक्रम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अंतर्गत संचालित है और इसका नेतृत्व राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा किया जा रहा है। भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) और राज्य वन विभाग भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- कूनो राष्ट्रीय उद्यान को प्राथमिक चीता आवास के रूप में विकसित किया गया था। इसके बाद गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य और अब वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को चीता आवास के रूप में विकसित किया गया है।

इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस (IBCA)

- IBCA की शुरुआत 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में की गई थी। इसका उद्देश्य सात बड़ी बिल्ली प्रजातियों- बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा-के वैश्विक संरक्षण को बढ़ावा देना है।
- IBCA एक बहु-देशीय, बहु-एजेंसी गठबंधन है, जिसमें बड़ी बिल्ली प्रजातियों के क्षेत्रीय देश, गैर-क्षेत्रीय देश, संरक्षण साझेदार और वैज्ञानिक संगठन शामिल हैं। इसका उद्देश्य बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण में ज्ञान साझा करना, क्षमता निर्माण और सहयोग को बढ़ावा देना है।
- इसका सचिवालय भारत में स्थित है।

वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बारे में

- वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व (VDTR), जिसे नौरादेही टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में लगभग 2,339 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है।
- इसे 1997 में स्थापित किया गया था और 20 सितंबर 2023 को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया। यह प्रमुख बाघ आवासों को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण लैंडस्केप कॉरिडोर का हिस्सा है।

5.9. भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 103 हुई (India's Ramsar Site Tally Reaches 103)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन।*

संदर्भ

चंडीगढ़ में सुखना आर्द्रभूमि और उत्तर प्रदेश में सौज झील को शामिल किए जाने के साथ भारत में रामसर स्थलों की संख्या 103 हो गई है। सुखना आर्द्रभूमि चंडीगढ़ का पहला रामसर स्थल बन गई है।

सुखना आर्द्रभूमि के बारे में

- **अवस्थिति:** चंडीगढ़ के बाहरी क्षेत्र में, बाह्य हिमालय की तलहटी में स्थित है।
- **प्रकृति:** यह एक उपनगरीय जलाशय है, जो अपने आसपास के जलग्रहण क्षेत्र से आने वाले तलछट और जल प्रवाह को नियंत्रित करने में सहायता करता है।
- **पारिस्थितिक महत्त्व:**
  - ✓ खुले जल क्षेत्र, तटवर्ती वनस्पति, झाड़ियों और वनों सहित विविध आवासों को सहारा प्रदान करती है।
  - ✓ मध्य एशियाई उड़ान मार्ग (Central Asian Flyway) के अंतर्गत स्थानीय और प्रवासी जलपक्षियों के भोजन, प्रजनन, विश्राम और शीतकाल बिताने के लिए आवास प्रदान करती है।
  - ✓ सुभेद्य कॉमन पोचार्ड (Aythya ferina), संकटग्रस्त पालास फिश ईगल (Haliaeetus leucoryphus) तथा संकटग्रस्त ब्लैक पॉन्ड टर्टल (Geoclemys hamiltonii) को सहारा प्रदान करती है।
- **अन्य महत्त्व:** चंडीगढ़ के निवासियों के लिए मनोरंजन और शैक्षिक संसाधन के रूप में कार्य करती है।
- **संरक्षण संबंधी चुनौतियाँ:** तलछट का प्रवाह, गाद का जमाव और आक्रामक प्रजातियाँ। प्रबंधन उपायों में मृदा एवं नमी संरक्षण तथा आक्रामक पौधों को समय-समय पर हटाना शामिल है।

सौज झील के बारे में

- **अवस्थिति:** उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में, गंगा नदी के बाढ़ मैदान में स्थित है।
- **प्रकृति:** यह कृषि भूमि से घिरी एक उथली झील है तथा आर्द्रभूमियों के व्यापक नेटवर्क का हिस्सा है।
- **पारिस्थितिक महत्त्व:**
  - ✓ पारिस्थितिक संपर्क को बढ़ावा देती है तथा आर्द्रभूमि से संबंधित वनस्पतियों को सहारा प्रदान करती है, जिनमें पवित्र कमल (Nelumbo nucifera) और जंगली गन्ना (Saccharum spontaneum) शामिल हैं।
  - ✓ यहाँ नियमित रूप से 30,000 से अधिक जलपक्षी पाए जाते हैं तथा बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा इसे महत्त्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र (IBA) के रूप में नामित किया गया है।
  - ✓ सुभेद्य सारस क्रेन (Grus antigone) और ग्रेटर स्पॉटेड ईगल (Clanga clanga) को आवास प्रदान करती है।
- **निकटता:** यह मैनपुरी जिले में स्थित एक अन्य रामसर स्थल, समान पक्षी अभयारण्य के निकट है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 65 02-11-2026 17:53:45

- **संरक्षण उपाय:** प्रस्तावित उपायों में मौसमी मछली पकड़ने पर प्रतिबंध, महीन जाली वाले मछली पकड़ने के जालों पर प्रतिबंध तथा मवेशियों की पहुँच को नियंत्रित करना शामिल है।

रामसर अभिसमय के बारे में

- रामसर अभिसमय एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसे 1971 में रामसर (ईरान) में स्थापित किया गया था।
- इसका उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण एवं सतत उपयोग करना है।
- यह अभिसमय आर्द्रभूमियों के "विवेकपूर्ण उपयोग" की अवधारणा को बढ़ावा देता है, जिसमें संरक्षण और सतत विकास के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है।
- अभिसमय के अनुसार, आर्द्रभूमियों को दलदल, पंकभूमि, पीटभूमि या जल के क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे वे प्राकृतिक हों या कृत्रिम, स्थायी हों या अस्थायी, तथा उनमें स्थिर या प्रवाहित जल हो, जो मीठा, खारा-मिश्रित या लवणीय हो। इसमें समुद्री जल के ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं, जहाँ निम्न ज्वार के समय जल की गहराई छह मीटर से अधिक नहीं होती।
- विश्व आर्द्रभूमि दिवस 1997 से प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है।

भारत में रामसर स्थल

- भारत ने 1 फरवरी, 1982 को आर्द्रभूमियों पर रामसर अभिसमय को अपनाया।
- भारत में एशिया में सर्वाधिक (103) और विश्व में तीसरी सर्वाधिक संख्या में रामसर स्थल हैं। विश्व में भारत से आगे यूनाइटेड किंगडम (176) और मेक्सिको (144) हैं।
- तमिलनाडु में भारत के सर्वाधिक रामसर स्थल हैं। यहाँ 20 नामित आर्द्रभूमियाँ हैं, जबकि उत्तर प्रदेश 14 स्थलों के साथ दूसरे स्थान पर है।
- पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन आर्द्रभूमि 4,230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, जबकि हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील 0.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ सबसे छोटा रामसर स्थल है।
- इन आर्द्रभूमियों को विभिन्न राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया जाता है। इनमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972; तथा आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 शामिल हैं।

5.10. भारत का पहला बंदरगाह-आधारित ई-मेथनॉल संयंत्र (India's First Port-Based E-Methanol Plant)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन; बुनियादी ढाँचा: बंदरगाह।*

संदर्भ

समुद्री क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कांडला में अपनी पहली बंदरगाह-आधारित ई-मेथनॉल उत्पादन सुविधा की आधारशिला रखी, जिसमें ₹2,300 करोड़ का निवेश किया जाएगा।

भारत के पहले पोर्ट-आधारित ई-मेथनॉल संयंत्र के बारे में

- **स्थान और क्षमता:** यह संयंत्र दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण (DPA), कांडला, गुजरात में स्थापित किया जा रहा है, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 150 टन ई-मेथनॉल होगी, जिससे यह भारत की सबसे बड़ी ई-मेथनॉल उत्पादन सुविधाओं में से एक बन जाएगा।
- **भागीदार और निवेश:** ₹2,300 करोड़ की यह परियोजना दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण (DPA) और असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड (APCL), नमरूप की संयुक्त पहल है, जिसमें DPA और APCL के बीच पूंजी योगदान का अनुपात 76:24 है।
- **चरणबद्ध विकास:** चरण-I के तहत ₹1,200 करोड़ के निवेश से प्रतिदिन 50 टन उत्पादन क्षमता जोड़ी जाएगी और इसे जनवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है, जबकि चरण-II के तहत ₹1,100 करोड़ के निवेश से मार्च 2027 तक प्रतिदिन अतिरिक्त 100 टन उत्पादन क्षमता जोड़ी जाएगी।
- **इनपुट और अवसंरचना:** संयंत्र में नवीकरणीय ऊर्जा, जल और जैवजनित CO_2 का उपयोग करके ई-मेथनॉल का उत्पादन किया जाएगा, जबकि DPA द्वारा ₹567.32 करोड़ की इक्विटी, 75 एकड़ भूमि, अलवणीकृत जल और हरित हाइड्रोजन के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराई जाएगी; इस परियोजना से 3,500 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

ई-मेथनॉल के बारे में

- ई-मेथनॉल एक निम्न-कार्बन विद्युत-आधारित ईंधन (ई-ईंधन) है, जिसका उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके हरित हाइड्रोजन को पुनर्चक्रित या जैवजनित CO_2 के साथ संयोजित करके किया जाता है।
- **उत्पादन प्रक्रिया:** नवीकरणीय विद्युत का उपयोग जल के विद्युत अपघटन के माध्यम से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किया जाता

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 66 02-11-2026 17:53:45

है। इसके बाद हरित हाइड्रोजन को CO_2 के साथ संश्लेषण प्रक्रिया में संयोजित करके ई-मेथनॉल का उत्पादन किया जाता है।

- **समुद्री ईंधन:** ई-मेथनॉल का उपयोग अधिक स्वच्छ समुद्री ईंधन के रूप में किया जा सकता है और यह विशेष रूप से डीकार्बोनाइजेशन के लिए कठिन क्षेत्र (hard-to-abate sector) शिपिंग के लिए प्रासंगिक है। यह जीवन-चक्र के दौरान होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में सहायता करता है।
- **बहुआयामी उपयोग:** शिपिंग के अलावा, ई-मेथनॉल का उपयोग ई-गैसोलीन, सतत विमानन ईंधन और अन्य रसायनों के उत्पादन के लिए फीडस्टॉक के रूप में किया जा सकता है। साथ ही, यह नवीकरणीय हाइड्रोजन के लिए एक सुविधाजनक तरल वाहक के रूप में भी कार्य कर सकता है।

ई-मेथनॉल संयंत्र का महत्व

- **समुद्री डीकार्बोनाइजेशन:** यह सुविधा **एशिया-यूरोप अंतरराष्ट्रीय व्यापार गलियारे** पर संचालित होने वाले जहाजों को ई-मेथनॉल की आपूर्ति करेगी, जिससे अधिक स्वच्छ अंतरराष्ट्रीय शिपिंग की ओर संक्रमण को समर्थन मिलेगा।
- **लागत प्रतिस्पर्धात्मकता:** इस परियोजना से लगभग **750 अमेरिकी डॉलर प्रति टन** की लागत पर हरित मेथनॉल का उत्पादन होने की उम्मीद है, जबकि वैश्विक दर लगभग **1,300 अमेरिकी डॉलर प्रति टन** है। इससे उभरते हरित-ईंधन बाजार में भारत की संभावित प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत होगी।
- **हरित-ईंधन निर्यात केंद्र:** यह परियोजना **कांडला की हरित-ईंधन केंद्र के रूप में भूमिका** को मजबूत कर सकती है तथा वैश्विक शिपिंग के लिए हरित ईंधनों का उत्पादक और निर्यातक बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को समर्थन दे सकती है।
- **हरित ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र:** इस संयंत्र से कांडला के आसपास व्यापक हरित-ऊर्जा मूल्य शृंखला को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है, जिसमें **परिवहन, भंडारण, आपूर्ति और संबंधित सहायक गतिविधियाँ** शामिल हैं। साथ ही, यह भारत के **2070 तक नेट-ज़ीरो लक्ष्य, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया** को समर्थन देगा।

समुद्री डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में सरकारी पहल

- **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (2023):** जनवरी 2023 में शुरू किया गया यह मिशन भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्न उत्पादों के उत्पादन, उपयोग तथा निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखता है। इसमें शिपिंग जैसे क्षेत्रों के लिए हरित ईंधन भी शामिल हैं।
- **हरित सागर ग्रीन पोर्ट दिशानिर्देश (2023):** 2023 में शुरू किए गए ये दिशानिर्देश नवीकरणीय ऊर्जा, तट-से-जहाज विद्युत आपूर्ति, बंदरगाह उपकरणों का विद्युतीकरण, हरित पट्टियों और सतत अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से सतत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देते हैं।
- **ग्रीन टग ट्रांजिशन कार्यक्रम (2024): पंच कर्म संकल्प** के अंतर्गत 2024 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम पारंपरिक ईंधन-आधारित हार्बर टग को अधिक हरित विकल्पों में परिवर्तित करने को बढ़ावा देता है तथा घरेलू विनिर्माण को समर्थन प्रदान करता है।
- **मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 (2021) और मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 (2023):** ये दीर्घकालिक समुद्री रोडमैप हरित बंदरगाहों, वैकल्पिक ईंधनों, हरित शिपिंग गलियारों, सतत पोत निर्माण और अधिक स्वच्छ समुद्री अवसंरचना को बढ़ावा देते हैं।

5.11. वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति 2025 रिपोर्ट (State of Global Water Resources 2025 Report)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-1: *विश्व में प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण।*
सामान्य अध्ययन-3: *संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण।*

संदर्भ

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति में बढ़ती अनियमितता की सूचना दी है, जिसमें वर्ष 2022–2025 के दौरान भारत में भूजल की लगातार कमी दर्ज की गई है।

वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति रिपोर्ट को समझना

- **रिपोर्ट के बारे में:** विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाने वाली यह रिपोर्ट वैश्विक मीठे जल की उपलब्धता, जल विज्ञान संबंधी परिवर्तनशीलता और प्रवृत्तियों का मानकीकृत आकलन प्रस्तुत करती है। वर्ष 2025 का संस्करण इसका पाँचवाँ संस्करण है।
- **दायरा:** यह रिपोर्ट नदी प्रवाह, भूजल, जलाशयों और झीलों, मृदा नमी, वाष्पोत्सर्जन, स्थलीय जल भंडारण, हिम एवं बर्फ, जल का तापमान तथा जल विज्ञान संबंधी चरम घटनाओं का आकलन करती है।
- **कार्यप्रणाली:** इसमें स्थल-आधारित अवलोकनों, जल विज्ञान संबंधी मॉडलों और उपग्रह अवलोकनों को एकीकृत किया जाता है। वर्ष 2025 के संस्करण में 68 देशों के आँकड़ों को शामिल किया गया, जिनमें नदी प्रवाह के 3,115 और भूजल के 43,529 अवलोकन केंद्र शामिल थे।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

वैश्विक निष्कर्ष

- **नदी प्रवाह:** पिछले सात वर्षों में प्रतिवर्ष केवल 34–38% वैश्विक नदी बेसिन क्षेत्र में सामान्य प्रवाह की स्थिति रही, जबकि 1991–2020 का औसत 46% था।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 67 02-11-2026 17:53:45

- **2025 में नदी प्रवाह:** वर्ष 2025 वैश्विक नदी प्रवाह के संदर्भ में 35 वर्षों के सबसे शुष्क वर्षों में से एक रहा; वैश्विक जलग्रहण क्षेत्र के 36% में सामान्य से कम प्रवाह दर्ज किया गया।
- **स्थलीय जल भंडारण:** वर्ष 2014–2016 से स्थलीय जल भंडारण (TWS) में लगातार गिरावट देखी गई है, जिसमें 2021–2025 के दौरान गंगा–सिंधु के उद्गम क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में बार-बार कमी दर्ज की गई।
- **भूजल:** वर्ष 2025 में 34% निगरानी केंद्रों पर सामान्य से कम से लेकर बहुत कम भूजल स्तर दर्ज किया गया, जबकि 2024 में यह आँकड़ा 25% था।
- **हिमनद:** वर्ष 2025 के जल विज्ञान वर्ष में हिमनदों के द्रव्यमान में 408 ± 132 गीगाटन की कमी हुई, जो सभी प्रमुख हिमाच्छादित क्षेत्रों में लगातार चौथे वर्ष द्रव्यमान हानि को दर्शाता है।
- **जल-संबंधी चरम घटनाएँ:** पिछले पाँच वर्षों में एशिया और अफ्रीका में संयुक्त रूप से दर्ज की गई लगभग आधी जल-संबंधी चरम घटनाएँ हुईं तथा इनसे संबंधित रिपोर्ट की गई संबंधित मौतों में 80% से अधिक इन्हीं क्षेत्रों में हुईं।

भारत से संबंधित निष्कर्ष

- **भूजल की कमी:** भारत में 2022–2025 के दौरान लगातार भूजल की कमी देखी गई। वर्ष 2025 में उत्तर-पश्चिमी भारत में सामान्य से कम से लेकर बहुत कम भूजल स्तर लगातार और व्यापक रूप से दर्ज किए गए।
- **स्थलीय जल भंडारण:** वर्ष 2025 में उत्तरी भारत में सामान्य से कम स्थलीय जल भंडारण (TWS) दर्ज किया गया, जबकि गंगा–सिंधु के उद्गम क्षेत्रों में 2021–2025 के दौरान बार-बार सामान्य से कम स्थिति देखी गई।
- **सतही जल में विरोधाभास:** वर्ष 2025 में सिंधु, गंगा, गोदावरी और कृष्णा बेसिनों में सामान्य से अधिक से लेकर बहुत अधिक नदी प्रवाह दर्ज किया गया, इसके बावजूद भूजल पर लगातार दबाव बना रहा।

भारत में भूजल में गिरावट के पीछे के कारक

- **अत्यधिक दोहन:** WMO के अनुसार, कई क्षेत्रों में लगातार बनी भूजल की कमी का एक प्रमुख कारण भूजल का अत्यधिक दोहन है।
- **निकासी–पुनर्भरण असंतुलन:** भूजल का गहन उपयोग, विशेष रूप से सिंचाई के लिए, संकटग्रस्त जलभृतों के प्राकृतिक और कृत्रिम पुनर्भरण की क्षमता से अधिक हो सकता है।
- **जलवायु परिवर्तनशीलता:** वर्षा के बदलते स्वरूप और लंबे समय तक चलने वाली शुष्क अवधि भूजल पुनर्भरण को प्रभावित कर सकती हैं, जबकि बढ़ा हुआ वाष्पोत्सर्जन जल की माँग को बढ़ा सकता है।
- **पुनर्भरण में बाधाएँ:** शहरीकरण और स्थानीय जल निकायों के क्षरण से जल का अंतःस्रवण तथा भूजल पुनर्भरण कम हो सकता है।

भारत के लिए निहितार्थ

- **कृषि:** लगातार भूजल ह्रास से भूजल-आधारित सिंचाई की विश्वसनीयता कम हो सकती है और सूखे के प्रति कृषि की संवेदनशीलता बढ़ सकती है।
- **पेयजल सुरक्षा:** भूजल स्तर में गिरावट से विशेष रूप से शुष्क अवधि के दौरान भूजल-आधारित पेयजल स्रोतों की सततता प्रभावित हो सकती है।
- **सूखा प्रतिरोधक क्षमता:** वर्षा की कमी के दौरान भूजल एक बफर के रूप में कार्य करता है; इसलिए इसका लगातार ह्रास भारत की सूखे से निपटने की क्षमता को कम करता है।
- **एकीकृत जल सुरक्षा:** सामान्य से अधिक नदी प्रवाह और लगातार भूजल की कमी के बीच का विरोधाभास इस आवश्यकता को रेखांकित करता है कि सतही जल और भूजल को परस्पर संबद्ध संसाधनों के रूप में प्रबंधित किया जाए।

भारत की प्रतिक्रिया

- **NAQUIM:** राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम जलभृतों का मानचित्रण करता है और सतत भूजल उपयोग के लिए प्रबंधन योजनाएँ तैयार करता है।
- **अटल भूजल योजना:** जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में समुदाय-आधारित भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देती है, जिसमें जल बजट और जल सुरक्षा योजनाएँ शामिल हैं।
- **कैच द रेन:** जल शक्ति अभियान के तहत वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा दिया जाता है।
- **मिशन अमृत सरोवर:** स्थानीय जल संरक्षण और भंडारण को मजबूत करने के लिए जल निकायों के निर्माण और पुनर्जीवन पर ध्यान केंद्रित करता है।

आगे की राह

- **माँग का प्रबंधन:** जल-कुशल सिंचाई, फसल विविधीकरण और बेहतर कृषि पद्धतियों के माध्यम से अस्थिर एवं अत्यधिक भूजल निकासी को कम करना।
- **पुनर्भरण को मजबूत करना:** जल निकायों और भूजल पुनर्भरण क्षेत्रों का संरक्षण करते हुए वैज्ञानिक रूप से नियोजित वर्षा जल संचयन उपायों का विस्तार करना।
- **जलभृत-आधारित नियोजन अपनाना:** नियोजन में भूजल, सतही जल, वर्षा और स्थानीय जल माँग को एकीकृत करना।
- **निगरानी में सुधार:** निगरानी नेटवर्क, वास्तविक समय आधारित निगरानी तथा पारदर्शी जल विज्ञान संबंधी आँकड़ों के आदान-प्रदान का विस्तार करना।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 68 02-11-2026 17:53:45

5.12. विश्व वन्यजीव कोष की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2026 (WWF's Living Planet Report 2026)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन।*

संदर्भ

विश्व वन्यजीव कोष (WWF) ने लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2026: आशा का विज्ञान जारी की। इसमें बताया गया है कि वर्ष 1970 से 2022 के बीच विश्व स्तर पर निगरानी की गई वन्यजीव आबादियों के औसत आकार में 73% की गिरावट आई है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

वैश्विक जैव विविधता के रुझान:

- **वन्यजीव आबादी में गिरावट:** वर्ष 1970 से 2022 के बीच निगरानी की गई वन्यजीव आबादियों के औसत आकार में 73% की गिरावट आई। यह आबादी के आकार में औसत परिवर्तन को दर्शाता है, न कि कुल व्यक्तिगत पशुओं की संख्या में 73% की कमी को।
- **पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार गिरावट:** मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र की आबादियों में सबसे अधिक 85% की गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद स्थलीय आबादियों में 69% और समुद्री आबादियों में 59% की गिरावट आई।
- **क्षेत्रीय गिरावट:** लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र में 95% की गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद अफ्रीका में 80% और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 49% की गिरावट आई।
- **पुनर्बहाली के संकेत:** निगरानी की गई लगभग आधी आबादियाँ स्थिर थीं या उनमें वृद्धि हो रही थी। यह दर्शाता है कि निरंतर संरक्षण प्रयासों के माध्यम से वन्यजीवों की आबादियों को पुनः बढ़ाया जा सकता है।

रिपोर्ट के बारे में

- लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट विश्व वन्यजीव कोष (WWF) का प्रमुख प्रकाशन है, जो वैश्विक जैव विविधता के रुझानों और प्रकृति के स्वास्थ्य का आकलन करता है।
- यह लिविंग प्लैनेट इंडेक्स (LPI) पर आधारित है, जिसे लंदन की जूलॉजिकल सोसाइटी (ZSL) तैयार करती है। यह सूचकांक वर्ष 1970 से 2022 के बीच 5,790 कशेरुकी प्रजातियों की 35,803 आबादी को ट्रैक करती है।

जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख कारक

- **आवास का नुकसान और निम्नीकरण:** यह सबसे अधिक बार दर्ज किया जाने वाला खतरा है, जिसका प्रमुख कारण कृषि का विस्तार है।
- **अन्य खतरे:** अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, आक्रामक प्रजातियाँ और रोग।
- **व्यवस्थागत कारक:** असंधारणीय खाद्य उत्पादन एवं उपभोग, जीवाश्म ईंधन पर निर्भर ऊर्जा प्रणालियाँ तथा प्रकृति को नुकसान पहुँचाने वाली गतिविधियों को समर्थन देने वाले वित्तीय प्रवाह।
- **हानिकारक वित्तीय प्रवाह:** वर्ष 2023 में लगभग 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्रकृति को नुकसान पहुँचाने वाली गतिविधियों में प्रवाहित हुए, जबकि प्रकृति संरक्षण और पुनर्बहाली के लिए केवल 220 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रवाह हुआ।

भारत की संरक्षण संबंधी उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ

- **बाघ:** वर्ष 2022 की अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बाघों की अनुमानित संख्या 3,682 थी।
- **एक सींग वाले बड़े गैंडे:** इनकी आबादी 3,300 से अधिक हो गई।
- **एशियाई सिंह:** इनकी आबादी वर्ष 2020 में 674 से बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई।
- **हिम तेंदुए:** भारत के पहले राष्ट्रव्यापी आकलन में इनकी संख्या 718 अनुमानित थी।
- **सामान्य तेंदुए:** इनकी अनुमानित आबादी 13,874 थी।
- **गंगा नदी डॉल्फ़िन:** इनके पहले संपूर्ण वितरण क्षेत्र-व्यापी आकलन में सर्वेक्षित क्षेत्र में 6,324 डॉल्फ़िन होने का अनुमान लगाया गया।
- **चुनौतियाँ:** ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और भारतीय भेड़िये जैसी प्रजातियों के लिए अधिक सुदृढ़ संरक्षण रणनीतियों की आवश्यकता है, विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्रों के बाहर।
  - ✓ अवैध शिकार और बढ़ता मानव-वन्यजीव संघर्ष भी चिंता के विषय बने हुए हैं।

सकारात्मक निर्णायक बिंदु और प्रकृति की पुनर्बहाली

- **सकारात्मक निर्णायक बिंदु:** यह तब उत्पन्न होता है, जब कोई प्रणाली एक महत्वपूर्ण सीमा को पार कर लेती है और इससे स्वस्थ अवस्था की ओर स्व-सुदृढ़ीकरण वाले परिवर्तन शुरू हो जाते हैं।
- **ऊर्जा:** सकारात्मक निर्णायक बिंदु प्राप्त हो चुका है। अधिकांश देशों में सौर ऊर्जा बिजली उत्पादन के नए स्रोतों में सबसे किफायती स्रोत बन गई है।
- **खाद्य और कृषि:** प्रकृति के लिए लाभकारी उत्पादन, सतत उपभोग, अधिक स्वास्थ्यवर्धक आहार तथा खाद्य हानि और अपशिष्ट में कमी, परिवर्तन के शुरुआती संकेत हैं।
- **वित्त:** वित्तीय प्रणालियों को हानिकारक गतिविधियों से निवेश हटाकर दूसरी ओर निर्देशित करने, प्रकृति से जुड़े जोखिमों को पहचानने तथा जैव विविधता के वित्तपोषण में वार्षिक अंतर को समाप्त करने की आवश्यकता है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 69 02-11-2026 17:53:46

- **संरक्षण में सफलता:** बाघों, हरे समुद्री कछुओं, ब्लूफिन टूना और दक्षिणी अफ्रीका में हाथियों की कुछ आबादियों की पुनर्बहाली दर्शाती है कि निरंतर संरक्षण प्रयासों से सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

प्रमुख सिफारिशें

- **खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन:** प्रकृति के लिए लाभकारी कृषि, सतत आहार तथा खाद्य हानि और अपशिष्ट में कमी को बढ़ावा देना।
- **स्वच्छ ऊर्जा में तेजी लाना:** नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करना तथा जीवाश्म ईंधन से दूर संक्रमण की प्रक्रिया को तेज करना।
- **वित्तीय प्रणालियों में सुधार:** प्रकृति को नुकसान पहुँचाने वाली गतिविधियों से निवेश को हटाकर संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली की ओर निर्देशित करना।
- **वन्यजीव संरक्षण को सुदृढ़ करना:** आवासों का संरक्षण और पुनर्बहाली करना, अवैध शिकार पर रोक लगाना तथा संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए रणनीतियाँ विकसित करना, जिनमें संरक्षित क्षेत्रों के बाहर रहने वाली प्रजातियाँ भी शामिल हैं।
- **समुदाय-आधारित संरक्षण को बढ़ावा देना:** वन्यजीव प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को शामिल करना तथा सतत प्राकृतिक संसाधन उपयोग से लाभ प्राप्त करने में उन्हें सक्षम बनाना।
- **मानव-वन्यजीव संघर्ष का समाधान:** ऐसी प्रभावी सह-अस्तित्व रणनीतियाँ विकसित करना, जो वन्यजीवों और समुदायों, दोनों की रक्षा करें।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का कार्यान्वयन:** कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को ठोस कार्रवाई में बदलना।

5.13. विश्व के वनों की स्थिति 2026 रिपोर्ट (State of the World's Forests 2026 Report)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।*

संदर्भ

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने विश्व के वनों की स्थिति (SOFO) 2026 रिपोर्ट जारी की, जिसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि, भूमि क्षरण और खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए वन एवं भूदृश्य पुनर्स्थापन को व्यापक स्तर पर बढ़ाने के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **वैश्विक वन एवं भूमि क्षरण:**
  - ✓ **विस्तार:** विश्व स्तर पर 460 मिलियन हेक्टेयर (ha) से अधिक वन और लगभग 1.56 बिलियन हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है।
  - ✓ **प्रमुख कारक:** जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, अवसंरचना विकास, भूमि-उपयोग में परिवर्तन और संसाधनों की बढ़ती माँग।
  - ✓ **बढ़ता दबाव:** वन उत्पादों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की बढ़ती माँग से पारिस्थितिक क्षमता और मानवीय आवश्यकताओं के बीच का अंतर बढ़ रहा है।
  - ✓ **आर्थिक लागत:** भूमि क्षरण पर कार्रवाई न करने से प्रतिवर्ष अनुमानित 878 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 6.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक की आर्थिक लागत आती है।

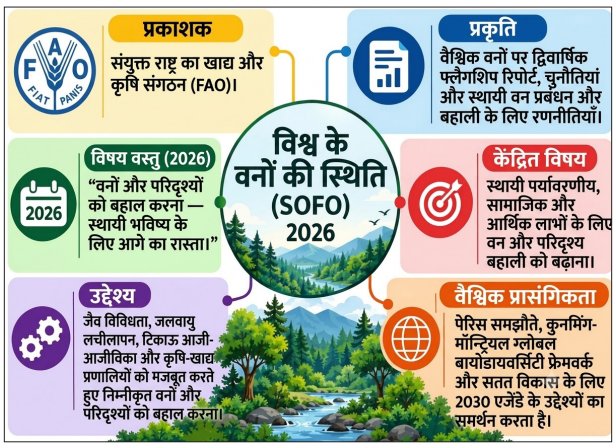

- **पुनर्स्थापन में प्रगति और वैश्विक लक्ष्य**
  - ✓ **वैश्विक प्रतिबद्धताएँ:** पिछले दो दशकों में देशों तथा क्षेत्रीय और वैश्विक पहलों ने 1 बिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि को पुनर्स्थापन के अंतर्गत लाने की प्रतिबद्धता जताई है।
  - ✓ **कार्यान्वयन संबंधी अंतराल:** वित्तीय, शासन संबंधी, निगरानी संबंधी और तकनीकी बाधाओं के कारण प्रगति असमान बनी हुई है।
  - ✓ **पुनर्स्थापन की आवश्यकता:** वर्ष 2030 तक वैश्विक पुनर्स्थापन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कम-से-कम 470 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्स्थापन के अंतर्गत लाने की आवश्यकता है।
  - ✓ **वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा:** कुनमिंग–मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा का लक्ष्य 2, वर्ष 2030 तक क्षरित स्थलीय, अंतर्देशीय जल, तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों के कम-से-कम 30% हिस्से को प्रभावी पुनर्स्थापन के अंतर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित करता है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 70 02-11-2026 17:53:46

- **वन एवं भूदृश्य पुनर्स्थापन में भारत का योगदान:** भारत 18.9 मिलियन हेक्टेयर भूमि के पुनर्स्थापन के साथ विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है। चीन 127.4 मिलियन हेक्टेयर के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद सूडान, मंगोलिया और इंडोनेशिया का स्थान है।
- **क्षरित भूमि का क्षेत्रीय वितरण:** रिपोर्ट में वर्ष 2019 के लिए क्षरित भूमि के निम्नलिखित आँकड़े दिए गए हैं:
  - ✓ **एशिया:** 583 मिलियन हेक्टेयर (19%)।
  - ✓ **अफ्रीका:** 334 मिलियन हेक्टेयर (12%)।
  - ✓ **दक्षिण अमेरिका:** 245 मिलियन हेक्टेयर (14%)।
- **पुनर्स्थापन के लाभ:**
  - ✓ **जलवायु और जैव विविधता:** जलवायु परिवर्तन के शमन और अनुकूलन, कार्बन भंडारण, प्राकृतिक आवासों की बहाली तथा प्रजातियों के संरक्षण में सहायता करता है।
  - ✓ **खाद्य सुरक्षा:** मृदा स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, कृषि उत्पादकता और कृषि-खाद्य प्रणाली की सुदृढ़ता में सुधार करता है।
  - ✓ **आजीविका:** ग्रामीण रोजगार, सतत मूल्य शृंखलाओं और सामाजिक-आर्थिक सुदृढ़ता को मजबूत करता है।
  - ✓ **आर्थिक लाभ:** अनुकूल परिस्थितियों में, पुनर्स्थापन में निवेश किए गए प्रत्येक 1 अमेरिकी डॉलर पर 30 अमेरिकी डॉलर तक का लाभ प्राप्त हो सकता है, हालाँकि लाभ परिस्थितियों और किए गए हस्तक्षेप के अनुसार भिन्न होते हैं।

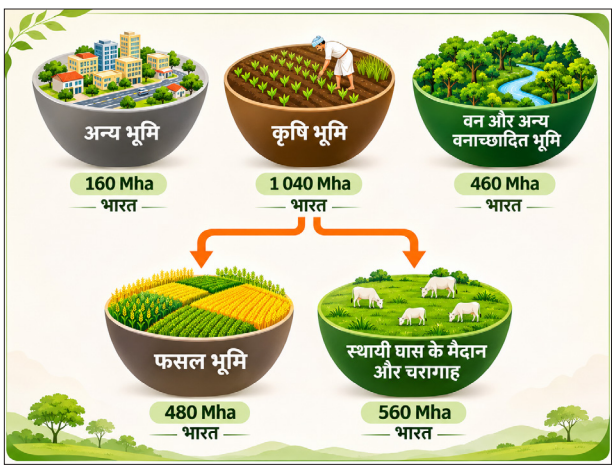

- **निगरानी संबंधी चुनौतियाँ:**
  - ✓ **खंडित रिपोर्टिंग:** विभिन्न परिभाषाएँ, संकेतक और कार्यप्रणालियाँ देशों तथा रूपरेखाओं के बीच तुलना को सीमित करती हैं।
  - ✓ **प्रभाव का सीमित आकलन:** निगरानी मुख्यतः पुनर्स्थापित क्षेत्र पर केंद्रित रहती है, न कि दीर्घकालिक जैव विविधता की बहाली, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक परिणामों पर।
  - ✓ **दीर्घकालिक प्रबंधन:** पुनर्स्थापन की सफलता के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेपों के बाद भी निरंतर सहभागिता और उचित प्रबंधन आवश्यक है।

रिपोर्ट की सिफारिशें

- **लोगों को सशक्त बनाना और अधिकारों के प्रति जागरूक करना:** भूमि अधिकारों को सुरक्षित करना, स्वदेशी ज्ञान और सहमति का सम्मान करना तथा समावेशी भागीदारी और लाभों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना।
- **भूदृश्य-स्तरीय पुनर्स्थापन अपनाना:** संरक्षण, उत्पादन और आजीविका के बीच संतुलन बनाते हुए कृषि वानिकी, प्राकृतिक पुनर्जनन और सतत भूमि प्रबंधन को एकीकृत करना।
- **वित्त जुटाना और सतत व्यावसायिक मॉडल मजबूत करना:** मिश्रित वित्त सहित सार्वजनिक और निजी वित्त जुटाना तथा लाभदायक मूल्य श्रृंखलाओं और पुनर्स्थापन के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण को बढ़ावा देना।
- **नीतियों और संस्थानों को सशक्त बनाना:** सुसंगत कानूनों और नीतियों को सुनिश्चित करना, भूमि पर सुरक्षित अधिकार सुनिश्चित करना, राजकोषीय प्रोत्साहनों में सामंजस्य स्थापित करना तथा संस्थानों के बीच समन्वय करना।
- **निगरानी और नवाचार में सुधार करना:** संकेतकों का मानकीकरण करना, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार करना तथा जैव विविधता, वन स्वास्थ्य और आजीविका संबंधी परिणामों की निगरानी करना।

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के बारे में

- FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को भुखमरी को समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करने हेतु की गई थी।
- **इसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है** और प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है।
- FAO खाद्य सुरक्षा, कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देता है।
- FAO के **194 सदस्य हैं-193 देश और यूरोपीय संघ**-और यह विश्वभर के 130 से अधिक देशों में कार्य करता है।
- इसे सदस्य देशों के योगदान और अन्य स्रोतों से वित्तपोषण प्राप्त होता है।
- तीन मुख्य उद्देश्य:
  - ✓ भूख, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण का उन्मूलन

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 71 02-11-2026 17:53:46

- ✓ गरीबी का उन्मूलन करना तथा सभी के लिए आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना
- ✓ वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना

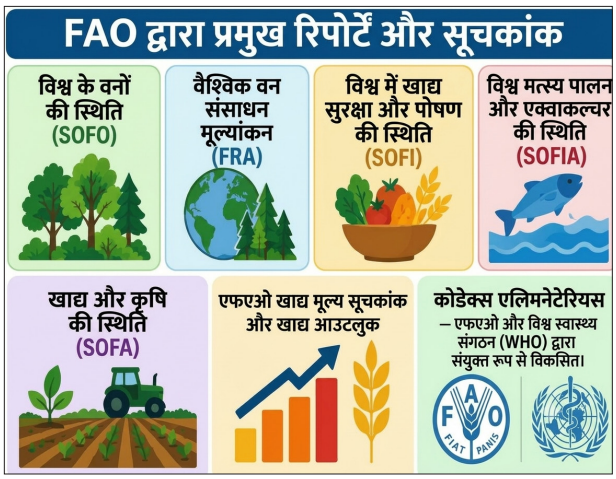

5.13. किगाली संशोधन की 10वीं वर्षगाँठ (10th anniversary of the Kigali Amendment)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।*

संदर्भ

15 अक्टूबर 2016 को अपनाए गए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन की 10वीं वर्षगाँठ 2026 में मनाई गई। यह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) के उपयोग में चरणबद्ध कमी लाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों को रेखांकित करता है।

किगाली संशोधन के बारे में

- **अंगीकरण:** इसे 15 अक्टूबर 2016 को किगाली, रवांडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987) के अंतर्गत अपनाया गया। यह जनवरी 2019 में प्रभावी हुआ।
- **उद्देश्य:** HFCs के उत्पादन और खपत में चरणबद्ध कमी लाना।
  - ✓ HFCs ने ओजोन परत को क्षति पहुँचाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) का स्थान लिया, लेकिन ये शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं।
- **जलवायु संबंधी लाभ:** इसका पूर्ण कार्यान्वयन वर्ष 2100 तक वैश्विक तापवृद्धि को 0.5°C तक रोकने में मदद कर सकता है।
- **वैश्विक प्रगति:** 16 सितंबर 2026 तक 174 देशों ने इस संशोधन का अनुसमर्थन कर दिया था। वर्ष 2024 में वैश्विक HFC खपत सामूहिक आधार-स्तर से 30% कम थी।
- **वित्तीय तंत्र:** बहुपक्षीय कोष विकासशील देशों को वैकल्पिक प्रौद्योगिकियाँ अपनाने, विनिर्माण प्रक्रियाओं को उन्नत बनाने और तकनीशियनों को प्रशिक्षण देने में सहायता करता है।

भारत और किगाली संशोधन

- **अनुसमर्थन:** भारत ने 2021 में इस संशोधन का अनुसमर्थन किया।
- **चरणबद्ध कमी की समय-सारणी:** भारत को 2028 में HFCs के उत्पादन और खपत को स्थिर करना होगा, 2032 में सहमत आधार-स्तर से इनमें 10% की कमी करनी होगी तथा 2047 तक 85% की कमी का लक्ष्य प्राप्त करना होगा।
- **शीतलन की माँग:** भारत की वार्षिक बिजली माँग में शीतलन की हिस्सेदारी दसवें हिस्से से थोड़ी अधिक है और 2035 तक इसके दोगुने से अधिक होने का अनुमान है।
- **कार्यान्वयन:** भारत के संक्रमण में पर्यावरण-अनुकूल प्रशीतकों को अपनाना और शीतलन उपकरणों की दक्षता में सुधार करना शामिल है, ताकि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन और बिजली की खपत को कम किया जा सके।

5.14. अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग की 70वीं बैठक (70th International Whaling Commission Meeting)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ, एजेंसियाँ और मंच-उनकी संरचना एवं अधिदेश।*

सामान्य अध्ययन -3: *पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन।*

संदर्भ

भारत ने ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में 28 सितंबर से 2 अक्टूबर 2026 तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (IWC-70) की 70वीं बैठक में व्हेल और अन्य सीटेशियन (Cetaceans) के संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

अन्य संबंधित जानकारी

- अपने उद्घाटन वक्तव्य में भारत ने सीटेशियन के प्रभावी संरक्षण के लिए प्राकृतिक क्षेत्र वाले देशों, वैज्ञानिक संस्थानों और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच निरंतर सहयोग पर जोर दिया।
- भारत ने रेखांकित किया कि जनसंख्या की स्थिति, वितरण, आवागमन, प्रजनन पारिस्थितिकी और खतरों से संबंधित बेहतर वैज्ञानिक जानकारी

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 72 02-11-2026 17:53:46

संरक्षण उपायों को बढ़ावा देने तथा सूचित निर्णय लेने में सहायता करने के लिए आवश्यक है।



- भारत ने वैज्ञानिक अध्ययनों और साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोणों के प्रति समर्थन दोहराया। साथ ही, सीटेशियन के समक्ष मौजूद खतरों से निपटने के लिए व्यावहारिक और स्थानीय रूप से उपयुक्त दृष्टिकोण विकसित करने हेतु सरकारों, शोधकर्ताओं और स्थानीय समुदायों के बीच अधिक सहयोग पर बल दिया।
- IWC-70 का विशेष महत्व है, क्योंकि यह व्हेलिंग के विनियमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने की 80वीं वर्षगांठ के साथ आयोजित हो रही है।

अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग के बारे में

- अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (IWC) एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1946 में व्हेलिंग के विनियमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के तहत की गई थी। इस अभिसमय पर 2 दिसंबर 1946 को वॉशिंगटन, डी.सी. में हस्ताक्षर किए गए थे।
- इसके 89 सदस्य देश हैं और यह व्हेलिंग के प्रबंधन तथा व्हेल के संरक्षण के लिए वैश्विक निकाय के रूप में कार्य करता है।
- अभिसमय IWC के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करता है, जबकि इसका कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुसूची निम्नलिखित उपाय निर्धारित करती है, जैसे- पकड़ की सीमा, व्हेल अभयारण्य, बछड़ों तथा बछड़ों के साथ रहने वाली मादा व्हेलों का संरक्षण और शिकार की विधियों पर प्रतिबंध।
- IWC की वैज्ञानिक समिति अनुसंधान, जनसंख्या आकलन और सीटेशियन जीवविज्ञान के अध्ययन के माध्यम से वैज्ञानिक सलाह प्रदान करती है।

IWC का गठन क्यों किया गया?

- **व्हेल की घटती आबादी:** अत्यधिक और अपर्याप्त रूप से विनियमित व्हेलिंग के कारण व्हेल के भंडार में भारी कमी आई। अंटार्कटिक क्षेत्र में व्हेल के शिकार की संख्या 1904 में 195 से बढ़कर 1931 में लगभग 37,000 हो गई, जबकि अंटार्कटिक ब्लू व्हेल की अनुमानित संख्या 2–3 लाख से घटकर 400 से भी कम रह गई।
- **अंतर्राष्ट्रीय विनियमन की आवश्यकता:** चूँकि व्हेल प्रवासी होती हैं और राष्ट्रीय सीमाओं को पार करती हैं, इसलिए उनके दोहन को विनियमित करने और उनकी आबादी के संरक्षण के लिए एकतरफा उपाय अपर्याप्त थे। इससे समन्वित अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता उत्पन्न हुई।

IWC का विकास

- **विनियमन से संरक्षण की ओर:** प्रारंभ में IWC का ध्यान व्हेलिंग के विनियमन पर था, लेकिन वैश्विक व्हेल पकड़ की संख्या 1946 में 35,000 से बढ़कर 1962 में 66,000 हो जाने के कारण अधिक मजबूत संरक्षण उपाय अपनाए गए। इनमें 1982 में अपनाई गई और 1986 से प्रभावी वाणिज्यिक व्हेलिंग पर रोक भी शामिल है।
- **व्यापक संरक्षण भूमिका:** बाद में IWC ने अपना ध्यान बायकैच (अन्य जीवों के साथ अनजाने में व्हेल का पकड़ा जाना), उलझाव, जहाजों की टक्कर, समुद्री शोर, प्रदूषण, रोग और जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों तक विस्तारित किया।
- **विभिन्न देशों के अलग-अलग रुख:** नॉर्वे इस रोक के प्रति अपनी औपचारिक आपत्ति के तहत वाणिज्यिक व्हेलिंग जारी रखता है, जबकि आइसलैंड 2002 में इस रोक के प्रति आरक्षण के साथ IWC में फिर शामिल हुआ। जापान 2019 में IWC से अलग हो गया और उसने वाणिज्यिक व्हेलिंग फिर शुरू कर दी।
- **आदिवासी निर्वाह व्हेलिंग:** IWC स्वदेशी समुदायों द्वारा उनकी पारंपरिक खाद्य एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं के लिए सीमित व्हेल शिकार को वैज्ञानिक रूप से निर्धारित पकड़ सीमा के माध्यम से विनियमित करता है।

व्हेल और अन्य सीटेशियन के संरक्षण हेतु भारत के प्रयास

- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** भारतीय जलक्षेत्र में पाई जाने वाली सीटेशियन प्रजातियों को इस अधिनियम के तहत उच्चतम स्तर का कानूनी संरक्षण प्राप्त है।
- **समुद्री संरक्षित क्षेत्र:** भारत ने समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPAs) अधिसूचित किए हैं, जिनमें व्हेल, डॉल्फिन, डुगोंग, शार्क, रे मछलियाँ, कछुए और प्रवाल शामिल हैं।
- **प्रोजेक्ट डॉल्फिन (2020):** 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया प्रोजेक्ट डॉल्फिन डॉल्फिन, व्हेल, पॉरपॉइज़ तथा संबंधित जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाता है।
- **अरब सागर की हंपबैक व्हेल:** भारत ने इसके संरक्षण को विशेष महत्व दिया है; यह केंद्रित संरक्षण प्रयासों के लिए चिन्हित 25 प्रजातियों में शामिल है।
- **भारत और IWC (1981):** भारत 1981 से IWC का सदस्य है और उसने दोहराया है कि IWC का भावी कार्य विज्ञान-आधारित संरक्षण प्राथमिकताओं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और व्हेल तथा अन्य सीटेशियन के समक्ष मौजूद खतरों से निपटने के लिए व्यावहारिक उपायों द्वारा निर्देशित रहना चाहिए।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 73 02-11-2026 17:53:46



6.1. RAPP-8 में प्रारंभिक ईंधन लोडिंग शुरू (Fuel Loading Begins at RAPP-8)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *बुनियादी ढाँचा: ऊर्जा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों की उपलब्धियाँ; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास।*

संदर्भ

भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (NPCIL) ने हाल ही में राजस्थान के रावतभाटा में स्थित RAPP-8, 700 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले स्वदेशी दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWR) में प्रारंभिक ईंधन लोडिंग (IFL) शुरू की है। यह रिएक्टर के कमीशनिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अन्य संबंधित जानकारी

- RAPP-8, फ्लीट मोड में स्थापित किए जा रहे 16 स्वदेशी 700 मेगावाट PHWRs की श्रृंखला का चौथा रिएक्टर है।
- इस श्रृंखला के पहले दो रिएक्टर-गुजरात स्थित काकरापार परमाणु विद्युत स्टेशन (KAPS) की इकाइयाँ 3 और 4-ने 2023-24 में वाणिज्यिक संचालन शुरू किया। इसके बाद RAPP की इकाई 7 ने अप्रैल 2025 में वाणिज्यिक संचालन शुरू किया।
- RAPP की इकाई 8 के अतिरिक्त, NPCIL के वर्तमान में आठ अन्य रिएक्टर निर्माणाधीन हैं-हरियाणा के गोरखपुर और कर्नाटक के कैगा में दो-दो तथा तमिलनाडु के कुडनकुलम में चार रिएक्टर।

भारत के तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को समझना

- **उद्देश्य:** इस कार्यक्रम की परिकल्पना डॉ. होमी जे. भाभा ने 1950 के दशक में की थी। यह एक बंद परमाणु ईंधन चक्र पर आधारित है, जिसका उद्देश्य भारत के सीमित यूरेनियम संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना तथा धीरे-धीरे देश के प्रचुर थोरियम संसाधनों का उपयोग करना है।

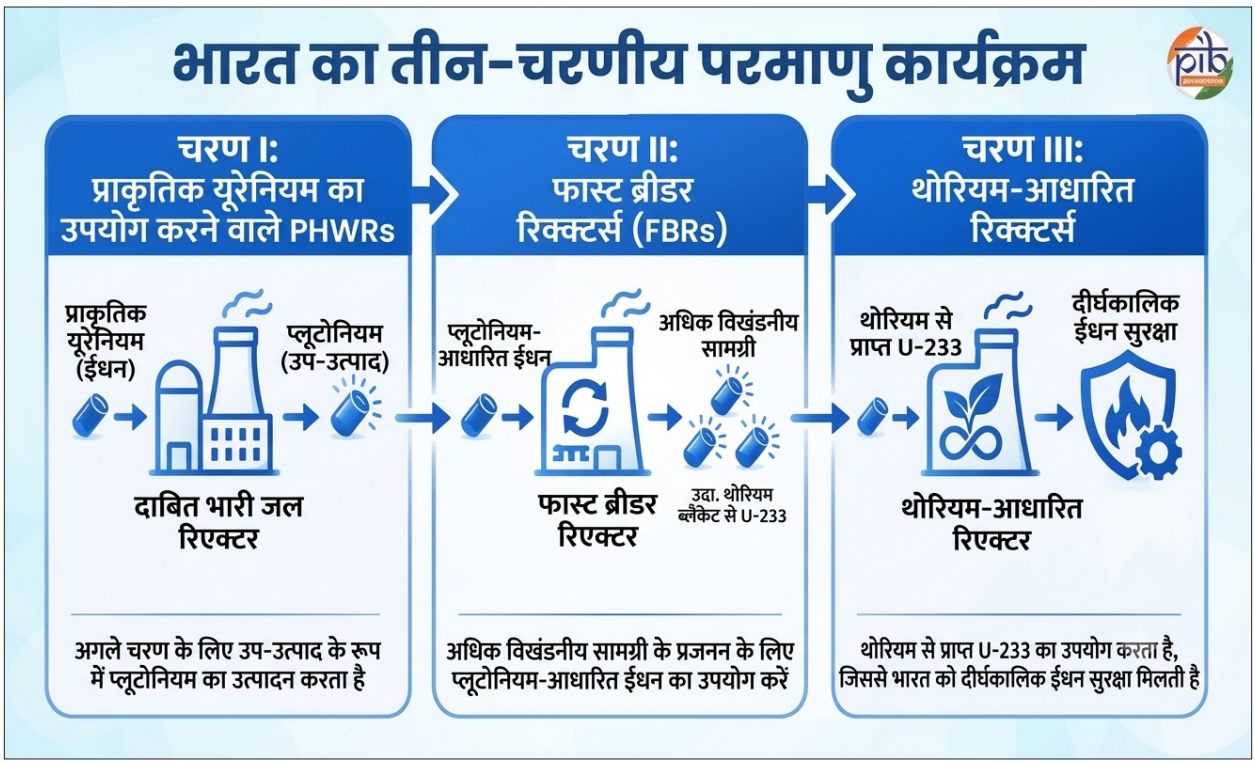

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 74 02-11-2026 17:53:47

- **चरण I – PHWRs: दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWRs)** में प्राकृतिक यूरेनियम तथा भारी जल का उपयोग मंदक और शीतलक के रूप में किया जाता है। ये विद्युत उत्पादन के साथ-साथ U-238 से प्लूटोनियम-239 (Pu-239) का उत्पादन करते हैं, जो अगले चरण के लिए ईंधन का आधार बनता है।
- **चरण II – FBRs: फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBRs)** प्लूटोनियम-आधारित ईंधन का उपयोग करते हैं तथा U-238 को Pu-239 में परिवर्तित करके अतिरिक्त विखंडनीय पदार्थ का उत्पादन करते हैं। इसके बाद ये थोरियम को यूरेनियम-233 (U-233) में परिवर्तित करने में भी सहायक हो सकते हैं।
- **चरण III – थोरियम:** थोरियम-232 उर्वर पदार्थ (Fertile) है, विखंडनीय (Fissile) नहीं। यह न्यूट्रॉन को अवशोषित करके विखंडनीय U-233 में परिवर्तित हो सकता है, जिससे भविष्य में बड़े पैमाने पर थोरियम के उपयोग का मार्ग प्रशस्त होता है।
- **PFBR की उपलब्धि:** कलपक्कम स्थित 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) ने 6 अप्रैल 2026 को पहली बार क्रिटिकलिटी हासिल की, जो भारत के चरण II में प्रवेश का प्रतीक है।

भारत का परमाणु ऊर्जा परिदृश्य

- **वर्तमान स्थिति:** भारत में सात स्थलों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हो रहे हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट (GW) है। वर्ष 2024–25 में भारत के कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी 3.1% रही।
- **रिएक्टर संरचना**: परिचालन में शामिल रिएक्टरों में 20 PHWR, तारापुर में दो BWR तथा कुडनकुलम में **दो VVER रिएक्टर** हैं। यह भारत के स्वदेशी PHWR आधार के साथ-साथ आयातित रिएक्टर प्रौद्योगिकियों के उपयोग को दर्शाता है।
- **वर्तमान विस्तार:** कुल 7.5 GW क्षमता वाली नौ रिएक्टर इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं, जबकि 10 स्वदेशी PHWR को फ्लीट-मोड में निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है और अतिरिक्त इकाइयों के लिए तैयारियाँ चल रही हैं।
- **निकट भविष्य की क्षमता:** विभिन्न चरणों में चल रही परियोजनाओं के क्रमिक रूप से पूरा होने के साथ भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता **2031–32 तक 22.38 GW** तक पहुँचने का अनुमान है।
- **दीर्घकालिक लक्ष्य:** विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन (Nuclear Energy Mission for Viksit Bharat) का लक्ष्य 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा को विश्वसनीय और निम्न-कार्बन बेसलोड विद्युत स्रोत के रूप में स्थापित करना है।
- **प्रौद्योगिकी विविधीकरण:** विस्तार में स्वदेशी 700 MWe PHWRs, अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से बड़े लाइट वाटर रिएक्टर (LWRs), फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBRs) और लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, दो 500 MWe FBRs के लिए परियोजना-पूर्व गतिविधियों को मंजूरी दी गई है।

भारत में उपयोग की जाने वाली परमाणु रिएक्टर प्रौद्योगिकियां

रिएक्टर तकनीक	प्राथमिक उपयोग	भारत में स्थिति	प्रतिनिधि स्थान
दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWR)	प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करके व्यावसायिक बिजली उत्पादन	प्रमुख स्वदेशी रिएक्टर तकनीक	राजस्थान, काकरापार, कैगा, नरोरा, मद्रास (कलपक्कम), तारापुर (इकाइयाँ 3 और 4)
उबलता जल रिएक्टर (BWR)	व्यावसायिक बिजली उत्पादन	परिचालन में	तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन (इकाइयाँ 1 और 2)
दाबित जल रिएक्टर (PWR)	व्यावसायिक बिजली उत्पादन	परिचालन में	कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (इकाइयाँ 1 और 2)
प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR)	भारत के तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए फास्ट ब्रीडर तकनीक	परिचालन में (प्रथम क्रिटिकलिटी प्राप्त, अप्रैल 2026)	कलपक्कम, तमिलनाडु

सोत: एनपीसीआईएल

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार के लिए हाल की पहल

- **शांति (SHANTI) अधिनियम, 2025:** यह अधिनियम निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम बनाता है। इसके तहत केंद्रीय सरकार के लाइसेंस और नियामक सुरक्षा प्राधिकरण के अधीन परमाणु सुविधाओं एवं गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दी गई है। साथ ही, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
- **SHANTI नियमों का मसौदा, 2026:** प्रस्तावित नियम लाइसेंसिंग, परमाणु दायित्व, वित्तीय सुरक्षा और सुरक्षा के लिए परिचालन ढाँचा प्रदान करते हैं। इनमें निर्माण, स्वामित्व, संचालन और डीकमीशनिंग के लिए समग्र लाइसेंस का प्रावधान भी शामिल है।
- **SMR मिशन:** परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) के विकास के लिए ₹20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसका लक्ष्य 2033 तक कम-से-कम पाँच स्वदेशी SMR विकसित करना है। BARC द्वारा BSMR-200, SMR-55 तथा हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उच्च-तापमान गैस-शीतित रिएक्टर विकसित किए जा रहे हैं।
- **ईंधन सुरक्षा के लिए साझेदारियाँ:** भारत ने 18 देशों के साथ असैन्य परमाणु सहयोग समझौते किए हैं।
  - ✓ जुलाई 2026 में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया, जिसके तहत IAEA सुरक्षा उपायों के अंतर्गत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ऑस्ट्रेलिया से भारत को दीर्घकालिक यूरेनियम निर्यात संभव होगा। इससे भारत के परमाणु ईंधन स्रोतों में विविधता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 75 02-11-2026 17:53:47

आगे की चुनौतियाँ

- **उच्च पूंजीगत लागत और लंबी निर्माण अवधि:** परमाणु परियोजनाओं में प्रारंभिक स्तर पर बड़े निवेश, जटिल निर्माण प्रक्रिया और लंबे समय तक चलने वाली कमीशनिंग की आवश्यकता होती है। इसलिए परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **ईंधन सुरक्षा:** परमाणु ऊर्जा के तीव्र विस्तार के लिए पर्याप्त यूरेनियम आपूर्ति के साथ-साथ कुशल पुनर्संसाधन (Reprocessing) और बंद परमाणु ईंधन चक्र (Closed Nuclear Fuel Cycle) का विकास आवश्यक है।
- **सुरक्षा और नियामक क्षमता:** निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी तथा नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग से नियामक संस्थाओं की तकनीकी विशेषज्ञता, स्वतंत्रता और प्रवर्तन क्षमता को मजबूत करने की आवश्यकता बढ़ेगी।
- **परमाणु अपशिष्ट, दायित्व और जनविश्वास:** रेडियोधर्मी अपशिष्ट का सुरक्षित प्रबंधन, प्रभावी दायित्व व्यवस्था, आपातकालीन तैयारियाँ तथा दीर्घकालिक जनविश्वास बनाए रखना परमाणु ऊर्जा के विस्तार के लिए आवश्यक हैं।

आगे की राह

- **फ्लीट-मोड में तैनाती को तेज करना:** कुशल परियोजना प्रबंधन, बड़े पैमाने पर खरीद और मजबूत घरेलू आपूर्ति शृंखलाओं के माध्यम से मानकीकृत 700 MWe PHWRs की स्थापना को गति दी जानी चाहिए।
- **तीन-चरणीय कार्यक्रम को आगे बढ़ाना:** भविष्य में थोरियम के उपयोग के लिए आवश्यक विखंडनीय पदार्थ के आधार को विकसित करने हेतु FBRs, पुनर्संसाधन तथा बंद ईंधन चक्र प्रौद्योगिकियों को मजबूत किया जाना चाहिए।
- **सुरक्षा-आधारित विस्तार सुनिश्चित करना:** रिएक्टर सुरक्षा, रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन और आपातकालीन तैयारियों के लिए कड़े मानकों को बनाए रखते हुए AERB की तकनीकी एवं संस्थागत क्षमता को मजबूत किया जाना चाहिए।
- **स्वदेशीकरण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बीच संतुलन:** अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों के माध्यम से यूरेनियम आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाई जानी चाहिए और उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुँच बनाई जानी चाहिए, साथ ही परमाणु ईंधन चक्र के विभिन्न चरणों में घरेलू क्षमताओं को क्रमिक रूप से मजबूत किया जाना चाहिए।

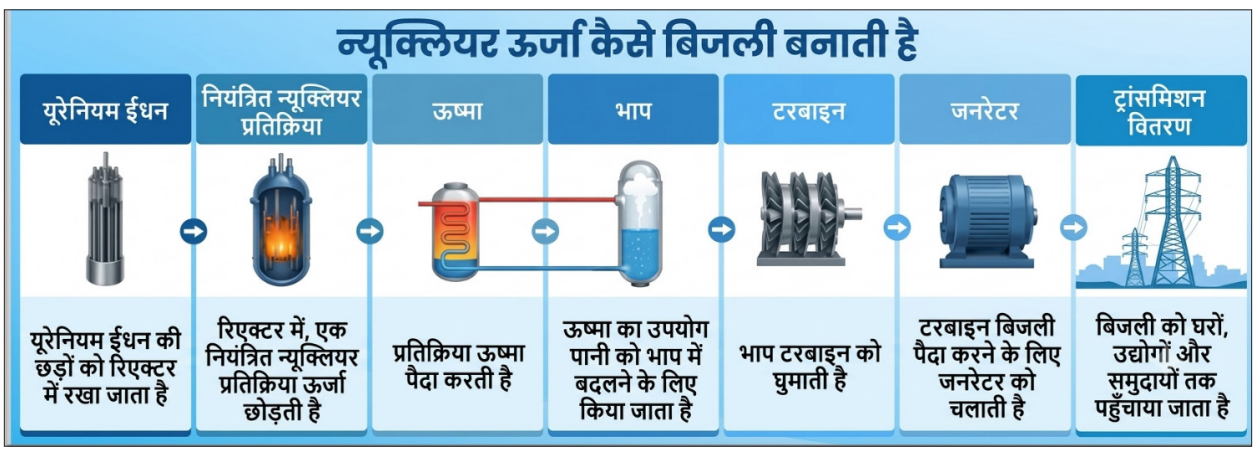

6.2. फ्री-स्पेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (Free-Space Quantum Key Distribution)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *विज्ञान और प्रौद्योगिकी-विकास तथा अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर उनके प्रभाव; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों की उपलब्धियाँ; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास; आईटी, अंतरिक्ष एवं कंप्यूटर के क्षेत्र में जागरूकता।*

संदर्भ

भारत ने अपना पहला 5.56 किमी फ्री-स्पेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (QKD) लिंक प्रदर्शित किया है, जिसने वायुमंडल के माध्यम से BISAG-N और IIT गांधीनगर के बीच क्वांटम-सुरक्षित संचार चैनल स्थापित किया।

अन्य संबंधित जानकारी

- **फील्ड परीक्षण:** 27–28 सितंबर 2026 की रात आयोजित इस परीक्षण में QNu लैब्स की पॉइंटिंग, एक्विजिशन एंड ट्रैकिंग (PAT)

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 76 02-11-2026 17:53:47

प्रणाली का उपयोग करके BISAG-N और IIT गांधीनगर के बीच क्वांटम संचार चैनल स्थापित किया गया।

- **प्रदर्शन:** इस लिंक ने 5% से कम क्वांटम बिट एरर रेट (QBER) बनाए रखा और 230–260 बिट प्रति सेकंड (bps) की दर से सुरक्षित कुंजियाँ उत्पन्न कीं। फ्री-स्पेस ऑप्टिकल चैनल पर QNu लैब्स के आर्मोस (Armos) क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन उपकरण का उपयोग किया गया।
- **एंड-टू-एंड सुरक्षा:** जनरेट कुंजियों को BISAG-N के वैदिक कवच (Vedic Kavach) के साथ एकीकृत किया गया, जो पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी-सक्षम प्लेटफॉर्म है। इससे परीक्षण संदेशों के सफल एन्क्रिप्शन, प्रसारण और डिक्रिप्शन को सक्षम बनाया गया। इस आर्किटेक्चर में हार्डवेयर-आधारित क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (PQC) और क्वांटम रैंडम नंबर जनरेशन (QRNG) को संयोजित किया गया।
- **भारत की प्रगति:** यह उपलब्धि पहले किए गए स्वदेशी प्रदर्शनों पर आधारित है: इसरो ने 2021 में 300 मीटर की दूरी पर फ्री-स्पेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का प्रदर्शन किया था, जिसके बाद 2022 में एंटैंगलमेंट-आधारित 300 मीटर का प्रदर्शन किया गया।
  - ✓ 2025 में डीआरडीओ और IIT दिल्ली ने 1 किमी से अधिक दूरी पर एंटैंगलमेंट-आधारित फ्री-स्पेस क्वांटम-सुरक्षित संचार का प्रदर्शन किया।
  - ✓ वर्तमान प्रदर्शन भारत की प्रदर्शित स्थलीय फ्री-स्पेस सीमा को 5.56 किमी तक विस्तारित करता है।

क्वांटम संचार और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में

क्लासिकल से क्वांटम सूचना तक

- क्लासिकल बिट 0 या 1 को दर्शाता है, जबकि क्यूबिट एक ऐसी क्वांटम प्रणाली है जो अवस्थाओं के सुपरपोजिशन में रह सकती है। क्वांटम प्रौद्योगिकियाँ सुपरपोजिशन, एंटैंगलमेंट और क्वांटम मापन जैसे गुणों का उपयोग करती हैं।
- ये सिद्धांत क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग एवं मेट्रोलॉजी तथा क्वांटम पदार्थ एवं उपकरणों में अनुप्रयोगों का आधार हैं।

क्वांटम कंप्यूटिंग बनाम क्वांटम संचार

- **क्वांटम कंप्यूटिंग** सूचना प्रसंस्करण के लिए क्यूबिट का उपयोग करती है, जबकि **क्वांटम संचार** सुरक्षित कुंजी वितरण और अन्य नेटवर्किंग अनुप्रयोगों के लिए क्वांटम अवस्थाओं-अक्सर फोटॉन-का उपयोग करता है।
- क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्वांटम संचार का एक अनुप्रयोग है, न कि क्वांटम कंप्यूटिंग का।

क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है?

- **क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन** दो पक्षों को क्वांटम अवस्थाओं का उपयोग करके एक साझा क्रिप्टोग्राफिक कुंजी स्थापित करने में सक्षम बनाता है। इन अवस्थाओं को बीच में रोकने या मापने का प्रयास उनमें परिवर्तन कर सकता है, जिससे जासूसी का पता लगाया जा सकता है।
- **नो-क्लोनिंग सिद्धांत** किसी अज्ञात क्वांटम अवस्था की हूबहू प्रतिलिपि बनाए जाने को रोकता है, जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का एक मूलभूत आधार प्रदान करता है।
- **क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्रिप्टोग्राफिक कुंजियों का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, न कि सीधे पूरे संचार को एन्क्रिप्ट करता है;** जनरेट कुंजियों का उपयोग बाद में एक एन्क्रिप्शन आर्किटेक्चर के अंतर्गत किया जाता है।

फाइबर बनाम फ्री-स्पेस बनाम उपग्रह क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन

मोड	मूल सिद्धांत	प्रमुख प्रासंगिकता
फाइबर-आधारित क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन	क्वांटम सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से संचारित होते हैं।	स्थलीय क्वांटम नेटवर्क
फ्री-स्पेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन	क्वांटम ऑप्टिकल सिग्नल लाइन-ऑफ-साइट टर्मिनलों के बीच खुले वायुमंडल के माध्यम से संचारित होते हैं।	स्थलीय लिंक, जहाँ फाइबर बिछाना कठिन है
उपग्रह-आधारित क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन	क्वांटम सिग्नल उपग्रहों और ग्राउंड स्टेशनों के बीच फ्री-स्पेस के माध्यम से संचारित होते हैं।	बहुत लंबी दूरी के लिंक

क्वांटम संचार में वैश्विक विकास

- **चीन - मिकियस (Micius):** चीन ने 2016 में मिकियस (QUESS) लॉन्च किया, जिसे दुनिया का पहला क्वांटम संचार उपग्रह माना जाता है। यह लगभग 500 किमी की निम्न पृथ्वी कक्षा में संचालित होता है और इसने उपग्रह-से-भूमि क्वांटम संचार तथा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का प्रदर्शन किया।
- **चीन - जिनान-1 (Jinan-1):** 2022 में लॉन्च किया गया यह छोटा क्वांटम माइक्रोसैटेलाइट अधिक व्यावहारिक उपयोग के लिए तैयार किया गया था, जिसमें पोर्टेबल ग्राउंड स्टेशनों के साथ उपयोग और रियल-टाइम क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन शामिल हैं। परीक्षणों में एकल उपग्रह पास के दौरान 10.7 लाख बिट तक सुरक्षित-कुंजी सामग्री तैयार की गई।
- **एकीकृत नेटवर्क:** चीन ने उपग्रह लिंक को 2,000 किमी से अधिक लंबे स्थलीय फाइबर-आधारित क्वांटम संचार बैकबोन के साथ जोड़ा है, जिससे एकीकृत अंतरिक्ष–भूमि नेटवर्क की संभावनाओं का प्रदर्शन हुआ है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 77 02-11-2026 17:53:47

- **चीन से आगे:** यूरोपीय क्वांटम संचार अवसंरचना (EuroQCI) को यूरोपीय संघ-व्यापी प्रणाली के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें स्थलीय फाइबर नेटवर्क को भविष्य के अंतरिक्ष खंड के साथ जोड़ा जाएगा। जापान भी स्थलीय और उपग्रह-आधारित क्वांटम संचार प्रौद्योगिकियों का विकास कर रहा है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और पोर्टेबल ग्राउंड स्टेशनों के बीच सुरक्षित कुंजी साझाकरण प्रदर्शित करने वाले प्रयोग शामिल हैं।

भारत का क्वांटम संचार रोडमैप

- **राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM):** अप्रैल 2023 में 2023–24 से 2030–31 तक की अवधि के लिए ₹6,003.65 करोड़ के परिव्यय के साथ स्वीकृत इस मिशन में क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग एवं मेट्रोलॉजी तथा क्वांटम पदार्थ एवं उपकरण शामिल हैं।
- **दीर्घ-दूरी के लक्ष्य:** NQM के तहत 2,000 किमी से अधिक दूरी के इंटर-सिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन , भारत के भीतर 2,000 किमी से अधिक दूरी पर ग्राउंड स्टेशनों के बीच उपग्रह-आधारित सुरक्षित क्वांटम संचार, लंबी दूरी का अंतरराष्ट्रीय क्वांटम संचार तथा क्वांटम मेमोरी के साथ मल्टी-नोड क्वांटम नेटवर्क की परिकल्पना की गई है।
- **भारतीय नेटवर्क की प्रमुख उपलब्धियाँ:** 2025 में NQM समर्थित QNu लैब्स ने मौजूदा ऑप्टिकल-फाइबर अवसंरचना पर 500 किमी के क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का प्रदर्शन किया। अप्रैल 2026 में भारत ने 1,000 किमी के क्वांटम संचार नेटवर्क की जानकारी दी, जिससे मिशन के 2,000 किमी के लक्ष्य की दिशा में प्रगति हुई।
- **वृहत पारिस्थितिकी तंत्र:** भारत के प्रयास अब फ्री-स्पेस और फाइबर-आधारित क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तक विस्तृत हो गए हैं। साथ ही, उपग्रह-आधारित क्वांटम संचार की तैयारी भी की जा रही है। वर्तमान 5.56 किमी के प्रदर्शन ने इस उभरते पारिस्थितिकी तंत्र में एक और क्षमता को जोड़ा है।

भारत के लिए इस विकास का महत्व

- **क्वांटम-सुरक्षा क्षमता को सुदृढ़ करता है:** ओपन-एयर ऑप्टिकल चैनल के माध्यम से क्वांटम-सुरक्षित कुंजियों के वितरण की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करता है, जो फाइबर-आधारित प्रणालियों की पूरक है।
- **रणनीतिक अनुप्रयोग:** फ्री-स्पेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग रक्षा, सरकारी संचार, वित्तीय प्रणालियों, महत्वपूर्ण अवसंरचना तथा अन्य संवेदनशील नेटवर्कों में किया जा सकता है।
- **लचीला संचार अवसंरचना:** जहाँ ऑप्टिकल फाइबर बिछाना कठिन या व्यावहारिक नहीं है, वहाँ यह उपयोगी हो सकता है और फाइबर- तथा उपग्रह-आधारित क्वांटम संचार का पूरक बन सकता है।
- **घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करता है:** QNu Labs, BISAG-N और IIT गांधीनगर के बीच सहयोग स्वदेशी क्वांटम प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए उद्योग, सरकार और शिक्षा जगत को एक साथ लाता है।
- **लंबी-दूरी की नेटवर्किंग में सहायक:** यह प्रदर्शन NQM के तहत दीर्घ-दूरी और हाइब्रिड क्वांटम संचार नेटवर्क विकसित करने के भारत के व्यापक प्रयासों में एक स्थलीय फ्री-स्पेस क्षमता जोड़ता है।

6.3. सेमिकॉन इंडिया 2.0 और भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर IESA रिपोर्ट (IESA Report on Semicon India 2.0 and India's Semiconductor Ecosystem)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: विकास, उनके अनुप्रयोग और दैनिक जीवन पर उनके प्रभाव।*

संदर्भ

EY–इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (IESA) की रिपोर्ट 'सेमिकॉन इंडिया 2.0: क्षमता निर्माण से इकोसिस्टम नेतृत्व तक' के अनुसार, भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2026 में लगभग 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2035 तक 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **बाजार का तीव्र विस्तार:** बढ़ती इलेक्ट्रॉनिक्स खपत और उभरती प्रौद्योगिकियों के कारण भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2026 से 2035 के बीच तीन गुना से अधिक बढ़ने का अनुमान है।
- **क्षेत्रवार मांग:** भारत के सेमीकंडक्टर बाजार में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की हिस्सेदारी लगभग **30%** है। इसके बाद मोटर वाहन क्षेत्र की **16%** और औद्योगिक अनुप्रयोगों की **15%** हिस्सेदारी है।
- **उभरते विकास क्षेत्र:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा केंद्र, दूरसंचार, विद्युत गतिशीलता और उन्नत विनिर्माण से सेमीकंडक्टर की अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने की अपेक्षा है।
- **बढ़ती आयात निर्भरता:** सेमीकंडक्टर आयात **वित्त वर्ष 2016–17 में 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024–25 में 30.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर** हो गया। इस दौरान लगभग 23% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई।
- **कुशल कार्यबल:** भारत में विश्व के लगभग **20% चिप डिजाइन इंजीनियर** हैं, जो सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और वाणिज्यीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिभा आधार प्रदान करते हैं।
- **उच्च-संभावना वाले क्षेत्र:** उन्नत पैकेजिंग, कंपाउंड सेमीकंडक्टर,

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 78 02-11-2026 17:53:47

फोटोनिक्स और चिप-टू-सिस्टम एकीकरण को भविष्य की वृद्धि के लिए संभावनाशील क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया है।

- **नीतिगत प्राथमिकताएँ:** रिपोर्ट में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टरों, राज्य-स्तरीय नीतियों को सेमिकॉन इंडिया 2.0 के अनुरूप बनाने तथा फैब्रिकेशन, डिजाइन और पैकेजिंग को शामिल करने वाले विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सिफारिश की गई है।

भारत के सेमीकंडक्टर बाजार की स्थिति

- भारत धीरे-धीरे सेमीकंडक्टर डिजाइन-केंद्रित इकोसिस्टम से घरेलू विनिर्माण और सेमीकंडक्टर मूल्य शृंखला में अधिक एकीकरण की ओर बढ़ रहा है।
- कुल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन **वित्त वर्ष 2014–15 में ₹1.9 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024–25 में ₹11.3 लाख करोड़** हो गया। यानी इसमें लगभग छह गुना वृद्धि हुई।
- इसी अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में लगभग सात गुना वृद्धि हुई।
- एक दशक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में लगभग ग्यारह गुना वृद्धि हुई।
- वित्त वर्ष 2016–17 से वित्त वर्ष 2024–25 के बीच सेमीकंडक्टर आयात में पाँच गुना से अधिक वृद्धि हुई, जो घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
- आपूर्ति शृंखला की संवेदनशीलताओं को कम करने और घरेलू मूल्य संवर्धन बढ़ाने के लिए फैब्रिकेशन, असेंबली, परीक्षण और पैकेजिंग सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है।
- भारत की इंजीनियरिंग प्रतिभा, चिप-डिजाइन क्षमताएँ और बढ़ता इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार एक एकीकृत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए आधार प्रदान करते हैं।

प्रमुख सरकारी पहलें

- **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM), 2021: दिसंबर 2021** में **₹76,000 करोड़** के समग्र वित्तीय परिव्यय के साथ स्वीकृत इस मिशन का उद्देश्य फैब्रिकेशन, डिस्प्ले विनिर्माण, चिप डिजाइन, अनुसंधान और कौशल विकास के लिए सहायता प्रदान कर एक सतत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम स्थापित करना है।
- **सेमीकंडक्टर फैब्स योजना:** यह योजना भारत में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन सुविधाएँ स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि घरेलू चिप विनिर्माण क्षमताओं का विकास किया जा सके और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य शृंखलाओं में भारत के एकीकरण को मजबूत किया जा सके।
- **कंपाउंड सेमीकंडक्टर और ATMP/OSAT योजना:** यह योजना डाउनस्ट्रीम सेमीकंडक्टर मूल्य शृंखला को मजबूत करने के लिए कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, माइक्रोइलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, सेंसर तथा असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग (ATMP) और आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (OSAT) सुविधाओं को सहायता प्रदान करती है।
- **डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना:** यह योजना वित्तीय सहायता, डिजाइन अवसंरचना और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन टूल्स तक पहुँच प्रदान करके स्टार्टअप्स तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता देते हुए घरेलू सेमीकंडक्टर डिजाइन क्षमताओं को बढ़ावा देती है।
- **सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के माध्यम से सेमीकंडक्टर मूल्य शृंखला में निवेश, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, अनुसंधान के वाणिज्यीकरण और कौशल विकास को बढ़ावा देता है।

6.4. वैश्विक नवाचार सूचकांक 2026 (Global Innovation Index (GII) 2026)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास और अनुप्रयोग तथा दैनिक जीवन में उनके प्रभाव; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों की उपलब्धियाँ; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास।*

संदर्भ

वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) 2026 में भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में 38वें स्थान पर रहा। भारत वर्ष 2025 की अपनी रैंकिंग पर बना रहा और मध्य एवं दक्षिणी एशिया में शीर्ष स्थान पर रहा।

वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) के बारे में

- वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक आकलन है। इसे पहली बार वर्ष 2007 में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2026 का संस्करण इसका 19वाँ संस्करण है।
- **उत्पत्ति**: पहली बार वर्ष 2007 में जारी किया गया; वर्ष 2026 का संस्करण इसका 19वाँ संस्करण है।
- **उद्देश्य**: GII यह आकलन करता है कि अर्थव्यवस्थाएँ नवाचार की अपनी क्षमता का विकास करने और उसे ठोस परिणामों में बदलने में कितनी प्रभावी हैं।
- **कवरेज**: वर्ष 2026 के संस्करण में 79 संकेतकों के आधार पर 139 अर्थव्यवस्थाओं को रैंकिंग दी गई है। इसमें अनुसंधान, शिक्षा, अवसंरचना, व्यावसायिक गतिविधियों, प्रौद्योगिकी और रचनात्मक उत्पादों जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 79 02-11-2026 17:53:47

- **कार्यप्रणाली:** संकेतकों को समान भारांश वाले दो उप-सूचकांकों में व्यवस्थित किया गया है, जिनमें कुल सात स्तंभ शामिल हैं।
  - ✓ **नवाचार निवेश उप-सूचकांक:** पाँच स्तंभों-संस्थाएँ; मानव पूँजी एवं अनुसंधान; अवसंरचना; बाजार परिष्कार; और व्यावसायिक परिष्कार-के माध्यम से नवाचार को समर्थन देने वाली परिस्थितियों का आकलन करता है।
  - ✓ **नवाचार निर्गत उप-सूचकांक:** दो स्तंभों-ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निर्गत तथा रचनात्मक निर्गत-के माध्यम से नवाचार के परिणामों का आकलन करता है।
- **समग्र रैंकिंग:** समग्र GII स्कोर की गणना दोनों उप-सूचकांकों के औसत के रूप में की जाती है।
- **GII 2026 का विषय:** "विज्ञान की अग्रिम सीमाओं पर उद्यमियों को सशक्त बनाना"। इसका फोकस उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित स्टार्टअप और वैज्ञानिक प्रगति को व्यावसायिक अनुप्रयोगों में बदलने पर है।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के बारे में

- **स्थापना:** 1967; वर्ष 1970 में कार्य करना शुरू किया।
- **स्थिति:** संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी।
- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
- **महानिदेशक:** डेरेन टैंग (अप्रैल 2026 में दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त; दूसरा कार्यकाल 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा)।
- **सदस्यता:** 194 सदस्य देश।
- **उद्देश्य:** नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वभर में बौद्धिक संपदा (IP) के संरक्षण और प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना।
- **प्रमुख सेवाएँ:** विभिन्न देशों में पेटेंट आवेदन दाखिल करने तथा व्यापार चिह्नों और औद्योगिक डिजाइनों के पंजीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रणालियाँ उपलब्ध कराना।

प्रमुख वैश्विक निष्कर्ष

शीर्ष स्थान पर रहने वाली अर्थव्यवस्थाएँ

- स्विट्जरलैंड लगातार 16वें वर्ष प्रथम स्थान पर रहा।
- शीर्ष पाँच में स्विट्जरलैंड (प्रथम), स्वीडन (द्वितीय), संयुक्त राज्य अमेरिका (तृतीय), कोरिया गणराज्य (चतुर्थ) और सिंगापुर (पाँचवें) स्थान पर रहे।
- चीन 10वें स्थान पर रहा, और वैश्विक शीर्ष 30 में शामिल एकमात्र मध्यम-आय वाली अर्थव्यवस्था बना रहा।
- **क्षेत्रीय अग्रणी**
  - ✓ उत्तरी अमेरिका: **संयुक्त राज्य अमेरिका**
  - ✓ लैटिन अमेरिका और कैरेबियन: **चिली**
  - ✓ यूरोप: **स्विट्जरलैंड**
  - ✓ उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया: **इज़राइल**
  - ✓ मध्य और दक्षिणी एशिया: भारत
  - ✓ दक्षिण-पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया और ओशिनिया: **कोरिया गणराज्य**
  - ✓ उप-सहारा अफ्रीका: **मॉरीशस**
- **आय समूह के अनुसार अग्रणी**
  - ✓ उच्च-आय वाली अर्थव्यवस्थाएँ: **स्विट्जरलैंड**
  - ✓ उच्च-मध्यम-आय वाली अर्थव्यवस्थाएँ: **चीन**
  - ✓ निम्न-मध्यम-आय वाली अर्थव्यवस्थाएँ: **भारत**
  - ✓ निम्न-आय वाली अर्थव्यवस्थाएँ: **रवांडा**
- **वैश्विक नवाचार क्लस्टर**
  - ✓ **शीर्ष तीन क्लस्टर:** शेनझेन–हांगकांग–ग्वांगझू (प्रथम), टोक्यो–योकोहामा (द्वितीय) और सैन जोस–सैन फ्रांसिस्को (तृतीय)।
    - ■ इन क्लस्टरों का आकलन पेटेंट गतिविधियों, वैज्ञानिक प्रकाशनों और उद्यम पूँजी गतिविधियों के संकेंद्रण के आधार पर किया जाता है।
  - ✓ शीर्ष 100 क्लस्टरों का वितरण: चीन में 25 क्लस्टर, संयुक्त राज्य अमेरिका में 20, जर्मनी में सात तथा भारत और यूनाइटेड किंगडम में चार-चार क्लस्टर थे।

GII 2026 में भारत का प्रदर्शन

- **समग्र स्थान:** भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में 38वें स्थान पर रहा, 36 निम्न-मध्यम-आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में प्रथम तथा मध्य और दक्षिणी एशिया की 11 अर्थव्यवस्थाओं में प्रथम स्थान पर रहा।
- **रैंकिंग का रुझान:** भारत की रैंकिंग 2020 में 48वें स्थान से सुधरकर 2025 में 38वें स्थान पर पहुँची और 2026 में भी यही स्थान बना रहा।
- **निवेश बनाम परिणाम:** भारत नवाचार निवेश उप-सूचकांक में 49वें स्थान और नवाचार परिणाम उप-सूचकांक में 25वें स्थान पर रहा।
  - ✓ परिणामों में भारत का अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है कि नवाचार के मापे गए परिणाम, नवाचार को समर्थन देने वाली परिस्थितियों की तुलना में उच्च स्थान पर हैं।
- **स्तंभवार प्रदर्शन:**
  - ✓ **सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले स्तंभ:** ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिणाम (15वाँ) और बाजार परिष्कार (35वाँ)।
  - ✓ **सबसे कम रैंकिंग वाले स्तंभ:** व्यावसायिक परिष्कार (63वाँ), अवसंरचना (62वाँ) और संस्थाएँ (60वाँ)।
- **भारतीय नवाचार क्लस्टर:** भारत के चार क्लस्टर वैश्विक शीर्ष 100 में शामिल रहे:
  - ✓ बेंगलुरु - 25वाँ; दिल्ली - 27वाँ; मुंबई - 43वाँ; चेन्नई - 79वाँ।
- **उल्लेखनीय उपलब्धियाँ:** भारत आईसीटी सेवा निर्यात में प्रथम, घरेलू बाजार के आकार में तीसरे, अंतिम चरण के उद्यम पूँजी सौदों की संख्या

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 80 02-11-2026 17:53:48

में चौथे और स्टार्टअप तथा विस्तारशील उद्यमों के वित्तपोषण में आठवें स्थान पर रहा।

- **कमजोर प्रदर्शन वाले क्षेत्र:** भारत प्रति दस लाख जनसंख्या पर शोधकर्ताओं की संख्या में 83वें, प्रति दस लाख जनसंख्या पर बिजली उत्पादन में 94वें और ज्ञान-प्रधान रोजगार में 98वें स्थान पर रहा।

6.5. विश्व बैंक ने AI तत्परता में भारत को शीर्ष 10 देशों में स्थान दिया (World Bank Ranks India Among Top 10 in AI Readiness)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन–2: *शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्त्वपूर्ण पहलू; ई-शासन-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ।*

सामान्य अध्ययन–3: *विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास और अनुप्रयोग तथा रोजमर्रा के जीवन में उनके प्रभाव।*

संदर्भ

हाल ही में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट भारत विकास अद्यतन: भारत और कृत्रिम बुद्धिमत्ता-विकास के अवसर का लाभ उठाना में भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के लिए तैयारी के मामले में अग्रणी उभरते बाजारों के शीर्ष 10 देशों में शामिल किया गया है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- मजबूत आधार, लेकिन शुरुआती चरण में अपनाने की स्थिति: विशाल तकनीकी कार्यबल, एकीकृत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के कारण भारत AI को अपनाने और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ढालने के लिए अच्छी स्थिति में है। हालाँकि, AI का उपयोग अभी शुरुआती चरण में है और संगणना क्षमता की सीमित उपलब्धता उन्नत AI के विकास में बाधा बन रही है।
- AI निवेश और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में वृद्धि: निजी क्षेत्र में AI निवेश 2024 के 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर से तीन गुना से अधिक बढ़कर 2025 में 4.1 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। वहीं, वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCCs) में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 19 लाख से बढ़कर 23.6 लाख हो गई।
- विकास की व्यापक संभावनाएँ: यदि भारत बड़े शहरी उद्यमों से आगे बढ़कर AI के उपयोग का विस्तार करता है, तो इससे उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, निर्यात के अवसर बढ़ सकते हैं और सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में सुधार हो सकता है।
- उन्नत AI के विकास के बजाय उसे अपनाने और अनुकूलित करने पर जोर: भारत के लिए बड़ा अवसर AI को अपनाने और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ढालने में निहित है। वहीं, संगणना क्षमता की सीमित उपलब्धता फिलहाल उन्नत AI के विकास में बाधा बनी हुई है।
- श्रम बाजार पर प्रभाव अनिश्चित: यद्यपि दीर्घकाल में AI के प्रभावों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन वर्तमान साक्ष्य बताते हैं कि भारत में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में श्रम के स्थान पर AI के उपयोग का जोखिम कम है। इसका एक कारण यह है कि भारत में बौद्धिक कार्यों से संबंधित नौकरियों का अनुपात कम है, जिससे उत्पादकता बढ़ाने की पर्याप्त संभावनाएँ बनी हुई हैं।
- AI अपनाने में अभी भी बड़ा अंतर: केवल 23.4% औपचारिक भारतीय उद्यमों ने AI के किसी न किसी रूप का उपयोग करने की सूचना दी, जबकि अमेरिका में यह अनुपात 42.7% है। यह भारतीय उद्यमों में AI के उपयोग का विस्तार करने की व्यापक संभावनाओं को दर्शाता है।

वर्तमान में भारत का कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पारिस्थितिकी तंत्र

- **प्रौद्योगिकी और प्रतिभा का आधार:** भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र का वार्षिक राजस्व 2025 में 280 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान था। प्रौद्योगिकी और AI पारिस्थितिकी तंत्र में 60 लाख से अधिक लोग कार्यरत थे।
- **नवाचार और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र:** भारत में 1,800 से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्र (GCCs) हैं, जिनमें 500 से अधिक AI-केंद्रित केंद्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, देश में लगभग 1.8 लाख स्टार्टअप हैं। पिछले वर्ष शुरू हुए स्टार्टअप में से लगभग 89% ने अपने उत्पादों या सेवाओं में AI का उपयोग किया।
- **उद्यमों और विभिन्न क्षेत्रों में AI का उपयोग:** नैसकॉम (NASSCOM) AI अंगीकरण सूचकांक में भारत का स्कोर 4 में से 2.45 है। प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के अनुसार, 87% उद्यम सक्रिय रूप से AI समाधानों का उपयोग कर रहे हैं। उद्योग एवं ऑटोमोटिव क्षेत्र, उपभोक्ता वस्तुएँ एवं खुदरा व्यापार, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ एवं बीमा (BFSI) तथा स्वास्थ्य सेवा AI अपनाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं। ये क्षेत्र मिलकर AI के कुल मूल्य में लगभग 60% का योगदान देते हैं।
- **AI परिपक्वता का उभरता स्तर:** PIB द्वारा उद्धृत BCG सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 26% भारतीय कंपनियों ने बड़े पैमाने पर AI परिपक्वता हासिल कर ली है। यह दर्शाता है कि कंपनियाँ धीरे-धीरे प्रयोग के चरण से आगे बढ़कर व्यापक स्तर पर AI अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

सरकार की प्रमुख पहल और नीतिगत प्रोत्साहन

- **इंडियाएआई मिशन:** मार्च 2024 में स्वीकृत इस मिशन के लिए पाँच वर्षों में 10,371.92 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 81 02-11-2026 17:53:48

इसका उद्देश्य सात स्तंभों के माध्यम से एक व्यापक AI पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। इन स्तंभों में संगणना क्षमता, अनुप्रयोग, डेटासेट, आधारभूत मॉडल, कौशल, स्टार्टअप वित्तपोषण तथा सुरक्षित एवं विश्वसनीय AI शामिल हैं।

- **संगणना क्षमता, डेटा और स्वदेशी मॉडल:** किफायती पहुँच उपलब्ध कराने के लिए इंडियाएआई मिशन के अंतर्गत 38,000 से अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं, AIKosh साझा डेटासेट और AI मॉडल उपलब्ध कराता है। आधारभूत मॉडल संबंधी स्तंभ भारतीय डेटा और भाषाओं के अनुरूप स्वदेशी AI मॉडल विकसित करने में सहायता करता है।
- **अनुप्रयोग, अनुसंधान और मानव पूँजी:** सरकारी पहलों में स्वास्थ्य सेवा, कृषि, सतत शहरों और शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, भारत-विशिष्ट AI अनुप्रयोगों का विकास तथा AI क्षमताओं के विस्तार के लिए फ्यूचरस्किल्स और डेटा एवं AI प्रयोगशालाएँ शामिल हैं। इनका उद्देश्य मौजूदा प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र से आगे भी AI क्षमताओं का विस्तार करना है।
- **उत्तरदायी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी AI:** सुरक्षित एवं विश्वसनीय AI स्तंभ के अंतर्गत निजता, पक्षपात, व्याख्येयता और शासन से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है।
  - ✓ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के 2025 ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल में भारत के समग्र AI पारिस्थितिकी तंत्र को विश्व स्तर पर तीसरा स्थान दिया गया। यह AI प्रतिभा, अनुसंधान, निवेश, अवसंरचना और नीतिगत प्रगति में भारत की उपलब्धियों को दर्शाता है।

विकास के लिए AI की क्षमता का लाभ उठाने में चुनौतियाँ

- **उद्यमों में AI का असमान उपयोग:** विश्व बैंक के अनुसार, केवल 23.4% औपचारिक भारतीय उद्यम AI का उपयोग करते हैं। यह भारत के सुदृढ़ प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र और AI के वास्तविक उपयोग के बीच अंतर को दर्शाता है, विशेषकर छोटे उद्यमों के संदर्भ में।
- **संगणना क्षमता और अवसंरचना संबंधी बाधाएँ:** AI के उपयोग के लिए आवश्यक अवसंरचना और संगणना क्षमता तक सीमित पहुँच एक प्रमुख बाधा बनी हुई है। यह समस्या विशेष रूप से उन्नत AI के विकास तथा स्थापित प्रौद्योगिकी केंद्रों से आगे इसके व्यापक उपयोग में बाधा उत्पन्न करती है।
- **कौशल और कार्यबल का रूपांतरण:** AI के कारण कार्यों और व्यवसायों की प्रकृति में बदलाव आ रहा है। ऐसे में भारत को श्रमिकों की क्षमताओं को मजबूत करने तथा कार्यबल को निरंतर नए कौशल प्रदान करने की आवश्यकता है, हालाँकि वर्तमान में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में श्रम के स्थान पर AI के उपयोग का जोखिम कम है।
- **शासन और समावेशन:** AI के लाभों को व्यापक स्तर पर पहुँचाने के लिए अनुकूल कारोबारी वातावरण और अनुकूलनशील शासन व्यवस्था आवश्यक है। इससे नियामकीय अनिश्चितता कम करने के साथ-साथ डेटा सुरक्षा और निजता की रक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

आगे की राह

- **AI के उपयोग का व्यापक विस्तार:** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) और छोटे उद्यमों के लिए AI अपनाने की बाधाओं को कम किया जाना चाहिए, ताकि उत्पादकता में वृद्धि का लाभ केवल बड़े एवं प्रौद्योगिकी-प्रधान उद्यमों तक सीमित न रहे।
- **AI के अनुकूल कार्यबल का निर्माण:** कौशल विकास, पुनःकौशल विकास और कार्यबल की क्षमताओं को मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि श्रमिक बदलते कार्यों के अनुरूप स्वयं को ढाल सकें और तकनीकी बदलाव के कारण रोजगार से विस्थापित होने के जोखिम के प्रति संवेदनशील बने रहने के बजाय AI के साथ मिलकर अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।
- **स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप AI को बढ़ावा:** भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप AI को अपनाने और अनुकूलित करने पर ध्यान देना चाहिए। इसमें कृषि, स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों के लिए किफायती 'लघु AI' अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना शामिल है, जहाँ स्थानीय बाधाएँ और सीमित संपर्क सुविधाएँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- **अनुकूल आधारभूत सुविधाओं और शासन को सुदृढ़ करना:** भौतिक एवं डिजिटल अवसंरचना का विस्तार किया जाना चाहिए, स्थानीय AI नवाचार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा एक स्पष्ट एवं अनुकूलनशील नियामकीय ढाँचा स्थापित किया जाना चाहिए, जो डेटा सुरक्षा और निजता की रक्षा करते हुए नवाचार को बढ़ावा दे।

6.6. तृष्णा उपग्रह (Trishna satellite)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन–3: *सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टेक्नोलॉजी, बायो-टेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता।*

संदर्भ

भारत और फ्रांस तृष्णा (TRISHNA) उपग्रह विकसित कर रहे हैं। यह एक संयुक्त पृथ्वी-अवलोकन मिशन है, जिसका प्रक्षेपण वर्ष 2027 में निर्धारित है। इसका उद्देश्य भूमि की सतह के तापमान, कृषि में जल तनाव और प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी में सुधार करना है।

तृष्णा (उच्च-रिज़ॉल्यूशन प्राकृतिक संसाधन आकलन के लिए तापीय अवरक्त इमेजिंग उपग्रह) के बारे में

- **अभिकरण और सहयोग:** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और फ्रांस के राष्ट्रीय अंतरिक्ष अध्ययन केंद्र (CNES) का तीसरा

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 82 02-11-2026 17:53:48

संयुक्त उपग्रह मिशन। इससे पहले मेघा-ट्रॉपिक्स (2011) और सारल (2013) संयुक्त मिशन थे।

- **उपकरण (पेलोड):** सीएनईएस चार-चैनल वाला तापीय अवरक्त (TIR) उपकरण उपलब्ध कराएगा, जबकि इसरो सात वर्णक्रमीय बैंड वाले दृश्य-निकट अवरक्त-लघु तरंग अवरक्त (VNIR–SWIR) उपकरण का विकास करेगा।
- **प्रक्षेपण और कक्षा:** इसे भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) द्वारा श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित करने की योजना है। यह 761 किलोमीटर की सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा में कार्य करेगा। इसके मिशन की नियोजित अवधि पाँच वर्ष है।
- **विभेदन क्षमता और पुनरागमन अवधि:** यह लगभग 60 मीटर के स्थानिक विभेदन वाले उत्पाद उपलब्ध कराएगा और भूमध्य रेखा के निकट लगभग प्रत्येक तीन दिन में उसी स्थान का पुनः अवलोकन करेगा।
- **आँकड़ों तक पहुँच:** वैज्ञानिक आँकड़ों की प्रोसेसिंग भारत और फ्रांस के भू-खंडों के माध्यम से किया जाएगा तथा इन्हें भारत के भूनिधि (BHOONIDHI) और फ्रांस के जियोड्स (GEODES) पोर्टलों के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

उद्देश्य और महत्त्व

- **कृषि और जल प्रबंधन:** सिंचाई की योजना, जल उपयोग दक्षता और फसल उत्पादकता में सुधार के लिए वाष्पोत्सर्जन, वनस्पति की स्थिति और फसलों में जल तनाव का मापन करता है।
- **जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी:** भूमि की सतह के तापमान, शहरी ऊष्मा द्वीपों, सूखे, हिमपात के पिघलने और हिमनदों की गतिशीलता पर नज़र रखता है। यह तटीय और अंतर्देशीय जल की गुणवत्ता एवं गतिशीलता की निगरानी में भी सहायता करता है।
- **प्राकृतिक संसाधनों का आकलन:** भूमिगत आग की पहचान करने, भू-तापीय संसाधनों का आकलन करने तथा सतह के ऊर्जा और जल बजट को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करता है।
- **वैज्ञानिक सहयोग:** अनुसंधान और संसाधन प्रबंधन संबंधी निर्णयों के लिए उच्च-विभेदन क्षमता वाले तथा बार-बार पृथ्वी का अवलोकन करने हेतु भारतीय और फ्रांसीसी उपग्रह प्रौद्योगिकियों एवं विशेषज्ञता का समन्वय करता है।

6.7. फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2026 (Nobel Prize in Physiology or Medicine 2026)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास और अनुप्रयोग तथा रोजमर्रा के जीवन पर उनके प्रभाव।*

संदर्भ

2026 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार कार्ल डीसेरोथ, पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल को प्रकाश-सक्रिय आयन चैनलों और ऑप्टोजेनेटिक्स से संबंधित उनकी खोजों के लिए संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है।

2026 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की प्रमुख खोजें

- **पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल - प्रकाश-सक्रिय आयन चैनलों की खोज:** पीटर हेगेमैन ने अध्ययन किया कि एककोशिकीय हरे शैवाल *क्लैमाइडोमोनास* प्रकाश को कैसे महसूस करते हैं और उसकी ओर कैसे गति करते हैं।



  - ✓ हेगेमैन और जॉर्ज नागेल ने चैनलरोडॉप्सिन (channelrhodopsins) की पहचान की, जो कोशिका झिल्ली में स्थित प्रकाश-संवेदी प्रोटीन हैं।
  - ✓ उन्होंने चैनलरोडॉप्सिन-1 और चैनलरोडॉप्सिन-2 की पहचान की।
  - ✓ नीली रोशनी के संपर्क में आने पर चैनलरोडॉप्सिन खुल जाता है और धनावेशित आयनों को कोशिका में प्रवेश करने देता है, जिससे विद्युत संकेत उत्पन्न होता है।
  - ✓ उन्होंने प्रदर्शित किया कि चैनलरोडॉप्सिन के लिए जीन को अन्य कोशिकाओं में प्रविष्ट कराने से उन कोशिकाओं को भी प्रकाश-संवेदी बनाया जा सकता है।
  - ✓ चैनलरोडॉप्सिन-2 विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह प्रकाश के प्रति अत्यंत तीव्र गति से प्रतिक्रिया करता है, जिससे यह कोशिकाओं में विद्युत गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त बनता है।
- **कार्ल डीसेरोथ - ऑप्टोजेनेटिक्स का विकास:** डीसेरोथ ने समझा कि चैनलरोडॉप्सिन का उपयोग तंत्रिका कोशिकाओं के लिए एक सटीक स्विच के रूप में किया जा सकता है।
  - ✓ उन्होंने चैनलरोडॉप्सिन के लिए जिम्मेदार जीन को चूहे के न्यूरॉनों में प्रविष्ट कराया।
  - ✓ जब नीली रोशनी डाली गई, तो न्यूरॉनों ने तंत्रिका संकेत उत्पन्न किए।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 83 02-11-2026 17:53:48

- ✓ यह महत्वपूर्ण सफलता 2005 में प्रकाशित हुई।
- ✓ 2007 में उनकी टीम ने प्रदर्शित किया कि प्रकाश-नियंत्रित इस प्रणाली का उपयोग जीवित चूहों के मस्तिष्क में किया जा सकता है, जिसमें एक पतले ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश पहुँचाया गया।
- ✓ इससे ऑप्टोजेनेटिक्स की नींव स्थापित हुई-एक ऐसी तकनीक जो चयनित तंत्रिका कोशिकाओं को नियंत्रित करने के लिए आनुवंशिक लक्ष्यीकरण को प्रकाश के साथ संयोजित करती है।

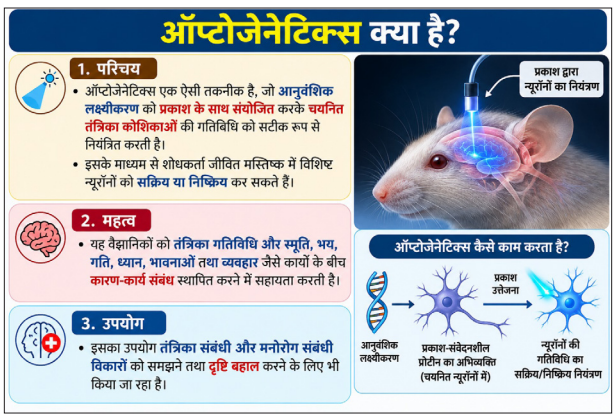

नोबेल पुरस्कार के बारे में

- नोबेल पुरस्कारों की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडिश आविष्कारक, वैज्ञानिक और उद्यमी की वसीयत के माध्यम से की गई थी।
- अपनी 1895 की वसीयत में नोबेल ने निर्देश दिया था कि उनकी संपत्ति का उपयोग उन लोगों को पुरस्कृत करने के लिए किया जाए, जिन्होंने मानवता को "सबसे बड़ा लाभ" पहुँचाया हो।
- प्रथम नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किए गए।
- नोबेल ने मूल रूप से पाँच पुरस्कार श्रेणियाँ निर्धारित की थीं: भौतिकी, रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, साहित्य और शांति।
- अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिगेस रिक्सबैंक पुरस्कार की स्थापना 1968 में की गई थी और इसका संचालन नोबेल पुरस्कार प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है, हालांकि यह नोबेल की मूल वसीयत में निर्दिष्ट पुरस्कारों में शामिल नहीं था।
- फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार स्वीडन के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली द्वारा चुना जाता है।
  - ✓ नोबेल असेंबली में 50 सदस्य होते हैं, जबकि नोबेल समिति नामांकनों का मूल्यांकन करती है और असेंबली द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने से पहले अपनी सिफारिशें तैयार करती है।
- 2026 में यह पुरस्कार कार्ल डीसेरोथ, पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल के बीच समान रूप से साझा किया गया, जिसकी कुल पुरस्कार राशि 1.2 करोड़ स्वीडिश क्रोनर थी।

6.8. भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2026 (Nobel Prize in Physics 2026)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास और अनुप्रयोग तथा रोजमर्रा के जीवन पर उनके प्रभाव।*

संदर्भ

वर्ष 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन–मैडिसन के फ्रांसिस हाल्ज़ेन को "आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में निर्णायक योगदान और खगोलीय उत्पत्ति वाले उच्च-ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज" के लिए प्रदान किया गया है।

वर्ष 2026 के नोबेल पुरस्कार विजेता की प्रमुख खोजें

- **न्यूट्रिनो का पता लगाने की परिकल्पना:** फ्रांसिस हाल्ज़ेन ने पहली बार 1988 में दक्षिणी ध्रुव पर न्यूट्रिनो का पता लगाने की अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की। उन्होंने बर्फ को लक्ष्य तथा चेरेनकोव विकिरण माध्यम, दोनों के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव दिया।
  - ✓ जब कोई न्यूट्रिनो किसी परमाणु के नाभिक के साथ अंतःक्रिया करता है, तो इससे आवेशित कण उत्पन्न होते हैं, जो चेरेनकोव प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस प्रकाश का पता प्रकाशीय सेंसरों द्वारा लगाया जा सकता है।
- **उच्च-ऊर्जा वाले खगोलीय न्यूट्रिनो की खोज:** हाल्ज़ेन ने प्रधान अन्वेषक के रूप में आइसक्यूब के विकास का नेतृत्व किया। इसके अंतर्गत अंटार्कटिका की बर्फ के पर्याप्त बड़े और उपकरणों से सुसज्जित आयतन का निर्माण किया गया, ताकि उच्च-ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो का पता लगाया जा सके।
  - ✓ 2013 में, आइसक्यूब ने पीईवी-स्तरीय न्यूट्रिनो की दो घटनाओं का पता लगाया, जिससे पहली बार उच्च-ऊर्जा वाले खगोलीय न्यूट्रिनो के अस्तित्व का प्रमाण मिला। इसके बाद के अवलोकनों से पिकोइलेक्ट्रॉनवोल्ट (PeV) ऊर्जा तक विस्तृत विसरित खगोलीय न्यूट्रिनो फ्लक्स की पुष्टि हुई।
- **ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए एक नया दृष्टिकोण:** न्यूट्रिनो विद्युत रूप से उदासीन होते हैं और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित नहीं होते। साथ ही, वे सघन ब्रह्मांडीय स्रोतों से बहुत कम क्षीणन के साथ बाहर निकल सकते हैं।
  - ✓ इस प्रकार, न्यूट्रिनो दूरस्थ और अत्यधिक ऊर्जावान ब्रह्मांडीय वातावरण के बारे में अपेक्षाकृत स्पष्ट एवं त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करते हैं तथा उच्च-ऊर्जा वाले ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए नए अवसर उपलब्ध कराते हैं।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 84 02-11-2026 17:53:48



नोबेल पुरस्कार के बारे में

- नोबेल पुरस्कारों की स्थापना स्वीडिश आविष्कारक, वैज्ञानिक और उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के माध्यम से की गई थी।
- अपनी 1895 की वसीयत में नोबेल ने निर्देश दिया था कि उनकी संपत्ति का उपयोग उन लोगों को पुरस्कृत करने के लिए किया जाए, जिन्होंने "मानवता के लिए सबसे बड़ा लाभ" प्रदान किया हो।
- प्रथम नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किए गए।
- नोबेल ने मूल रूप से पुरस्कार की पाँच श्रेणियाँ निर्धारित की थीं: भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य और शांति।
- अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में स्वेरिजेस रिक्सबैंक का आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार वर्ष 1968 में शुरू किया गया था और इसे नोबेल पुरस्कार प्रणाली के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। हालांकि, यह नोबेल की मूल वसीयत में निर्धारित पाँच पुरस्कार श्रेणियों में शामिल नहीं था।
- शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार विजेता का चयन स्वीडन के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल सभा द्वारा किया जाता है।
  - ✓ नोबेल सभा में 50 सदस्य होते हैं, जबकि नोबेल समिति नामांकनों का मूल्यांकन करती है और सिफारिशें तैयार करती है, जिसके बाद नोबेल सभा अंतिम निर्णय लेती है।

6.9. रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2026 (Nobel Prize in Chemistry 2026)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास, उनके अनुप्रयोग तथा दैनिक जीवन पर उनके प्रभाव।*

संदर्भ

2026 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी बी. कागन और जापान के केन्सो सोई को असममित कार्बनिक संश्लेषण में अरैखिक प्रभावों और स्व-उत्प्रेरण की खोज के लिए प्रदान किया गया है।

2026 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की प्रमुख खोज

- **हेनरी बी. कागन – अरैखिक प्रभाव:** 1986 में कागन ने इस धारणा को चुनौती दी कि किसी उत्प्रेरक की **चिरलता** (chirality) उत्पाद में

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 85 02-11-2026 17:53:49

उसी अनुपात में स्थानांतरित होती है।

- ✓ जब बाएँ और दाएँ रूप वाली अणु संरचनाएँ किसी उत्प्रेरक में धातु आयन के साथ संयोजित होती हैं, तो तीन संयोजन बन सकते हैं: बायाँ-बायाँ, दायाँ-दायाँ और बायाँ-दायाँ।
- ✓ कागन ने पाया कि बायाँ-दायाँ संयोजन, अन्य दोनों संयोजनों की तुलना में बहुत धीमी गति से अभिक्रिया करता है।
- ✓ इसलिए, जब दोनों रूप उपस्थित हों, तब भी अधिक दक्ष उत्प्रेरक अभिक्रिया में प्रभावी हो सकता है और उत्प्रेरक में मौजूद प्रारंभिक असंतुलन की तुलना में एक दर्पण-प्रतिबिंबीय अणु की मात्रा में बहुत अधिक आधिक्य उत्पन्न कर सकता है।
- ✓ इस घटना को अरैखिक प्रभाव के नाम से जाना जाने लगा।



- **केन्सो सोई – स्व-उत्प्रेरण:** सोई ने कागन की खोज को आगे बढ़ाया और यह अध्ययन किया कि क्या अभिक्रिया के दौरान **उत्प्रेरक स्वयं बन सकता है**।
  - ✓ 1995 में, उन्होंने एक असममित स्व-उत्प्रेरक अभिक्रिया का प्रदर्शन किया, जिसमें किसी एक (enantiomer) के 2% आधिक्य से शुरुआत करने पर उसका आधिक्य बढ़कर दर्पण-प्रतिबिंब समावयवी 87% हो गया।
  - ✓ उन्होंने अपने प्रयोग जारी रखे और 2003 में ऐसी अभिक्रिया प्राप्त की, जिसमें एक दर्पण-प्रतिबिंब दर्पण-प्रतिबिंब समावयवी का आधिक्य बनने के बाद उसने अपनी ही प्रतियाँ बनाईं।
  - ✓ इस प्रकार, प्रारंभिक स्तर का बहुत छोटा असंतुलन भी अत्यधिक बढ़ सकता था और अंततः उत्पाद में एक दर्पण-प्रतिबिंब समावयवी की मात्रा 99.5% से अधिक हो सकती थी।
  - ✓ इससे यह समझने के लिए एक रासायनिक तंत्र प्राप्त हुआ कि समचिरलता किस प्रकार उत्पन्न हो सकती है।

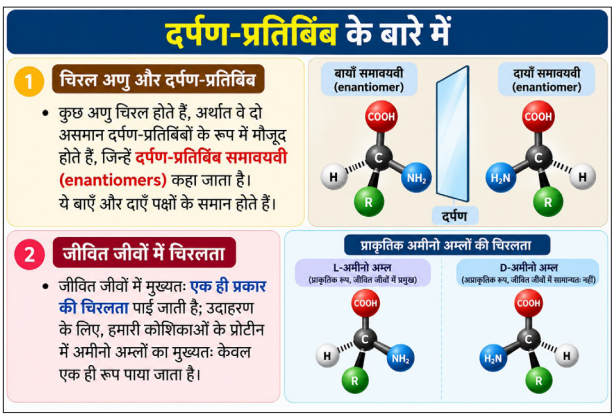

नोबेल पुरस्कार के बारे में

- नोबेल पुरस्कारों की स्थापना स्वीडन के आविष्कारक, वैज्ञानिक और उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के माध्यम से की गई थी।
- अपनी 1895 की वसीयत में नोबेल ने निर्देश दिया कि उनकी संपत्ति का उपयोग उन लोगों को पुरस्कृत करने के लिए किया जाए, जिन्होंने "मानवता को सबसे बड़ा लाभ" पहुँचाया हो।
- प्रथम नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किए गए।
- नोबेल ने मूल रूप से पाँच पुरस्कार श्रेणियाँ निर्धारित की थीं: भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य और शांति।
- अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में स्वेरिजेस रिक्सबैंक का आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार वर्ष 1968 में स्थापित किया गया था और इसका संचालन नोबेल पुरस्कार प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। हालाँकि, यह नोबेल की मूल वसीयत में निर्दिष्ट पुरस्कारों में शामिल नहीं था।
- नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा प्रदान किया जाता है।
- नोबेल पुरस्कार आधिकारिक रूप से प्रत्येक वर्ष अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं।
- नोबेल पुरस्कार विजेता शब्द की उत्पत्ति प्राचीन यूनानी परंपरा से हुई है, जिसमें विजेताओं को सम्मान के प्रतीक के रूप में लॉरेल की पत्तियों से बने मुकुट प्रदान किए जाते थे।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 86 02-11-2026 17:53:49



रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा

7.1. सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में AFSPA का विस्तार किया (Govt Extends AFSPA in Manipur, Nagaland and Arunachal Pradesh)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न करने में बाह्य राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका; विकास और उग्रवाद के प्रसार के बीच संबंध।*

संदर्भ

गृह मंत्रालय (MHA) ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के निर्दिष्ट क्षेत्रों में 1 अक्टूबर 2026 से अगले छह महीनों के लिए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (AFSPA), 1958 का विस्तार कर दिया है।

अन्य संबंधित जानकारी

- **मणिपुर:** 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रों, जो पाँच जिलों में स्थित हैं, को छोड़कर पूरे राज्य में अशांत क्षेत्र की घोषणा को बढ़ा दिया गया है।
- **नागालैंड:** अफस्पा को नौ जिलों-दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक, पेरेन और मेलुरी-तथा पाँच अन्य जिलों में 21 पुलिस थानों के अंतर्गत आने वाले निर्दिष्ट क्षेत्रों में बढ़ाया गया है।
- **अरुणाचल प्रदेश:** यह तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के साथ-साथ असम सीमा से लगे नामसाई जिले के तीन पुलिस थानों के अंतर्गत आने वाले निर्दिष्ट क्षेत्रों में भी जारी रहेगा।

AFSPA, 1958 के बारे में

- **उद्देश्य:** 1958 में अधिनियमित, AFSPA के तहत उन क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को कुछ विशेष शक्तियाँ प्रदान की जा सकती हैं जिन्हें "अशांत क्षेत्र" (disturbed area) घोषित किया गया हो, जहाँ स्थिति इतनी अशांत या खतरनाक मानी जाती है कि नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों की तैनाती आवश्यक हो।
- **अशांत क्षेत्र की घोषणा:** धारा 3 के तहत, केंद्र सरकार, किसी राज्य का राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक, आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से, वैधानिक शर्तें पूरी होने पर किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पूरे या किसी भाग को "अशांत क्षेत्र" घोषित कर सकता है।
- **विशेष शक्तियाँ और सुरक्षा उपाय:** अशांत क्षेत्र में अधिकृत सशस्त्र बलों के कर्मी, वैधानिक शर्तों के अधीन, बल का प्रयोग, जिसमें निर्दिष्ट परिस्थितियों में घातक बल का प्रयोग भी शामिल है, बिना वारंट गिरफ्तारी और बिना वारंट तलाशी ले सकते हैं।
  - ✓ गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को यथासंभव शीघ्र निकटतम पुलिस थाने को सौंपना आवश्यक है।
- **कानूनी संरक्षण:** अधिनियम के तहत प्राप्त शक्तियों के प्रयोग में किए गए या किए जाने का दावा किए गए कृत्यों के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन, वाद या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए पूर्व केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक है।
- **संवैधानिक व्यवस्था:** यद्यपि लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य सूची के विषय हैं, संविधान नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए संघ के सशस्त्र बलों की तैनाती का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 355 भी संघ पर राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने का दायित्व डालता है।
- **जम्मू-कश्मीर:** जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष शक्तियाँ अधिनियम, 1990 लागू है, जो 1958 के अधिनियम से अलग कानून है।

अफस्पा की वर्तमान स्थिति

- **पूर्वोत्तर:** अफस्पा वर्तमान में मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम के निर्दिष्ट क्षेत्रों में लागू है। इसका क्षेत्र अलग-अलग राज्यों में पूरे जिलों से लेकर विशिष्ट पुलिस थाना क्षेत्रों तक भिन्न है।
- **असम:** अफस्पा वर्तमान में असम के 3 जिलों-तिनसुकिया, चराईदेव और शिवसागर में लागू है। 1 अप्रैल 2025 से डिब्रूगढ़ को इसके दायरे से बाहर कर दिया गया था। असम के लिए अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है।
- **मिजोरम:** अफस्पा वर्तमान में लागू नहीं है। मिजो शांति समझौते के बाद 1986 में मिजोरम से AFSPA हटा लिया गया था। मिजोरम को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ।
- **त्रिपुरा और मेघालय:** 2015 में त्रिपुरा और 2018 में मेघालय से अफस्पा पूरी तरह हटा लिया गया। यह दर्शाता है कि सुरक्षा परिस्थितियों में सुधार होने पर इसके भौगोलिक दायरे को कम या पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 87 02-11-2026 17:53:49



अफस्पा से संबंधित चिंताएँ

- **व्यापक बल-प्रयोग संबंधी शक्तियाँ:** बल प्रयोग, बिना वारंट गिरफ्तारी और तलाशी से संबंधित शक्तियाँ आनुपातिकता, संभावित दुरुपयोग और नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएँ उत्पन्न करती हैं।
- **जवाबदेही:** कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए पूर्व केंद्रीय सरकार की मंजूरी की आवश्यकता ने कथित उल्लंघनों के लिए प्रभावी कानूनी उपचार तक पहुँच को लेकर चिंताएँ पैदा की हैं। नागालैंड में ओटिंग हत्याकांड के अनुभव ने भी AFSPA के तहत कार्यरत कर्मियों के अभियोजन से जुड़ी व्यावहारिक कठिनाइयों पर नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया।
- **लंबे समय तक लागू रहना:** बार-बार विस्तार किए जाने से यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या विशेष सुरक्षा उपाय विशेष क्षेत्रों में अभी भी आवश्यक हैं, विशेषकर तब जब किसी राज्य के भीतर विभिन्न क्षेत्रों की परिस्थितियों में काफी अंतर हो।
- **नागरिक–सैन्य संतुलन:** असाधारण शक्तियों पर निरंतर निर्भरता के साथ प्रभावी नागरिक प्रशासन, सामान्य पुलिस व्यवस्था और संस्थागत जवाबदेही भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

सुझाव/समिति की सिफारिशें

- **न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन रेड्डी समिति (2004–05):** समिति ने AFSPA को निरस्त करने तथा इसके उपयुक्त प्रावधानों को गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) में शामिल करने की सिफारिश की। साथ ही, शिकायत निवारण और जवाबदेही तंत्र को मजबूत करने की बात कही।
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007):** आयोग ने अफस्पा को निरस्त करने की सिफारिश की। आयोग के अनुसार, इसका निरंतर लागू रहना प्रभावित क्षेत्रों में भेदभाव और अलगाव की धारणा को बढ़ाने में योगदान देता रहा है।
- **न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति (2013):** समिति ने सिफारिश की कि सशस्त्र बलों के कर्मियों द्वारा महिलाओं के विरुद्ध निर्दिष्ट यौन अपराधों के मामलों में AFSPA के तहत संरक्षण प्राप्त करने के लिए अभियोजन की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक नहीं होनी चाहिए।
- **संतोष हेगड़े आयोग (2013):** उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त आयोग ने मणिपुर में कथित छह न्यायेतर हत्याओं की जाँच की। आयोग ने जाँचे गए मुठभेड़ों को वास्तविक नहीं पाया और उग्रवाद-रोधी अभियानों में अधिक जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित किया।

7.2. भारत–जापान UNICORN समझौता (India–Japan UNICORN Agreement)

संबंधित पाठ्यक्रम

पेपर-I प्रारम्भिक: *राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की समसामयिक घटनाएँ।*

संदर्भ

जापान ने भारत से UNICORN (यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना) समझौते की आंतरिक प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का आग्रह किया है, तथा द्विपक्षीय रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को आगे बढ़ाने में इसके महत्त्व को रेखांकित किया है।

UNICORN (यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना) नौसैनिक रडार सिस्टम के बारे में

- UNICORN एक उन्नत **एकीकृत नौसैनिक एंटीना मास्ट** है, जिसे **NORA-50 एकीकृत मास्ट** के नाम से भी जाना जाता है।
- **शिपबोर्ड UNICORN की विशेषताएँ:** इसका विकास जापान की कंपनियों, जिनमें एनईसी कॉरपोरेशन, साम्पा कोग्यो के.के.**और** योकोहामा रबर कंपनी लिमिटेड शामिल हैं, द्वारा किया गया है।
- यह प्रणाली कई संचार, निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों को एक एकल संलग्न मास्ट में एकीकृत करने के लिए डिजाइन की गई है।
- **प्रमुख विशेषताएँ**
  - ✓ यह कई एंटेना को एक ही संरचना में समेकित करता है, जिससे युद्धपोतों के रडार क्रॉस-सेक्शन और विद्युतचुंबकीय सिग्नेचर में कमी आती है।
  - ✓ इस मास्ट में टैक्टिकल डेटा लिंक, संचार, टैक्टिकल एयर नेविगेशन सिस्टम (TACAN), आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड ऑर फो (IFF) और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स (ESM) जैसी प्रणालियों को एकीकृत किया गया है।
  - ✓ इसका एकीकृत डिजाइन स्थान के बेहतर उपयोग, विद्युतचुंबकीय अनुकूलता और प्रणालियों के रखरखाव में सुगमता को बेहतर बनाता है।
  - ✓ इस मास्ट में फाइबर-रिइन्फोर्स्ड प्लास्टिक (FRP) रेडोम का

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 88 02-11-2026 17:53:49

उपयोग किया गया है तथा समुद्र में सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए लाइटनिंग-डायवर्टर व्यवस्था भी शामिल है।

✓ UNICORN वर्तमान में जापान के मोगामी-क्लास फ्रिगेट्स से संबद्ध है।



- **सामरिक महत्त्व**
  - ✓ यह प्रणाली नौसैनिक प्लेटफॉर्मों की स्टील्थ क्षमता और उत्तरजीविता को बढ़ा सकती है, क्योंकि इससे उनका पता लगाना और ट्रैक करना अधिक कठिन हो जाता है।
  - ✓ यह उन्नत जापानी नौसैनिक प्रौद्योगिकी तक पहुँच प्रदान करती है और भारत के स्वदेशी नौसैनिक आधुनिकीकरण के प्रयासों को समर्थन देती है।

UNICORN पर भारत–जापान समझौता

- भारत और जापान ने 15 नवंबर 2024 को भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए UNICORN मास्ट के सह-विकास हेतु कार्यान्वयन ज्ञापन (MoI) पर हस्ताक्षर किए।
- यह भारत और जापान के बीच पहला रक्षा उपकरण सह-विकास/सह-उत्पादन परियोजना है।
- जापान डिजाइन विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराएगा, जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) भारत में इसके विनिर्माण और सिस्टम इंटीग्रेशन का कार्य करेगा।
- यह परियोजना मेक इन इंडिया को बढ़ावा देती है, क्योंकि इससे घरेलू विनिर्माण, प्रौद्योगिकी का अवशोषण और भारत की रक्षा-औद्योगिक क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण होगा।

7.3. आईएनएस समर्थक: भारत का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत (INS Samarthak: India's First Indigenous Multi-Purpose Vessel)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों की उपलब्धियाँ; देशज रुप से प्रौद्योगिकी का विकास तथा नई प्रौद्योगिकी का विकास।*

संदर्भ

भारतीय नौसेना ने भारत की स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमताओं और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए कर्नाटक के कारवार में स्वदेश में निर्मित बहुउद्देशीय पोत आईएनएस समर्थक को नौसेना में शामिल किया।

आईएनएस समर्थक के बारे में

- **प्रकार:** स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत (MPV), जिसे मुख्य रूप से परीक्षण और मूल्यांकन के लिए एक मंच के रूप में तैयार किया गया है।
- **निर्माता:** लार्सन एंड टुब्रो (L&T), तमिलनाडु स्थित अपने कट्टुपल्ली पोत निर्माण केंद्र में।
- **स्वदेशी सामग्री:** 75% से अधिक, जो सशस्त्र बलों के लिए प्लेटफॉर्म विकसित करने में भारत के निजी जहाज निर्माण उद्योग की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।
- **आयाम और विस्थापन:** लगभग 106 मीटर लंबा, 16.8 मीटर चौड़ा; विस्थापन 3,750 टन।
- **अधिकतम गति:** 15 नॉट (लगभग 27 किमी/घंटा)।
- **प्रमुख क्षमताएँ:**
  - ✓ **परीक्षण और मूल्यांकन:** व्यापक परिचालन तैनाती से पहले स्वदेशी हथियारों, रडार, सेंसरों और अन्य नौसैनिक प्रणालियों का परीक्षण एवं मूल्यांकन करता है।
  - ✓ **गतिशील स्थिति निर्धारण प्रणाली (Dynamic Positioning System):** विशेष अभियानों के दौरान समुद्र में पोत को एक निश्चित स्थिति पर बनाए रखने में सक्षम बनाती है।
  - ✓ **लक्ष्यों की तैनाती:** तोपखाने के अभ्यास और पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण के लिए सतही एवं हवाई लक्ष्यों को छोड़ने और वापस प्राप्त करने में सक्षम है।
  - ✓ **मानवरहित प्रणालियाँ:** मानवरहित एवं स्वायत्त सतही और हवाई वाहनों की तैनाती तथा संचालन के लिए एक मातृ-पोत के रूप में कार्य करता है।
  - ✓ **बहुविध परिचालन भूमिकाएँ:** समुद्री निगरानी एवं टोही, अपतटीय गश्त, निम्न-तीव्रता वाले समुद्री अभियान (LIMO), खींचने तथा बचाव अभियान संचालित करता है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 89 02-11-2026 17:53:49

- ✓ **आपातकालीन प्रतिक्रिया:** मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR), अग्निशमन, चिकित्सा सहायता और गैर-लड़ाकू व्यक्तियों की निकासी संबंधी अभियानों में सहायता करता है। इसे सीमित क्षमता वाले अस्पताल पोत में भी परिवर्तित किया जा सकता है।

- **अभिकल्पना और निर्माण:** जहाज निर्माण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने और निर्माण अवधि को कम करने के लिए मॉड्यूलर निर्माण तथा पूर्व-सज्जा तकनीकों को शामिल करता है।
- **प्रतीक चिह्न और आदर्श वाक्य:** इसके प्रतीक चिह्न में लहरों से निकलता हुआ एक भारतीय हाथी दर्शाया गया है, जो शक्ति, बुद्धिमत्ता और चपलता का प्रतीक है। इसका आदर्श वाक्य है-"विजय ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है।"

इस उपलब्धि का महत्त्व

- **रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता:** 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ, यह पोत आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है और नौसैनिक प्रौद्योगिकियों के परीक्षण के लिए विदेशी सुविधाओं पर निर्भरता कम करता है।
- **स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास:** यह परिचालन समुद्री परिस्थितियों में अगली पीढ़ी के हथियारों, सेंसरों और उभरती प्रौद्योगिकियों के परीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करता है, जिससे घरेलू नवाचारों को परिचालन में तैनात की जा सकने वाली क्षमताओं में बदलने में सहायता मिलती है।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना:** यह भारत के रक्षा विनिर्माण तंत्र में निजी पोत निर्माण केंद्रों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, उपकरण निर्माताओं और सहायक उद्योगों के बढ़ते योगदान को रेखांकित करता है।
- **समुद्री सुरक्षा में वृद्धि:** इसकी बहुउद्देशीय क्षमताएँ हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी, टोही, गश्त, मानवरहित प्रणालियों के संचालन तथा पारंपरिक और गैर-पारंपरिक समुद्री खतरों से निपटने में सहायता करती हैं।
- **औद्योगिक एवं रणनीतिक लाभ:** मॉड्यूलर निर्माण और पूर्व-सज्जा से जहाज निर्माण की दक्षता बढ़ाने में सहायता मिलती है। साथ ही, यह परियोजना रोजगार सृजन, घरेलू औद्योगिक क्षमताओं के विकास और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता में योगदान देती है।

7.4. आईएनएस मंगरोल (INS Mangrol)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: *विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों की उपलब्धियाँ; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास तथा नई प्रौद्योगिकी का विकास।*

संदर्भ

भारतीय नौसेना ने 12 अक्टूबर, 2026 को मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में आईएनएस मंगरोल (पी82) को नौसेना में शामिल किया। यह माहे श्रेणी का तीसरा पनडुब्बी रोधी उथले जल क्षेत्र का युद्धक पोत (ASW-SWC) है।

आईएनएस मंगरोल की प्रमुख विशेषताएँ

- **स्वदेशी निर्माण:** इसका डिजाइन और निर्माण कोच्चि स्थित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) द्वारा किया गया है। इसमें **80% से अधिक स्वदेशी सामग्री** का उपयोग किया गया है।
  - ✓ इसका नाम गुजरात के जूनागढ़ जिले के तटीय कस्बे और मछली पकड़ने के बंदरगाह मंगरोल के नाम पर रखा गया है। यह पूर्ववर्ती आईएनएस मंगरोल (M85) की विरासत को आगे बढ़ाता है, जो एक बारूदी सुरंग रोधी पोत था और अप्रैल 2004 तक सेवा में रहा।
- **हथियार एवं सेंसर:** यह अभय पतवार-स्थापित सोनार, हल्के टॉरपीडो, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर और मारीच उन्नत टॉरपीडो प्रलोभन प्रणाली से लैस है।
- **प्रणोदन एवं परिचालन भूमिकाएँ:** डीजल इंजनों से संचालित तीन वॉटरजेट प्रणोदन इकाइयाँ उथले और सीमित जलक्षेत्रों में उच्च गतिशीलता प्रदान करती हैं। इस पोत को पनडुब्बी रोधी युद्ध (ASW), पानी के नीचे निगरानी, निम्न तीव्रता वाले समुद्री अभियान (LIMO) और बारूदी सुरंग युद्ध से संबंधित कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है।

महत्त्व

- **तटीय रक्षा को मजबूत करना:** उथले तटीय जलक्षेत्रों में पनडुब्बी के खतरों का पता लगाने, उनका पीछा करने और उनका मुकाबला करने की नौसेना की क्षमता बढ़ाता है, जिससे बंदरगाहों, पोताश्रयों और तटीय पहुँच मार्गों की सुरक्षा होती है।
- **पुराने पोतों का स्थान लेना:** माहे श्रेणी की परियोजना का उद्देश्य नौसेना के पुराने अभय श्रेणी के पनडुब्बी रोधी कॉर्वेट पोतों का स्थान लेना है। व्यापक पनडुब्बी रोधी उथले जल क्षेत्र के युद्धक पोत (ASW-SWC) कार्यक्रम में 16 पोत शामिल हैं-कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) द्वारा निर्मित किए जा रहे आठ माहे श्रेणी के पोत और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) द्वारा निर्मित किए जा रहे आठ अर्नाला श्रेणी के पोत।
- **रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण:** 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ, आईएनएस मंगरोल घरेलू युद्धपोत डिजाइन, निर्माण और प्रणालियों के एकीकरण को मजबूत करता है तथा आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को समर्थन देता है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 90 02-11-2026 17:53:49

7.5. स्लाइनेक्स-26 (SLINEX-26)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर-I (प्रारम्भिक परीक्षा): *राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की समसामयिक घटनाएँ।*

संदर्भ

भारत–श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 13वाँ संस्करण स्लाइनेक्स-26 17 से 21 सितंबर, 2026 तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग और परिचालन अंतर-संचालनीयता को मजबूत करना है।

अभ्यास के बारे में

- **भाग लेने वाले देश:** भारत और श्रीलंका।
- **स्थान:** पूर्वी नौसेना कमान के तत्वावधान में विशाखापत्तनम।
- **अवधि:** 17–21 सितंबर, 2026।
- **भाग लेने वाले नौसैनिक पोत:** भारतीय नौसेना की ओर से आईएनएस कवरत्ती, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया पनडुब्बी रोधी युद्धक कार्वेट है, और आईएनएस ज्योति, जो एक फ्लीट टैंकर है, भाग ले रहे हैं। श्रीलंकाई नौसेना की ओर से एसएलएनएस सिंदुराला भाग ले रहा है।
- **चरण:** इस अभ्यास में बंदरगाह चरण शामिल है, जिसमें पेशेवर बातचीत, क्रॉस-डेक दौरे, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान, योग, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियाँ शामिल हैं। इसके बाद समुद्री चरण आयोजित किया जाता है, जिसमें समन्वित समुद्री अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- **पृष्ठभूमि:** वर्ष 2005 में इसकी संकल्पना की गई थी। तब से स्लाइनेक्स दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी समझ और समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में विकसित हुआ है।
- **दृष्टिकोण:** यह अभ्यास भारत के महासागर (MAHASAGAR) दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो आपसी और समग्र प्रगति के माध्यम से क्षेत्र में सुरक्षा, विकास और वृद्धि को बढ़ावा देता है।

महत्व

- **बेहतर अंतर-संचालनीयता:** यह अभ्यास परिचालन समन्वय और समुद्री अभियानों के दौरान दोनों नौसेनाओं की साथ मिलकर कार्य करने की क्षमता को मजबूत करता है।
- **समुद्री सुरक्षा:** यह हिंद महासागर क्षेत्र में एक सुरक्षित, स्थिर और समावेशी समुद्री वातावरण में योगदान देता है।
- **द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती:** स्लाइनेक्स परिचालन अनुभवों, पेशेवर ज्ञान और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है, जिससे भारत और श्रीलंका के बीच लंबे समय से चली आ रही समुद्री साझेदारी मजबूत होती है।

7.6. अभ्यास नोमैडिक एलीफेंट 2026 (Exercise Nomadic Elephant 2026)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर-I (प्रारम्भिक परीक्षा): *राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की समसामयिक घटनाएँ।*

संदर्भ

अभ्यास नोमैडिक एलीफेंट के 18वें संस्करण, जो भारत-मंगोलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, की शुरुआत **21 सितंबर 2026** को **पिथौरागढ़, उत्तराखंड** में हुई।

अभ्यास नोमैडिक एलीफेंट के बारे में

- **प्रकृति:** यह **भारतीय सेना और मंगोलियाई सशस्त्र बलों** के बीच आयोजित होने वाला एक **वार्षिक, प्लाटून-स्तरीय द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास** है, जिसका आयोजन बारी-बारी से भारत और मंगोलिया में किया जाता है। इसका आयोजन **2006 से** किया जा रहा है।
- **2026 संस्करण:** इसका 18वाँ संस्करण **21 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026** तक **फॉरेन ट्रेनिंग नोड, पिथौरागढ़** में आयोजित किया जा रहा है। इसका पिछला संस्करण **मई–जून 2025 में उलानबटार, मंगोलिया** में आयोजित किया गया था।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत अर्ध-शहरी और पर्वतीय क्षेत्रों में उग्रवाद-रोधी अभियानों** को संचालित करने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। साथ ही, यह अंतर-संचालन क्षमता में सुधार और परिचालन संबंधी सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान को भी बढ़ावा देता है।
- **2026 के अभ्यास** में सामरिक स्तर के अभियानों के साथ **ड्रोन और ड्रोन-रोधी प्रणालियों** को भी शामिल किया गया है, जो समकालीन सैन्य अभियानों की बदलती आवश्यकताओं को दर्शाता है।

7.7. कज़िंद-2026 (KAZIND-2026)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर-I (प्रारम्भिक परीक्षा): *राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की समसामयिक घटनाएँ।*

संदर्भ

भारतीय सशस्त्र बलों की 60 सदस्यीय टुकड़ी कज़ाखस्तान के ओस्केमेन के लिए रवाना हुई है, जहाँ वह भारत–कज़ाखस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कज़िंद के नौवें संस्करण में भाग लेगी। यह अभ्यास 28 सितंबर से 11 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 91 02-11-2026 17:53:49

भारत–कज़ाखस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कज़िंद के बारे में

- **भारतीय टुकड़ी:** इसमें मुख्य रूप से गढ़वाल राइफल्स की एक बटालियन के जवानों के साथ अन्य सैन्य शाखाओं एवं सेवाओं तथा भारतीय वायु सेना के कर्मी शामिल हैं। कज़ाख्स्तान की टुकड़ी मुख्य रूप से उसकी थल सेना से ली गई है।
- **उद्देश्य:** संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के तहत उप-पारंपरिक वातावरण में आतंकवाद-रोधी अभियानों को संचालित करने के लिए अंतर-संचालनीयता और संयुक्त क्षमता को बढ़ाना।
- **परिचालन संबंधी फोकस:** अर्ध-शहरी और पर्वतीय भू-भाग, संयुक्त योजना एवं क्रियान्वयन, हवाई गतिशीलता, तथा मानवरहित हवाई प्रणालियों (UAS) और काउंटर-UAS क्षमताओं का एकीकृत उपयोग।
- प्रशिक्षण में छापेमारी, खोज एवं विनाश अभियान, घेराबंदी एवं तलाशी अभियान, हेलीपैड एवं लैंडिंग साइटों को सुरक्षित करना तथा विशेष हेलिबोर्न ऑपरेशन शामिल हैं।
- समन्वित योजना एवं क्रियान्वयन के लिए संयुक्त कमान पोस्ट और खुफिया एवं निगरानी केंद्र सहायता प्रदान करेंगे। इसके बाद एक काल्पनिक आतंकवादी खतरे के विरुद्ध व्यापक सत्यापन अभ्यास किया जाएगा।
- यह अभ्यास 2016 में प्रबल दोस्तिक (Prabal Dostyk) के रूप में शुरू हुआ था और बाद में 2018 में इसे उन्नत करके कज़िंद (KAZIND) नाम दिया गया।

महत्व

- भारत–कज़ाख्स्तान सैन्य-से-सैन्य सहयोग को मजबूत करता है।
- विशेष रूप से जटिल भू-भाग में संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभियानों के लिए अंतर-संचालनीयता में सुधार करता है।
- परिचालन अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाता है।
- संयुक्त अभियानों में हवाई गतिशीलता, ड्रोन और काउंटर-ड्रोन प्रणालियों के उपयोग के लिए तैयारी को बढ़ाता है।
- दोनों देशों के क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सामूहिक सुरक्षा के साझा उद्देश्य में योगदान देता है।

7.8. आसियान-भारत समुद्री अभ्यास (ASEAN-India Maritime Exercise)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर-I (प्रारम्भिक परीक्षा): *राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की समसामयिक घटनाएँ।*

संदर्भ

आसियान-भारत समुद्री अभ्यास (AIME-2026) का दूसरा संस्करण 28 सितंबर 2026 को फिलीपींस के सुबिक बे में शुरू हुआ। इसमें भारत और आसियान देशों की समुद्री सेनाओं ने भाग लिया।

आसियान-भारत समुद्री अभ्यास 2026 के बारे में

- **AIME-2026** आसियान-भारत समुद्री अभ्यास का दूसरा संस्करण है। इसका आयोजन "विश्वास में निहित, समुद्र में एकजुट" (Anchored in Trust, United at Sea) विषय के तहत किया गया।
- **पहला संस्करण:** AIME-2023 का आयोजन मई 2023 में सिंगापुर में किया गया था।
- इस अभ्यास की सह-मेजबानी भारतीय नौसेना और फिलीपींस नौसेना द्वारा की जा रही है। इसमें INS सह्याद्रि और INS कुलिश के साथ आसियान सदस्य देशों की समुद्री सेनाएँ भाग ले रही हैं।
  - ✓ **बंदरगाह चरण (Harbour Phase):** इसमें विषय विशेषज्ञों के बीच आदान-प्रदान, परिचालन समन्वय, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सामुदायिक सहभागिता शामिल हैं। विचार-विमर्श के प्रमुख क्षेत्रों में मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR), समुद्री क्षेत्र जागरूकता, लॉजिस्टिक्स तथा महिला, शांति और सुरक्षा शामिल हैं।
  - ✓ **समुद्री चरण (Sea Phase):** इसमें परिचालन समन्वय और अंतर-संचालनीयता को बढ़ाने के लिए समन्वित समुद्री अभ्यास किए जाते हैं। इनमें बोर्डिंग ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर क्रॉस-डेक लैंडिंग और चिकित्सा निकासी शामिल हैं।
- यह अभ्यास भारत की **एक्ट ईस्ट नीति** और **MAHASAGAR** *(क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र उन्नति) विजन* का समर्थन करता है।

महत्व

- **समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करता है:** भारत और आसियान की समुद्री सेनाओं के बीच पारस्परिक समझ तथा व्यावहारिक सहयोग को बढ़ाता है।
- **अंतर-संचालनीयता में सुधार:** संयुक्त प्रशिक्षण और समन्वित गतिविधियाँ भाग लेने वाली सेनाओं की एक साथ प्रभावी ढंग से संचालन करने की क्षमता को मजबूत करती हैं।
- **समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देता है:** समुद्री क्षेत्र जागरूकता और समन्वित समुद्री अभियानों जैसे क्षेत्रों में सहयोग एक सुरक्षित समुद्री वातावरण को बढ़ावा देता है।
- **क्षेत्रीय साझेदारी को आगे बढ़ाता है:** आसियान के साथ भारत के रणनीतिक जुड़ाव तथा व्यापक हिंद-प्रशांत समुद्री पहुंच को बेहतर बनाता है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 92 02-11-2026 17:53:50

7.9. अभ्यास माउंटेन गार्जियन 2026 (Exercise MOUNTAIN GUARDIAN 2026)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर-I (प्रारम्भिक परीक्षा): *राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की समसामयिक घटनाएँ।*

संदर्भ

भारत–यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास माउंटेन गार्जियन 2026 5 अक्टूबर 2026 को उत्तराखंड के चौबटिया स्थित विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ और 18 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है।

अन्य संबंधित जानकारी

- यह अभ्यास चुनौतीपूर्ण पर्वतीय भूभाग में संयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से दोनों सेनाओं के बीच अंतर-संचालनीयता, आपसी समझ और सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है।
- प्रशिक्षण गतिविधियों में संयुक्त योजना, सामरिक अभ्यास, फायरिंग अभ्यास, निगरानी ग्रिड की स्थापना, ड्रोन संचालन, रॉक क्लाइम्बिंग, बाधा प्रशिक्षण और एकीकृत मैदानी अभ्यास शामिल हैं।
- अभ्यास में प्रौद्योगिकी-सक्षम अभियानों के साथ-साथ पर्वतीय युद्ध से संबंधित रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं (टीटीपी) का आदान-प्रदान भी शामिल है।

भारत–यूएई रक्षा सहयोग

- **संस्थागत ढाँचा:** रक्षा और सुरक्षा सहयोग भारत–यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है। इसके तहत सशस्त्र बलों के बीच नियमित आदान-प्रदान और संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) के माध्यम से उच्च-स्तरीय रक्षा संवाद होता है।
- **सैन्य अभ्यास:** प्रमुख द्विपक्षीय गतिविधियों में सेनाओं के बीच डेजर्ट साइक्लोन, नौसेनाओं के बीच गल्फ वेव्स (जिसे पहले जायद तलवार के नाम से जाना जाता था) और यूएई द्वारा आयोजित डेजर्ट फ्लैग वायु अभ्यास में भारत की नियमित भागीदारी शामिल है।
- **रणनीतिक रक्षा साझेदारी:** भारत और यूएई ने जनवरी 2026 में रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद मई 2026 में रणनीतिक रक्षा साझेदारी रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए गए। यह रक्षा उद्योग, प्रौद्योगिकी और समुद्री सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए व्यापक ढाँचा प्रदान करती है।

7.10. अभ्यास इंद्र-2026 (EXERCISE INDRA-2026)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर-I (प्रारम्भिक परीक्षा): *राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की समसामयिक घटनाएँ।*

संदर्भ

आईएनएस सह्याद्रि द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र-2026 में भाग लेने के लिए 10 अक्टूबर, 2026 को रूस के व्लादिवोस्तोक पहुँचा। यह अभ्यास 13–18 अक्टूबर, 2026 तक निर्धारित है।

अभ्यास इंद्र के बारे में

- **प्रकृति एवं शुरुआत:** भारत और रूस के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, जिसे रक्षा सहयोग और अंतर-संचालनीयता को मजबूत करने के लिए **2003** में शुरू किया गया था। *INDRA* नाम भारत (INDia) और रूस (RussiA) से लिया गया है।
- **संस्करण:** वर्ष 2026 का नौसैनिक अभ्यास इसका **15वाँ संस्करण** है। इससे पहले 14वाँ नौसैनिक संस्करण मार्च–अप्रैल 2025 में भारत के चेन्नई तट के पास आयोजित किया गया था।
- **प्रारूप:** इस अभ्यास श्रृंखला में संबंधित थल सेनाओं, नौसेनाओं और वायु सेनाओं के बीच सेवा-विशिष्ट अभ्यास शामिल रहे हैं। **इंद्र-2017 दोनों देशों के बीच पहला संयुक्त त्रि-सेवा अभ्यास था।**
- **वर्ष 2026 में आयोजन:** इस अभ्यास में व्लादिवोस्तोक में बंदरगाह चरण शामिल है, जिसके बाद जापान सागर के निकटवर्ती जलक्षेत्रों में समुद्र में समन्वित परिचालन गतिविधियाँ आयोजित की जाएँगी। इसका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच पारस्परिक समझ, परिचालन समन्वय और अंतर-संचालनीयता को बढ़ाना है।
- **रणनीतिक महत्त्व:** यह अभ्यास भारत-रूस रक्षा एवं समुद्री सहयोग को मजबूत करता है और भारत के **महासागर** (MAHASAGAR) दृष्टिकोण के अनुरूप है-*क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र उन्नति*

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 93 02-11-2026 17:53:50



8.1. भारत की यूनेस्को अस्थायी सूची में स्थलों की संख्या बढ़कर 78 हुई (India's UNESCO Tentative List Reaches 78 sites)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-1: *भारतीय संस्कृति में प्राचीन से आधुनिक काल तक कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलुओं को शामिल किया जाएगा।*

संदर्भ

भारत की यूनेस्को अस्थायी सूची में पाँच नए विरासत प्रस्ताव शामिल होने के बाद अब इसमें कुल 78 स्थल दर्ज हो गए हैं। यह उपलब्धि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अन्य संबंधित जानकारी

- पाँच नए प्रस्ताव हैं: **बाघ गुफा चित्रकला, चंबल घाटी के मंदिरों का समूह, उदयगिरि गुफाएँ, गिन्नौरगढ़ किला और सत्याग्रह स्थल**।
  - ✓ इनमें से चार स्थल मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जबकि सत्याग्रह स्थल भारत और दक्षिण अफ्रीका से संबंधित एक श्रृंखलाबद्ध पार-राष्ट्रीय प्रस्ताव है।
- ये नए प्रस्ताव भारत की विरासत के विभिन्न आयामों को समेटते हैं, जिनमें बौद्ध कला, गुप्तकालीन वास्तुकला, मध्यकालीन मंदिर वास्तुकला, गोंड विरासत और महात्मा गांधी के सत्याग्रह के विकास की यात्रा शामिल हैं।



नए स्थल

- **बाघ गुफा चित्रकला:** मध्य प्रदेश में स्थित चट्टानों को काटकर बनाई गई नौ बौद्ध गुफाओं का समूह, जो मुख्यतः चौथी–छठी शताब्दी ईस्वी की हैं।
  - ✓ इनमें बने भित्तिचित्र, विशेष रूप से गुफा 4 के चित्र, अजंता के बाद की बौद्ध चित्रकला के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।
- **चंबल घाटी के मंदिरों का समूह:** इसमें बटेश्वर, पदावली और काकरमठ शामिल हैं। ये मुख्यतः 8वीं–11वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभिक मध्यकालीन मंदिर हैं।
  - ✓ ये क्षेत्रीय नागर शैली की मंदिर वास्तुकला के विकास के एक महत्वपूर्ण चरण को दर्शाते हैं।
- **उदयगिरि गुफाएँ:** यह गुप्तकालीन चट्टानों को काटकर बनाया गया धार्मिक परिसर है, जिसका विकास मुख्यतः चौथी शताब्दी के उत्तरार्ध और पाँचवीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में हुआ।
  - ✓ इसमें 20 गुफाएँ हैं, जिनमें मूर्तियाँ और अभिलेख मिलते हैं। गुफा 5 में विष्णु के प्रसिद्ध वराह रूप की मूर्ति स्थित है।
- **गिन्नौरगढ़ किला:** यह गोंड राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र था, जो 16वीं शताब्दी के प्रारंभ से 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक महत्वपूर्ण रहा।
  - ✓ इस परिसर में महल, बावड़ियाँ, जलाशय, भित्तिचित्र और उन्नत जल-प्रबंधन प्रणाली शामिल हैं।
- **सत्याग्रह स्थल:** यह नौ संपत्तियों वाला श्रृंखलाबद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव है-भारत में सात (महात्मा गांधी सत्याग्रह स्मारक, साबरमती आश्रम, मणि भवन, हरिजन सेवक संघ, सेवाग्राम आश्रम, आग़ा ख़ान पैलेस और गांधी स्मृति) तथा दक्षिण अफ्रीका में दो (पीटरमैरिट्ज़बर्ग रेलवे स्टेशन और फीनिक्स सेटलमेंट)।
  - ✓ यह दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की उत्पत्ति से लेकर भारत में इसके विकास और संस्थागत रूप लेने तक महात्मा गांधी के सत्याग्रह के विचार की यात्रा को दर्शाता है।

यूनेस्को अस्थायी सूची के बारे में

- अस्थायी सूची सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत स्थलों की एक सूची है, जिन्हें कोई राष्ट्र पक्षकार संभावित रूप से यूनेस्को विश्व विरासत सूची में नामांकन के लिए उपयुक्त मानता है।
- किसी स्थल का अस्थायी सूची में शामिल होना आवश्यक है, तभी उसके नामांकन पर विश्व विरासत समिति द्वारा विचार किया जा सकता है।
- यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र की स्थापना 1992 में हुई थी। यह विश्व विरासत से संबंधित मामलों में यूनेस्को के भीतर केंद्रीय समन्वयक और

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 94 02-11-2026 17:53:50

संपर्क केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसमें राज्य पक्षों को स्थलों के नामांकन की तैयारी में सहायता देना तथा विश्व विरासत समिति के कार्यों में सहयोग करना शामिल है।

- इसके बाद राज्य पक्ष नामांकन तैयार करता है, जिसमें प्रारंभिक मूल्यांकन और विस्तृत नामांकन दस्तावेज शामिल होते हैं।
- प्रस्ताव का मूल्यांकन यूनेस्को के सलाहकार निकायों द्वारा किया जाता है:
  - ✓ ICOMOS - सांस्कृतिक विरासत के लिए
  - ✓ IUCN - प्राकृतिक विरासत के लिए
  - ✓ इसके बाद विश्व विरासत समिति अंतिम निर्णय लेती है।
- भारत में विश्व विरासत प्रक्रिया में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहयोग आयोग (INCCU) महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- महत्वपूर्ण रूप से किसी स्थल का अस्थायी सूची में शामिल होना यह नहीं दर्शाता कि वह यूनेस्को विश्व विरासत स्थल बन चुका है।

8.2. कर्नाटक में तुलु को अतिरिक्त आधिकारिक भाषा का दर्जा (Tulu Accorded Additional Official Language Status in Karnataka)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर-I (प्रारम्भिक परीक्षा): *राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की समसामयिक घटनाएँ।*

संदर्भ

कर्नाटक मंत्रिमंडल ने दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में तुलु को दूसरी अतिरिक्त प्रशासनिक भाषा का दर्जा प्रदान किया।

अन्य संबंधित जानकारी

- तुलु को यह दर्जा दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों के प्रशासनिक मामलों में लागू होगा तथा संबंधित जिला प्रशासन इसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे।
- यह निर्णय शिक्षाविद् एम. मोहन अल्वा की अध्यक्षता में गठित उस समिति की सिफारिशों को लागू करता है, जिसे तुलु भाषा और संस्कृति का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था।

तुलु के बारे में

- तुलु पाँच द्रविड़ भाषाओं में से एक है। यह मुख्य रूप से दक्षिण कन्नड़, उडुपी और उत्तरी केरल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है तथा इसके लगभग 18–20 लाख मातृभाषी हैं।
- इसकी मौखिक परंपरा मजबूत और लोककथाओं की समृद्ध विरासत है, जिसमें यक्षगान और भूत कोला जैसी सांस्कृतिक परंपराएँ शामिल हैं।
- यद्यपि ऐतिहासिक रूप से इसकी अपनी लिपि थी, वर्तमान में इसे मुख्य रूप से कन्नड़ लिपि में लिखा जाता है।
- तुलु भाषी समुदाय दशकों से आधिकारिक मान्यता की मांग करते रहे हैं। यह मांग कर्नाटक विधानसभा में बार-बार उठाई गई है तथा सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से भी इसे आगे बढ़ाया गया है।
- अनुच्छेद 345 राज्य विधानमंडल को राज्य में प्रचलित किसी भाषा को प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने का अधिकार देता है।

महत्त्व

- **प्रशासनिक समावेशन:** अब दोनों जिलों में सरकारी अधिसूचनाएँ और संचार तुलु भाषा में जारी किए जा सकते हैं।
- **सांस्कृतिक संरक्षण:** इससे तुलु भाषा, साहित्य और तटीय कर्नाटक की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिल सकता है।
- **भाषा संवर्धन:** अनुवाद और प्रशिक्षण के लिए समर्पित धनराशि तुलु के व्यावहारिक उपयोग को सुगम बना सकती है।
- **संवैधानिक मान्यता:** अनुच्छेद 347 किसी राज्य या उसके किसी भाग में किसी भाषा को मान्यता देने का प्रावधान करता है, जब जनसंख्या का पर्याप्त अनुपात उस भाषा को मान्यता देने की मांग करता है।
- **मान्यता का अंतर:** लंबे समय से मांग किए जाने के बावजूद तुलु अभी भी आठवीं अनुसूची से बाहर है, जिसमें वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है।

8.3. श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती (Birth Anniversary of Shyamji Krishna Varma)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर-I (प्रारम्भिक परीक्षा): *राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की समसामयिक घटनाएँ।*

संदर्भ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अक्टूबर 2026 को क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत के संघर्ष में उनके योगदान को याद किया।

श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में

- 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के कच्छ के मांडवी में जन्मे श्यामजी कृष्ण वर्मा संस्कृत के विद्वान, वकील और राष्ट्रवादी थे।
- स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर वे बॉम्बे आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष बने।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 95 02-11-2026 17:53:50

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान



- **इंडियन होम रूल सोसाइटी (1905):** भारत के स्वशासन को बढ़ावा देने और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध करने के लिए लंदन में इसकी स्थापना की।
- **इंडिया हाउस (1905):** भारतीय विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए लंदन में इसकी स्थापना की। यह आगे चलकर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हुआ और इसका संबंध विनायक दामोदर सावरकर तथा अन्य क्रांतिकारियों से रहा।
- **द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट (1905):** एक मासिक पत्रिका शुरू की, जिसके माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार किया गया और ब्रिटिश शासन की आलोचना की गई।

विरासत

- वर्मा 1907 में पेरिस चले गए और बाद में अपने जीवन के अंतिम वर्ष स्विट्जरलैंड के जिनेवा में बिताए, जहाँ 30 मार्च 1930 को उनका निधन हुआ।

8.4. पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती (Birth Anniversary of Pandit Deendayal Upadhyay)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर-I (प्रारम्भिक परीक्षा): *राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की समसामयिक घटनाएँ।*

संदर्भ

25 सितंबर 2026 को भारत के प्रधानमंत्री ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय के विचारों को रेखांकित किया।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय के बारे में

जन्म एवं प्रारंभिक जीवन:

- उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नगला चंद्रभान गाँव में हुआ था।
- कम उम्र में ही उन्होंने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया और उनका पालन-पोषण उनके मामा ने किया।
- वे पढ़ाई में मेधावी थे और अपनी शिक्षा के दौरान उन्होंने छात्रवृत्तियाँ प्राप्त कीं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ाव

- कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज में विद्यार्थी जीवन के दौरान वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के संपर्क में आए।
- 1942 में, उन्होंने पारंपरिक पेशेवर जीवन अपनाने के बजाय स्वयं को RSS के पूर्णकालिक प्रचारक (संगठनकर्ता) के रूप में समर्पित करने का निर्णय लिया।

राजनीतिक जीवन

- 1951 में, जब डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, तब दीन दयाल उपाध्याय उत्तर प्रदेश इकाई के प्रथम महासचिव बने।
- बाद में उन्होंने अखिल भारतीय महासचिव के रूप में कार्य किया और पार्टी के संगठनात्मक ढाँचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- 1953 में डॉ. मुखर्जी के निधन के बाद, उन्होंने लगभग 15 वर्षों तक पार्टी के विस्तार का नेतृत्व किया।
- दिसंबर 1967 में उन्हें भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया।
- 11 फरवरी 1968 को मुगलसराय रेलवे स्टेशन (अब दीन दयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है) के निकट रहस्यमय परिस्थितियों में उनका निधन हो गया।

प्रमुख कृतियाँ एवं बौद्धिक योगदान

एकात्म मानववाद

- उनका प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत था, जिसे उन्होंने 1965 में व्याख्यानों की एक श्रृंखला के माध्यम से प्रस्तुत किया।
- उन्होंने भारतीय संस्कृति पर आधारित एक स्वदेशी सामाजिक-आर्थिक मॉडल का प्रस्ताव रखा।
- उन्होंने पश्चिमी पूँजीवाद और मार्क्सवादी समाजवाद, दोनों को अस्वीकार किया।
- यह दर्शन चार पुरुषार्थों-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर आधारित था तथा मानव के समग्र विकास पर बल देता था।

अन्य कृतियाँ

- **पॉलिटिकल डायरी** - समकालीन राजनीति पर उनके विचारों का संकलन।
- **द टू प्लान्स**- भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की आलोचना।
- **सम्राट चंद्रगुप्त** और **आदि शंकराचार्य** जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्वों पर लेखन।
- राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार के लिए वे **राष्ट्र धर्म, पांचजन्य** और **स्वदेश** जैसे प्रकाशनों से जुड़े रहे।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 96 02-11-2026 17:53:50

दार्शनिक दृष्टिकोण

- उन्होंने अंत्योदय की अवधारणा का समर्थन किया, जिसके अनुसार समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण शासन की सफलता का प्रमुख आधार होना चाहिए।
- उन्होंने भौतिक प्रगति और आध्यात्मिक मूल्यों के बीच संतुलन पर बल दिया।
- उन्होंने विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था का समर्थन किया, जिसमें गाँव को शासन की मूल इकाई माना गया।
- उन्होंने आत्मनिर्भरता तथा भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप आर्थिक नीतियों को बढ़ावा दिया।

विरासत और समकालीन प्रासंगिकता

- पंडित दीन दयाल उपाध्याय को आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के प्रमुख विचारकों में से एक माना जाता है, जिनका संबंध सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से रहा है।
- उनका एकात्म मानववाद का दर्शन आज भी नीतिगत चर्चाओं को प्रभावित करता है, विशेष रूप से समावेशी विकास, विकेंद्रीकरण और नैतिक शासन से संबंधित विमर्शों में।
- उनका जीवन संगठनात्मक कार्य के प्रति समर्पण, वैचारिक स्पष्टता और राष्ट्र-प्रथम राजनीति का प्रतीक माना जाता है।

8.5. लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 124वीं जयंती (124th Birth Anniversary of Loknayak Jayaprakash Narayan)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर-I (प्रारम्भिक परीक्षा): *राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की समसामयिक घटनाएँ।*

संदर्भ

प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर 2026 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 124वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आपातकाल के दौरान उनके निर्भीक विरोध तथा सुशासन और वंचित वर्गों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को याद किया गया।

जयप्रकाश नारायण के बारे में

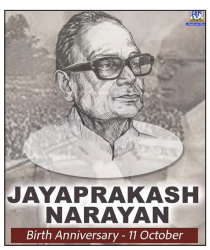

- **प्रारंभिक जीवन:** उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार–उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित सिताबदियारा (जयप्रकाश नगर) गाँव में हुआ था। उन्हें लोकप्रिय रूप से लोकनायक (जनता के नेता) के नाम से जाना जाता है।
- **स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका:** वे वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और भारत छोड़ो आंदोलन (1942) के दौरान भूमिगत प्रतिरोध में प्रमुख भूमिका निभाई। वे 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग केंद्रीय कारागार से भाग निकले थे।
- **समाजवादी राजनीति:** उन्होंने वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (CSP) की स्थापना में सहायता की। स्वतंत्रता के बाद वे चुनावी राजनीति से दूर हो गए और आचार्य विनोबा भावे के भूदान एवं सर्वोदय आंदोलनों से जुड़ गए। इन आंदोलनों का उद्देश्य स्वैच्छिक भूमि दान और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना था।

जेपी आंदोलन और संपूर्ण क्रांति

- **पृष्ठभूमि:** वर्ष 1974 में बिहार के छात्रों ने भ्रष्टाचार, बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी जैसी समस्याओं के विरोध में आंदोलन शुरू किया तथा जयप्रकाश नारायण से इसका मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया। उन्होंने इस शर्त पर सहमति दी कि आंदोलन अहिंसक बना रहेगा।
- **संपूर्ण क्रांति का आह्वान:** 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने अहिंसक तरीकों से भारतीय समाज में व्यापक परिवर्तन का आह्वान किया। यह परिवर्तन केवल सरकार बदलने तक सीमित नहीं था।
- **सात घटक:** उनकी परिकल्पना में निम्नलिखित क्षेत्रों में परिवर्तन शामिल था:
  - ✓ सामाजिक परिवर्तन
  - ✓ आर्थिक परिवर्तन
  - ✓ राजनीतिक परिवर्तन
  - ✓ सांस्कृतिक परिवर्तन
  - ✓ शैक्षिक परिवर्तन
  - ✓ वैचारिक एवं बौद्धिक परिवर्तन
  - ✓ आध्यात्मिक परिवर्तन

  इसके केंद्र में नैतिक पुनर्जागरण और सत्ता का विकेंद्रीकरण था।
- **ऐतिहासिक महत्त्व:** यह आंदोलन आपातकाल (1975–1977) के विरोध का एक प्रमुख आधार बना। वर्ष 1977 के आम चुनाव के बाद जनता पार्टी ने केंद्र में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार बनाई।

वैचारिक विरासत एवं सम्मान

- **वैचारिक विकास:** जयप्रकाश नारायण की प्रारंभिक समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधारा धीरे-धीरे गांधीवादी सिद्धांतों की ओर विकसित हुई। इनमें अहिंसा, सत्ता का विकेंद्रीकरण, स्वैच्छिक कार्रवाई और नैतिक पुनर्जागरण प्रमुख थे।
- **सम्मान:** उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनका निधन 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 97 02-11-2026 17:53:50

8.6. नानाजी देशमुख की जयंती (Birth Anniversary of Nanaji Deshmukh)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर-I (प्रारम्भिक परीक्षा): *राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की समसामयिक घटनाएँ।*

संदर्भ

प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर 2026 को नानाजी देशमुख की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जमीनी स्तर पर परिवर्तन, ग्रामीण विकास, सामुदायिक भागीदारी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उनके योगदान को याद किया गया।

नानाजी देशमुख के बारे में

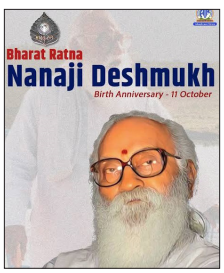

- **प्रारंभिक जीवन:** नानाजी देशमुख का जन्म 11 अक्टूबर 1916 को महाराष्ट्र के कडोली में हुआ था। वे लोकमान्य तिलक के राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े।
- **राजनीतिक जीवन:** उन्होंने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनसंघ को मजबूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन का समर्थन किया।
  - ✓ वे वर्ष 1977 में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। उन्होंने मंत्री पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया और बाद में स्वयं को सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया।
- **ग्रामीण विकास एवं शिक्षा:** उन्होंने वर्ष 1968 में दीनदयाल शोध संस्थान (DRI) की स्थापना की। इस संस्थान ने सामुदायिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता के माध्यम से एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया। गोंडा, बीड और चित्रकूट में उनके कार्य कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्वच्छता और आजीविका सृजन पर केंद्रित थे।
  - ✓ उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की भी स्थापना की, जिसे भारत का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय माना जाता है।
  - ✓ **अन्य योगदान:** उन्होंने वर्ष 1950 में गोरखपुर में पहले सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की। समाज के प्रति उनके योगदान के सम्मान में वर्ष 1999 में उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया।
- **पुरस्कार एवं सम्मान:** उन्हें वर्ष 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया तथा मरणोपरांत वर्ष 2019 में भारत रत्न प्रदान किया गया। उनका निधन 27 फरवरी 2010 को हुआ था।

8.7. दादासाहेब फाल्के पुरस्कार (Dadasaheb Phalke Award)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर-I (प्रारम्भिक परीक्षा): *राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की समसामयिक घटनाएँ।*

संदर्भ

वरिष्ठ कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान और उनके शानदार सिनेमाई करियर के लिए दादासाहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है।

अन्य संबंधित जानकारी

- 4 सितंबर, 1948 को जन्मे अनंत नाग ने 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें 250 से अधिक कन्नड़ फिल्में शामिल हैं।
- उन्होंने हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम और अंग्रेजी सिनेमा में भी काम किया है। वे दूरदर्शन की टेलीविजन श्रृंखला *मालगुडी डेज़* में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं।
- उन्हें 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।

दादासाहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में

- दादासाहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च आधिकारिक सम्मान है। इसकी स्थापना 1969 में भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए की गई थी।
- इसका नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया है, जिन्हें लोकप्रिय रूप से दादासाहेब फाल्के के नाम से जाना जाता है। उन्हें *भारतीय सिनेमा का जनक* माना जाता है।
- दादासाहेब फाल्के ने 1913 में राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किया था, जिसे व्यापक रूप से भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म माना जाता है।
- यह पुरस्कार पहली बार 1969 में देविका रानी को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया था।
- यह पुरस्कार किसी विशेष फिल्म या अभिनय के बजाय भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान को मान्यता देता है।
- लागू राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विनियमों के अनुसार, इसमें स्वर्ण कमल, ₹15 लाख की नकद राशि और एक औपचारिक शॉल शामिल हैं।
- प्राप्तकर्ता का चयन दादासाहेब फाल्के पुरस्कार चयन समिति की सिफारिश पर किया जाता है, जिसका गठन सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाता है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 98 02-11-2026 17:53:50

- वर्षों से इस पुरस्कार के माध्यम से सिनेमा के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों को सम्मानित किया गया है, जिनमें अभिनय, निर्देशन, संगीत, निर्माण और अन्य सिनेमाई योगदान शामिल हैं।

8.8. 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (72nd National Film Awards)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर-I (प्रारम्भिक परीक्षा): *राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की समसामयिक घटनाएँ।*

संदर्भ

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 22 सितंबर 2026 को गुजरात के एकता नगर में प्रदान किए गए। इन पुरस्कारों के माध्यम से 2024 में प्रमाणित फिल्मों के लिए भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के बारे में

- **1954 में स्थापित**, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए **सूचना और प्रसारण मंत्रालय** द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। इनमें तीन खंड शामिल हैं: **फीचर फिल्म, गैर-फीचर फिल्म और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन**।
- पुरस्कारों में **स्वर्ण कमल और रजत कमल** के साथ निर्धारित नकद पुरस्कार भी शामिल हैं। तीनों खंडों का मूल्यांकन अलग-अलग निर्णायक मंडलों द्वारा किया जाता है; फीचर फिल्म खंड में **क्षेत्रीय और केंद्रीय निर्णायक मंडलों वाली दो-स्तरीय निर्णायक मंडल प्रणाली** अपनाई जाती है।
- **दादासाहेब फाल्के पुरस्कार**, जिसकी स्थापना **1969 में** की गई थी और जिसे पहली बार **देविका रानी** को प्रदान किया गया था, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। यह भारतीय सिनेमा के विकास और उन्नति में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है।
  - ✓ यह पुरस्कार **दादासाहेब फाल्के** की स्मृति में प्रदान किया जाता है, जिन्होंने **1913 में *राजा हरिश्चंद्र*** का निर्देशन किया था, जिसे भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म माना जाता है।

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: प्रमुख विशेषताएँ

- **सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म:** *आर्टिकल 370*; **सर्वश्रेष्ठ निर्देशक:** *अमरन* के लिए राजकुमार पेरियासामी;
- **सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए निर्देशक:** *स्वातंत्र्य वीर सावरकर* के लिए रणदीप हुड्डा।
- **सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (मुख्य भूमिका):** *ब्रह्मयुगम* के लिए **ममूटी** और *चैंपियन* के लिए **कार्तिक आर्यन** (संयुक्त पुरस्कार); **सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (मुख्य भूमिका):** *आर्टिकल 370* के लिए **यामी गौतम**।
- **2024 का दादासाहेब फाल्के पुरस्कार:** भारतीय सिनेमा के विकास और उन्नति में उत्कृष्ट योगदान तथा पाँच दशकों से अधिक लंबे सिनेमाई सफर के लिए **अनंत नाग** को चुना गया।
- **अन्य उल्लेखनीय पुरस्कार:** *भंगार* ने **सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म** का पुरस्कार जीता, जबकि *राम-नामी* ने **सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र** का पुरस्कार जीता। **अंगेन**, जो एक संथाली फिल्म है, को **सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म (निर्देशक) - गैर-फीचर** का पुरस्कार मिला।
- 72वें संस्करण के साथ भविष्य में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोहों को **राष्ट्रीय राजधानी से बाहर विभिन्न राज्यों और शहरों** में आयोजित करने की पहल की शुरुआत भी हुई, जिसके तहत 2026 का समारोह एकता नगर में आयोजित किया गया।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 99 02-11-2026 17:53:50



9.1. नोबेल शांति पुरस्कार 2026 (Nobel Peace Prize 2026)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन I (प्रारंभिक परीक्षा): राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ।

संदर्भ

नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए दक्षिण अफ्रीका की विधिवेत्ता नवनीनेथम "नवी" पिल्लै को वर्ष 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया। वे यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पाँचवीं दक्षिण अफ्रीकी और पहली दक्षिण अफ्रीकी महिला बनीं।

नवी पिल्लै का प्रमुख योगदान

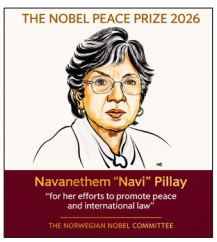

- **प्रारंभिक कानूनी जीवन:** उन्होंने वर्ष 1967 में नेटल में अपनी वकालत शुरू की और ऐसा करने वाली पहली महिला बनीं।
  - ✓ उन्होंने रंगभेद-विरोधी कार्यकर्ताओं का बचाव किया तथा रॉबेन द्वीप पर बंद राजनीतिक कैदियों के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व सहित विभिन्न अधिकार सुनिश्चित कराए।
- **न्यायिक उपलब्धियाँ:** वर्ष 1995 में वह दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनीं।
  - ✓ बाद में उन्होंने रवांडा के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण (ICTR) में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया और वर्ष 1999–2003 के दौरान इसकी अध्यक्ष भी रहीं।
- **ऐतिहासिक अकायेसु निर्णय (1998):** बलात्कार और यौन हिंसा को नरसंहार तथा मानवता के विरुद्ध अपराधों के कृत्यों के रूप में मान्यता दिलाने में योगदान दिया।
  - ✓ इस मामले में प्रचार के माध्यम से नरसंहार के लिए प्रत्यक्ष और सार्वजनिक रूप से उकसाने के लिए जवाबदेही भी स्थापित की गई।
- **अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC):** उन्होंने वर्ष 2003 से 2008 तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया और गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के आरोपी व्यक्तियों के अभियोजन में योगदान दिया।
- **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त:** उन्होंने वर्ष 2008 से 2014 तक इस पद पर कार्य किया तथा मानवाधिकारों, लैंगिक समानता और संवेदनशील समूहों की सुरक्षा को आगे बढ़ाने में योगदान दिया।
- **गाज़ा जाँच (2021–2025):** उन्होंने अधिकृत फ़िलिस्तीनी क्षेत्र पर संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जाँच आयोग की अध्यक्षता की।
  - ✓ वर्ष 2025 में आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि इज़राइल ने गाज़ा में फ़िलिस्तीनियों का विनाश करने के विशिष्ट इरादे से नरसंहार के चार कृत्य किए थे। इज़राइल ने इन निष्कर्षों को खारिज कर दिया।
- **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ):** उन्होंने म्यांमार के विरुद्ध नरसंहार के आरोपों से संबंधित मामले में वर्ष 2019 में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।

नोबेल पुरस्कार के बारे में

- नोबेल पुरस्कारों की स्थापना स्वीडिश आविष्कारक, वैज्ञानिक और उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के माध्यम से की गई थी।
- अपनी 1895 की वसीयत में नोबेल ने निर्देश दिया था कि उनकी संपत्ति का उपयोग उन लोगों को पुरस्कृत करने के लिए किया जाए, जिन्होंने "मानवता को सबसे अधिक लाभ पहुँचाया हो।"
- प्रथम नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में प्रदान किए गए थे।
- नोबेल ने मूल रूप से पाँच पुरस्कार श्रेणियाँ निर्धारित की थीं: भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य और शांति।
- अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में स्वेरिजेस रिक्सबैंक का आर्थिक विज्ञान पुरस्कार वर्ष 1968 में स्थापित किया गया था। यह नोबेल पुरस्कार प्रणाली के अंतर्गत प्रशासित किया जाता है, हालाँकि यह नोबेल की मूल वसीयत में निर्दिष्ट पुरस्कारों में शामिल नहीं था।
- नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा प्रदान किया जाता है।
- नोबेल पुरस्कार आधिकारिक रूप से प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। यह तिथि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है।
- नोबेल पुरस्कार विजेता शब्द की उत्पत्ति प्राचीन यूनानी परंपरा से हुई है, जिसमें विजेताओं को सम्मान के प्रतीक के रूप में लॉरेल की पत्तियों से बने मुकुट प्रदान किए जाते थे।

9.2. साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2026 (Nobel Prize in Literature 2026)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन I (प्रारंभिक परीक्षा): राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 100 02-11-2026 17:53:51

संदर्भ

कनाडाई कवयित्री, निबंधकार और अनुवादक ऐनी कार्सन को शास्त्रीय परंपराओं और समकालीन साहित्य के नवीन रूपों के समन्वय वाली उनकी विशिष्ट साहित्यिक रचनाओं के लिए वर्ष 2026 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता।

नोबेल पुरस्कार विजेता 2026 की प्रमुख विशेषताएँ

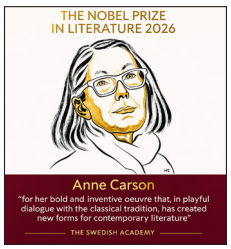

- **पुरस्कार विजेता:** ऐनी कार्सन, कनाडाई कवयित्री, निबंधकार, अनुवादक और शास्त्रीय साहित्य की विदुषी।
- पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था: स्वीडिश अकादमी, स्टॉकहोम, स्वीडन।
- **पुरस्कार प्रशस्ति:** "शास्त्रीय परंपरा के साथ चंचल संवाद करते हुए समकालीन साहित्य के लिए नए रूपों का सृजन करने वाली उनकी साहसिक और नवाचारी साहित्यिक कृतियों के लिए।"
- **साहित्यिक योगदान**
  - ✓ **विधाओं की सीमाओं से परे लेखन:** कार्सन कविता, गद्य, कथा-साहित्य, साहित्यिक आलोचना और अनुवाद का समन्वय करती हैं, जिससे साहित्य की पारंपरिक सीमाओं को चुनौती मिलती है।
  - ✓ **शास्त्रीय साहित्य का प्रभाव:** उनकी रचनाएँ प्राचीन यूनानी साहित्य, पौराणिक कथाओं और दर्शन से व्यापक रूप से प्रेरित हैं। वे शास्त्रीय ग्रंथों की समकालीन दृष्टिकोण से पुनर्व्याख्या करती हैं।
  - ✓ **नवाचारी साहित्यिक शैली:** वे विभिन्न स्वरों, ऐतिहासिक कालखंडों और साहित्यिक विधाओं का संयोजन करती हैं तथा शब्दों की उत्पत्ति और अर्थों को प्रेरणा के महत्त्वपूर्ण स्रोत के रूप में उपयोग करती हैं।
  - ✓ **अनुवाद:** शास्त्रीय यूनानी कृतियों के उनके अनुवादों को स्वतंत्र साहित्यिक रचनाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। इनमें इफ नॉट, विंटर (2002), इलेक्ट्रा (2001) और बाखाई (2015) शामिल हैं।
- **प्रमुख कृतियाँ**
  - ✓ **इरोस द बिटरस्वीट (1986):** शास्त्रीय यूनानी साहित्य के माध्यम से इच्छा, प्रेम और कविता के बीच संबंधों का अन्वेषण करती है।
  - ✓ **द ग्लास एसे (1995):** एक लंबी कविता, जिसमें शोक, एकतरफा प्रेम और एमिली ब्रॉन्टे पर साहित्यिक चिंतन का समावेश है।
  - ✓ **ऑटोबायोग्राफी ऑफ रेड: ए नॉवेल इन वर्स (1998):** यूनानी मिथक गेरियोन की पुनर्कल्पना करते हुए उसे समकालीन परिवेश में वयस्कता की ओर बढ़ने की कथा के रूप में प्रस्तुत करती है।
  - ✓ **द ब्यूटी ऑफ द हसबैंड: ए फिक्शनल एसे इन 29 टैंगोज़ (2001):** कविता और गद्य के मिश्रण के माध्यम से एक अशांत वैवाहिक संबंध का विश्लेषण करती है।
  - ✓ **नॉक्स (2010):** अपने दिवंगत भाई की स्मृति में रचित एक प्रयोगात्मक कृति, जिसमें तस्वीरों, पत्रों और कविता का संयोजन है।
  - ✓ **फ्लोट (2016):** 22 लघु पुस्तिकाओं का संग्रह, जिन्हें किसी भी क्रम में पढ़ा जा सकता है।

नोबेल पुरस्कार के बारे में

- नोबेल पुरस्कारों की स्थापना स्वीडिश आविष्कारक, वैज्ञानिक और उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के माध्यम से की गई थी।
- अपनी 1895 की वसीयत में नोबेल ने निर्देश दिया था कि उनकी संपत्ति का उपयोग उन लोगों को पुरस्कृत करने के लिए किया जाए, जिन्होंने "मानवता को सबसे बड़ा लाभ पहुँचाया हो।"
- प्रथम नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किए गए थे।
- नोबेल ने मूल रूप से पाँच पुरस्कार श्रेणियाँ निर्धारित की थीं: भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य और शांति।
- अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार की स्थापना 1968 में की गई थी। इसका संचालन नोबेल पुरस्कार प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है, हालाँकि यह नोबेल की मूल वसीयत में निर्दिष्ट पुरस्कारों में शामिल नहीं था।
- नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा प्रदान किया जाता है।
- नोबेल पुरस्कार आधिकारिक रूप से प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। यह अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है।
- नोबेल पुरस्कार विजेता शब्द की उत्पत्ति प्राचीन यूनानी परंपरा से हुई है, जिसमें विजेताओं को सम्मान के प्रतीक के रूप में लॉरेल की मालाएँ प्रदान की जाती थीं।

9.3. लक्षद्वीप 100% साक्षर केंद्रशासित प्रदेश बना (Lakshadweep Becomes 100% Literate Union Territory)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर-I (प्रारम्भिक परीक्षा): *राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की समसामयिक घटनाएँ।*

संदर्भ

लक्षद्वीप को हाल ही में उल्लास – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण साक्षर केंद्रशासित प्रदेश घोषित किया गया।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 101 02-11-2026 17:53:51

उल्लास और पूर्ण साक्षरता के बारे में

- **पूर्ण साक्षरता का मानदंड:** शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, 95% या उससे अधिक साक्षरता दर वाले राज्य/केंद्रशासित प्रदेश को पूर्ण साक्षर माना जाता है।
  - ✓ साक्षरता में समझ के साथ पढ़ने, लिखने और गणना करने की क्षमता के साथ-साथ डिजिटल और वित्तीय साक्षरता जैसे महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल भी शामिल हैं।
- लक्षद्वीप से पहले यह दर्जा प्राप्त करने वाले राज्य/केंद्रशासित प्रदेश: शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2024 से 2026 के बीच दस राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने स्वयं को पूर्ण साक्षर घोषित किया था। ये हैं- लद्दाख, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, सिक्किम, उत्तराखंड तथा जम्मू-कश्मीर।
  - ✓ जून 2024 में लद्दाख यह दर्जा प्राप्त करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बना था।
- **प्रकृति और अवधि:** यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के अनुरूप केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वित्त वर्ष 2022–23 से 2026–27 तक लागू किया जा रहा है।
- **लक्षित समूह:** 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वे गैर-साक्षर व्यक्ति, जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए। इस योजना का लक्ष्य पाँच वर्षों में पाँच करोड़ शिक्षार्थियों को लाभान्वित करना है। इसके लिए कुल ₹1,037.90 करोड़ का व्यय निर्धारित किया गया है।
- **योजना के पाँच घटक हैं:**
  - ✓ बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान।
  - ✓ महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल, जिनमें वित्तीय, डिजिटल और कानूनी साक्षरता, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता तथा बाल देखभाल शामिल हैं।
  - ✓ बुनियादी शिक्षा।
  - ✓ व्यावसायिक कौशल।
  - ✓ सतत शिक्षा।
- **कार्यान्वयन:** उल्लास मिश्रित शिक्षण मॉडल के माध्यम से स्वयंसेवा और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। इसके मोबाइल अनुप्रयोग में 27 भाषाओं में शिक्षण-अधिगम सामग्री उपलब्ध है। शिक्षार्थियों का आकलन बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान आकलन परीक्षा (FLNAT) के माध्यम से किया जाता है।

9.4. पाँच शास्त्रीय भाषाओं के लिए उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence (CoEs) for Five Classical Languages)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर-I (प्रारम्भिक परीक्षा): *राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की समसामयिक घटनाएँ।*

संदर्भ

हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त पाँच भाषाओं-असमिया, बंगाली, पालि, मराठी और प्राकृत के अध्ययन, अनुसंधान, संरक्षण और संवर्धन को मजबूत करने के लिए पाँच उत्कृष्टता केंद्रों (Centres of Excellence-CoEs) को मंजूरी दी है।

अन्य संबंधित जानकारी

- पाँच उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित संस्थानों में स्थापित किए जाएंगे:
  - ✓ **असमिया** - तेजपुर विश्वविद्यालय, असम
  - ✓ **बंगाली** - विश्वभारती विश्वविद्यालय
  - ✓ **पालि** - केंद्रीय ओडिशा विश्वविद्यालय
  - ✓ **प्राकृत** - केंद्रीय गुजरात विश्वविद्यालय
  - ✓ **मराठी** - डेक्कन कॉलेज स्नातकोत्तर एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे
- ये केंद्र इन भाषाओं की भाषाई और साहित्यिक विरासत के अकादमिक अनुसंधान, डिजिटलीकरण, संरक्षण और प्रसार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इससे इन भाषाओं से जुड़ी ज्ञान परंपराओं को भावी पीढ़ियों तक पहुँचाने में सहायता मिलेगी।

शास्त्रीय भाषाओं के बारे में

- भारत सरकार ने 2004 में ऐसी भाषाओं को मान्यता देने के लिए शास्त्रीय भाषा श्रेणी बनाई, जिनका लंबा इतिहास, समृद्ध प्राचीन साहित्य तथा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं बौद्धिक योगदान रहा है।
- इसके बाद 2005 और 2024 में शास्त्रीय भाषा के मानदंडों में संशोधन किया गया। ये संशोधन साहित्य अकादमी के अंतर्गत गठित भाषाविद् विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के आधार पर किए गए।
- अक्टूबर 2024 में मराठी, पालि, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इसके साथ भारत में शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या बढ़कर 11 हो गई।
- अन्य छह शास्त्रीय भाषाएँ हैं-तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओड़िया।
- **2024 में संशोधित मानदंडों में शामिल हैं:**
  - ✓ प्रारंभिक ग्रंथों की उच्च प्राचीनता या लगभग 1,500–2,000 वर्षों का दर्ज इतिहास।
  - ✓ प्राचीन साहित्य और ग्रंथों का ऐसा समृद्ध भंडार, जिसे पीढ़ियों से विरासत के रूप में स्वीकार किया गया हो।
  - ✓ ज्ञान संबंधी ग्रंथ, विशेष रूप से गद्य, के साथ-साथ काव्य तथा अभिलेखीय या शिलालेखीय प्रमाण।
  - ✓ शास्त्रीय भाषा और उसका साहित्य अपने वर्तमान स्वरूप से भिन्न हो या बाद के भाषाई रूपों के साथ उसमें निरंतरता का अभाव हो।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 102 02-11-2026 17:53:51



शास्त्रीय भाषा का दर्जा क्यों महत्वपूर्ण है?

- **विरासत का संरक्षण:** प्राचीन ग्रंथों, पांडुलिपियों, शिलालेखों, साहित्यिक परंपराओं और ज्ञान प्रणालियों को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने में सहायता करता है।
- **अनुसंधान और विद्वतापूर्ण अध्ययन:** समर्पित शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से भाषाई, साहित्यिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है।
- **डिजिटलीकरण और पहुँच:** पांडुलिपियों तथा अन्य भाषाई संसाधनों के डिजिटलीकरण और दस्तावेजीकरण को समर्थन मिलता है, जिससे ये शोधकर्ताओं और व्यापक जनसमुदाय के लिए अधिक सुलभ बनते हैं।
- **ज्ञान का हस्तांतरण:** भारत की प्राचीन बौद्धिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक परंपराओं के अध्ययन एवं प्रसार को सुगम बनाता है तथा उन्हें समकालीन विद्वानों से जोड़ता है।

9.5. नाउरू ने अपना पारंपरिक नाम नाओएरो पुनः अपनाया (Nauru Reclaims Its Traditional Name as Naoero)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर-I (प्रारम्भिक परीक्षा): *राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की समसामयिक घटनाएँ।*

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र महासभा में राष्ट्रपति डेविड अडियांग ने घोषणा की कि दक्षिण प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र, जिसे पहले नाउरू के नाम से जाना जाता था, अपनी विरासत, भाषा और राष्ट्रीय पहचान की पुष्टि के रूप में अपना पारंपरिक नाम नाओएरो पुनः अपना रहा है।

नाओएरो (पूर्व में नाउरू) के बारे में

- नाओएरो दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा द्वीपीय देश है। यह माइक्रोनेशिया के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और भूमध्य रेखा से लगभग 40 किमी दक्षिण में है।
- पहले नाउरू के नाम से जाना जाने वाले इस देश ने 2026 में अपने पारंपरिक नाम नाओएरो को पुनः अपनाया है। इसके नाम के उच्चारण में "नाउ-रू" से "नाउ-एरो" परिवर्तन हुआ है। अब इसका अंतरराष्ट्रीय कोड एनआरयू से एनआरओ हो जाएगा और इसके नागरिकों को देई-नाओएरो कहा जाएगा।
- ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के औपनिवेशिक शासन के बाद इसे 1968 में स्वतंत्रता मिली और यह विश्व का तीसरा सबसे छोटा देश है।
- इस द्वीप की अनुमानित जनसंख्या लगभग 12,500 है। इसकी कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है और सरकारी कार्यालय यारेन में स्थित हैं।

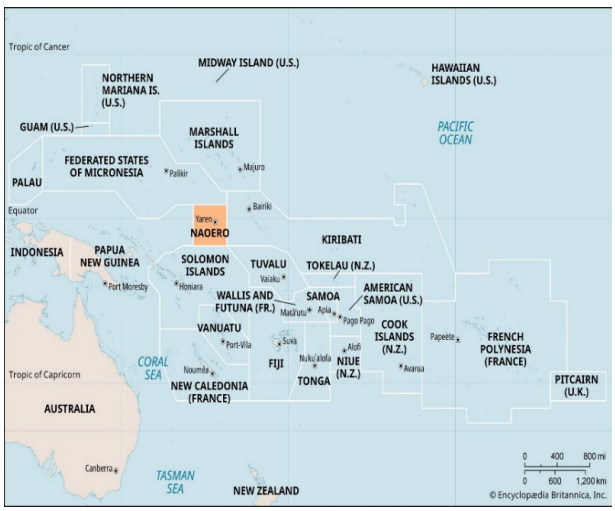

9.6. प्रोजेक्ट सनकैचर (Project Suncatcher)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर-I (प्रारम्भिक परीक्षा): *राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की समसामयिक घटनाएँ।*

संदर्भ

गूगल 1 अक्टूबर 2026 को एक प्रोटोटाइप उपग्रह लॉन्च करने वाला है, ताकि प्रोजेक्ट सनकैचर का कक्षा में पहला परीक्षण किया जा सके। इस परियोजना के तहत अंतरिक्ष-आधारित AI कंप्यूटिंग अवसंरचना की व्यवहार्यता का अध्ययन किया जाएगा।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 103 02-11-2026 17:53:51

अन्य संबंधित जानकारी

- प्रोटोटाइप उपग्रह में चार गूगल टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स (TPUs) होंगे और यह ग्रह के साथ साझेदारी में स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर-18 राइडशेयर मिशन के तहत उड़ान भरेगा।
- मिशन यह परीक्षण करेगा कि AI हार्डवेयर प्रक्षेपण के दौरान उत्पन्न बलों, विकिरण और अत्यधिक तापमान को निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) में सहन कर सकता है या नहीं।
- यह हीट पाइप और रेडिएटर का उपयोग करके शीतलन तकनीकों का भी आकलन करेगा, क्योंकि अंतरिक्ष में पारंपरिक वायु-आधारित शीतलन संभव नहीं है।

प्रोजेक्ट सनकैचर के बारे में

- प्रोजेक्ट सनकैचर गूगल की एक शोध पहल है, जिसकी घोषणा नवंबर 2025 में की गई थी। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या भविष्य में बड़े पैमाने पर एआई कंप्यूटिंग अंतरिक्ष में की जा सकती है।
- इसकी प्रस्तावित संरचना में एआई प्रोसेसर, सौर पैनल और शीतलन प्रणालियों से युक्त उपग्रह शामिल होंगे, जो एक वितरित कंप्यूटिंग प्रणाली के रूप में एक साथ कार्य करेंगे।
- गूगल के अनुसार, निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) में सौर पैनल पृथ्वी पर समान पैनलों की तुलना में आठ गुना तक अधिक सौर ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ लगभग निरंतर सूर्य का प्रकाश उपलब्ध रहता है।
- गूगल ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, डेविस में प्रोटॉन बीम का उपयोग करके अपने ट्रिलियम टीपीयू को विकिरण के विरुद्ध परीक्षण किया है, लेकिन वास्तविक अंतरिक्ष परिस्थितियों में इनके प्रदर्शन को मान्य करने के लिए कक्षीय परीक्षण आवश्यक है।
- भविष्य के सनकैचर उपग्रहों में संचार के लिए उच्च-बैंडविड्थ लेज़र लिंक का उपयोग किए जाने की उम्मीद है। गूगल की योजना 2027 में दो उपग्रहों के साथ इन लिंक का परीक्षण करने की है।

प्रोजेक्ट सनकैचर का महत्व

- **एआई अवसंरचना:** ऊर्जा-गहन एआई कंप्यूटिंग के विस्तार के लिए एक वैकल्पिक स्थान उपलब्ध करा सकता है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा:** कक्षा में उपलब्ध प्रचुर सौर ऊर्जा का उपयोग करता है।
- **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी:** कठोर अंतरिक्ष वातावरण में कार्य करने में सक्षम उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणालियों के विकास को आगे बढ़ाता है।
- **इंजीनियरिंग नवाचार:** विकिरण सुरक्षा, तापीय प्रबंधन और उच्च-गति अंतर-उपग्रह संचार के लिए समाधानों को प्रोत्साहित करता है।
- **भविष्य की संभावनाएँ:** यदि कक्षीय कंप्यूटिंग की तकनीकी और आर्थिक चुनौतियों का समाधान हो जाता है, तो यह स्थलीय विद्युत अवसंरचना पर निर्भरता को कम कर सकता है।

9.7. 11वाँ आयुर्वेद दिवस 2026 (11th Ayurveda Day 2026)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: *स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय विषय।*

संदर्भ

11वाँ आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर 2026 को **"स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद"** विषय के तहत मनाया जा रहा है।

आयुर्वेद दिवस के बारे में

- आयुर्वेद 5,000 से अधिक वर्ष पुराना जीवन-विज्ञान है, जो ऋग्वेद के समय का हैं।
- आयुर्वेद शब्द आयु (जीवन) और वेद (विज्ञान) से मिलकर बना है। इसका मूल उद्देश्य-"स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणं, आतुरस्य विकार प्रशमनं।"-स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना तथा रोगी व्यक्ति के रोग का उपचार करना है।
- आयुर्वेद वास्तविक स्वास्थ्य को शरीर की चयापचय संबंधी इकाइयों के सामंजस्यपूर्ण संतुलन के रूप में परिभाषित करता है। इसके लिए जैव-ऊर्जाओं (दोष), चयापचय अग्नि (अग्नि), शारीरिक ऊतकों (धातु) और अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन (मल) के बीच उचित संतुलन आवश्यक है। इसके साथ ही आत्मा (आत्मा), मन (मनस्) और इंद्रियों (इंद्रिय) का संतुलन भी आवश्यक माना जाता है।
- पौधों, पशु-उत्पादों और खनिजों के औषधीय एवं चिकित्सीय गुणों का वर्णन चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में किया गया है।
- सरकार ने इस विरासत को सम्मानित करने और बढ़ावा देने के लिए 2016 में राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद दिवस मनाने की शुरुआत की।
- नई दिल्ली में आयोजित एकल संगोष्ठी से शुरू होकर आयुर्वेद दिवस अब 150 से अधिक देशों में चलने वाले एक व्यापक अभियान के रूप में विकसित हो चुका है। 2025 में 21,874 गतिविधियाँ पंजीकृत की गई थीं।
- 2025 से 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की निश्चित तिथि निर्धारित की गई है।

दिवस का महत्व

- **वैज्ञानिक अनुसंधान और साक्ष्य:** यह दिवस आयुर्वेद की समकालीन प्रासंगिकता को मजबूत करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, साक्ष्य-आधारित प्रमाणीकरण और गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देता है।
- **स्वास्थ्य सेवा में एकीकरण:** आयुष क्लीनिकों, अस्पतालों, विभागों, टेलीमेडिसिन और एकीकृत स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से समकालीन स्वास्थ्य सेवा के साथ आयुर्वेद के बढ़ते एकीकरण का पता चलता है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 104 02-11-2026 17:53:51

- **शिक्षा और अनुसंधान:** आयुर्वेद महाविद्यालयों, स्नातक एवं स्नातकोत्तर सीटों, अनुसंधान कार्यक्रमों और उत्कृष्टता केंद्रों के विस्तार से शैक्षिक एवं अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत हो रहा है।
- **वैश्विक मान्यता:** विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के 11वें संशोधन मॉड्यूल में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी की शब्दावली को शामिल किया गया है, जिससे पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित निदानों के मानकीकृत अभिलेखीकरण में सहायता मिलती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय पहुँच:** अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों, आयुष सूचना प्रकोष्ठों, अकादमिक चेयर्स, अनुसंधान सहयोगों और वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा पहलों के माध्यम से **आयुर्वेद की वैश्विक पहुँच** का विस्तार हो रहा है।

आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल

- **राष्ट्रीय आयुष मिशन:** 2014–15 से 2025–26 के बीच, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के माध्यम से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ₹6,406.99 करोड़ से अधिक की राशि जारी की। 19 सितंबर 2026 तक 12,260 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) कार्यरत हैं।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और टेलीमेडिसिन:** 13,249 सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में आयुष सेवाएँ उपलब्ध हैं, जिनमें 6,302 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 3,191 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 475 जिला अस्पताल और 3,281 अन्य स्वास्थ्य सुविधाएँ शामिल हैं। ई-संजीवनी के माध्यम से आयुष ओपीडी सेवाएँ भी उपलब्ध कराई जाती हैं।
- **शिक्षा और अनुसंधान:** मार्च 2026 तक, भारत में 593 आयुर्वेद महाविद्यालय, 45,245 स्नातक सीटें और 5,673 स्नातकोत्तर सीटें हैं। आयुर्ज्ञान, आयुर-स्वास्थ्य योजना और सीसीआरएएस अनुसंधान, नैदानिक अध्ययन, औषधि अनुसंधान और उत्कृष्टता केंद्रों को सहायता प्रदान करते हैं।
- **गुणवत्ता और विनियमन:** आयुर्वेदिक औषधियों का विनियमन औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा औषधि नियम, 1945 के अंतर्गत किया जाता है। ई-औषधि पोर्टल औषधि लाइसेंसिंग में सहायता करता है, जबकि आयुर्वेद आहार आयुर्वेदिक आहार उत्पादों के लिए एक विनियामक ढाँचा प्रदान करता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** भारत ने 27 देश-से-देश समझौता ज्ञापनों, 16 अकादमिक चेयर समझौता ज्ञापनों और 57 संस्थान-से-संस्थान समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। 43 विदेशी देशों में 46 आयुष सूचना प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं तथा विदेशी नागरिकों को 104 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गई हैं।

9.8. विश्व गैंडा दिवस (World Rhino Day)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर-I (प्रारम्भिक परीक्षा): *राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की समसामयिक घटनाएँ।*

संदर्भ

विश्व गैंडा दिवस प्रत्येक वर्ष 22 सितंबर को विश्व की गैंडों की पाँच प्रजातियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उन्हें संरक्षित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है।

विश्व गैंडा दिवस के बारे में

- 22 सितंबर को मनाया जाने वाला विश्व गैंडा दिवस गैंडों की सभी पाँच जीवित प्रजातियों-ब्लैक, व्हाइट, ग्रेटर वन-हॉर्न्ड, सुमात्राई और जावा गैंडे के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।
- **उत्पत्ति:** इस दिवस की घोषणा पहली बार **2010 में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-दक्षिण अफ्रीका** द्वारा की गई थी और **2011 में** यह एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान बन गया, जिसमें गैंडों की सभी पाँच प्रजातियों को शामिल किया गया।
- **भारत की पहल:** विश्व गैंडा दिवस 2026 के अवसर पर भारत ने प्रोजेक्ट राइनो शुरू करने की घोषणा की।

गैंडे के बारे में

- गैंडे **राइनोसिरोटिडी** (Rhinocerotidae) कुल से संबंधित हैं। इनकी **पाँच वर्तमान में जीवित प्रजातियाँ** हैं, जिनमें तीन एशियाई और दो अफ्रीकी प्रजातियाँ शामिल हैं।
- **ग्रेटर वन-हॉर्न्ड और जावा गैंडों का एक सींग** होता है, जबकि **सुमात्राई, ब्लैक और व्हाइट गैंडों के दो सींग** होते हैं।

गैंडे की प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	आईयूसीएन दर्जा	व्यापक वितरण
ग्रेटर वन-हॉर्न्ड	राइनोसिरोस यूनिकॉर्निस	सुभेद्य	भारत, नेपाल
जावा	राइनोसिरोस सोंडाइकस	गंभीर रूप से संकटग्रस्त	इंडोनेशिया
सुमात्राई	डाइसरोराइनस सुमात्रेंसिस	गंभीर रूप से संकटग्रस्त	इंडोनेशिया
ब्लैक	डाइसरोस बाइकोर्निस	गंभीर रूप से संकटग्रस्त	अफ्रीका
व्हाइट	सेराटोथेरियम सिमम	गंभीर रूप से संकटग्रस्त	अफ्रीका

ग्रेटर वन-हॉर्न्ड गैंडे के बारे में

- **वैज्ञानिक नाम:** *राइनोसिरोस यूनिकॉर्निस।* यह तीन एशियाई गैंडा प्रजातियों में सबसे बड़ा है और केवल **भारत और नेपाल** में पाया जाता है। भारत में यह **असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल** में पाया जाता है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 105 02-11-2026 17:53:51

- **प्रोजेक्ट राइनो (2026):** इसे गैंडा-प्रसार वाले राज्यों को **संरक्षण, आवास प्रबंधन, आनुवंशिक सुधार और जनसंख्या की गतिशीलता को समझने** के लिए **वित्तीय और तकनीकी सहायता** प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
- **इंडियन राइनो विज़न 2020 (IRV2020):** इसे **2005 में** असम के सात संरक्षित क्षेत्रों में **जनसंख्या प्रबंधन और स्थानांतरण** के माध्यम से **3,000 गैंडों की आबादी** स्थापित करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम ने बाद में **काजीरंगा, पोबितोरा, ओरांग और मानस**-चार संरक्षित क्षेत्रों में गैंडों की आबादी स्थापित करने में सहायता की।
- **दुधवा राष्ट्रीय उद्यान/टाइगर रिजर्व:** ग्रेटर वन-हॉर्न्ड गैंडों को **1984 में पुनः लाया गया**, जिसमें प्रारंभिक गैंडों को असम से स्थानांतरित किया गया था; अतिरिक्त गैंडों को 1985 में नेपाल से लाया गया। हाल के वर्षों में भी दुधवा में गैंडों को पुनः लाने और उन्हें स्वतंत्र रूप से विचरण करने देने के प्रयास जारी हैं।
- **संरक्षण का महत्व:** विश्व की गैंडा आबादी का **लगभग 80% असम में** पाया जाता है, जबकि बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी संरक्षण एवं पुनःप्रवेश के प्रयास चल रहे हैं।

9.9. एशियाई खेल 2026

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर-I (प्रारम्भिक परीक्षा): *राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की समसामयिक घटनाएँ।*

संदर्भ

जापान के आइची-नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक आयोजित 20वें एशियाई खेलों का समापन हुआ, जिसमें भारत 85 पदकों-21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा।

अन्य संबंधित जानकारी

- **भारत का प्रदर्शन:** भारत की 85 पदकों की उपलब्धि एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरी सर्वश्रेष्ठ रही, हालांकि यह कोविड के कारण 2023 में आयोजित हांगझोउ 2022 में जीते गए रिकॉर्ड 107 पदकों (28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य) से कम थी। भारत ने समग्र पदक तालिका में अपना चौथा स्थान बरकरार रखा।
- **प्रमुख योगदानकर्ता:** एथलेटिक्स ने 24 पदकों के साथ भारत की पदक तालिका में सबसे अधिक योगदान दिया, इसके बाद निशानेबाजी (15) और तीरंदाजी (9) का स्थान रहा। भारत ने पुरुष और महिला क्रिकेट, हॉकी तथा कबड्डी में स्वर्ण पदक भी जीते और प्रत्येक खेल में दो स्वर्ण पदक हासिल किए।
- **ऐतिहासिक उपलब्धियाँ:** भारत ने 1982 के बाद पहली बार महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता, जबकि दोनों भारतीय हॉकी टीमों ने लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया।
- तीरंदाजी में कुमकुम अनिल मोहोद एशियाई खेलों में व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं।
- **एक नजर में खेल:** 2026 के संस्करण में 43 खेल, 71 स्पर्धाएँ और 469 पदक स्पर्धाएँ शामिल थीं, जिनमें 45 देशों/क्षेत्रों ने भाग लिया।

9.10. टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2027 (Times Higher Education World University Rankings 2027)

संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर-I (प्रारम्भिक परीक्षा): *राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की समसामयिक घटनाएँ।*

संदर्भ

टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2027 में 118 देशों और क्षेत्रों के 2,297 विश्वविद्यालयों को रैंक किया गया, जिससे यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण बन गया है।

प्रमुख निष्कर्ष

वैश्विक स्तर

- ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने लगातार 11वें वर्ष प्रथम स्थान बरकरार रखा, जिसके बाद MIT दूसरे स्थान पर रहा। दोनों के बीच केवल 0.1 अंक का अंतर रहा।
- सिंघुआ विश्वविद्यालय बढ़कर 11वें स्थान पर पहुँच गया और एशिया का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बन गया, जबकि पेकिंग विश्वविद्यालय 13वें और NUS 15वें स्थान पर रहा। इस प्रकार, पहली बार एशिया के तीन विश्वविद्यालय वैश्विक शीर्ष 15 में शामिल हुए।



KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 106 02-11-2026 17:53:51

- एशिया के 40 विश्वविद्यालय वैश्विक शीर्ष 200 में शामिल हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5 अधिक हैं। वहीं, मलेशिया पहली बार शीर्ष 200 में शामिल हुआ।
- चीन के शीर्ष 200 में शामिल विश्वविद्यालयों की संख्या 13 से बढ़कर 17 हो गई, जो वैश्विक उच्च शिक्षा में एशियाई संस्थानों की बढ़ती उपस्थिति को दर्शाती है।

भारत से संबंधित निष्कर्ष

- रैंकिंग में भारत के 143 विश्वविद्यालय शामिल हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15 अधिक हैं। इसके साथ ही, लगातार दूसरे वर्ष भारत एशिया में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाला देश रहा।
- IISc बेंगलुरु वैश्विक स्तर पर 254वें स्थान के साथ भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान रहा, जिसका समग्र स्कोर 57.0 था।
- इसका सबसे मजबूत संकेतक अनुसंधान परिवेश (Research Environment) - 98.0 रहा, इसके बाद शिक्षण (Teaching) - 62.1 और अनुसंधान गुणवत्ता (Research Quality) - 58.6 रहे।
- अन्य प्रमुख भारतीय संस्थानों में सवीथा (326–350), शूलिनी (451–500), जामिया मिल्लिया इस्लामिया और KIIT (501–550) शामिल रहे।
- SRM यूनिवर्सिटी-आंध्र प्रदेश ने पहली बार भाग लेते हुए 1001–1200 बैंड में प्रवेश किया।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 107 02-11-2026 17:53:51

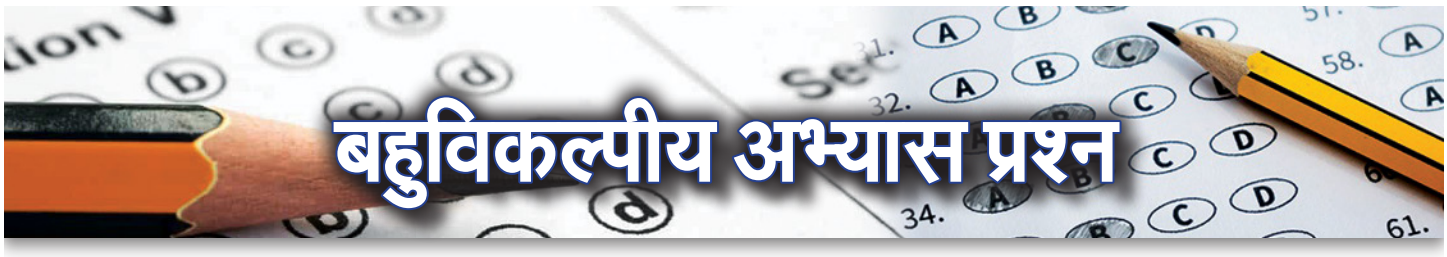

बहुविकल्पीय अभ्यास प्रश्न

Q 1. राष्ट्रीय तटीय मिशन (NCM) 2.0 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), NCM 2.0 के अंतर्गत निधि प्रवाह और वित्तीय निगरानी के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जबकि MoEFCC के सचिव की अध्यक्षता वाली परियोजना संचालन समिति सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में कार्य करती है।
2. चूँकि NCM 2.0 में पूर्ववर्ती राष्ट्रीय तटीय मिशन को समाहित कर लिया गया है, इसलिए यह भारत के सभी तटीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को बिना किसी अपवाद के शामिल करता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

Q 2. हरित ऊर्जा गलियारा चरण-III (GEC-III) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस योजना का उद्देश्य अंतर्राज्यीय पारेषण अवसंरचना को सुदृढ़ करके 135 GW तक नवीकरणीय ऊर्जा के निकासी को सुगम बनाना है।
2. इस योजना के अंतर्गत संपूर्ण केंद्रीय वित्तीय सहायता विशेष रूप से बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की स्थापना के लिए निर्धारित की गई है।
3. बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा की अनिरंतरता को दूर करके और गैर-सौर घंटों के दौरान बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करके ग्रिड के लचीलेपन में सुधार करना है।
4. यह योजना वित्त वर्ष 2032–33 तक 50 GW भंडारण क्षमता स्थापित करने का प्रावधान करती है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4 (d) केवल 1, 3 और 4

Q 3. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारत में पाई जाने वाली बस्टर्ड की चार प्रजातियों में सबसे बड़ी है। अन्य तीन प्रजातियाँ मैकक्वीन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन और बंगाल फ्लोरिकन हैं।
2. इसकी जीवित जंगली आबादी का 90% से अधिक हिस्सा राजस्थान में पाया जाता है।
3. इसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया गया है तथा CMS और CITES, दोनों के परिशिष्ट I में सूचीबद्ध किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q 4. स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. SBM-ग्रामीण चरण II (2020–21 से 2026–27) में खुले में शौच से मुक्त (ODF) स्थिति प्राप्त करने से ध्यान हटाकर ODF व्यवहार को बनाए रखने और ODF प्लस का दर्जा प्राप्त करने पर केंद्रित किया गया।
2. ODF प्लस गाँव आकांक्षी, उन्नत और आदर्श श्रेणियों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं।
3. 2023–24 के एक सर्वेक्षण के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल 60% से अधिक परिवारों ने अपशिष्ट पृथक्करण का अभ्यास किया।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) तीनों (d) कोई नहीं

Q 5. UNESCO की भारत की अस्थायी सूची में पाँच नए स्थलों को शामिल किए जाने के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

स्थल	विशेषता/संबंध
1. बाघ गुफा चित्रकला	अजंता के बाद की बौद्ध चित्रकलाएँ
2. चंबल घाटी के मंदिरों का समूह	क्षेत्रीय नागर शैली की मंदिर वास्तुकला
3. उदयगिरि गुफाएँ	गोंड राज्य का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र
4. गिन्नौरगढ़ किला	गुप्तकालीन शैल-कट पवित्र स्थापत्य समूह
5. सत्याग्रह स्थल	भारत और दक्षिण अफ्रीका का संयुक्त अंतरराष्ट्रीय प्रस्ताव

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 108 02-11-2026 17:53:52

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

(a) केवल दो (b) केवल तीन
(c) केवल चार (d) सभी पाँच

Q 6. शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में 2026 के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. चैनलरोडॉप्सिन-2 प्रकाश के प्रति अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया करता है, जिससे यह कोशिकाओं में विद्युत गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बन जाता है।
2. कार्ल डिसेरोथ की टीम ने 2007 में चूहे के न्यूरॉनों में चैनलरोडॉप्सिन जीन प्रविष्ट कराने से संबंधित अपनी महत्त्वपूर्ण खोज प्रकाशित की, जिसके बाद 2005 में जीवित चूहों के मस्तिष्क में इसका प्रदर्शन किया गया।
3. आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार, अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत में मूल रूप से निर्दिष्ट पाँच पुरस्कार श्रेणियों में से एक था।
4. पहले नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किए गए थे।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) सभी चार

Q 7. प्रधानमंत्री कौशल विकास एवं रोजगार-योग्यता परिवर्तन योजना (PM-SETU) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. योजना के कुल परिव्यय में राज्यों और उद्योग का संयुक्त योगदान, केंद्र के योगदान के बराबर है।
2. प्रस्तावित विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) संरचना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त हिस्सेदारी, प्रमुख उद्योग भागीदार की हिस्सेदारी से अधिक है।
3. हब-एंड-स्पोक मॉडल के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में, अब तक पहचाने गए ITI की संख्या में कमी, हब ITI की तुलना में स्पोक ITI के लिए अधिक है।
4. जिन सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने क्लस्टरों की पहचान की है और समर्पित बजट शीर्ष बनाए हैं, उन्होंने राज्य संचालन समितियों का भी गठन किया है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) सभी चार

Q 8. प्रस्तावित एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण (ITLA) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ITLA एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स नियोजन, परियोजना मूल्यांकन और निगरानी के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करेगा।
2. यह कम-से-कम पाँच वर्षों की नियोजन अवधि वाली राष्ट्रीय परिवहन मास्टर योजना तैयार करेगा।
3. यह ₹500 करोड़ या उससे अधिक लागत वाली भारत सरकार की अवसंरचना परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन करेगा।
4. ऐसी परियोजनाओं का वित्तीय मूल्यांकन मौजूदा तंत्रों के माध्यम से ही किया जाता रहेगा।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

Q 9. भौतिकी के क्षेत्र में 2026 के नोबेल पुरस्कार और आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. फ्रांसिस हल्ज़ेन ने पहली बार 1988 में दक्षिणी ध्रुव पर न्यूट्रिनो का पता लगाने की अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की थी, जिसमें बर्फ को लक्ष्य और चेरेनकोव विकिरण उत्पन्न करने वाले माध्यम, दोनों के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव था।
2. 2013 में, आइसक्यूब ने PeV स्तर की ऊर्जा वाली न्यूट्रिनो की दो घटनाओं का पता लगाया, जिससे उच्च-ऊर्जा खगोलभौतिकीय न्यूट्रिनो का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ।
3. आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला एक घन किलोमीटर के पैमाने का संसूचक है, जो अंटार्कटिक बर्फ के लगभग 2 किमी नीचे स्थित है और इसमें 5,000 से अधिक प्रकाशीय सेंसर वाली 86 स्ट्रिंग शामिल हैं।
4. न्यूट्रिनो विद्युत रूप से उदासीन होते हैं और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित होते हैं, जिससे वे दूरस्थ ब्रह्मांडीय परिवेशों के बारे में अपेक्षाकृत अविकृत जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 1, 2 और 4
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 109 02-11-2026 17:53:52

Q 10. SME ग्रोथ फंड (SGF) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे प्रत्यक्ष इक्विटी निवेश कोष के रूप में तैयार किया गया है, जो पारंपरिक ऋण के बजाय विकास-चरण की जोखिम पूँजी उपलब्ध कराता है।
2. इसका उद्देश्य उस कमी को पूरा करना है, क्योंकि मौजूदा इक्विटी सहायता कोष मुख्यतः मध्यम उद्यमों पर केंद्रित हैं।
3. अप्रैल 2025 से प्रभावी MSME वर्गीकरण के अंतर्गत, मध्यम उद्यम के निवेश और कारोबार की अधिकतम सीमाएँ, लघु उद्यम की संबंधित सीमाओं की पाँच गुना हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q 11. रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2026 के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह पुरस्कार असममित कार्बनिक संश्लेषण में अरैखिक प्रभावों और स्व-उत्प्रेरण की खोज के लिए हेनरी बी. कागन और केन्ज़ो सोआई को प्रदान किया गया।
2. कागन ने पाया कि जब बाएँ और दाएँ हाथ वाले अणु किसी उत्प्रेरक में धातु आयन के साथ संयोजित होते हैं, तो बाएँ-दाएँ संयोजन की अभिक्रिया अन्य दो संयोजनों की तुलना में बहुत धीमी होती है।
3. 1995 में, सोआई ने एक असममित स्व-उत्प्रेरक अभिक्रिया का प्रदर्शन किया, जिसमें एक एनैन्टियोमर की 2% अधिकता के परिणामस्वरूप 87% की अधिकता प्राप्त हुई।
4. आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार, अल्फ्रेड नोबेल की मूल वसीयत में निर्दिष्ट पाँच पुरस्कार श्रेणियों में से एक था।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

Q 12. भारत में प्रोजेक्ट चीता के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के बाद मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा आवास बन गया है।
2. यह कार्यक्रम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण इसका नेतृत्व करता है।
3. चीतों का पहला समूह सितंबर 2022 में नामीबिया से आया था, जिसके बाद फरवरी 2023 में बोत्सवाना से 12 और फरवरी 2026 में दक्षिण अफ्रीका से नौ चीते आए।
4. भारत में चीतों की आबादी बढ़कर 60 हो गई है, जिनमें भारत में जन्मे 41 चीते शामिल हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) सभी चार

Q 13. भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के संबंध में विश्व बैंक का आकलन निम्नलिखित में से किस अंतर को सबसे सटीक रूप से स्पष्ट करता है?

(a) भारत के पास AI के लिए सुदृढ़ तैयारी संबंधी आधार मौजूद हैं, लेकिन इसे अपनाने का अपेक्षाकृत प्रारंभिक चरण और सीमित कंप्यूट क्षमता इन आधारों को अत्याधुनिक AI के विकास में बदलने की संभावनाओं को सीमित करते हैं।
(b) भारत ने उद्यम स्तर पर AI को व्यापक रूप से अपना लिया है, लेकिन पर्याप्त बड़े तकनीकी कार्यबल की कमी उसे अत्याधुनिक AI क्षमताएँ विकसित करने से रोकती है।
(c) भारत के लिए AI की मुख्य चुनौती श्रम का विस्थापन है, क्योंकि संज्ञानात्मक कार्यों में उसकी बड़ी हिस्सेदारी के कारण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में प्रतिस्थापन का जोखिम अधिक है।
(d) भारत में AI के अवसर मुख्यतः घरेलू स्तर पर अत्याधुनिक AI मॉडल विकसित करने पर निर्भर करते हैं, जबकि मौजूदा AI तकनीकों को अपनाने और उनके अनुकूलन का विकास की दृष्टि से अपेक्षाकृत सीमित महत्त्व है।

Q 14. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के हालिया निर्णय के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. नवीनतम निर्णय के बाद स्थायी जमा सुविधा (SDF) की दर 5.25% है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) की दर और बैंक दर 5.75% हैं।
2. MPC में RBI का गवर्नर अध्यक्ष के रूप में, मौद्रिक नीति का प्रभारी डिप्टी गवर्नर, केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित RBI का एक अधिकारी तथा केंद्र सरकार द्वारा पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त तीन व्यक्ति शामिल होते हैं।
3. RBI अधिनियम के अनुसार, मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% निर्धारित है, जिसकी ऊपरी सहनशीलता सीमा 6% और निचली सहनशीलता सीमा 2% है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 110 02-11-2026 17:53:52

Q 15. साहित्य के क्षेत्र में 2026 के नोबेल पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार प्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. साहित्य का 2026 का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रदान किया गया और इसके प्रशस्ति-पत्र में ऐसी रचनाओं को मान्यता दी गई, जिन्होंने शास्त्रीय परंपरा के साथ चंचल संवाद के माध्यम से समकालीन साहित्य के लिए नए रूपों का सृजन किया है।
2. अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान का स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार नोबेल पुरस्कार प्रणाली के अंतर्गत संचालित होता है, हालाँकि यह नोबेल की मूल वसीयत में निर्दिष्ट पुरस्कारों में शामिल नहीं था।
3. ऐन कार्सन की रचनाएँ *Nox* (2010) और *Float* (2016) स्वतंत्र साहित्यिक कृतियों के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, क्योंकि वे शास्त्रीय यूनानी रचनाओं के अनुवाद हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) तीनों (d) कोई नहीं

Q 16. बच्चों और किशोरों में मोटापे के प्रबंधन पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के हालिया दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ये दिशा-निर्देश 29 दिन से लेकर 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और 10–19 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को शामिल करते हैं।
2. बच्चों और किशोरों में शारीरिक गतिविधि तथा व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य हस्तक्षेपों की बिना किसी शर्त के अनुशंसा की जाती है।
3. 10–19 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों के लिए, यदि पर्यवेक्षण में संचालित बहुआयामी जीवनशैली कार्यक्रम से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, तो अनुमोदित दवाओं पर विचार किया जा सकता है।
4. मोटापे की गंभीरता चाहे कितनी भी हो, किसी भी बच्चे या किशोर के लिए बेरियाट्रिक सर्जरी की अनुशंसा नहीं की जाती है।
5. विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार, उच्च BMI वाले बच्चों की संख्या के मामले में भारत, चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल दो (b) केवल तीन
(c) केवल चार (d) सभी पाँच

Q 17. विधायकों की अयोग्यता से संबंधित न्यायिक निर्णयों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

मामला	सिद्धांत
1. लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013)	जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) के अंतर्गत मौजूदा विधायकों को पहले प्राप्त विशेष संरक्षण को निरस्त किया
2. रमा नारंग बनाम रमेश नारंग (1995)	उपयुक्त परिस्थितियों में अपीलीय न्यायालय की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की शक्ति को मान्यता दी
3. रविकांत एस. पाटिल बनाम सर्वभौमा एस. बगाली (2007)	दोषसिद्धि पर रोक का अयोग्यता पर पड़ने वाला प्रभाव स्पष्ट किया
4. पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ (2018)	निर्णय दिया कि आपराधिक आरोप तय होने से उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए स्वतः अयोग्य हो जाता है

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) सभी चार

Q 18. विश्व वन्यजीव कोष (WWF) द्वारा जारी लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2026 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह रिपोर्ट जिस लिविंग प्लैनेट इंडेक्स (LPI) पर आधारित है, उसे WWF तैयार करता है और यह 1970 से 2022 के बीच कशेरुकी प्रजातियों की आबादियों पर नज़र रखता है।
2. 73% की गिरावट का अर्थ है कि 1970 से 2022 के बीच निगरानी की गई प्रजातियों के सभी व्यक्तिगत जीवों में से 73% समाप्त हो गए।
3. तीन पारिस्थितिकी तंत्र श्रेणियों में, मीठे पानी में रहने वाली प्रजातियों की आबादियों में सबसे तीव्र गिरावट दर्ज की गई, इसके बाद स्थलीय और फिर समुद्री आबादियों का स्थान रहा।
4. उल्लिखित क्षेत्रों में, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई, इसके बाद अफ्रीका और फिर एशिया-प्रशांत क्षेत्र का स्थान रहा।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 और 4
(c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 111 02-11-2026 17:53:52

Q 19. नोबेल शांति पुरस्कार और नवी पिल्लै के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. नवी पिल्लै 1995 में दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला बनीं।
2. अकायेसु निर्णय (1998) में यह मान्यता दी गई कि बलात्कार और यौन हिंसा नरसंहार के कृत्य हो सकते हैं।
3. पहले नोबेल पुरस्कार 1905 में प्रदान किए गए थे।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q 20. भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलों और जीनोम-संपादित फसलों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत में व्यावसायिक खेती के लिए अनुमोदित एकमात्र GM फसल Bt कपास है।
2. Bt बैंगन को भारत में व्यावसायिक खेती के लिए अनुमोदित किया गया है, लेकिन इसकी खेती पर राज्य स्तर के प्रतिबंध लागू हैं।
3. DMH-11 सरसों, CRISPR-Cas तकनीक का उपयोग करके विकसित की गई जीनोम-संपादित फसल है।
4. निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले SDN-1 और SDN-2 जीनोम-संपादित पौधों में, यदि बाहरी DNA प्रविष्ट नहीं कराया गया है, तो उन्हें 1989 के नियमों के कुछ निर्दिष्ट प्रावधानों से छूट प्राप्त है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 4 (b) केवल 1, 2 और 4
(c) केवल 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

Q 21. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PM-DDKY) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. आकांक्षी कृषि जिलों की पहचान कम कृषि उत्पादकता, कम फसल सघनता और कम कृषि ऋण वितरण के आधार पर की गई थी, जिसमें प्रत्येक राज्य से कम-से-कम एक जिले का चयन किया गया।
2. मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य धन-धान्य कृषि योजना समिति जिला कार्य योजना तैयार करती है और उसे लागू करती है, जबकि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की अध्यक्षता कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव करते हैं।
3. इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2025–26 में की गई थी और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे 16 जुलाई 2025 को मंजूरी दी थी।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q 22. आर्थिक विज्ञान में 2026 के नोबेल पुरस्कार के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. रॉबर्ट ई. हॉल के कार्य ने स्थापित किया कि घरेलू उपभोग पूरी तरह से वर्तमान आय पर निर्भर करता है, यही कारण है कि परिवार सरकारी नीतियों पर समान रूप से प्रतिक्रिया करते हैं।
2. माइकल वुडफोर्ड ने एक ऐसा ढाँचा विकसित किया, जो घरेलू उपभोग, व्यावसायिक मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णयों और केंद्रीय बैंक की ब्याज दर नीतियों को आपस में जोड़ता है।
3. कीमतों की जड़ता की स्थिति में, कीमतों के पूरी तरह समायोजित होने से पहले माँग में परिवर्तन उत्पादन और रोजगार को प्रभावित कर सकते हैं।
4. यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत के अंतर्गत स्थापित पाँच मूल नोबेल पुरस्कारों में से एक था।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) सभी चार

Q 23. दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में लागू किया जाता है।
2. यह मिशन निर्दिष्ट अवधि के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (NCCF) के माध्यम से इच्छुक पंजीकृत किसानों द्वारा प्रस्तुत अरहर, उड़द और मसूर की 100% खरीद सुनिश्चित करता है।
3. वर्ष 2025–26 में पिछले वर्ष की तुलना में दलहन के खेती क्षेत्र और औसत उत्पादकता, दोनों में वृद्धि दर्ज की गई।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) तीनों (d) कोई नहीं

Q 24. विश्व के वनों की स्थिति (SOFO) 2026 रिपोर्ट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) वैश्विक वन संबंधी चुनौतियों और सतत वन प्रबंधन की रणनीतियों को उजागर करने के लिए यह रिपोर्ट द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित करता है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 112 02-11-2026 17:53:52

2. वैश्विक स्तर पर 1.56 अरब हेक्टेयर से अधिक भूमि और 460 मिलियन हेक्टेयर से अधिक वन क्षरित हो चुके हैं।
3. पुनर्स्थापन के अंतर्गत आने वाले भूमि क्षेत्र के मामले में भारत विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है, जिसके बाद चीन और सूडान का स्थान है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q 25. बिम्सटेक (BIMSTEC) और हाल ही में संपन्न प्रथम बिम्सटेक गृह मंत्रियों की बैठक के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. गृह मंत्रियों की बैठक की व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय अप्रैल 2025 में बैंकॉक में आयोजित छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में लिया गया था।
2. दिल्ली घोषणा में पाँच क्षेत्रीय सुरक्षा पहलों को मंजूरी दी गई, जिनमें मानव तस्करी, मादक पदार्थों पर नियंत्रण, धन शोधन एवं आतंकवाद का वित्तपोषण, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा आपदा प्रबंधन शामिल हैं।
3. बिम्सटेक की स्थापना मूल रूप से 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से BIST-EC नाम से हुई थी और वर्तमान में इसके सात सदस्य देश हैं।
4. बिम्सटेक की संस्थागत संरचना में बिम्सटेक स्थायी कार्य समिति (BPWC) शामिल है, लेकिन इसमें वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक शामिल नहीं है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

Q 26. महानदी नदी और महानदी जल विवाद के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. महानदी नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ियों में होता है और यह पूर्व की ओर बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
2. नदी बेसिन लगभग 1,41,600 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है, जिसमें बेसिन का अधिकांश क्षेत्र छत्तीसगढ़ के बजाय ओडिशा में स्थित है।
3. महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण (MWDT) का गठन 1956 के अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम के अंतर्गत 2018 में किया गया था।
4. अंतरराज्यीय नदी जल विवादों से संबंधित 2019 का संशोधन विधेयक 2024 में व्यपगत हो गया, जिससे मौजूदा न्यायाधिकरण प्रणाली जारी रही।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1, 3 और 4 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

Q 27. वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) 2026 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. GII नवाचार संबंधी इनपुट और आउटपुट को समान भारांक देता है, भले ही दोनों उप-सूचकांकों में स्तंभों की संख्या असमान हो।
2. स्विट्जरलैंड, चीन, भारत और रवांडा अपने-अपने आय वर्गों में सर्वोच्च रैंकिंग वाली अर्थव्यवस्थाएँ हैं।
3. नवाचार आउटपुट उप-सूचकांक में भारत की रैंकिंग, नवाचार इनपुट उप-सूचकांक की तुलना में बेहतर है और यह मध्य एवं दक्षिण एशिया में सर्वोच्च रैंकिंग वाली अर्थव्यवस्था भी है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q 28. UNCTAD की व्यापार एवं विकास रिपोर्ट 2026 के केंद्रीय तर्क को निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है?

(a) वैश्वीकरण समान रूप से उलट रहा है और देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश से लगातार पीछे हट रहे हैं।
(b) भू-अर्थशास्त्रीय प्रतिस्पर्धा व्यापार एवं उत्पादन नेटवर्कों का चयनात्मक पुनर्गठन कर रही है, जिससे सीमित तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास संबंधी नई चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं।
(c) विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ उच्च-मूल्य वाले रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश की प्रमुख लाभार्थी बन गई हैं, जिससे विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ तकनीकी असमानताएँ कम हो रही हैं।
(d) आधिकारिक विकास सहायता में गिरावट ने विकास के वित्तपोषण में बहुपक्षीय संस्थानों की प्रासंगिकता समाप्त कर दी है।

Q 29. भारत के रामसर स्थलों के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एशिया में भारत में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है और यूनाइटेड किंगडम तथा मेक्सिको के बाद यह विश्व में तीसरे स्थान पर है।
2. भारत में तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है।
3. हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, जबकि पश्चिम बंगाल का सुंदरबन आर्द्रभूमि सबसे छोटा है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 113 02-11-2026 17:53:52

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q 30. SIOFA के अंतर्गत अपनाई गई उच्च समुद्र बोर्डिंग एवं निरीक्षण (HSBI) योजना मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

(a) भाग लेने वाले देशों के बीच प्रादेशिक जल का आवंटन
(b) उच्च समुद्र में मछली पकड़ने की गतिविधियों की निगरानी और निरीक्षण
(c) अंतरराष्ट्रीय नौवहन मार्गों और नौवहन की स्वतंत्रता का विनियमन
(d) तटीय राज्यों के बीच समुद्री सीमा विवादों का निपटारा

Q 31. प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है, जिसमें देश भर में एकसमान सहायता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र 100% केंद्रीय सहायता प्रदान करता है।
2. केंद्र के वृद्धावस्था पेंशन योगदान को 2007 से नियमित रूप से मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित किया गया है और प्रतिवर्ष संशोधित किया गया है।
3. दिव्यांगता पेंशन घटक के लिए निर्धारित दिव्यांगता का मानदंड 80% से घटाकर 40% कर दिया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 (d) 1, 2 और 3

Q 32. हाल ही में समाचारों में रहे INS समर्थक के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के एक जहाज निर्माण प्रतिष्ठान द्वारा निर्मित भारत का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत है।
2. इस पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है और इसे मुख्य रूप से नौसैनिक प्रणालियों के परीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए एक मंच के रूप में तैयार किया गया है।
3. इसके प्रतीक चिह्न में लहरों से उभरता हुआ एक भारतीय हाथी दर्शाया गया है और इसका आदर्श वाक्य "विजय ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है" है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q 33. प्रस्तावित भारत स्टेज VII (BS-VII) उत्सर्जन मानकों के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रस्तावित मानक यूरोप के यूरो 7 मानदंडों के अनुरूप हैं और प्रदूषण नियंत्रण को निकास उत्सर्जन से आगे बढ़ाकर ब्रेक से निकलने वाले कणों तथा टायरों के घर्षण से उत्पन्न कणों तक विस्तारित करते हैं।
2. प्रस्तावित BS-VII मानदंडों के अंतर्गत, कण मापन का न्यूनतम आकार BS-VI के 23 नैनोमीटर से घटाकर 10 नैनोमीटर कर दिया गया है।
3. प्रस्तावित समय-सीमा के अंतर्गत मौजूदा BS-VI वाहनों के लिए अनिवार्य राष्ट्रव्यापी प्रतिस्थापन और रेट्रोफिट कार्यक्रम लागू किया गया है।
4. लागू होने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों और प्लग-इन हाइब्रिड वाहनों के लिए बैटरी टिकाऊपन संबंधी मानदंडों में पाँच वर्ष या 100,000 किमी के बाद कम-से-कम 75% ऊर्जा क्षमता बनाए रखने का प्रस्ताव है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 2, 3 और 4 (b) 1, 2, 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 4 (d) केवल 1, 3 और 4

Q 34. सर्वोच्च न्यायालय के धर्मांतरण और पिछड़ा वर्ग आरक्षण संबंधी निर्णय के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

(a) केवल इस्लाम धर्म अपनाने से किसी विशिष्ट अधिसूचित पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) समुदाय के लिए पात्रता स्थापित नहीं होती।
(b) यह मामला समुदाय प्रमाणपत्रों से संबंधित तमिलनाडु सरकार के एक आदेश की वैधता से जुड़ा था।
(c) यह निर्णय स्थापित करता है कि मुस्लिम समुदायों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती।
(d) निर्णय में पूर्ववर्ती जातिगत पहचान और किसी विशिष्ट अधिसूचित समुदाय के लिए पात्रता के बीच अंतर स्पष्ट किया गया।

Q 35. भारत के सेमीकंडक्टर पारितंत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत में एक सतत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारितंत्र स्थापित करने के लिए दिसंबर 2021 में ₹76,000 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को मंजूरी दी गई थी।
2. डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना वित्तीय सहायता तथा उन्नत इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन उपकरणों तक

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 114 02-11-2026 17:53:52

पहुँच प्रदान करके स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को समर्थन देती है, जिससे घरेलू सेमीकंडक्टर डिजाइन क्षमताओं को बढ़ावा मिलता है।

3. यौगिक सेमीकंडक्टर तथा असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग (ATMP) एवं आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण (OSAT) योजना केवल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन पर केंद्रित है और इसमें पैकेजिंग या परीक्षण सुविधाएँ शामिल नहीं हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q 36. वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट 2025 में उजागर भारत की भूजल स्थिति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत में 2022–2025 के दौरान लगातार भूजल की कमी बनी रही।
2. वर्ष 2025 में उत्तर-पश्चिमी भारत में सामान्य से नीचे से लेकर सामान्य से बहुत नीचे तक के भूजल स्तरों की लगातार और व्यापक स्थिति दर्ज की गई।
3. गंगा–सिंधु के उद्गम क्षेत्रों में 2021–2025 के दौरान स्थलीय जल भंडारण की स्थिति बार-बार सामान्य से नीचे रही।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q 37. वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2026 में विश्व के प्रदर्शन के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. किसी भी अर्थव्यवस्था ने पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं की है।
2. शैक्षिक उपलब्धि वह आयाम है, जिसमें लैंगिक समानता सबसे अधिक निकट है।
3. चारों आयामों में राजनीतिक सशक्तीकरण में लैंगिक अंतराल सबसे अधिक शेष है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q 38. SCO शासनाध्यक्ष परिषद (CHG) की 25वीं बैठक और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. शासनाध्यक्ष परिषद SCO की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है और इसकी प्रमुख प्राथमिकताएँ निर्धारित करती है।
2. इस बैठक में प्रस्तावित SCO विकास बैंक के मुख्यालय के रूप में कजाकिस्तान को अंतिम रूप दिया गया है।
3. क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS) की कार्यकारी समिति और SCO सचिवालय के मुख्यालय अलग-अलग शहरों में स्थित हैं।
4. भारत और पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस से पहले SCO के पूर्ण सदस्य बने थे।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) सभी चार

Q 39. अंतरराज्यीय परिषद (संशोधन) आदेश, 2026 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह संशोधन उस स्थिति में दिल्ली के उपराज्यपाल को आमंत्रित करने का प्रावधान करता है, जब राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 239AB के अंतर्गत जारी आदेश लागू हो।
2. यह अंतरराज्यीय परिषद आदेश, 1990 के खंड 2 के मौजूदा परंतुक को प्रतिस्थापित करता है और निर्दिष्ट संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान लागू होने पर राज्यपालों तथा उपराज्यपालों की भागीदारी का प्रावधान करता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

Q 40. भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के संदर्भ में, उद्गम के नियम (Rules of Origin) की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प करता है?

(a) ये भारत द्वारा न्यूज़ीलैंड से आयात पर लगाए जा सकने वाले अधिकतम शुल्क का निर्धारण करते हैं।
(b) ये सुनिश्चित करते हैं कि FTA के लाभ वास्तविक निर्यातकों को प्राप्त हों और व्यापार के अनुचित मार्गांतरण को रोकने में सहायता करते हैं।
(c) ये दोनों देशों को तीसरे देशों से होने वाले आयात पर समान शुल्क लगाने के लिए बाध्य करते हैं।
(d) ये न्यूज़ीलैंड में भारतीय पेशेवरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए वार्षिक कोटा निर्धारित करते हैं।

Q 41. जेंडर स्नैपशॉट 2026 में उजागर निर्णय-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. विश्व स्तर पर अभियोजकों की तुलना में न्यायाधीशों में महिलाओं की हिस्सेदारी अधिक थी।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 115 02-11-2026 17:53:52

2. विश्व स्तर पर मुख्य न्यायाधीशों में महिलाओं की हिस्सेदारी पाँचवें हिस्से से भी कम थी।
3. कॉर्पोरेट बोर्ड के एक-चौथाई से अधिक पदों पर महिलाएँ थीं, लेकिन मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO) में उनकी हिस्सेदारी दसवें हिस्से से भी कम थी।
4. संसद की रक्षा और वित्त संबंधी समितियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, लैंगिक समानता से संबंधित समितियों की तुलना में अधिक था।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

Q 42. बहुपक्षवाद के लिए साझेदार (P4M) पहल को पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय समूह से निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता सबसे बेहतर रूप से अलग करती है?

(a) इसकी सदस्यता केवल वैश्विक दक्षिण के देशों तक सीमित है।
(b) इसे विभिन्न क्षेत्रों में संवाद, गठबंधन निर्माण और सहयोग के लिए एक खुले, नेटवर्क-आधारित तथा व्यावहारिक ढाँचे के रूप में तैयार किया गया है।
(c) इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के समानांतर एक नई संस्थागत संरचना स्थापित करना है।
(d) इसका सहयोग मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय मुद्दों तक सीमित है।

Q 43. पेयजल, स्वच्छता और विद्यालयों में स्वच्छता संबंधी प्रगति 2015–2025 रिपोर्ट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वर्ष 2025 में स्वच्छता सेवाओं से वंचित स्कूली बच्चों की संख्या भारत में विश्व स्तर पर सबसे अधिक थी।
2. भारत उन 62 देशों में से 28 देशों में शामिल है, जो 2030 तक विद्यालयों में बुनियादी पेयजल सेवाओं की सार्वभौमिक उपलब्धता का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं।
3. यह रिपोर्ट संयुक्त निगरानी कार्यक्रम (JMP) के माध्यम से WHO और UNICEF द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जाती है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q 44. 'मेक इन इंडिया' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी, जिसका मार्गदर्शक सिद्धांत "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" था।
2. मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत यह पहल 27 क्षेत्रों को शामिल करती है, जिनमें 15 विनिर्माण क्षेत्र और 12 सेवा क्षेत्र हैं।
3. नई श्रृंखला के अंतर्गत समग्र सकल मूल्य वर्धन (GVA) में विनिर्माण की हिस्सेदारी 2022–23 के 14.6% से बढ़कर 2025–26 में 20% से अधिक हो गई।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) तीनों (d) कोई नहीं

Q 45. निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अनुच्छेद 324(2) संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
2. *अनूप बरनवाल* मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक प्रधानमंत्री–भारत के मुख्य न्यायाधीश–लोकसभा में विपक्ष के नेता की समिति का प्रावधान किया था।
3. 2023 के अधिनियम ने चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर केंद्रीय विधि मंत्री को शामिल किया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1

Q 46. साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, बुडापेस्ट अभिसमय से मुख्य रूप से किस कारण अलग है?

(a) पहला केवल साइबर आतंकवाद से संबंधित है, जबकि दूसरा पारंपरिक साइबर अपराधों को शामिल करता है।
(b) पहला संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक वैश्विक, कानूनी रूप से बाध्यकारी ढाँचा प्रदान करता है, जबकि बुडापेस्ट अभिसमय की शुरुआत एक क्षेत्रीय संधि ढाँचे के रूप में हुई थी।
(c) पहला केवल संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों पर लागू होता है, जबकि दूसरा केवल यूरोपीय देशों के लिए खुला है।
(d) पहला निजी कंपनियों के लिए साइबर सुरक्षा मानकों को विनियमित करता है, जबकि दूसरा एक अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध न्यायालय स्थापित करता है।

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 116 02-11-2026 17:53:52

Q 47. भारत के पहले बंदरगाह-आधारित ई-मेथनॉल संयंत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह संयंत्र गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में स्थापित किया जा रहा है, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 150 टन ई-मेथनॉल है।
2. यह परियोजना दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण और असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड की संयुक्त पहल है, जिसमें दोनों के बीच पूँजी योगदान का अनुपात 50:50 है।
3. ई-मेथनॉल का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके हरित हाइड्रोजन को पुनर्चक्रित या जैवजनित CO_2 के साथ मिलाकर किया जाता है।
4. भारत में सीमित नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना के कारण इस परियोजना से वैश्विक दर की तुलना में अधिक लागत पर हरित मेथनॉल का उत्पादन होने की अपेक्षा है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) सभी चार

Q 48. अंतरराष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (IWC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. IWC की स्थापना 1946 में वाशिंगटन, डी.सी. में हस्ताक्षरित व्हेलिंग के विनियमन के लिए अंतरराष्ट्रीय अभिसमय के अंतर्गत की गई थी।
2. वाणिज्यिक व्हेलिंग पर रोक 1986 में अपनाई गई थी और 1982 से प्रभावी हुई थी।
3. जापान 2002 में इस रोक के संबंध में आरक्षण के साथ IWC में फिर से शामिल हुआ, जबकि आइसलैंड 2019 में IWC से अलग हो गया और उसने वाणिज्यिक व्हेलिंग फिर से शुरू कर दी।
4. भारत 1981 से IWC का सदस्य रहा है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) सभी चार

Q 49. भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन योजना (IFWCS) और PRAMAAN प्रमाणपत्रों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. IFWCS एक अनिवार्य, सरकार द्वारा संचालित प्रमाणन योजना है, जो केवल राज्य वन विभागों पर लागू होती है।
2. भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (IIFM), भोपाल इस योजना की संचालन एजेंसी है, जबकि लेखापरीक्षा करने वाले प्रमाणन निकायों को भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड (NABCB) द्वारा प्रत्यायन प्रदान किया जाता है।
3. PRAMAAN प्रमाणन केवल स्व-घोषणा पर निर्भर रहने के बजाय स्वतंत्र तृतीय-पक्ष लेखापरीक्षाओं पर आधारित है।
4. IFWCS में प्रमाणन के केवल दो घटक हैं: वन प्रबंधन प्रमाणन और अभिरक्षा शृंखला (CoC) प्रमाणन।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) सभी चार

Q 50. CAFE-III के अंतर्गत कार्बन-तटस्थता कारक (CNF) का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन-सा है?

(a) यह सभी वैकल्पिक ईंधन वाले वाहनों के लिए घोषित CO_2 उत्सर्जन में एकसमान कमी प्रदान करता है।
(b) यह कुछ ईंधन मार्गों के लिए निर्धारित CO_2 कटौती प्रदान करता है, जिसमें कारक ईंधन या मिश्रण व्यवस्था के अनुसार अलग-अलग होता है।
(c) यह बेड़े की औसत ईंधन-दक्षता के लक्ष्य को ईंधन-विशिष्ट उत्सर्जन लक्ष्य से प्रतिस्थापित करता है।
(d) यह केवल बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों और विस्तारित-परास वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होता है।

उत्तरमाला

1.	a	6.	b	11.	b	16.	b	21.	c	26.	a	31.	a	36.	d	41.	b	46.	b
2.	b	7.	b	12.	c	17.	c	22.	b	27.	d	32.	b	37.	d	42.	b	47.	b
3.	d	8.	b	13.	a	18.	b	23.	b	28.	b	33.	c	38.	b	43.	d	48.	b
4.	b	9.	a	14.	c	19.	a	24.	a	29.	a	34.	c	39.	c	44.	b	49.	b
5.	b	10.	b	15.	b	20.	a	25.	b	30.	b	35.	a	40.	b	45.	a	50.	b

KGS UPSC CA Magazine November 2026_Hindi_28-10-26.indd 117 02-11-2026 17:53:52

KGS IAS

UPSC

Optional Batches



K.Shivesh Sir
History

History

- Syllabus-mapped coverage of Ancient, Medieval and Modern History
- Historiography, ideologies and contemporary interpretations

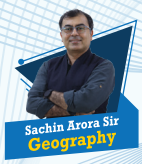

Sachin Arora Sir
Geography

Geography

- Balanced coverage of Physical, Human and Economic Geography
- Diagram-based answers, map work and case study-based approach



Dhrub Singh Sir
Maths

Mathematics

- Syllabus-based theory + problem-solving approach
- Step-wise solutions and presentation skills



Sanjay Thakur Sir
PSIR

PSIR

- Integration of political theories, Indian politics and International Relations
- Conceptual clarity and practical application



Sourabh Mishra Sir
Anthropology

Anthropology

- Human Evolution, Biological Anthropology and Human Genetics
- Indian Society, Tribal Studies and Applied Anthropology



Vivek Bhardvaj Sir
Sociology

Sociology

- In-depth study of classical and modern sociological thinkers
- Application of theories to Indian society



Gautam Sir
Public Admin.

Public Admin.

- Integration of administrative theories and Indian administration
- Thinkers + case studies + contemporary governance



Sujeet Sir
इतिहास

इतिहास

- प्राचीन-मध्यकालीन-आधुनिक इतिहास का सिलेबस-मैप्ड कवरेज
- Historiography, विचारधाराएँ एवं समकालीन व्याख्याएँ



Dr. Ajay Anurag Sir
हिंदी साहित्य

हिंदी साहित्य

- आदिकाल से आधुनिक काल तक साहित्यिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण
- प्रमुख कवि-लेखकों, कृतियों एवं साहित्यिक आंदोलनों का समग्र अध्ययन



Shankar Singh Sir
समाजशास्त्र

समाजशास्त्र

- आदिकाल से आधुनिक काल तक सामाजिक विचारकों एवं सिद्धांतों का विश्लेषण
- भारतीय समाज, सामाजिक परिवर्तन एवं समकालीन सामाजिक मुद्दों का अध्ययन

Admissions Open

KGS IAS

PMP

PARIVARTAN MENTORSHIP PROGRAMME

Medium BILINGUAL

Online

Offline

13 Months INTEGRATED PRELIMS + MAINS 2027

Prelims Test Division

Test Type	No. of Tests
GS Sectional	20
GS Full Length	18
CSAT Sectional	08
CSAT FLT	11
Current Affairs	07
Current Affairs FLT	2
Total No. of Test = 66 Total No. of Questions = 4000+	

Mains Test Division

Test Type	No. of Tests
GS Sectional	36
Essay Sectional	9
Essay FLT	4
GS Paper (I-IV) FLT	20
Total No. of Test = 69 Total No. of Questions= 650+	

Khan Global Studies
Most Trusted Learning Platform

DELHI

Karol Bagh: 56/4, Ground Floor, Old Rajendra Nagar — 9205 777 818

Azadpur: Ground Floor, Azadpur Metro Station, Gate No. - 1 — 9205 777 817

Mukherjee Nagar: Gali No. - 14 B, Main Jagatpur Road, Near Divine Hospital, Wazirabad

BIHAR

Boring Road, Patna: 2nd Floor, Kumar Tower, Crossing Chauraha

Musallahpur Hat, Patna: KGS Campus, Near Sai Mandir — 8757 354 880

UTTAR PRADESH

Prayagraj: 8/8A, Tej Bahadur Sapru Road, Civil Lines — 9311 552 329

UTTARAKHAND

Dehradun: Omkar Tower, Opposite Shani Mandir, Sahastradhara Road — 9311 552 329

Scan To Know More